




भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 32] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 12, 1978 (श्रावण 21, 1900)
No. 32] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 12, 1978. (SRAVANA 21, 1900)

इस भाग में मिस्र पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

PART III—SECTION 1

उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India]

संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-110011/दिनांक 17 जुलाई 1978

सं० ए० 32013/2/77-प्रशा०-I(i) —अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा कालीकट क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज कालीकट में लेक्चरर तथा संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में स्थानापन्न अवर सचिव डा० आर० भास्करन को अद्यतन सशोधित संघ लोक सेवा आयोग आयोग (कर्मचारी वर्ग) नियमावली, 1958 के विनियम 7 के साथ पठित विनियम 4 के परन्तुक के अधीन 17-7-78 के पूर्वाह्न से 16-10-78 तक, अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में उप सचिव के पद पर स्थानापन्न रूप से तदर्थ आधार पर कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है ।

प्र० ना० मुखर्जी
अवर सचिव
हुते अध्यक्ष

नई दिल्ली-110011, दिनांक 6 जून 1978

सं० ए० 11016/1/76-प्रशा० III —सचिव संघ लोक सेवा आयोग एतद्वारा संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में
1-196GI/78

प्रत्येक के सामने निर्दिष्ट अवधि के लिए, अथवा आगामी आदेश तक, जो भी पहले हो, निम्नलिखित नियुक्तियों का आदेश देते हैं —

- (i) श्री जे० एस० साहनी, अनुभाग अधिकारी 30-5-78 से 30-6-78 की अवधि तक स्थानापन्न डैस्क अधिकारी । उन्हें सेवा II अनुभाग में तैनात किया जाता है ।
- (ii) श्री एस० के० अरोडा अनुभाग अधिकारी, (विशेष) 30-5-78 से 28-2-79 की अवधि तक स्थानापन्न डैस्क अटैची । वह भर्ती (नि०) अनुभाग में कार्य करते रहेंगे ।
- (iii) श्री एन० के० हीगग, अनुभाग अधिकारी 30-5-78 से 28-2-79 की अवधि तक स्थानापन्न डैस्क अटैची । उन्हें भर्ती (नि०) अनुभाग में तैनात किया जाता है ।

प्र० ना० मुखर्जी
उप सचिव
हुते सचिव

नई दिल्ली-110011, दिनांक 20 जुलाई 1978

सं० पी० - 254/प्रशा० II :— संघ लोक सेवा आयोग की अधिसूचना सं० ए० 32014/1/78-प्रशा० III (2) दिनांक 24-4-78 द्वारा श्री वाई० आर० गांधी को अवकाश स्वीकृत किए जाने और उनके नाम स्थान पर पर अनुभाग अधिकारी के पद पर स्थानापन्न नियुक्ति के परिणामस्वरूप संघ लोक सेवा आयोग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के स्थायी सहायक श्री जी० वी० माथुर, जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग की अधिसूचना सं० ए० 11013/2/74 प्रशा० II दिनांक 1-4-78 द्वारा स्थानापन्न रूप से तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी (विशेष) नियुक्त किया गया था, ने 24-4-78 के पूर्वार्द्ध में संघ लोक सेवा आयोग में अनुभाग अधिकारी (विशेष) के पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

प्र० ना० मुखर्जी
अवर सचिव
होते सचिव

नई दिल्ली-110011, दिनांक 6 जुलाई 1978

सं० ए० 12025 (ii) /2/76-प्रशा० III :—का० तथा प्र० सु० विभाग के का० धा० सं० 9/2/78-सी० एस० (I) दिनांक 30 मार्च, 1978 द्वारा भा० प्र० से० आदि परीक्षा, 1976 के आधार पर नामित किए जाने पर राष्ट्रपति द्वारा कुमारी ज्यलक्ष्मी नायर को 1-6-1978 (पूर्वार्द्ध) से संघ लोक सेवा आयोग में केन्द्रीय सचिवालय, सेवा संवर्ग के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में परीक्षाधीन नियुक्त किया जाता है तथा उसी तारीख से सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान, आर० के० पुरम, नई दिल्ली में प्रशिक्षण पर रखा जाता है।

प्र० ना० मुखर्जी, अवर सचिव
(प्रशासन प्रभारी)

गृह मंत्रालय

का० एवं प्र० सु० विभाग
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली, दिनांक 24 जुलाई 1978

सं० एन० 7/72-प्रशा० 5 :—राष्ट्रपति अपने प्रसाद से श्री एन० के० सिंह भारतीय पुलिस सेवा (उड़ीसा-1961) को दिनांक 15-7-1978 के अपराह्न से अगले आदेश होने तक के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में स्थानापन्न पुलिस उप-महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त करते हैं।

के० के० पुरी
उप-निदेशक (प्रशासन)

नई दिल्ली, दिनांक 21 जुलाई 1978

सं० ए० 19036/12/76-प्रशासन-5 :—प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त हो जाने पर, गुजरात राज्य पुलिस के अधिकारी श्री डी० बी० पटेल, पुलिस उप-अधीक्षक की सेवाएं दिनांक 12-6-78 के अपराह्न से गुजरात राज्य सरकार को वापस सौंपी जाती हैं।

दिनांक 24 जुलाई 1978

सं० 19036/2/78 प्रशा० 5 :—निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो एवं पुलिस महानिरीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना, एतद्द्वारा, गुजरात राज्य पुलिस के अधिकारी तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, अहमदाबाद शाखा के पुलिस अधिकारी श्री जी० जे० देसाई को दिनांक 1-7-78 के पूर्वार्द्ध से अगले आदेश तक के लिये केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो विशेष पुलिस स्थापना अहमदाबाद में स्थानापन्न पुलिस उप-अधीक्षक के रूप में नियुक्त करते हैं।

महेश्वर कुमार अग्रवाल
प्रशासनिक अधिकारी (लेखा)

महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली-110001, दिनांक 25 जुलाई 78

सं० ओ० वो० 35/70 स्थापना :—श्री वी० कृष्ण अम्पाने सरकारी सेवा से निवृत्त होने के फलस्वरूप, कमाण्डेंट, ग्रुप सैन्टर, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, नागपुर के पद का कार्यभार दिनांक 30-6-78 (अपराह्न) से त्याग दिया है।

दिनांक 26 जुलाई 1978

सं० ओ० दो० 135/75 स्थापना :—मेजर जी० टी० वजीरानी (आई० सी०-4045) सिगनल्स, एक स्थल सेना अधिकारी, जो कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में सहायक कमाण्डेंट के पद पर प्रतिनियुक्त हैं, को निम्नलिखित अवकाश प्रदान की जाती है :—

- (क) 22 दिन की अर्जित छुट्टी दिनांक 10-7-78 से 31-7-78 तक तथा साथ उन्हें अपनी इस छुट्टी के पहले 8-7-78 वाला शनिवार व 9-7-78 वाला रविवार जोड़ने की अनुज्ञा है; तथा
- (ख) 31 दिन की स्पेशल छुट्टी (सेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी) दिनांक 1-8-78 से 31-8-78 तक सेना छुट्टी नियम के अन्तर्गत स्वीकार्य है।

2. उपरोक्त छुट्टी की समाप्ति पर, मेजर वजीरानी स्थल सेना की सेवा से दिनांक 1-9-78 पूर्वार्द्ध से निवृत्त हो जायेंगे।

ए० के० बन्धोपाध्याय
सहायक निदेशक (प्रशासन)

श्रम मंत्रालय

(श्रम ब्यूरो)

शिमला-171004, दिनांक 3 अगस्त 1978

सं० 23/3/78-सी० पी० आई०—जून, 1978 में औद्योगिक श्रमिकों का अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (बाजार वर्ष 1960-100) मई, 1978 के स्तर से चार अंक बढ़ कर 327 (तीन सौ सताईस) रहा। जून, 1978 माह का सूचकांक बाजार वर्ष 1949=100 पर परिवर्धित किए जाने पर 397 (तीन सौ सतानवें) आता है।

श्रीमानन्द स्वरूप भारद्वाज
संयुक्त निदेशक, श्रम ब्यूरो

प्रतिभूति कागज कारखाना

होशंगाबाद-461001, दिनांक 15 जुलाई 1978

सं० पी० एफ०-7 (36) / 3244 :—इस कार्यालय की अधिसूचना के 07 (36) / 703 दिनांक 21/4/78 के आगे श्री एस० टी० सिरसट तदर्थ आधार पर 1/7/78 से तीन महीने तक की और अधि अथवा इस पद के निमित रूप से भरे जाने तक इनमें से जो भी पहले हो अग्निशमन अधिकारी के पद पर कार्य करने की अनुमति दी जाती है।

श० रा० पाठक
महाप्रबन्धक

भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग

कार्यालय महालेखाकार, राजस्थान

जयपुर, दिनांक 14 जुलाई 1978

सं० एडमिन० जी० जी० अधिसूचना/ 1487 :— महालेखाकार राजस्थान ने निम्न लिखित अनुभाग अधिकारियों को उनके आगे दी गई तिथि से अग्रतर आदेशों के जारी होने इसी कार्यालय में स्थानापन्न लेखाधिकारी के पद पर नियुक्त किया जाता है :—

| क्रमांक | नाम | तिथि |
|---------|--------------------|---------------------|
| | सर्वश्री | |
| 1. | केदार नाथ बोहरा | 30-6-78 (पूर्वाह्न) |
| 2. | जय बिहारी लाल गोयल | 29-6-78 (अपराह्न) |
| 3. | महेन्द्र कुमार जैन | 29-6-78 (अपराह्न) |

र० अ० बोरकर
वरिष्ठ उप महालेखाकार
(प्रशासन)

मुख्य लेखा परीक्षक का कार्यालय

दक्षिण रेलवे

मद्रास, दिनांक 20 जुलाई 1978

सं० ए० / पी० सी० / बी० वी० एस० / 7803 :— दक्षिण रेलवे के मुख्य लेखा परीक्षक के कार्यालय में अधीनस्थ रेलवे लेखा परीक्षा सेवा के स्थायी सदस्य श्री वी० वी० सुब्रह्मण्यन को 19-5-78 के अपराह्न से आगामी आदेश तक रु० 840-40 1000- द० रो० - 40-1200 के वेतनमान पर लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर स्थानापन्न रूप से पदोन्नत किया जाता है। वेतन-निर्धारण के उद्देश्य के लिए लेखा परीक्षक के संवर्ग में उनकी पदोन्नति की तारीख 19-7-75 मानी जायेगी जिस तारीख से श्री वी० वी० सुब्रह्मण्यन के विदेश में प्रतिनियुक्ति पर रहने के कारण उनका जूनियर पदोन्नत किया गया था।

इस मामले में की गयी पदोन्नति केवल तदर्थ रूप से है और यह सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय पर अवलंबित होगी।

टी० बी० नागराजन
मुख्य लेखा परीक्षक

रक्षा लेखा विभाग

कार्यालय, रक्षा लेखा महा नियंत्रक

नई दिल्ली-110022, दिनांक जुलाई 1978

सं० 68018 (2)/71-प्रशा० II :—राष्ट्रपति, भारतीय रक्षा लेखा सेवा के एक अधिकारी श्री बी० सी० जोशी (गृह मंत्रालय में, उपनिदेशक (लेखा) के रूप में, सीमा सुरक्षा बल, नई दिल्ली में प्रतिनियुक्ति पर) को उक्त सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (रुपये 1500-60-1800-100-2000) में स्थानापन्न रूप में कार्य करने के लिए दिनांक 19 जून, 1978 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेश पर्यन्त अनुक्रम नियम के अधीन, सहर्ष नियुक्त करते हैं।

दिनांक 24 जुलाई 1978

सं० 86016(15)/77-प्रशा०-II :—राष्ट्रपति, भारतीय रक्षा लेखा सेवा के एक अधिकारी श्री पी० जी० थॉमस को उक्त सेवा के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के स्तर I (रुपये 2500-125/2 2750) में स्थानापन्न रूप में कार्य करने के लिए दिनांक 10 जुलाई, 1978 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेश पर्यन्त, सहर्ष नियुक्त करते हैं।

सं० 86016 (15) / 77-प्रशा० II :—राष्ट्रपति, भारतीय रक्षा लेखा सेवा के एक अधिकारी, श्री वी० नारायण स्वामी को उक्त सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (रुपये 1500-60-1800-100-2000) में स्थानापन्न रूप में कार्य करने के लिए दिनांक 16 जून, 1978 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेश पर्यन्त सहर्ष नियुक्त करते हैं।

सं० 86016(15)/77/प्रशा०-II :—राष्ट्रपति, भारतीय रक्षा लेखा सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को उक्त सेवा में वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (रुपये 2250-125/2-2500) के स्तर II में, स्थानापन्न रूप में कार्य करने के लिए, उन के नाम के सामने लिखी तारीख से, आगामी आदेश पर्यन्त सहर्ष नियुक्त करते हैं।

| क्रम सं० | अधिकारी का नाम | नियुक्ति की तारीख |
|----------|-------------------------|-----------------------|
| 1. | श्री सी० बी० के० रेड्डी | 10-7-1978 (पूर्वाह्न) |
| 2. | श्री एच० एस० मेहता | 26-6-1978 (पूर्वाह्न) |
| 3. | श्री जी० भट्टाचार्य | 7-7-1978 (अपराह्न) |

बी० एस० भीर
रक्षा लेखा अपर महा नियंत्रक

नई दिल्ली-110022, दिनांक 21 जुलाई 1978

सं० 40011(2) / 78 प्रशा०-ए० :-वार्धक्य निर्वतन की आयु प्राप्त कर लेने पर निम्नलिखित लेखा अधिकारियों को प्रत्येक के नाम के सामने लिखी तारीख के अपराह्न से पेशन स्थापना को अन्तरित कर दिया गया / जाएगा।

| क्रम सं० | नाम, रोस्टर संख्या सहित | ग्रेड | पेशन स्थापना को अंतरण की तारीख | संगठन |
|----------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| सर्वश्री | | | | |
| 1. | आर० तिरुवेण्डस्वामी (पी० / 21) | स्थायी लेखा अधिकारी | 30-11-78 | रक्षा लेखा नियंत्रक (अफसर) पूना |
| 2. | सी० सी० मिश्र (पी० / 33) | स्थायी लेखा अधिकारी | 31-8-78 | रक्षा लेखा नियंत्रक (फैंट्रीज) कलकत्ता। |
| 3. | के० सी० वेकटेश्वरन (पी० / 48) | स्थायी लेखा अधिकारी | 31-7-78 | रक्षा लेखा नियंत्रक, दक्षिणी कमान पूना |
| 4. | आर० सुब्रह्मण्यन (पी० / 58) | स्थायी लेखा अधिकारी | 30-6-78 | रक्षा लेखा नियंत्रक, (नौसेना) बम्बई। |
| 5. | वी० राघवाचारी (पी० / 71) | स्थायी लेखा अधिकारी | 31-7-78 | रक्षा लेखा नियंत्रक (फैंट्रीज) कलकत्ता। |
| 6. | सी० एस० मार्ग श्री निवासन (पी० / 75) | स्थायी लेखा अधिकारी | 30-6-78 | रक्षा लेखा नियंत्रक (वायु सेना) देहरादून। |
| 7. | के० जी० परमेश्वरन (पी० / 146) | स्थायी लेखा अधिकारी | 30-6-78 | रक्षा लेखा नियंत्रक (फैंट्रीज), कलकत्ता। |
| 8. | वी० शेषाद्रि (पी० / 153) | स्थायी लेखा अधिकारी | 30-6-78 | रक्षा लेखा नियंत्रक (अन्य रैंक) दक्षिणी मद्रास |
| 9. | ए० एस० वीर राघवन (पी० / 171) | स्थायी लेखा अधिकारी | 31-7-78 | रक्षा लेखा नियंत्रक दक्षिणी कमान, पूना। |
| 10. | एस० आर० मजूमदार (पी० / 173) | स्थायी लेखा अधिकारी | 30-11-78 | रक्षा लेखा नियंत्रक (वायु सेना) देहरादून। |
| 11. | आर० सुब्बाराव (पी० / 198) | स्थायी लेखा अधिकारी | 31-10-78 | रक्षा लेखा नियंत्रक (वायु सेना) देहरादून। |
| 12. | राम जी दास (पी० / 199) | स्थायी लेखा अधिकारी | 30-6-78 | रक्षा लेखा नियंत्रक (फैंट्रीज) कलकत्ता |
| 13. | के० पद्मानाभन-III (पी० / 200) | स्थायी लेखा अधिकारी | 30-6-78 | रक्षा लेखा नियंत्रक (अन्य रैंक) मद्रास। |
| 14. | वी० के० रामानुजाचारी (पी० / 209) | स्थायी लेखा अधिकारी | 31-7-78 | रक्षा लेखा नियंत्रक, दक्षिणी कमान, पूना। |
| 15. | जी० वी० मुचरीकर (पी० / 242) | स्थायी लेखा अधिकारी | 30-6-78 | रक्षा लेखा नियंत्रक (नौसेना) बम्बई। |
| 16. | टी० वेंकट रत्नम (पी० / 291) | स्थायी लेखा अधिकारी | 30-11-78 | रक्षा लेखा नियंत्रक (अफसर) पूना। |
| 17. | टी० वी० बालसुब्रह्मण्यन (पी० / 336) | स्थायी लेखा अधिकारी | 30-6-78 | रक्षा लेखा नियंत्रक (अन्य रैंक) मद्रास। |

| क्रम सं० | नाम, रोस्टर संख्या सहित | ग्रेड | पेंशन स्थापना को अंतरण की तारीख | संगठन |
|----------|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
| | सर्वश्री | | | |
| 18. | हिरण्यमय दत्ता (पी० / 350) | स्थायी लेखा अधिकारी | 31-7-78 | रक्षा लेखा नियंत्रक, पटना । |
| 19. | के० बी० कृष्णास्वामी (पी० / 351) | स्थायी लेखा अधिकारी | 30-6-78 | रक्षा लेखा नियंत्रक (अन्य रैंक) दक्षिणी मद्रास । |
| 20. | टी० एस० राम मूर्ति (पी० / 354) | स्थायी लेखा अधिकारी | 31-8-78 | रक्षा लेखा नियंत्रक, दक्षिणी कमान, पूना । |
| 21. | डी० आर० राम दासी (पी० / 416) | स्थायी लेखा अधिकारी | 30-11-78 | रक्षा लेखा नियंत्रक, (अफसर) पूना । |
| 22. | ओ० एस० दोराई राजन (पी० / 425) | स्थायी लेखा अधिकारी | 31-7-78 | रक्षा लेखा नियंत्रक (अफसर) पूना । |
| 23. | बी० कृष्णम्माचारी (पी० / 480) | स्थायी लेखा अधिकारी | 30-9-78 | रक्षा लेखा नियंत्रक (वायु सेना) देहरादून । |
| 24. | जे० एन० मल्होत्रा (पी० / 608) | स्थायी लेखा अधिकारी | 31-10-78 | रक्षा लेखा नियंत्रक (अन्य रैंक) उत्तर, मेरठ । |
| 25. | के० सूर्य नारायण (पी० / 620) | स्थायी लेखा अधिकारी | 30-6-78 | रक्षा लेखा नियंत्रक (अन्य रैंक) उत्तर, मेरठ । |
| 26. | हकीम चन्द (ओ० / 45) | स्थानापन्न लेखा अधिकारी | 31-12-78 | रक्षा लेखा नियंत्रक (वायु सेना) देहरादून । |
| 27. | एस० एल० तिवारी (ओ० / 50) | स्थानापन्न लेखा अधिकारी | 31-12-78 | रक्षा लेखा नियंत्रक (वायु सेना) देहरादून । |
| 28. | सी० आर० नाइडू (ओ० / 78) | स्थानापन्न लेखा अधिकारी | 31-7-78 | रक्षा लेखा नियंत्रक (अफसर) पूना । |
| 29. | काशी राम (ओ० / 130) | स्थानापन्न लेखा अधिकारी | 31-8-78 | रक्षा लेखा नियंत्रक (वायु सेना) देहरादून । |
| 30. | एस० शंकर नारायणन् (ओ० / 131) | स्थानापन्न लेखा अधिकारी | 30-6-78 | रक्षा लेखा नियंत्रक, पटना । |
| 31. | वाई० एल० नारायण राव (ओ० / 134) | स्थानापन्न लेखा अधिकारी | 30-6-78 | रक्षा लेखा नियंत्रक (अन्य रैंक) दक्षिणी, मद्रास । |
| 32. | बी० एस० अठवाले (ओ० / 142) | स्थानापन्न लेखा अधिकारी | 31-10-78 | रक्षा लेखा नियंत्रक (अफसर) पूना । |
| 33. | एन० आर० शेषगिरि राव (ओ० / 155) | स्थानापन्न लेखा अधिकारी | 31-8-78 | रक्षा लेखा नियंत्रक (अफसर) पूना । |
| 34. | बी० बी० प्रसाद (ओ० / 159) | स्थानापन्न लेखा अधिकारी | 30-6-78 | रक्षा लेखा नियंत्रक (पश्चिम) इलाहाबाद । |
| 35. | ऋषि राज शर्मा (ओ० / 232) | स्थानापन्न लेखा अधिकारी | 31-8-78 | रक्षा लेखा नियंत्रक (वायुसेना) देहरादून । |
| 36. | ए० के० सरकार (ओ० / 276) | स्थानापन्न लेखा अधिकारी | 30-11-78 | रक्षा लेखा नियंत्रक (फैंकट्रीज) कलकत्ता । |
| 37. | जी० पलानी स्वामी (ओ० / 297) | स्थानापन्न लेखा अधिकारी | 30-9-78 | रक्षा लेखा नियंत्रक (फैंकट्रीज) कलकत्ता । |
| 38. | एम० ए० साठे (ओ० / 332) | स्थानापन्न लेखा अधिकारी | 31-10-78 | रक्षा लेखा नियंत्रक (अफसर) पूना । |

वाणिज्य सिविल रसद और सहकारी मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र प्रशासन
गांधीधाम, दिनांक 24 जुलाई 1978

क्रम सं० एफ० टी० जेड०/प्रशासन / 7/2/78 —अधिसूचना
क्र० सं० 1/7/72-एफ० टी० जेड० दि० 12-4-78 जो कि भारतीय
राजपत्र के तृतीय भाग के तीसरे खण्ड के तीसरे उप-खण्ड में
दि० 29-4-78 को प्रकाशित हुआ, विकास आयुक्त काण्डला
मुक्त व्यापार क्षेत्र, गांधीधाम कच्छ (गुजरात), श्री यू० जे०
बहार जो कि कार्यालय अध्यक्ष का पद मौलिकता से रखते हैं
कि प्रशासन अधिकारी के पद पर जिसका वेतनमान रु० 650-
30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०
40-1200 है। पदोन्नति के तौर पर दि० 1-4-1978 से
अगले आदेश तक नियुक्त करते हैं।

निरंजन सिंह
विकास आयुक्त

उद्योग मंत्रालय

औद्योगिक विकास विभाग

कार्यालय, विकास आयुक्त (लघु उद्योग)

नई दिल्ली, दिनांक 6 जून 1978

सं० ए० 19018(236)/76-प्रशासन (राजपत्रित) —
लघु उद्योग सेवा संस्थान, आगरा के सहायक निदेशक (ग्रेड II)
(चर्म/पादुका), श्री टी० एच० विलियम्स द्वारा निवर्तन की
आयु प्राप्त कर लेने पर उनको विकास आयुक्त (लघु उद्योग)
दिनांक 31 मार्च, 1978 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से निवृत्त
होने की अनुमति सहर्ष प्रदान करते हैं।

2. निवर्तन की आयु प्राप्त करने के परिणामस्वरूप श्री
टी० एच० विलियम्स ने दिनांक 31 मार्च, 1978 (अपराह्न)
से लघु उद्योग विकास संगठन में सहायक निदेशक (ग्रेड II)
(चर्म/पादुका) के पद का कार्यभार छोड़ दिया।

दिनांक 12 जुलाई 1978

सं० 12 (506)/63-प्रशासन (राजपत्रित) —
अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड, नई दिल्ली में उप निदेशक
(औद्योगिकी) के रूप में नियुक्ति के परिणामस्वरूप श्री आर०
पी० चूग ने दिनांक 28 मार्च, 1978 (अपराह्न) से लघु उद्योग
सेवा संस्थान, नई दिल्ली में सहायक निदेशक (ग्रेड I) (यांत्रिक)
पद का कार्यभार छोड़ दिया।

सं० 12 (697)/71-प्रशा० (राज०) —योजना आयोग,
नई दिल्ली में वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी के रूप में नियुक्ति
के परिणामस्वरूप श्रीमति कुसुम शर्मा ने दिनांक 7 अप्रैल, 1978
(पूर्वाह्न) को कार्यालय, विकास आयुक्त (लघु उद्योग), नई
दिल्ली में सहायक निदेशक (ग्रेड I) भारतीय अर्थ सेवा का ग्रेड
(IV) पद का कार्यभार छोड़ दिया।

सं० ए० 19018/45/73-प्रशा० (राज०) —औद्योगिक
लागत व मूल्य ब्यूरो, औद्योगिक विकास विभाग, नई दिल्ली में
उपनिदेशक (विद्युत्/यांत्रिक) (धातुकर्म) के रूप में नियुक्ति
के परिणामस्वरूप श्री बी० के० दमोर ने दिनांक 12 अप्रैल, 1978
(अपराह्न) से लघु उद्योग सेवा संस्थान, इंदौर में सहायक निदेशक
(ग्रेड I) (यांत्रिक) पद का कार्यभार छोड़ दिया।

दिनांक 18 जुलाई 1978

सं० ए० 19018 (296) /77-प्रशासन (राजपत्रित—
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, जयपुर के क्षेत्रीय कार्यालय में
प्रतिनियुक्ति पर चले जाने के परिणामस्वरूप श्री के० एल० महाजन
ने दिनांक 17 जुलाई, 1978 (अपराह्न) से कार्यालय, वेतन व
लेखा कार्यालय (लघु उद्योग) (विकास संगठन), नई दिल्ली में
लेखाधिकारी पद का कार्यभार छोड़ दिया।

दिनांक 19 जुलाई 1978

सं० 12 (146) /61-प्रशासन (राजपत्रित) —राष्ट्रपति
जी श्री एम० एस० भंडारी को दिनांक 29 मई, 1978 (पूर्वाह्न)
से अगले आदेश जारी होने तक लघु उद्योग विकास संगठन में
उप निदेशक (चर्म/पादुका) के रूप में सहर्ष नियुक्त करते
हैं।

2. नियुक्ति के परिणामस्वरूप श्री एम० एस० भंडारी ने
दिनांक 28 मई, 1978 (अपराह्न) से शाखा लघु उद्योग सेवा
संस्थान, मंगलौर में सहायक निदेशक (ग्रेड 1) पद का कार्यभार
छोड़ दिया और दिनांक 29 मई, 1978 (पूर्वाह्न) से शाखा
लघु उद्योग सेवा संस्थान, मंगलौर में उपनिदेशक (चर्म/पादुका)
पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया।

महेन्द्र गुप्त
उपनिदेशक (प्रशासन)

वस्त्र आयुक्त का कार्यालय

बम्बई-20, दिनांक 24 जुलाई 1978

सं० ई० एस० टी० I-2 (377)/2358-61 —वस्त्र आयुक्त
का प्रादेशिक कार्यालय कलकत्ता के सहायक निदेशक प्रथम श्रेणी
(पी० और डी०) श्री निहर कुमार बसु सेवानिवृत्ति की आयु
प्राप्त कर लेने पर 31 मई, 1978 के अपराह्न से सेवानिवृत्त
हो गये।

एम० सी० सुवर्णा
वस्त्र आयुक्त

पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय

(प्रशासन अनुभाग - 1)

नई दिल्ली, दिनांक 18 जुलाई 1978

सं० प्र० -1/1 (1121) —पूर्ति तथा निपटान निदेशक,
कलकत्ता के कार्यालय में स्थानापन्न सहायक निदेशक (प्रशासन)
(ग्रेड II) श्री टी० आर० राजगोपालन दिनांक 30 जून 1978

के अन्तर्गत से निवृत्तमान आयु (58 वर्ष) होने पर सरकारी सेना से निवृत्त हो गये।

(प्रशासन अनुभाग-15)

दिनांक 25 जुलाई, 1978

सं० प्र० -15/5 (291) /78 (II) :—राष्ट्रपति केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी श्री राम प्रकाश को दिनांक 18 जुलाई, 1978 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों के जारी होने तक पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय में कनिष्ठ बिष्टलेषक के पद पर नियुक्त करते हैं।

सूर्य प्रकाश,
उप निदेशक (प्रशासन)
रुते महानिदेशक पूर्ति तथा निपटान

(प्रशासन अनुभाग-6)

नई दिल्ली, दिनांक 20 जुलाई, 78

सं० प्र० -6/57 (8) :—महानिदेशक, पूर्ति तथा निपटान एतद्वारा सहायक निरीक्षण अधिकारियों (इंजी०) सर्वश्री जी० एस० मुखीजा और एस० एस० सेठ को दिनांक क्रमशः 1-12-69 और 1-2-70 से सहायक निरीक्षण अधिकारी के पद स्थायी पर स्थायी रूप से नियुक्त करते हैं।

पी० डी० सेठ,
उप निदेशक (प्रशासन)
रुते महानिदेशक, पूर्ति तथा निपटान

इस्पात और खान मंत्रालय

(खान विभाग)

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण

कलकत्ता-700016, दिनांक 18 जुलाई, 1978

सं० 5002/बी०/7/77 (एस० आर० एस०)/19 ए० :—श्री मुख राज शर्मा को सहायक लागत लेखा अधिकारी के रूप में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में वेतन नियमानुसार 700-40-900-द० रो०-40-1100-50-1300 रु० के वेतनमान में, अस्थाई क्षमता में आगामी आदेश होने तक 5 जून, 1978 के पूर्वाह्न से नियुक्त किया जा रहा है।

सं० 5015/बी०/40/59/सी०/19 ए० :—भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अधीक्षक श्री जे० के० सिन्हा राय को सहायक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में उसी विभाग में वेतन नियमानुसार 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000 द० रो०-40-1200 रु० के वेतनमान में, तदर्थ आघार पर 25-5-1978 के पूर्वाह्न से पदोन्नति पर नियुक्त किया जा रहा है।

वी० एस० कृष्णस्वामी,
महानिदेशक

भारतीय खान ब्यूरो

नागपुर, दिनांक 18 जुलाई, 1978

सं० ए० 19012 (7)/70-स्था० ए० :—दिनांक 30 अप्रैल, 1978 (अपराल) को सेवा निवृत्ति की आयु प्राप्त होने पर श्री डी० एन० वत्ता स्थायी उप पुस्तकाध्यक्ष तथा स्थानापन्न पुस्तकाध्यक्ष को एतद्वारा 30 अप्रैल, 1978 के अपराल से भारतीय खान ब्यूरो में उनके कार्यभार से मुक्त किया जाता है और तदनुसार उनका नाम इस विभाग की प्रभावी स्थापना से काट दिया जाता है।

दिनांक 24 जुलाई, 1978

सं० ए० 19011(227)/78-स्था० ए० :—राष्ट्रपति श्री जगदीश लाल को 4 जुलाई, 1978 के अपराल से स्थानापन्न रूप से भारतीय खान ब्यूरो में सहायक भयस्क प्रसाधन अधिकारी के पद पर सहर्ष नियुक्ति प्रदान की जाती है।

एस० बालगोपाल,
कार्यालय अध्यक्ष

भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण

भारतीय संग्रहालय

कलकत्ता-1700016, दिनांक 31 जनवरी, 1978

सं० 8-4/64-स्थापना :—विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के निदेशक, श्री एस० बनर्जी को 20 जनवरी, 1978 पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नत करते हैं।

एन० आर० एच०,
प्रशासनिक अधिकारी

भारतीय सर्वेक्षण विभाग

देहरादून, दिनांक 24 जुलाई, 1978

सं० सी० 5359/707 :—निम्नलिखित अधिकारियों को भारतीय सर्वेक्षण विभाग में 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 रु० के वेतनमान में अधिकारी सर्वेक्षक (ग्रुप 'बी०') के पद पर प्रत्येक के नाम के सामने दी गई तारीख से स्थानापन्न रूप में नियुक्त किया जाता है :—

| नाम तथा पदनाम | यूनिट/ कार्यालय | नियुक्ति की तारीख |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| 1. श्री यू० पी० एम० खुरूलिवल, सर्वेक्षक सलेक्शन ग्रेड | सं० 43 पार्टी (प्रा० मा० उ०) हैदराबाद | 19 मई, 1978 (पूर्वाह्न) |
| 2. श्री पी० एन० पूवियाह, सर्वेक्षक, सलेक्शन ग्रेड | सं० 10 पार्टी (प्रा० मा० उ०) हैदराबाद | 1 मार्च, 1978 (पूर्वाह्न) |

के० एल० खोसला,
मेजर-जनरल
भारत के महासर्वेक्षक
(नियुक्ति प्राधिकारी)

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

राष्ट्रीय एटलस संस्था

कलकत्ता-700019, दिनांक 17 जुलाई, 1978

सं० 29-16/77/स्था०—श्री दुर्गा दास साहा, स्थायी वरिष्ठ शोध सहायक, राष्ट्रीय एटलस संस्था में 2 जून, 1978 पूर्वाह्न से अग्रिम आदेश होने तक शुद्ध अस्थायी और तदर्थ आधार पर कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं।

एस० पी० दासगुप्ता,
निदेशक

आकाशवाणी महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 20 जुलाई, 1978

सं० 10/59/60-एस० दो :—महानिदेशक, आकाशवाणी श्री फेलिक्स ए०, कनिष्ठ लेखाकार (सीनियर एकाउन्टेन्ट), केन्द्रीय विप्रेरिका एकांश, आकाशवाणी, बम्बई को 23-6-78 पूर्वाह्न) से, आकाशवाणी, भोपाल में, अगले आदेशों तक, प्रशासनिक अधिकारी के पद पर, स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं।

एस० वी० सेषाद्री
प्रशासन उपनिदेशक
महानिदेशक

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 24 जुलाई, 78

सं० ए० 39012/1/78-श्रौषधि—स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने श्री के० एम० वर्मा का 17 जून, 1978 अपराह्न से केन्द्रीय श्रौषधि मानक नियंत्रक संगठन में तकनीकी अधिकारी के पद से त्याग पत्र मंजूर कर लिया है।

आर० बालमुब्रह्म मण्यन,
उप श्रौषधि नियंत्रक

नई दिल्ली, दिनांक 20 जुलाई, 78

सं० ए० 38013/3/78-स्टोर I—सेवा निवृत्त आयु के हो जाने पर श्री सी० पी० मेहता, सहायक डिप्टी मैनेजर, 30 जून, 1978 पूर्वाह्न से भारतीय चिकित्सा सामग्री भण्डार करनाल से सेवा निवृत्त हो गये हैं।

संगत सिंह
उप निदेशक प्रशासन (स्टोर)

नई दिल्ली, दिनांक 21 जुलाई, 78

सं० ए० 11013/1/78-प्रशासन-I—श्री नवाब सिंह, सहायक निदेशक (कीट विज्ञान), आर० सी० ओ०, राष्ट्रीय

मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, शिलांग ने 26 अप्रैल, 1978 पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम निदेशालय, दिल्ली में मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम दिल्ली के केन्द्रीय समन्वय अधिकारी के पद का कार्यभार संभाल लिया है।

मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम, दिल्ली के केन्द्रीय समन्वय अधिकारी के पद पर अपनी नियुक्ति हो जाने के फलस्वरूप श्री नवाब सिंह ने 22 अप्रैल, 1978 पूर्वाह्न से सहायक निदेशक (कीट विज्ञान) आर० सी० ओ० राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, शिलांग से अपने पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

दिनांक 22 जुलाई, 78

सं० ए० 19020/46/76-प्रशासन-I—कुमारी एम० जे० हैरीमन का त्याग पत्र मंजूर हो जाने के फलस्वरूप उन्होंने 24 जून, 1978 अपराह्न राजकुमारी अमृतकौर नर्सिंग कालेज, नई दिल्ली से प्राथमिक स्वास्थ्य नर्सिंग सुपरवाइजर के पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

शाम लाल कुठियाला
उप निदेशक प्रशासन (स० व प०)

कृषि एवं सिंचाई मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय

फरीदाबाद, दिनांक 20 जुलाई, 1978

सं० ए० 19025/93/78-प्र० III—संघ लोक सेवा आयोग की संस्तुतियों के अनुसार श्री जोयदेब बोस को इस निदेशालय में कलकत्ता में दिनांक 30 जून, 1978 (अपराह्न) से अगले आदेश होने तक स्थानापन्न रूप में सहायक विपणन अधिकारी (वर्ग II) नियुक्त किया गया है।

दिनांक 24 जुलाई, 1978

सं० फाईल 4-6 (95) /75-प्र० III—इस निदेशालय में सहायक विपणन अधिकारी श्री ई० के० आर० नैयर द्वारा दिए गए त्यागपत्र के स्वीकार होने के पश्चात् दिनांक 5-11-1977 (अपराह्न) से इस निदेशालय में उन्हें उनके कार्यभार से मुक्त किया गया है।

सं० ए० 39013/1/78-प्र० :—श्री वी० एन० फाटक, सहायक विपणन अधिकारी द्वारा दिए गए त्याग पत्र की स्वीकृति के पश्चात् उन्हें इस निदेशालय में बम्बई में दिनांक 31-5-78 (अपराह्न) से उनके कार्य से मुक्त किया गया है।

जोगेन्द्र सिंह उप्पल,
कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र

कार्मिक प्रभाग

बम्बई-400085, दिनांक 11 जुलाई 1978

संदर्भ 51/1/78-स्थापना 11/2547 — नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नामों के आगे लिखी अवधि के लिए तदर्थ आधार पर स्थानापन्न प्रशासनिक अधिकारी II/सहायक कार्मिक अधिकारी नियुक्त करते हैं।

| क्र. सं. | नाम तथा पद | स्थानापन्न नियुक्ति | अवधि | |
|----------|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|
| | | | से पूर्वाह्न | तक अपराह्न |
| 1. | श्री एस० के० कपूर, सहायक कार्मिक अधिकारी | प्रशासनिक अधिकारी II | 1-4-78 | 23-4-78 |
| 2. | श्री जे० आर० कार्णिक, सहायक कार्मिक अधिकारी | प्रशासनिक अधिकारी II | 24-4-78 | 3-5-78 |
| 3. | श्री यू० आर० मेनन, सहायक | सहायक कार्मिक अधिकारी | 24-4-78 | 24-5-78 |
| 4. | श्री के० आर० सी० पिल्लै, सहायक | सहायक कार्मिक अधिकारी | 24-4-78 | 3-6-78 |
| 5. | श्री एल० बी० गावडे, सहायक | सहायक कार्मिक अधिकारी | 24-4-78 | 30-6-78 |
| | | | 30-5-78 | 30-6-78 |
| 6. | श्री बी० एम० नाइक, एस० जी० सी० | सहायक कार्मिक अधिकारी | 16-5-78 | 19-6-78 |
| 7. | श्री एन० के० भिडे, एस० जी० सी० | सहायक कार्मिक अधिकारी | 16-5-78 | 17-6-78 |

पी० एस० वैकटसुब्रमण्यम
उप-स्थापना अधिकारी

परमाणु ऊर्जा विभाग

बिद्युत परियोजना इंजीनियरी प्रभाग

बम्बई-4, दिनांक 14 जुलाई 1978

सं० पी० पी० ई० डी०/3 (262)/76-प्रशासन-8481—
इस प्रभाग की दिनांक 31 मई, 1978 की समसंख्यक अधिसूचना, जिसके द्वारा इस प्रभाग के स्थायी उच्च श्रेणी लिपिक तथा स्थानापन्न सैलेक्शन, ग्रेड क्लर्क श्री के० ओ० आीसफ को 26 मई, 1978 के पूर्वाह्न से 1 जुलाई, 1978 के अपराह्न तक के लिए उसी प्रभाग में अस्थायी रूप से सहायक कार्मिक अधिकारी नियुक्त किया गया था, के क्रम में भी आीसफ को उसी प्रभाग में 7 जुलाई, 1978 के अपराह्न तक के लिए अस्थायी रूप से उसी पद पर कार्य करते रहने की अनुमति प्रदान की जाती है।

सं० पी० पी० ई० डी०/3 (262)/76-प्रशासन/8482:—
इस प्रभाग की दिनांक 2 जून, 1978 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में इस प्रभाग के स्थायी सहायक कार्मिक अधिकारी श्री टी० टी० पिशोरी को 7 जुलाई, 1978 के अपराह्न तक उसी प्रभाग में अस्थायी रूप से जनरल प्रशासन अधिकारी के पद पर कार्य करते रहने की अनुमति प्रदान करते हैं।

बी० वी० चाटे
प्रशासन अधिकारी

क्रय और भंडार निदेशालय

बम्बई-400001, दिनांक 18 जुलाई 1978

सं० क्र० म० नि०/23 (4)/77-संस्थापन/18705—
निदेशक, क्रय और भंडार परमाणु ऊर्जा विभाग, निम्नलिखित
2—196GI/78

क्रय सहायकों को इसी निदेशालय में उनके सामने दी गई तिथियों तक स्थानापन्न सहायक क्रय अधिकारी के पद पर तदर्थ रूप से नियुक्त करते हैं।

1. श्रीमती के० पी० जोसफ --26-4-78 से 3-6-78 तक।
2. श्री के० के० कृष्णन् -5-6-78 से 17-6-78 तक।
3. श्री एस० एन० देशमुख-14-7-78 से 31-8-78 तक।

सं० क्र० भ० नि०/23/4/77-संस्थापन/18714—
इस निदेशालय की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 17 मार्च, 1978 के तारतम्य में निदेशक, क्रय और भंडार परमाणु ऊर्जा विभाग, श्री एम० नारायणन्, सहायक क्रय अधिकारी के अग्रिम समय 25-5-78 (पूर्वाह्न) तक क्रय अधिकारी नियुक्त होने के कारण, इस निदेशालय के अस्थाई क्रय सहायक श्री एम० एन० देशमुख को, इसी निदेशालय में सहायक क्रय अधिकारी के पद पर तदर्थ रूप से नियुक्त करते हैं।

सं० क्र० भ० नि०/23/4/77 संस्थापन/18719—इस निदेशालय की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 17 मई 1978 के तारतम्य में निदेशक, क्रय और भंडार, परमाणु ऊर्जा विभाग, श्री जे० टी० नेरुरकर, सहायक क्रय अधिकारी के अग्रिम समय 9-6-78 तक अवकाश बहा लेने के कारण, इस निदेशालय के अस्थाई सहायक श्री एस० जी० जेबले को इसी निदेशालय में सहायक क्रय अधिकारी के पद पर तदर्थ रूप से नियुक्त करते हैं।

दिनांक 19 जुलाई 1978

सं० क्र० भ० नि०/2/1(6)/77 प्रशासन/19019—निदेशक, क्रय और भंडार परमाणु ऊर्जा विभाग, श्री बी० एल० राव भण्डारी, भंडारी यूनिट (क्र० भ० नि०) भारीपानी परियोजना तलचर को, दिनांक 8-5-78 से 24-6-78 तक श्री आर० एन० गुहा सहायक भंडार अधिकारी को श्रवकाश स्वीकृत होने के कारण, स्थानापन्न भंडार अधिकारी के पद पर रु० 650-30-740-35-810 द० रो० 35-880-40-1000 द० रो० 40-1200 के वेतन क्रम में, तदर्थ रूप से नियुक्त करते हैं।

बी० जी० कुलकर्णी
सहायक कार्मिक अधिकारी

बम्बई-400008, दिनांक 19 जुलाई, 1978

सं० 05052/78-3312—भारी पानी परियोजना के विशेष-कार्य-अधिकारी, श्री नरेन्द्र कुमार गौर, अस्थायी वैज्ञानिक सहायक 'सी' भारी पानी परियोजना (बड़ोदा) को 1 फरवरी, 1978 (पूर्वाह्न) से आगे आदेश होने तक के लिए, उसी परियोजना में अस्थायी स्थानापन्न वैज्ञानिक अधिकारी/अभियन्ता (ग्रेड एस० बी०) नियुक्त करते हैं।

दिनांक जुलाई 20, 1978

संदर्भ : भाषाप/स्था०/1/जै-6/3333—भारी पानी परियोजना के विशेष-कार्य-अधिकारी, श्री जे० एल० जैन, आणुलिपिक (वरिष्ठ) भारी पानी परियोजना (कोटा) को, उसी परियोजना में, 17 अप्रैल, 1978 से 27 मई, 1978 (अपरान्ह) तक के लिए श्री के० टी० जोश, सहायक कार्मिक अधिकारी जो छुट्टी पर गए हैं, के स्थान पर तदर्थ आधार पर अस्थायी स्थानापन्न सहायक कार्मिक अधिकारी नियुक्त करते हैं।

के० शंकरनारायणन
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी

परमाणु ऊर्जा विभाग

परमाणु विद्युत् प्राधिकरण

(सामान्य अनुभाग)

बम्बई-400039, दिनांक 10 जुलाई 1978

सं० ए पी ए/प्रशा/16/19/78—भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के एक स्थायी सहायक श्री जी० ए० कौलगुड ने परमाणु ऊर्जा विभाग के दिनांक 26 मई, 1978 के कार्यालय आदेश सं० 20/5(1)/75-सी सी एस द्वारा अपना तबादला तारापुर परमाणु बिजलीघर से परमाणु विद्युत् प्राधिकरण, बम्बई में हो जाने पर, इस कार्यालय में स्थानापन्न सहायक कार्मिक अधिकारी के पद का कार्यभार 20 जून, 1978 के पूर्वाह्न से संभाल लिया।

टी० जे० असनानी
प्रशासनिक अधिकारी

अन्तरिक्ष विभाग

इसरो उपग्रह केन्द्र

बंगलौर-562140, दिनांक 15 जुलाई, 1978

सं० 020/3(061)/78—निदेशक, इसरो उपग्रह केन्द्र, निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नामों के सामने दिये गये पदों पर और प्रत्येक के सामने दी गई तारीखों के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक अस्थायी रूप में अन्तरिक्ष विभाग के इसरो उपग्रह केन्द्र, बंगलौर में नियुक्त करते हैं :

| क्रम संख्या | नाम | पदनाम | तारीख |
|-------------|-------------------------|---------------------|----------|
| 1. | श्री बी० के० पद्मनाभा | इंजीनियर एस० बी० | 12-4-78 |
| 2. | श्री दिनेश कुमार | —वही— | 15-3-78 |
| 3. | श्री एन० प्रहलाद राव | —वही— | 9-3-78 |
| 4. | श्री दिनेश कुमार गुप्ता | —वही— | 2-3-78 |
| 5. | श्री आर० सस्ता प्रसाद | —वही— | 20-2-78 |
| 6. | श्री बी० मधुसूदन राव | —वही— | 18-2-78 |
| 7. | श्री आर० कृष्णा स्वामी | —वही— | 31-10-77 |

(पी० एन० राजप्पा)
प्रशासन अधिकारी

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय

भारत मौसम विज्ञान विभाग

नई दिल्ली-3, दिनांक 19 जुलाई, 1978

सं० ई०(1)07128—वेधशालाओं के मंहानिदेशक, वेधशालाओं के उपमंहानिदेशक, (पूर्वानुमान), पुणे के कार्यालय में व्यावसायिक सहायक श्री आर० एच० वाल्दे को भारत मौसम सेवा ग्रुप बी (केन्द्रीय सिविल सेवा, ग्रुप बी) में 3 जून 1978 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक, सहायक मौसम विज्ञानी के पद पर स्थानापन्न रूप में नियुक्त करते हैं।

श्री वाल्दे को निदेशक, प्रादेशिक मौसम केन्द्र, कलकत्ता के अन्तर्गत मौसम केन्द्र गोहाटी में तैनात किया जाता है।

गुरुमुख राम गुप्ता

मौसम विज्ञानी

रुते वेधशालाओं के मंहानिदेशक

मंहानिदेशक नागर विमानन का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 24 जुलाई, 1978

सं० ए० 12025/3/77 ई एस—संच लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने श्री एम० एम० बक्षी को दिनांक 13-7-1978 से और अन्य आदेश होने तक नागर विमानन विभाग के अंशशोधन यूनिट में स्थानापन्न रूप से पायलट के रूप में नियुक्त किया है और उन्हें क्षेत्रीय

निदेशक दिल्ली का कार्यालय, सफदरजंग एयरपोर्ट, नई दिल्ली में तैनात किया है।

सं० ए० 38012/9/78-ई० एस०—निवर्तन आयु प्राप्त कर लेने पर श्री के० जे० मैतन, वरिष्ठ विमान निरीक्षक, क्षेत्रीय निदेशक, कलकत्ता का कार्यालय, ने दिनांक 30 जून, 1978 को अपने पद का कार्यभार त्याग दिया है।

सुरजीत लाल खण्डपुर,
सहायक निदेशक प्रशासन

विदेश संचार सेवा

बंबई, दिनांक 20 जुलाई 1978

सं० 1/367/78-स्था०—विदेश संचार सेवा के महानिदेशक एतद्द्वारा बंबई शाखा के पर्यवेक्षक श्री आर० एल० मेनेजेस को 15 अप्रैल, 1978 के पूर्वार्द्ध से आगामी आदेशों तक उसी शाखा में स्थापन्न रूप से उप परीयात प्रबन्धक नियुक्त किया गया है।

सं० 1/457/78-स्था०—विदेश संचार सेवा के महानिदेशक एतद्द्वारा बम्बई शाखा के श्री बी० एन० पारेखजी, पर्यवेक्षक, को 14-4-1978 के पूर्वार्द्ध से और आगामी आदेशों तक उसी शाखा में स्थानापन्न तौर पर उप परियात प्रबन्धक नियुक्त किया जाता है।

पा० की० गो० नायर,
निदेशक (प्रशा०)

बम्बई, दिनांक 20 जुलाई 1978

सं० 1/363/78-स्था०—विदेश संचार सेवा के महानिदेशक एतद्द्वारा बम्बई शाखा के पर्यवेक्षक, श्री मारकस् फर्नांडीस को अल्पकालीन रिक्त स्थान पर 15-5-1978 से 24-6-1978 (दोनों दिन समेत) तक की अवधि के लिए उसी शाखा में स्थानापन्न

सं० 11 (7) 2-ई० टी० /78/ 7068:—इस कार्यालय के स्थापना आदेश संख्या 13/78 दिनांक 12-1-78 के अनुसार केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क के 37 निरीक्षकों को स्थापन अधीक्षक केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क श्रेणी 'बी०' के रूप में रु० 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200/-तथा नियमावलीगत देय सामान्य भत्तों के सहित वेतनमान पर नियुक्त किया गया, जैसा कि स्थापना आदेश संख्या 46/78 दिनांक 7-2-78, 66/78 दिनांक 21-2-78 तथा तत्करी निरोध निदेशालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या 203/1/डी० ए० एस०/77 दिनांक 5-6-78 द्वारा संशोधन किया गया, के अनुसरण में निम्नलिखित पदाधिकारियों ने अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद/सीमा शुल्क श्रेणी 'बी०' के रूप में उनके नाम के सामने दिए गए स्थान, तिथि और समयानुसार कार्यभार ग्रहण किया।

| क्र० सं० | नाम | पदस्थापन के स्थान | कार्यभार ग्रहण करने की तिथि |
|----------|-------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | सर्वश्री | | |
| 1. | मो० अहसन | अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद, एस० आर० पी०, समस्तीपुर | 3-3-78 (पूर्वार्द्ध) |
| 2. | एम० प्रधान | डालमिया नगर—I-II रेज | 30-1-78 (पूर्वार्द्ध) |
| 3. | बबुआ जी० झा | बनमंखी रेज | 3-3-78 (पूर्वार्द्ध) |

रूप से उप परीयात प्रबन्धक नियुक्त करते हैं।

एम० एस० कृष्णास्वामी,
प्रशासन अधिकारी,
कृते महानिदेशक

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सीमा शुल्क समाहर्तालय

इलाहाबाद, दिनांक 21 जुलाई 1978

सं० 28/1978—केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, मुख्यालय इलाहाबाद में तैनात श्री केदार नाथ उपाध्याय, अधीक्षक वर्ग 'ख' ने श्री ए० एन० बनर्जी, अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क को दिनांक 31-5-1978 के दोपहर के बाद अपना कार्यभार (ड्यूटी) सौंप दिया और सेवा निवर्तन (सुपरएनुएशन) का समय पूरा होने पर सरकारी सेवा से सेवा मुक्त हो गये।

अमृत लाल नन्दा,
समाहर्ता

पटना, दिनांक 22 जुलाई 1978

मि० संख्या 11(7)1-स्था०/77/7069—केन्द्रीय एन० एस० के० नायडू (क्र० सं० 1139) को पुनर्नियुक्ति के आधार पर संचार निदेशालय के अन्तर्गत मंत्रालय के आदेश संख्या 121/77 दिनांक 4-8-77 के अनुसार रु० 700-40-900-द० रो०-40-1100-50-1300/- तथा विशेष वेतन रु० 100/- (प्रतिमाह की दर से) वेतनमान पर साइफर ऑफिसर के पद पर नियुक्त किया गया। इस आदेश के अनुसरण में उन्होंने साइफर ऑफिसर के पद पर सीमा शुल्क (निवारण) समाहर्तालय, पटना में संचार निदेशालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या 5/78 दिनांक 15-4-78 के अनुसार दिनांक 1-6-78 के पूर्वार्द्ध में कार्यभार ग्रहण किया।

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 4. | चौधरी देवेन्द्र नारायण गुप्तेष | सिवान रेंज | 30-1-78 (पूर्वाह्न) |
| 5. | बामुदेव सिंह | अधीक्षक (माध्यकी), केन्द्रीय उत्पाद (मु०), पटना | 24-1-78 (पूर्वाह्न) |
| 6. | सैयद नैमुल हक | हजारी बाग रेंज | 16-1-78 (पूर्वाह्न) |
| 7. | राम प्रित साहु | वांकीपुर—II रेंज | 16-1-78 (पूर्वाह्न) |
| 8. | सुदाम सिन्हा | अधीक्षक (तकनीकी), केन्द्रीय उत्पाद, प्रमण्डल, पटना | 16-1-78 (पूर्वाह्न) |
| 9. | लाइन्स किरो | रामगढ़ | 20-1-78 (पूर्वाह्न) |
| 10. | आर० एस० जे० बी० सिंह | एस० आर० पी० (नि०) केन्द्रीय उत्पाद, पटना | 16-1-78 (पूर्वाह्न) |
| 11. | श्रवण कुमार | एस० आर० पी० रेंज, मुजफ्फरपुर | 30-1-78 (पूर्वाह्न) |
| 12. | रेवती रमण | सीमा शुल्क प्रमंडल, मुजफ्फरपुर | 27-1-78 (पूर्वाह्न) |
| 13. | बिन्देश्वरी प्र० सिन्हा | गया—I रेंज | 16-1-78 (पूर्वाह्न) |
| 14. | इकबाल हुसेन | केन्द्रीय उत्पाद (निवारण), रांची | 15-2-78 (पूर्वाह्न) |
| 15. | मो० सफदर अली | एस० आर० पी० (नि०), केन्द्रीय उत्पाद (मुख्यालय), पटना | 16-1-78 (पूर्वाह्न) |
| 16. | विश्वनाथ पाण्डेय | सीमा शुल्क (निवारण), सीतामढ़ी | 20-1-78 (पूर्वाह्न) |
| 17. | करतार सिंह चावला | निरीक्षण पदाधिकारी श्रेणी 'बी०' तस्करी निरोध निदेशालय, नई दिल्ली | 13-6-78 (पूर्वाह्न) |
| 18. | राम बहादुर सिन्हा | सीमा शुल्क (निवारण), बेतिया | 27-2-78 (पूर्वाह्न) |
| 19. | गृप्तेश्वर दयाल वर्मा | टिस्को रेंज | 27-1-78 (पूर्वाह्न) |
| 20. | प्रभात कुमार मित्रा | टेलको रेंज | 16-1-78 (अपरराह्न) |
| 21. | नागेन्द्र नाथ देव | एस० आर० पी० (नि०) डालमियानगर ; | 27-1-78 (पूर्वाह्न) |
| 22. | श्याम कुमार सिन्हा | अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद प्रमंडल, मुजफ्फरपुर | 28-1-78 (पूर्वाह्न) |
| 23. | रामाधार सिंह | सीमा शुल्क (तकनीकी) (मु०) पटना | 1-2-78 (पूर्वाह्न) |
| 24. | काली दास सयाल | केन्द्रीय उत्पाद (निवारण), गया | 19-1-78 (पूर्वाह्न) |
| 25. | सूरजदेव नारायण मिश्रा | सासाराम रेंज | 30-1-78 (पूर्वाह्न) |
| 26. | प्रणतोष कुमार मित्रा | तेल शोधक बरौनी रेंज | 31-1-78 (पूर्वाह्न) |
| 27. | रघुवर राम | बेतिया रेंज | 27-2-78 (पूर्वाह्न) |
| 28. | कल्याण कुमार सेन गुप्ता | एस० आर० पी० (निवारण)-II (मुख्यालय), पटना | 16-1-78 (पूर्वाह्न) |
| 29. | रामेश्वर सिन्हा | मधुबनी रेंज | 6-4-78 |
| 30. | जमुना प्रसाद भण्डारी | सीमा शुल्क (नि०), पटना | 16-1-78 (पूर्वाह्न) |
| 31. | राज केशवर पाठक | केन्द्रीय उत्पाद (छुट्टी/रिजर्व), गया | 18-1-78 (पूर्वाह्न) |
| 32. | अनन्त लाल मिश्रा | एस० आर० पी० (निवारण), धनबाद | 18-1-78 (पूर्वाह्न) |
| 33. | हरे कृष्ण झा | झासा रेंज | 1-2-78 (पूर्वाह्न) |
| 34. | देवेन्द्र प्रसाद न० 1 | एस० आर० पी० (नि०), छपरा | 25-2-78 (पूर्वाह्न) |
| 35. | विश्वनाथ सहाय | केन्द्रीय उत्पाद (छुट्टी/रिजर्व), मुख्यालय, पटना | 1-2-78 (पूर्वाह्न) |

निरीक्षण एवं लेखा परीक्षा निदेशालय

सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 24 जुलाई 1978

सं० 10/78— सी० सं० 1041/38/78थी एस० पी० शंगलु ने, जो पहले सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अहमदाबाद में सहायक समाहर्ता के पद पर तैनात थे, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग के दिनांक 25-4-78 के आदेश सं० 61/78 (फा० सं० ए-22012/13/78) द्वारा स्थानांतरण होने पर दिनांक 8-6-78 (पूर्वाह्न से) नई दिल्ली स्थित निदेशालय एवं लेखा परीक्षा निदेशालय (सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) के मुख्यालय में निरीक्षण अधिकारी (सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) ग्रुप 'क' का कार्यभार संभाल लिया है।

सं० 11/78 सी० सं० 1041/42/78—श्री एस० डी० खरे ने, जो पहले सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टाउनऊ में सहायक समाहर्ता के पद पर कार्य कर रहे थे, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग के दिनांक 25-4-78 के आदेश सं० 61/78 (फा० सं० ए-22012/13/78) के अनुसार, स्थानांतरण होने पर, दिनांक 16 जून 1978 (पूर्वाह्न से) नई दिल्ली स्थित, निरीक्षण एवं लेखा परीक्षा निदेशालय (सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) मुख्यालय, में, निरीक्षण अधिकारी (सीमा तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) ग्रुप 'क' के पद का कार्यभार संभाल लिया है।

एम० बी० एन० राव,
निरीक्षण निदेशक

नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण

नई दिल्ली, दिनांक 21 जुलाई 1978

सं० 19/21/73-न० ज० वि० न्याया०—सचिव, नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण एतद्द्वारा श्री पी० सी० नय्यर, सिंचाई और विद्युत् के सी० एस० एस० एस० कडार के ग्रेड- 'क' के सेवा निवृत्त अधिकारी को नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण में असेसर के निजी सचिव के रूप में पुनः नियुक्ति के आधार पर, बिल्कुल अस्थायी क्षमता में, 1 जुलाई, 1978 के पूर्वाह्न से अगले आदेश जारी होने तक नियुक्त करते हैं।

सुनील कुमार चन्दा,
प्रशासनिक अधिकारी,
नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण

केन्द्रीय जल आयोग

नई दिल्ली-110022, दिनांक 17 जुलाई 1978

सं० ए०-19012/541/75-प्रशा० पांच—अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग डा० कैलाश चौधरी, सहायक अनुसंधान अधिकारी (रसायन), केन्द्रीय जल आयोग द्वारा दिया गया त्याग-पत्र 16 जून, 1978 के अपराह्न से मंजूर करते हैं।

सं० ए-19012/718/78-प्रशा० पांच—अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग श्री एस० आर० भामबुरे, अनुसंधान सहायक को केन्द्रीय जल और विद्युत् अनुसंधानशाला, पुणे में सहायक अनुसंधान अधिकारी (इंजीनियरिंग) के पद पर रु० 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000 द० रो०-40-1200 के वेतनमान में पूर्णतः अस्थायी एवं तदर्थ आधार पर 2 जून, 1978 के पूर्वाह्न से 31 अक्तूबर, 1978 तक अथवा जब तक पद नियमित रूप से नहीं भरा जाता, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

दिनांक 24 जुलाई 1978

सं० ए-32014/1/77-प्रशा० पांच—विभागीय पदोन्नति समिति (ग्रुप-बी) की सिफारिश पर अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग, श्री जी० पंचालिया, पर्यवेक्षक को जो इस समय तदर्थ आधार पर अतिरिक्त सहायक निदेशक/सहायक अभियंता के रूप में कार्य कर रहे हैं, उसी श्रेणी में स्थानापन्न रूप में रु० 650-30-740-35-810 द० रो०-35-880-40-1000- द० रो०-40-1200 के वेतनमान में 18 अगस्त, 1977 की पूर्वाह्न से, आगामी आदेश होने तक, नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं।

2. श्री पंचालिया, अतिरिक्त सहायक निदेशक/सहायक अभियंता के पद पर 18-8-77 से दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर रहेंगे।

सं० ए-19012/707/78-प्रशा० पांच—अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग, निम्नलिखित अधिकारियों को अतिरिक्त सहायक निदेशक/सहायक अभियंता की श्रेणी में पूर्णतया अस्थायी एवं तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप में रु० 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो० 40-1200 के वेतनमान में प्रत्येक के सामने दी गई तारीखों से 6 महीने की अवधि के लिए आगामी आदेश होने तक नियुक्त करते हैं। उन्होंने अपने नामों के सामने दिखाए गए कार्यालयों में पदों का कार्य-भार ग्रहण किया :—

| क्रम सं० | अधिकारी का नाम व पदनाम | पदोन्नति की तारीख | कार्यालय का नाम जहाँ पदस्थापित किए गए |
|----------|------------------------|-------------------|---------------------------------------|
|----------|------------------------|-------------------|---------------------------------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
|---|---|---|---|

सर्वश्री

| | | | |
|----|--------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 1. | यू० एस० भास्कर राव, पर्यवेक्षक | 25-5-78 (पूर्वाह्न) | नेफा अन्वेषण उप-प्रभाग सं० 1, बोम्बेला। |
|----|--------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|--------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| 2. | पी० के० राजदान, पर्यवेक्षक | 2-5-78 (पूर्वाह्न) | मस्सुदर उप-प्रभाग सं० तीन, किशतबर। |
| 3. | डी० एस० शौकीन, पर्यवेक्षक | 28-4-78 (अपरराह्न) | केन्द्रीय बाढ़ पूर्वानुमान नियंत्रण कक्ष, आगरा। |
| 4. | एल० हरगोपाल राव, पर्यवेक्षक | 1-6-78 (पूर्वाह्न) | जल विद्युत् सिविल अभिकल्प-II निदेशालय। |
| 5. | बी० सी० मेटी अभिकल्प सहायक | 12-4-78 (पूर्वाह्न) | कंक्रीट और चिनाई बांध अभिकल्प निदेशालय। |
| 6. | एम० बी० देसाई, पर्यवेक्षक | 6-6-78 (पूर्वाह्न) | संयुक्त नदी आयोग (नहर विकास), शिलांग। |

जे० के० साहा,
अवर सचिव,
केन्द्रीय जल आयोग

निर्माण महानिदेशालय
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग
नई दिल्ली, दिनांक 28 जून 1978

सं० 33/1/77-ई० सी० 9(भाग 4)—निर्माण महानिदेशक, के लो नि वि, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नामित श्री एस० सी० मेशराम की केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1020-द० रो०-40-1200 रुपये (तथा सामान्य भत्ते) के वेतनमान में 650/- रुपये प्रतिमास वेतन पर सामान्य शर्तों पर 12-4-78 (पूर्वाह्न) से सहायक वास्तुक के अस्थायी पद पर (केन्द्रीय सिविल सेवा ग्रुप बी) नियुक्त करते हैं।

2. श्री मेशराम 12-4-78 (पूर्वाह्न) से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखे जाते हैं।

दिनांक 4 जुलाई 1978

सं० 33/7/76-ई० सी० 9(भाग 3)—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नामित श्रीमती सुनन्दा सेन गुप्त को केन्द्रीय लोक निर्माण, विभाग में र० 700-40-900-द० रो०-40-1100-50-1300 (तथा सामान्य भत्ते) के वेतनमान में र० 700/- प्रति मास वेतन पर 24-4-78 (पूर्वाह्न) से उप वास्तुक के अस्थायी पद पर (केन्द्रीय सिविल सेवा ग्रुप ए) नियुक्त करते हैं।

2. श्रीमती सेन गुप्त 24-4-78 (पूर्वाह्न) से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखी जाती हैं।

कृष्ण कान्त,
प्रशासन उपनिदेशक

उत्तर रेलवे

नई दिल्ली, दिनांक 22 दिसम्बर 1977

सं० 19—भारतीय रेल अभियांतिकी विभाग के आ एस० टी० अबतरामानी अवर मुख्य अभियंता/टी० एम०/प्रधान : र्यालय 31 अक्टूबर 1977 के अपरराह्न से आयु आधीन सेवा निवृत्त हो गये हैं।

जी० एस० केसवानी,
महाप्रबंधक

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे

पाण्डू, दिनांक 17 जुलाई 1978

सं० ई/55/92 पी० टी० II (ओ)—श्री राज कुमार को, जिनको भारतीय रेल के सिगनल एवं दूर-संचार इंजीनियरी विभाग में परिवीक्षाधीन के रूप में नियुक्त किया गया था, 24-1-78 से अवर वेतनमान में स्थायी किया जाता है।

सं० ई/55/III/94 पी० टी० III (ओ)—श्री आई० एस० डाडियाला को, जिनको भारतीय रेल की अवर राजस्व स्थापना के सिविल इंजीनियरी विभाग में परिवीक्षाधीन के रूप में नियुक्त किया गया था, 27-3-76 से अवर वेतनमान में स्थायी किया जाता है।

दिनांक 18 जुलाई 1978

सं० ई०/55/II/93 भाग II(ओ)—भारतीय रेल की यांत्रिक इंजीनियरी सेवा के निम्नलिखित परिवीक्षाधीन व्यक्तियों को उनके नाम के सामने अंकित तिथियों से अवर वेतनमान में इस रेलवे पर सहायक यांत्रिक इंजीनियर के पद पर स्थायी किया जाता है :—

| क्रम संख्या | नाम | स्थायित्व की तिथि |
|-------------|----------------------|-------------------|
| 1. | श्री जी० सी० सैण्डले | 7-4-76 |
| 2. | श्री प्रदीप कुमार | 18-7-76 |
| 3. | श्री ए० सूद | 20-1-77 |
| 4. | श्री के० बी० मित्तल | 28-10-77 |

म० रा० न० भूति
महाप्रबंधक

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय

(पूर्ति विभाग)

राष्ट्रीय परीक्षण गृह

कलकत्ता-27, दिनांक 19 जुलाई 1978

सं० जी-65/बी (कान)—अधो हस्ताक्षरित इसी द्वारा राष्ट्रीय परीक्षण गृह, कलकत्ता के वैज्ञानिक सहायक (रसायन) श्री वि के विश्वास को 10-3-78 से 12-5-78 तक उसी कार्यालय में तदर्थ वैज्ञानिक अधिकारी (रसायन) के रूप में नियुक्त करते हैं।

सं० जी-65/बी (कान)—अधो हस्ताक्षरित इसी द्वारा राष्ट्रीय परीक्षण गृह कलकत्ता के वैज्ञानिक सहायक (भौतिकी) श्री त्रिदिव चौधरी को राष्ट्रीय परीक्षण गृह, मद्रास शाखा, मद्रास में तदर्थ वैज्ञानिक अधिकारी (भौतिकी) के रूप में 2-1-78 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

सं० जी-318/ए—अधो हस्ताक्षरित, श्री ए० सी० मुखर्जी को राष्ट्रीय परीक्षण गृह, कलकत्ता में स्थानापन्न सहायक निदेशक (प्रशासन) ग्रेड-II के रूप में 7-4-78 (अपराह्न) से आगामी आदेशों तक इसी से नियुक्त करते हैं।

बी० सी० शिवास
निदेशक
राष्ट्रीय परीक्षण गृह
अलीपुर, कलकत्ता
(विभाग के प्रधान)

विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

कम्पनी विधि बोर्ड

कम्पनियों के रजिस्ट्रार का कार्यालय

कम्पनी अधिनियम 1956 और दि सार्इन होटल प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

कटक, दिनांक 19 जुलाई 1978

सं० एस० ओ० 589/1438(2)—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है सन सार्इन होटल प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित गया है।

कम्पनी अधिनियम 1956 और दि उड़ीसा फिल्मस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

कटक, दिनांक 19 जुलाई 1978

सं० एस० ए०-674/1439(2)—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि दि उड़ीसा फिल्मस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है, और उक्त कम्पनी विघटित गया है।

दिलीप कुमार पाल
कम्पनियों का रजिस्ट्रार
उड़ीसा

कम्पनी अधिनियम 1956 और दयाल बाग ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जालंधर, दिनांक 20 जुलाई 1978

सं० जी/स्टेट/560/544/3815—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के

अवसान पर दयाल बाग ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम, इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

कम्पनी अधिनियम 1956 और खन्ना ब्रदर्स (पब्लिशर्स) प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जालंधर, दिनांक 20 जुलाई 1978

सं० जी/स्टेट/560/3398/3817—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर खन्ना ब्रदर्स (पब्लिशर्स) प्राईवेट लिमिटेड का नाम, इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

कम्पनी अधिनियम 1956 और घर बसाऊ कन्सट्रक्शन कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जालंधर, दिनांक 20 जुलाई 1978

सं० जी/स्टेट/560/3372/3821—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर घर बसाऊ कन्सट्रक्शन कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम, इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

कम्पनी अधिनियम 1956 और फरोजपुर डिस्ट्रिक्ट क्लोथ होलसेलरस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जालंधर, दिनांक 24 जुलाई 1978

सं० जी/स्टेट/560/1509—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि फरोजपुर डिस्ट्रिक्ट क्लोथ होलसेलरस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

कम्पनी अधिनियम 1956 और लीडर फैंस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जालंधर, दिनांक 24 जुलाई 1978

सं० जी/स्टेट/560/3130—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि लीडर फैंस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

कम्पनी अधिनियम 1956 और सोम फाईनेन्स लकी स्कीम एण्ड चिट फण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जालंधर, दिनांक जुलाई 1978

सं० जी/स्टेट/560/2953—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि सोम फाईनेन्स लकी स्कीम एण्ड चिट फण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

कम्पनी अधिनियम 1956 और ए एन इनवेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जालंधर, दिनांक जुलाई 1978

सं० जी/स्टेट/560/3288—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि ए एन इनवेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

कम्पनी अधिनियम 1956 और विब्रगयोर पेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जालंधर, दिनांक जुलाई 1978

सं० जी/स्टेट/560/3367—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि विब्रगयोर पेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

कम्पनी अधिनियम 1956 और एक्स सोलजरस ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जालंधर, दिनांक जुलाई 1978

सं० जी/स्टेट/560/लिख्नी० 1215—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि एक्स सोलजरस ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

सत्य प्रकाश ताथल
कम्पनी रजिस्ट्रार
पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं चण्डीगढ़

कम्पनी अधिनियम 1956 और पान छेम प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

बंगलौर, दिनांक जुलाई 1978

सं० 2947/560/78—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना

दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर पान छेम प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और कन्नड़ प्रशा प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

बंगलौर, दिनांक जुलाई 1978

सं० 1895/560/78—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर कन्नड़ प्रशा प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस० एन० गुहा
कम्पनियों का रजिस्ट्रार
कर्नाटक

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मे० मालब वूडन एण्ड स्टील इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

ग्वालियर, दिनांक जुलाई 1978

क्रमांक 1263/ए/560(3)/1334—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मे० मालब वूडन एण्ड स्टील इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

सुरेन्द्र कुमार सक्सेना
कम्पनी रजिस्ट्रार
मध्य प्रदेश, ग्वालियर

कार्यालय, आयकर आयुक्त

नई दिल्ली, दिनांक 29 मई 1978

विषय:— अधिकार क्षेत्र-नई दिल्ली तथा आगरा में सात नए सेंट्रल सर्किलों का बनाया जाना।

सं० एस० आई०/जूरि(1)/सी/78-79/974—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43वां) की धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयकर आयुक्त, दिल्ली (सेंट्रल) नई दिल्ली निदेश देते हैं कि नई दिल्ली/आगरा में निम्नलिखित सात नए सेंट्रल सर्किल बनाए जाएंगे जिन्हें आयकर अधिकारी, सेंट्रल सर्किल कहा जाएगा:—

- (1) आयकर अधिकारी, सेंट्रल सर्किल-18, नई दिल्ली।
- (2) आयकर अधिकारी, सेंट्रल सर्किल-19, नई दिल्ली।
- (3) आयकर अधिकारी, सेंट्रल सर्किल-20, नई दिल्ली।

- (4) आयकर अधिकारी, सेंट्रल सर्किल-21, नई दिल्ली ।
 (5) आयकर अधिकारी, सेंट्रल सर्किल-22, नई दिल्ली ।
 (6) आयकर अधिकारी, सेंट्रल सर्किल-1, आगरा ।
 (7) आयकर अधिकारी, सेंट्रल सर्किल-2, आगरा ।

ऊपर बताए गए सेंट्रल सर्किलों के आयकर अधिकारी ऐसे मामलों के बारे में अपने कार्य करेंगे जो उन्हें आयकर अधिनियम 1961 की धारा 127 की उपधारा (1) के अन्तर्गत यथास्थिति आयकर आयुक्त या बोर्ड द्वारा सौंपे जाएं ।

यह आदेश 29-5-78 से लागू होगा ।

सं० एस० आई०/जुरि० (1)सी/77-78/976--आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43वां) की धारा 123 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इससे पहले की अधिसूचना का अधिक्रमण करते हुए आयकर आयुक्त, दिल्ली सेंट्रल, नई दिल्ली निदेश देते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम 2 में निर्दिष्ट रेंजों के निरीक्षीय सहायक आयकर आयुक्त उक्त अनुसूची के कालम-3 में बताए गए सर्किलों के आयकर अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले मामलों, व्यक्तियों या आय या भाय के वर्गों के बारे में निरीक्षीय सहायक आयकर आयुक्त के सभी कार्य करेंगे ।

अनुसूची

| क्र० | निरीक्षीय सहायक आयुक्त के रेंज का नाम और मुख्यालय | सर्किल का नाम |
|------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | निरीक्षीय सहायक आयुक्त (सेंट्रल) रेंज-1, नई दिल्ली । | 1. आयकर अधिकारी, सेंट्रल सर्किल-1, नई दिल्ली । 2. आयकर अधिकारी, सेंट्रल सर्किल-3, नई दिल्ली । 3. आयकर अधिकारी, सेंट्रल सर्किल-4, नई दिल्ली । 4. आयकर अधिकारी, सेंट्रल सर्किल-13, नई दिल्ली । 5. आयकर अधिकारी, सेंट्रल सर्किल-16, नई दिल्ली । |
| 2. | निरीक्षीय सहायक आयुक्त (सेंट्रल) रेंज-2, नई दिल्ली । | 1. आयकर अधिकारी, सेंट्रल सर्किल-6, नई दिल्ली । 2. आयकर अधिकारी, सेंट्रल सर्किल-11, नई दिल्ली । 3. आयकर अधिकारी, सेंट्रल सर्किल-15, नई दिल्ली । 4. आयकर अधिकारी, सेंट्रल सर्किल-1, मेरठ । 5. आयकर अधिकारी, सेंट्रल सर्किल-2, मेरठ । |

| 1 | 2 | 3 |
|----|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 6. आयकर अधिकारी सेंट्रल सर्किल-3, मेरठ । |
| | | 7. आयकर अधिकारी सेंट्रल सर्किल-4, मेरठ । |
| 3. | निरीक्षीय सहायक आयुक्त (सेंट्रल) रेंज-3, नई दिल्ली | 1. आयकर अधिकारी, सेंट्रल सर्किल-2, नई दिल्ली । 2. आयकर अधिकारी, सेंट्रल सर्किल-5, नई दिल्ली । 3. आयकर अधिकारी, सेंट्रल सर्किल-7, नई दिल्ली । 4. आयकर अधिकारी, सेंट्रल सर्किल-8, नई दिल्ली । 5. आयकर अधिकारी, सेंट्रल सर्किल-9, नई दिल्ली । 6. आयकर अधिकारी सेंट्रल सर्किल-12, नई दिल्ली । 7. आयकर अधिकारी, सेंट्रल सर्किल-14, नई दिल्ली । 8. आयकर अधिकारी, सेंट्रल सर्किल-18, नई दिल्ली । 9. आयकर अधिकारी, सेंट्रल सर्किल-19, नई दिल्ली । 10. आयकर अधिकारी, सेंट्रल सर्किल-20, नई दिल्ली । 11. आयकर अधिकारी, सेंट्रल सर्किल-21, नई दिल्ली । 12. आयकर अधिकारी, सेंट्रल सर्किल-22, नई दिल्ली । 13. आयकर अधिकारी, सेंट्रल सर्किल-1, आगरा । 14. आयकर अधिकारी, सेंट्रल सर्किल-2, आगरा । 15. कर वसूली अधिकारी-3, नई दिल्ली । |
| | | 4. निरीक्षीय सहायक आयुक्त (सेंट्रल) रेंज-4, नई दिल्ली |
| | | 1. आयकर अधिकारी, सेंट्रल सर्किल-10, नई दिल्ली । |
| | | 5. निरीक्षीय सहायक आयुक्त (सेंट्रल) रेंज-5, नई दिल्ली । |
| | | 1. आयकर अधिकारी, सेंट्रल सर्किल-17, नई दिल्ली । |

यह अधिसूचना 29-5-78 से लागू होगी ।

दिनांक 29 मई 1978

सं० एस० आई०/जूरि० (1) सी/77-78/976—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43वां) की धारा 123 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इससे पहले की अधिसूचना का अधिक्रमण करते हुए आयकर आयुक्त, दिल्ली (सेंट्रल), नई दिल्ली निदेश देते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम-2 में निर्दिष्ट रेंजों के निरीक्षीय सहायक आयकर आयुक्त उक्त अनुसूची के कालम-3 में बताए गए सर्किलों के आयकर अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले मामलों, व्यक्तियों या आय या आय के वर्गों के बारे में निरीक्षीय सहायक आयकर आयुक्त के सभी कार्य करेंगे।

अनुसूची

| क्रम सं० | निरीक्षीय सहायक आयुक्त के रेंज का नाम और मुख्यालय | सर्किल का नाम |
|----------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | निरीक्षीय सहायक आयुक्त (सेंट्रल) रेंज-1, नई दिल्ली। | 1. आयकर अधिकारी, सेंट्रल सर्किल-1, नई दिल्ली। 2. आयकर अधिकारी, सेंट्रल सर्किल-3, नई दिल्ली। 3. आयकर अधिकारी, सेंट्रल सर्किल-4, नई दिल्ली। 4. आयकर अधिकारी, सेंट्रल सर्किल-13, नई दिल्ली। 5. आयकर अधिकारी, सेंट्रल सर्किल-16, नई दिल्ली। |
| 2. | निरीक्षीय सहायक आयुक्त (सेंट्रल) रेंज-2, नई दिल्ली। | 1. आयकर अधिकारी, सेंट्रल सर्किल-6, नई दिल्ली। 2. आयकर अधिकारी, सेंट्रल सर्किल-11, नई दिल्ली। 3. आयकर अधिकारी, सेंट्रल सर्किल-15, नई दिल्ली। 4. आयकर अधिकारी, सेंट्रल सर्किल-1, मेरठ। 5. आयकर अधिकारी, सेंट्रल सर्किल-2, मेरठ। 6. आयकर अधिकारी, सेंट्रल सर्किल-3, मेरठ। 7. आयकर अधिकारी, सेंट्रल सर्किल-4, मेरठ। |
| 3. | निरीक्षीय सहायक आयुक्त (सेंट्रल) रेंज-3, नई दिल्ली। | 1. आयकर अधिकारी, सेंट्रल सर्किल-2, नई दिल्ली। 2. आयकर अधिकारी, सेंट्रल सर्किल-5, नई दिल्ली। |

| 1. | 2 | 3 |
|----|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| | | 3. आयकर अधिकारी, सेंट्रल सर्किल-7, नई दिल्ली। |
| | | 4. आयकर अधिकारी, सेंट्रल सर्किल-8, नई दिल्ली। |
| | | 5. आयकर अधिकारी, सेंट्रल सर्किल-9, नई दिल्ली। |
| | | 6. आयकर अधिकारी, सेंट्रल सर्किल-12, नई दिल्ली। |
| | | 7. आयकर अधिकारी, सेंट्रल सर्किल-14, नई दिल्ली। |
| | | 8. आयकर अधिकारी, सेंट्रल सर्किल-18, नई दिल्ली। |
| | | 9. आयकर अधिकारी, सेंट्रल सर्किल-19, नई दिल्ली। |
| | | 10. आयकर अधिकारी, सेंट्रल सर्किल-20, नई दिल्ली। |
| | | 11. आयकर अधिकारी, सेंट्रल सर्किल-21, नई दिल्ली। |
| | | 12. आयकर अधिकारी, सेंट्रल सर्किल-22, नई दिल्ली। |
| | | 13. आयकर अधिकारी, सेंट्रल सर्किल-1, आगरा। |
| | | 14. आयकर अधिकारी सेंट्रल सर्किल-2 आगरा। |
| | | 15. कर वसूली अधिकारी-3, नई दिल्ली। |
| 4. | निरीक्षीय सहायक आयुक्त (सेंट्रल) रेंज-4, नई दिल्ली। | 1. आयकर अधिकारी, सेंट्रल सर्किल-10, नई दिल्ली। |
| 5. | निरीक्षीय सहायक आयुक्त (सेंट्रल) रेंज-5, नई दिल्ली। | 1. आयकर अधिकारी, सेंट्रल सर्किल-17, नई दिल्ली। |

अधिकार क्षेत्र—निरीक्षीय सहायक आयुक्त (सेंट्रल) रेंज 4 तथा 5, नई दिल्ली के प्रभारों का समाप्त किया जाना।

सं० एस० आई०/जूरि० (1)/सी/78-79/979—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43 वां) की धारा 123 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयकर आयुक्त, दिल्ली (सेंट्रल) नई दिल्ली निदेश देते हैं कि दिनांक 5-9-77 की अधिसूचना सं० एस० आई०/जूरि०-2/सी/77-78/3063 के अनुसार बनाए गए निरीक्षीय सहायक आयुक्त (सेंट्रल) रेंज-4, नई दिल्ली और निरीक्षीय सहायक आयुक्त (सेंट्रल) रेंज-5, नई दिल्ली के प्रभार समाप्त हो गए हैं।

यह आदेश 1-6-1978 से लागू होगा।

दिनांक 30 मई 1978

सं० एस० आई०/जूरि/(1)/सी/77-78/1025—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43वां) की धारा 123 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इससे, पहले की अधिसूचना का अधिक्रमण करते हुए आयकर आयुक्त दिल्ली (सेंट्रल) नई दिल्ली निदेश देते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम-2 में निर्दिष्ट रेंजों के निरीक्षीय सहायक आयकर आयुक्त, उक्त अनुसूची के कालम-3 में बताए गए सर्किलों के आयकर अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले मामलों, व्यक्तियों या आय या आय के वर्गों के बारे में सभी कार्य करेंगे।

अनुसूची

| क्रम सं० | निरीक्षीय सहायक आयुक्त के रेंज का नाम और मुख्यालय | सर्किल का नाम |
|----------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | निरीक्षीय सहायक आयुक्त (सेंट्रल रेंज-1) नई दिल्ली। | 1. आयकर अधिकारी, सेंट्रल सर्किल-1, नई दिल्ली। 2. आयकर अधिकारी, सेंट्रल सर्किल-2, नई दिल्ली। 3. आयकर अधिकारी, सेंट्रल सर्किल-4, नई दिल्ली। 4. आयकर अधिकारी, सेंट्रल सर्किल-5, नई दिल्ली। 5. आयकर अधिकारी, सेंट्रल सर्किल-6, नई दिल्ली। 6. आयकर अधिकारी, सेंट्रल सर्किल-7, नई दिल्ली। 7. आयकर अधिकारी, सेंट्रल सर्किल-10, नई दिल्ली। |
| 2. | निरीक्षीय सहायक आयुक्त (सेंट्रल मेरठ रेंज)। | 1. आयकर अधिकारी, सेंट्रल सर्किल-3, नई दिल्ली। 2. आयकर अधिकारी, सेंट्रल सर्किल-8 नई दिल्ली। 3. आयकर अधिकारी, सेंट्रल सर्किल-9, नई दिल्ली। 4. आयकर अधिकारी, सेंट्रल सर्किल-1 मेरठ। 5. आयकर अधिकारी, सेंट्रल सर्किल-2 मेरठ। 6. आयकर अधिकारी, सेंट्रल सर्किल-3, मेरठ। |

| 1 | 2 | 3 |
|----|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 7. आयकर अधिकारी, सेंट्रल सर्किल-4, मेरठ। |
| 3. | निरीक्षीय सहायक आयुक्त (सेंट्रल रेंज-2) नई दिल्ली। | 1. आयकर अधिकारी, सेंट्रल सर्किल-11, नई दिल्ली। 2. आयकर अधिकारी, सेंट्रल सर्किल-12, नई दिल्ली। 3. आयकर अधिकारी, सेंट्रल सर्किल-15, नई दिल्ली। 4. आयकर अधिकारी, सेंट्रल सर्किल-19, नई दिल्ली। 5. आयकर अधिकारी, सेंट्रल सर्किल-20, नई दिल्ली। 6. आयकर अधिकारी, सेंट्रल सर्किल-21, नई दिल्ली। 7. आयकर अधिकारी, सेंट्रल सर्किल-22, नई दिल्ली। |
| 4. | निरीक्षीय सहायक आयुक्त (सेंट्रल रेंज-3) नई दिल्ली। | 1. आयकर अधिकारी, सेंट्रल सर्किल-13, नई दिल्ली। 2. आयकर अधिकारी, सेंट्रल सर्किल-14, नई दिल्ली। 3. आयकर अधिकारी, सेंट्रल सर्किल-16, नई दिल्ली। 4. आयकर अधिकारी, सेंट्रल सर्किल-17, नई दिल्ली। 5. आयकर अधिकारी, सेंट्रल सर्किल-18, नई दिल्ली। 6. आयकर अधिकारी, सेंट्रल सर्किल-1, आगरा। 7. आयकर अधिकारी, सेंट्रल सर्किल-2, आगरा। |

यह अधिसूचना 1-6-78 से लागू होगी।

टिप्पणी—प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से यह अधिसूचना आवश्यक हो गई है।

दिनांक 31 मई 1978

शुद्धि-पत्र

सं० एस० आई०/जूरि(1)/सी/77/1054—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43वां) की धारा 123 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 31-5-78 की पूर्ववर्ती अधिसूचना सं० 1025 में आंशिक परिवर्तन करते हुए आयकर आयुक्त, दिल्ली (सेंट्रल), नई दिल्ली निदेश देते हैं

कि दिनांक 31-5-78 की पूर्वोक्त अधिसूचना सं० एस० आई०/जुरि (1)/सी/77-78/1025 के नीचे दी गई अनुसूची की क्रम सं० 4 के सामने कालम-3 में मद (8) के रूप में निम्नलिखित प्रतिरिक्त प्रविष्टि सम्मिलित की जाएगी।

“8/कर वसूली अधिकारी-3, नई दिल्ली”

यह अधिसूचना 1-6-78 से लागू होगी।

एन० एस० राघवन
आयकर आयुक्त,
दिल्ली (सेंट्रल) नई दिल्ली

आयकर विभाग

नई दिल्ली दिनांक 18 जुलाई 1978

सं० फा० सं० समन्वय/प्रकाशन/दिल्ली/सी/76-77/13546—
निम्नलिखित कर-बकायादारों के अपने नाम या उनके आश्रितों या बेनामीदारों के नाम यदि कोई परिसंपत्ति या निवेश हो तो उसके बारे में जनता द्वारा सूचना सम्बन्धित आयकर आयुक्त को गुप्त रूप से दी जाए।

| क्रम सं० | निर्धारित का नाम और पता | दो वर्ष और उससे अधिक अवधि की बकाया राशि |
|----------|-------------------------|-----------------------------------------|
|----------|-------------------------|-----------------------------------------|

| 1 | 2 | 3 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1. | ग्रानन्दी लाल (स्वर्गीय) मार्फत एल/एच श्री हरि राम 4029, चावड़ी बाजार, दिल्ली। | 12,82,000 |
| 2. | अटेनबेरी एंड कं० 10, दरियागंज, दिल्ली। | 2,03,58,000 |
| 3. | आशा राम वर्मा, सी० पी० डब्ल्यू० डी० नई दिल्ली। | 33,30,000 |
| 4. | एशिया उद्योग, 10, दरियागंज, दिल्ली। | 1,31,000 |
| 5. | बैशाखा सिंह एंड कं० (प्रा०) लि०, कनाट पलेस, नई दिल्ली। | 4,28,702 |
| 6. | भारत यूनिजन एजेन्सीज (प्रा०) लि० | 45,10,000 |
| 7. | चान्द फाइनांस एंड चिट फंड (प्रा०) लि० द्वारा श्री यशपाल भसीन, एफ-41, वेस्ट नगर, नई दिल्ली। | 2,18,000 |
| 8. | डालमिया जैन एयर बेज (प्रा०) लि० | 77,34,000 |
| 9. | एक्सट्रान इनडस्ट्रीज (प्रा०) लि० कानोटा बाग, जयपुर (राजस्थान) | 1,26,500 |
| 10. | फकीर चन्द लाल चन्द, प्रो प्रा०, चोपड़ा ट्रेडिंग कं०, एफ-10/3-माडल टाउन, दिल्ली। | 6,84,798 |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 11. | ग्रीन ग्रुप फाइनांसियर्स एण्ड चिट फंड (प्रा०) लि० मार्फत/एस० के० भंडारी एंड कं० सी० ए० एम-132, कनाट सर्कस, नई दिल्ली। | 1,06,000 |
| 12. | इंद्रप्रस्थ फाइनांस चिट फंड (प्रा०) लि० मार्फत श्री एस० सी० सुनेजा एडवोकेट, एम-4 ए, जंगपुरा एक्सटेंशन, नई दिल्ली। | 1,80,000 |
| 13. | डा० जे० धर्मा तेजा (इन्ड०) एस-341, पंचशील पार्क, नई दिल्ली। | 70,02,000 |
| 14. | जगदीश प्रसाद बाबू राम, गली पाटेवाली, दिल्ली। | 7,51,352 |
| 15. | मोखम सिंह मार्फत/चन्डोक एंड गुलियानी, सी० ए०, 5 ए/10, अन्सारी रोड, दिल्ली। | 1,67,156 |
| 16. | ओम प्रकाश प्रोप्रा० इंडिया वेस्ट कं० 45, वी माल, दिल्ली। | 1,10,099 |
| 17. | स्वर्गीय श्री प्रेम नाथ मार्फत/एल/एच 8-सिधिया हाउस, नई दिल्ली। | 16,48,000 |
| 18. | राम सिंह सुन्दर सिंह, फाइनेंसियर्स (प्रा०) लि०, 3-ए/3, आसफ गली रोड, नई दिल्ली। | 3,41,528 |
| 19. | युनाइटेड इंडिया जनरल फाइनांस (प्रा०) लि० (परिसमापनाधीन) मार्फत सरकारी परिसमापक भारत स्काउट्स बिल्डिंग 16, रिंग रोड, नई दिल्ली। | 6,62,000 |
| 20. | बिरेन्द्र कुमार जैन, 511, हैदर कुली, दिल्ली। | 1,08,537 |

ए० सी० जैन
आयकर आयुक्त, दिल्ली-1
नई दिल्ली

आयकर विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 20 जुलाई 1978

सं० फा० समन्वय/प्रकाशन/दिल्ली-3/75-76/13652—
निम्नलिखित सूची में उननिर्धारितियों के नाम दिए गए हैं जिनका वित्तीय वर्ष 1975-76 के दौरान (क) व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब होने के नाते एक लाख रु० से अधिक आय पर (ख) फर्म, व्यक्तियों का संगम या कम्पनी होने के नाते दस लाख रु० से अधिक आय पर कर-निर्धारण हुआ है। (एक) में 'आई' व्यक्ति की, 'एच', हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब की और 'सी' कम्पनी की हैसियत का सूचक है तथा (बो)

निर्धारण वर्ष (तीन) में विवरणी में दिखाई गई आय (चार) में कर निर्धारित आय (पांच) में निर्धारिती द्वारा देय कर और (छह) में निर्धारिती द्वारा दिया गया कर दिखाया गया है :—

(1) 22-008-पी वार्ड-6081, अनूप झालानी, 106, सुन्दर नगर, नई दिल्ली (एक) आई (दो) 73-74 (तीन) 1,09,540 (चार) 1,09,630 (पांच) 55,549 (छह) 55,467 ।

(2) 22-010-0572, अनिल कुमार सन/आफ श्री रीसी राम 4, बाबर रोड, नई दिल्ली (एक) आई (दो) 73-74 (तीन) 51,710 (चार) 1,08,185 (पांच) 67,330 (छह) 20,731 ।

(3) 22-009-पी० टी-5516, अजला नाथ (मिसेज), 50/2-3, हनुमान रोड, दिल्ली (एक) आई (दो) 74-75 (तीन) 1,33,310 (चार) 1,30,360 (पांच) 87,393 (छह) 90,286 ।

(4) 22-009-पी० टी-2688, बी० पी० मितल, के० 40, कनाट सर्कस, नई दिल्ली (एक) आई (दो) 74-75 (तीन) 1,03,931 (चार) 1,08,500 (पांच) 67,620 (छह) 67,620 ।

(5) 22-010-क्यू-0655, भजन कौर, 12, तिलक मार्ग, नई दिल्ली (एक) आई (दो) 73-74 (तीन) 1,47,246 (चार) 1,47,250 (पांच) 85,761 (छह) 85,801 ।

(6) 22-010-पी-एक्स-0897, भजन कौर एल०/एच० आफ लेट मेजर हरिन्दर सिंह, 12 तिलक मार्ग, नई दिल्ली (एक) आई (दो) 63-64 और 73-74 (तीन) 74,987 और 1,39,305 (चार) 1,04,987 और 1,47,090 (पांच) 49,708 और 93,996 (छह) 42,208 और 92,220 ।

(7) 22-009-पीवार्ड-0529, बी० पी० राव, 34, वेस्ट एन्ड, नई दिल्ली (एक) आई (दो) 67-68 और 68-69 (तीन) 87,817 और 95,582 (चार) 1,00,205 और 1,23,416 (पांच) 47,270 और 50,082 (छह) 46,213 और 49,992 ।

(8) 22-010-एच० एन०-740 सी० के० दफ्तरी एंड सन्स, बी०-ए, महरानी बाग, नई दिल्ली (एक) एच० (दो) 73-74 (तीन) 1,77,603 (चार) 2,94,300 (पांच) 2,43,978 (छह) ।

(9) 22-009-पी० टी० 2870 हरदेव सिंह 2, कर्जन रोड, नई दिल्ली (एक) आई (दो) 73-74 (तीन) 2,04,568 (चार) 2,00,806 (पांच) 2,43,032 (छह) 1,45,903 ।

(10) 22-010-पी क्यू-1,002 लेट एस० जगदीश कौर एल/एच भजन कौर, 12, तिलक मार्ग, नई दिल्ली (एक) आई (दो) 73-74 (तीन) 1,02,241 (चार) 1,02,241 (पांच) 53,540 (छह) 53,420 ।

(11) 22-009-पी० एन०-2865 जे० बी० गुप्ता भागीदार सांचा राम ब्रदर्स अपोजिट सिधिया हाउस, नई दिल्ली

(एक) आई (दो) 67-68 से 70-71 (तीन) 1,37,252, 1,18,290, 1,48,419 और 1,14,240 (चार) 1,40,224 1,28,730, 1,48,743 और 1,24,300 (पांच) 71,574 और ए० डी० 6600,64,746-और ए० डी० 7430,63,580 और 71,099 (छह) 62,589, 54,676,56,836 और 63,923 ।

(12) 22-023-पी-एन-3642 और 22-007-एच क्यू 8584, जगदीश प्रसाद पोद्दार ए-9/25, बसंत विहार, नई दिल्ली (एक) आई और एच० (दो) 75-76 (तीन) 1,29,085 और 1,54,842 (चार) 1,29,085 और 1,54,842 (पांच) 75,984 और 92,064 (छह) 75,984 और 92,064 ।

(13) 22-009-पी० बी० 2918, के० डी० दत्ता, 13, बी, बाराखंबा रोड, नई दिल्ली (एक) आई (दो) 70-71 (तीन) 1,48,207 (चार) 1,37,169 (पांच) 72,316 (छह) 72,316 ।

(14) 22-007 पी एन-6142, एल० आर० लुथरा भागीदार

ओरिएन्टल रेडियो एन्ड इलेक्ट्रिक स्टोर्स, 17-सी, कनाट प्लेस, नई दिल्ली (एक) आई (दो) 73-74 (तीन) 1,95,300 (चार) 2,01,140 (पांच) 1,52,910 (छह) 1,14,330 ।

(15) 22-009-एच वार्ड-2045, एम० के० स्वामी, ई०-62, ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली (एक) एच (दो) 73-74 (तीन) 1,78,830 (चार) 1,79,930 (पांच) 1,33,336 (छह) 1,33,336 ।

(16) 22-007-एच जे०-8586, महावीर प्रसाद पोद्दार ए-9/25, बसंत विहार, नई दिल्ली (एक) एच (दो) 75-76 (तीन) 1,74,254 (चार) 1,74,254 (पांच) 1,09,073 (छह) 1,09,073 ।

(17) 22-008-पी० एन०-6520, मोती सागर कपूर बी 86 ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली (एक) आई (दो) 73-74 (तीन) 1,2,1410 (चार) 1,28,400 (पांच) 89,167 (छह) 79,497 ।

(18) 22-009-पीक्यू-9314, मोहन साहनी, 5, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली (एक) आई (दो) 73-74 (तीन) 1,27,368 (चार) 1,27,368 (पांच) 54,995 (छह) 54,995 ।

(19) 22-009 पीक्यू-2675, एम० एल० भार्गव, भागीदार अमोनिया सप्लाय कम्पनी 85-ए, पंचकुइयां रोड, नई दिल्ली (एक) आई (दो) 73-74 (तीन) 85,920 (चार) 89,068 (पांच) 44,912 (छह) 44,912 ।

(20) 22-009-पी० एक्स-9378, एम० एन० सेठ, 20, गोल्फ लिक्स, नई दिल्ली (एक) आई (दो) 73-74 (तीन) 1,00,060 (चार) 1,00,090 (पांच) 59,882 (छह) 59,480 ।

(21) 22-009-पी० एन०-8031, पृथ्वी पाल सिंह, भागीदार अल्पस वार रेस्टोरेंट, 56, जनपथ, नई दिल्ली (एक) आई (दो) 73-74 (तीन) 5,18,195 (चार) 5,34,790 (पांच) 4,83,380 (छह) 4,61,189 ।

(22) 22-009-एच जेड 2964, प्रताप चन्द, 6 श्रीरंगजेव रोड, नई दिल्ली (एक) एच (दो) 73-74 (तीन) 1,13,025 (चार) 1,12,031 (पांच) 56,865 (छह) 56866 ।

(23) 22-009-पी जे-2866, पी० सी० गुप्ता भागीदार सिया रामब्रदर्स, सामने सिंधिया हाउस, नई दिल्ली (एक) आई (दो) 73-74 (तीन) 1,80,000 (चार) 2,02,143 (पांच) 1,71,633 (छह) 1,04,613 ।

(24) 27/217-एचवी-9386, पूरन चन्द साहनी, 5, पालियामेट स्ट्रीट, नई दिल्ली (एक) एच (दो) 73-74 (तीन) 1,40,725 (चार) 1,19,669 (पांच) 68,909 (छह) 68,909 ।

(25) 22-007-पी० जेड-6143, पी० सी० लूथरा, भागीदार ओरिएण्टल रेडियो एन्ड इलेक्ट्रिकल स्टोर्स, 17-सी, कनाट प्लेस, नई दिल्ली (एक) आई (दो) 73-74 (तीन) 1,38,980 (चार) 1,43,750 (पांच) 90,051 (छह) 95,660 ।

(26) 22-008-पीटी-4969, प्रबोध बघवार, सी-54, ग्रेटर कैलाश नई दिल्ली (एक) आई (दो) 75-76 (तीन) 1,12,670, (चार) 1,25,563 (पांच) 73,284 (छह) 60,264 ।

(27) 22-007-पीड्यू, 6169, आर० एन० मेहता, एम-59, कनाट सर्कस, नई दिल्ली (एक) आई (दो) 74-75 (तीन) 85,855 (चार) 1,01,530 (पांच) 59,725 (छह) 59,725 ।

(28) 3/47-पीटी० 2758, आर० एम० टन्डन, भागीदार वेंगर एंड कं०, कनाट प्लेस, नई दिल्ली (एक) आई (दो) 73-74 और 74-75 (तीन) 1,09,910 और 1,11,240 (चार) 1,09,920 और 1,12,790 (पांच) 68,926 और 71,567 (छह) 68,926 और 71,567 ।

(29) 7/105-पी० एक्स०-3315, आर० एस० खन्ना भागीदार नई दिल्ली स्टेशनरी मार्केट, कनाट प्लेस, नई दिल्ली (एक) आई (दो) 74-75 (तीन) 1,02,997 (चार) 1,03,064 (पांच) 62,586 (छह) 62,586 ।

(30) 22-009-पीजेड-2992, राजेन्द्र कौर 2, कर्जन रोड नई दिल्ली (एक) आई (दो) 73-74 (तीन) 1,67,660 (चार) 1,53,500 (पांच) 1,09,020 (छह) 1,09,020 ।

(31) 22-009-पीजेड-4392, सरदारनी राजेन्द्र कौर, द्वारा जया रोज फार्मस, डी० एल० एफ० कालोनी, छत्तरपुर महरोली रोड, नई दिल्ली (एक) आई (दो) 73-74 (तीन) 1,35,820 (चार) 1,94,396 (पांच) 1,46,648 (छह) 97,312 ।

(32) 22-009-पीआई-2867, आर० आर० गुप्ता भागीदार सिया राम ब्रदर्स सामने सिंधिया हाउस, नई दिल्ली (एक) आई और एच (दो) 70-71 और 73-74 (तीन)

1,61,320 और 1,84,322 (चार) 1,68,960 और 2,06,465 (पांच) 99,286 और 1,76,525 (छह) 10,04,425 और 1,08,993 ।

(33) 22-009-पी० बी०-0478, आर० पी० श्रीवाराय भागीदार लगुन इम्पोरियम, होटल श्रीवाराय इन्टरकान्टीनेन्टल, नई दिल्ली (एक) आई (दो) 73-74 (तीन) 3,960 (चार) 1,00,830 (पांच) 98,112 (छह) ।

(34) 22-009-पी० एन०-2802, स्वर्ण अरोरा प्रोफ० नाथ ब्रदर्स, सी-33, कनाट प्लेस, नई दिल्ली, (एक) आई (दो) 70-71 (तीन) 2,10,176 (चार) 2,24,930 (पांच) 1,48,584 (छह) 3,572 ।

(35) 22-009-पी० टी०-5334, सावित्री बाबा, 15, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली (एक) आई (दो) 73-74 (तीन) 1,96,527 (चार) 1,96,290 (पांच) 1,48,389 (छह) 16,800 ।

(36) 22-009-पी० एन०-8900, सुशीला जैन, 13, वेस्टेन्ड कालोनी, नई दिल्ली (एक) आई (दो) 65-66 और 73-74 (तीन) 1,07,677 और 1,13,890 (चार) 1,16,793 और 1,19,650 (पांच) 72,292 और 82,861 (छह) 64,598 और 57,785 ।

(37) 22-009-पी० जेड-9432, तारावती साहनी, 5, पालियामेट, स्ट्रीट, नई दिल्ली (एक) आई (दो) 73-74 (तीन) 92,019 (चार) 1,02,619 (पांच) 47,896 (छह) 47,896 ।

(38) 22-009 एच० ब्यू०-9171 टी० एन० भास्कर एन्ड सन्स ईश्वर नगर, नई दिल्ली (एक) एच (दो) 73-74 (तीन) 1,09,580 (चार) 1,09,580 (पांच) 67,833 (छह) 67,833 ।

(39) 30-004-एच० टी०-2992, तेज प्रताप सिंह, 25 बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली (एक) एच (दो) 73-74 (तीन) 1,15,164 (चार) 1,18,200 (पांच) 57,570 (छह) 10,000 ।

(40) 22-009-पी० एस०-3064, विक्रम नन्दा 20-डी, पृथ्वी राज रोड, नई दिल्ली (एक) आई (दो) (तीन) 1,12,687 (चार) 1,11,960 (पांच) 52,803 (छह) 52,803 ।

(41) 22-009-पी० बी०-9169, विवेक एंड भास्कर, ईश्वर नगर, नई दिल्ली, (एक) आई (दो) 73-74 (तीन) 1,22,592 (चार) 1,22,590 (पांच) 79,406 (छह) 79,480 ।

(42) 22-009-पी० एक्स-3078, विजय कुमार गुजराल, प्रोफ० ज्ञान चन्द विद्याधर 9, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली (एक) आई (दो) 73-74 (तीन) 98,600 (चार) 1,05,090 (पांच) 61,328 (छह) 55,445 ।

एस० बी० देवा
आयकर प्रायुक्त,
नई दिल्ली दिल्ली-3 ।

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज 2, बम्बई

बम्बई, दिनांक 27 जुलाई 1978

अ० सं० 2/2533-3/दिसम्बर-77—अत मझे, जे० के० गुप्ता, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी की, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० मी० टी० एम० नं० 813/813 से 26 प्लॉट प्लॉट नं० 49 है तथा जो अनुमान रोड विले पार्ले (पूर्व) में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बंबई, में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 13-12-1977 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है, और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ के अन्वय में, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्रीमती सविताबाई बाधजी लक्ष्मीदाम, डा० शान्तिनाथ जे० मेहता, श्री चन्द्रकांत मोतीलाल शेठ एक्जीक्यूटर्स और ट्रस्टीज ऑफ इस्टेट आफ लेट बाधजी लक्ष्मीदास ट्रस्ट । (अन्तरक)

(2) श्री मधुकर यू० चौधरी, पुरशोत्तमदाम ए० कपूर, शंकरदास व्ही बहोरा ट्रस्टीज आफ नागथण नगर रहिवासी संघ । (अन्तरिती)

(3) अनुबंध 'ए' के अनुसार ।

अनुबंध 'ए'

1. श्री एम० जी० तलाटी 2. श्री पी० पी० गौर 3. श्री एम० यू० चौधरी 4. श्री एम० पी० चौधरी 5. श्री एम० एन० पुजारी 6. श्री पी० जी० विश्वासवन् 7. श्रीमती एम० पी० विदवन् 8. श्री एम० पी० गालियन 9. श्री ओ० टी० पुजारी 10. श्री आई० वी० बोरा 11. श्री एम० के० गोदम्बे

12. श्रीमती के० एम० देशपांडे 13. श्री वी० एस० मोदक 14. श्रीमती एम० डी० मपरा 15. श्री रामदुलार यादव 16. श्री लखममी श्रीमजी शाह 17. श्री लक्षमन जे० कनौजिया 18. श्री कानजी एम० शाह 19. श्रीमती पुष्पा आर० प्रभु 20. श्री मोरेश्वर एम० सामन्त 21. श्री रामचन्द्र डी० हनाले 22. श्री चिन्तामन वी० जग ताप 23. श्री मधुकर यू० चौधरी 24. श्री अमिचन्द भूपतिग 25. श्री आर० के० दमले 26. श्री एम० बी० शाह 27. श्री पी० डी० चोक्सी 28. श्री वी० एन० दवे 29. श्री एम० यू० चौधरी 30. श्रीमती के० एम० चौधरी 31. श्री पी० ए० कपूर 32. श्री एन० आर० दरेकर 33. श्री पी० पी० गौर 34. श्रीमती आर० आर० अठावले 35. श्री एस० डी० करिन्दकर 36. श्रीमती बी० एम० रावल 37. श्री के० एम० शाह 38. श्री एम० के० गुजार 39. श्री बी० के० शाह 40. श्री चन्द्रकान्त शेलाट 41. श्री एल० एम० भट

(वह व्यक्ति जिनके अधिभोग में संपत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

माफी के पट्टे की जमीन का वह तमाम टुकड़ा या प्लॉट, जो हक-पत्र के अनुसार माप से 1978 वर्गगज या 1661 वर्ग मी० के बराबर किन्तु काट-छांट के बाद 1399 वर्ग मीटर है, उस पर खड़े किराए के मकानों व भवनों सहित, और ये सभी परिसर अनुमान रोड, विले पार्ले, (पूर्व), बंबई में और जिला उप-जिला, बंबई तथा जिला व उप-जिला बंबई उप नगर में मौजूद है, जिसका पुराना एस० नं० व प्लॉट नं० 8, नया नं० 49, विले पार्ले टाऊन प्लानिंग स्कीम 2 है और सी० टी० एस० नं० 813, 813/1 से 26 तक है तथा इसकी सीमा इस प्रकार है कि पूर्व में सार्वजनिक सड़क, जिसे हनुमान आस लेन कहा जाता है, पश्चिम में प्लॉट नं० 9, उत्तर में सार्वजनिक सड़क जिसे हनुमान रोड, कहा जाता है और दक्षिण में सार्वजनिक सड़क है ।

जे० के० गुप्ता,

सक्षम प्राधिकारी,

निरीक्षक सहायक आयकर आयुक्त,

अर्जन इलाका-2, बम्बई

तारीख : 27 जुलाई 1978

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, मोनीपल रोड़, रोहतक

रोहतक, दिनांक 25 जुलाई 1978

निदेश सं० के० एल० के०/4/77-78:—असत: मुझे, रवीन्द्र कुमार पठानिया,

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि हरियाणा सेलज टैक्स बैरियर के पास है तथा जो गांव जुड़िला सहि० कालका में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कालका में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख नवम्बर, 1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कबित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी भाय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी भाय या किसी धन या अन्य भास्तियों को जिन्हें भारतीय भाय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया या या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

असत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अन्तरण में ही, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) सर्व/श्री ओम प्रकाश, वामदेव एवं बनारसी दास पुत्रान श्री प्रशोतम दास निवासी गांव मनी माजरा।

(अन्तरक)

(2) मैनेजिंग डायरेक्टर सलोकम होटलज प्र० लि० 329-सैक्टर 21-डी०, चण्डीगढ़।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसबद किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अप्रसोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होना, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि जैसे कि रजिस्ट्रेशन डी० नं० 677 में दी गई है और जो नवम्बर, 1977 में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी कालका के कार्यालय में लिखी गई।

रवीन्द्र कुमार पठानिया,
सक्षम प्राधिकारी,

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),

अर्जन रेंज, रोहतक

तारीख: 25 जुलाई 1978।

मोहर:

प्रकरण आई०टी०एन०एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269 ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 21 जुलाई 1978

निवेश सं० 15680/अर्जन/मेरठ/7778/2103—अतः मुझे,

एल० एन० गुप्ता,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए ने अधिक है

और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है तथा जो अनुसूची के अनु-मार में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मेरठ में, रजिस्ट्री-करण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 17-11-1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसारण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269ख की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, पश्चात् :—

4-196GI/78

(1) श्री उमेश चन्द्र पुत्र अम्बा प्रसाद निवासी कानूनगोयान शहर मेरठ।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती शांति रानी पत्नी बिहारी लाल मुशील कुमारी पत्नी मुखराराज नि० 334/4.6 बी० देवपुरी मेरठ एवं श्रीमती सत्यवैत पत्नी राजाराम नि० 13/92 पटेल नगर सहारनपुर एवं श्रीमती मीना खुराना पत्नी पूरन कुमार, मधूलिका देवपुरी, मेरठ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अबल सम्पत्ति भूमि 1 बीघा 14 बिस्वा 8 बिखासी स्थित देहली रोड़, मेरठ 1,30,000) के विक्रय मूल्य में बेची गयी।

एल० एन० गुप्ता,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त, निरीक्षण),
(अर्जन रेंज, कानपुर)

तारीख : 21 जुलाई 1978।

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

(1) श्री 108 स्वामी कृष्ण नन्द मण्डलेश्वर उर्फ
श्री 108 स्वामी कृष्ण नन्दगिरि मण्डलेश्वर
(अन्तरक)

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

(2) श्री कालिका प्रसाद व अन्य
(अन्तरिती)

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन क्षेत्र लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 8 जून 1978

निर्देश सं० 81-के०/अर्जन—अतः मुझे अमर सिंह
विसेन

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है
कि स्यावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु०
से अधिक है

और जिसकी संख्या सी० के० 1/8 व 9 हाल नं० सी०
के० 37/45 है तथा जो वान्स फाटक वाराणसी में स्थित
है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित
है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मुख्य उप निबन्धक
वाराणसी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का
16) के अधीन, तारीख 5-11-1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिकल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य
उसके दृश्यमान प्रतिकल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिकल का पन्द्रह
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया
प्रतिकल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में
वास्तविक रूप में उचित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि-
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व
में कर्मा करने या उससे बचने में सुविधा
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को जिन्हें, भारतीय भायकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर
अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था; या
किया जाना चाहिए था, ठिपाने में सुविधा के लिये;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्वयण
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के
लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्संबन्धी व्यक्तियों पर सूचना की
तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद
में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से
किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, प्रभोहस्ताक्षरी के पाठ
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

मुसल्लम जायदाद नं० सी० के० 11/8 व हाल नं०
सी० के० 37/45 जिसका रकबा 147-31 वर्ग मीटर है
जो कि मी० वान्स फाटक वाराणसी में स्थित है तथा जो
सेल डीड और फार्म 37 जी० नं० 6639 दिनांक 5-11-77
में अंकित और जो कि मुख्य उप निबन्धक वाराणसी के
कार्यालय में दर्ज है।

अमर सिंह विसेन
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लखनऊ

तारीख : 8-6-1978

मोहर :

प्ररूप आई० टी०एन० एस०—

(1) श्री विशम्भर नाथ कक्कर

(अन्तरक)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

(2) श्री सुजान सिंह व सुरेन्द्र सिंह

(अन्तरिती)

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 8 जून 1978

निदेश सं० एस०-166/अर्जन—अतः मुझे अमर सिंह बिसेन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रूपए से अधिक है

और जिसकी सं० 67 हिवेट रोड है तथा जो हिवेट रोड इलाहाबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय इलाहाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 5-11-1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण में हुई किसी आय को बावत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अन्तरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात:—

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान नं० 67 हिवेट रोड इलाहाबाद का आधा भाग व इस सम्पत्ति का सभी विवरण जो कि पगमे 37-जी० संख्या 3544 व सेलडीड में लिखा हुआ है जो कि सब रजिस्ट्रार इलाहाबाद के कार्यालय में दिनांक 5-11-1977 को दर्ज है।

अमर सिंह बिसेन
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लखनऊ

तारीख : 8-6-1978

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, 57 रामतीर्थमा, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 8 जून 1978

निदेश सं० एस०-167/अर्जन—अतः मुझे अमर सिंह
बिसेन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण
है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु०
से अधिक है

और जिसकी संख्या 67 हेक्टर रोड है तथा जो इलाहाबाद
में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और
पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय
इलाहाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908
का 16) के अधीन तारीख 5-11-1977

को पूर्वाक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने
का कारण है कि यथापूर्वाक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य,
इसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह
प्रतिशत से अधिक है, और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक
रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या
धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था
या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के
लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसारण
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री विशम्भरनाथ कक्कड़

(अन्तरक)

(2) श्री सरदार सिंह गुजराल

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वाक्त सम्पत्ति के अर्जन के
लिए कार्रवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वाक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित
हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

मकान नं० 67 हेक्टर रोड इलाहाबाद का आधा भाग
तथा इस सम्पत्ति का सभी विवरण जो फार्म 37-जी संख्या
4543 व सेलडीड में वर्णित है जो कि सब-रजिस्ट्रार
इलाहाबाद के कार्यालय में दिनांक 5-11-1977 को दर्ज
हुआ है।

अमर सिंह बिसेन
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन क्षेत्र, लखनऊ

तारीख : 8-6-1978

मोहर :

प्रकृष आई० टी० एन० एस०—

(1) श्री इन्द्र सिंह (अन्तरक)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

(2) श्रीमती सरला खन्ना (अन्तरिती)

धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन क्षेत्र 57 रामतीर्थ मार्ग, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 10 जुलाई 1978

निदेश सं० एस०-168/अर्जन—अतः मुझे अमर सिंह बिसेन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी संख्या 9/बी० ब्लाक-डी० है तथा जो रामपुरबाग, बरेली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बरेली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 21/23-11-1977 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है, और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य धास्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी धाक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

एक कित्ता मकान नं० 9/बी० ब्लाक डी० जिसका क्षेत्रफल 517.55 वर्ग मीटर है जो कि रामपुर बाग, बरेली में स्थित है तथा सम्पत्ति का वह सब विवरण जो सेल डीड व फार्म 37 जी० संख्या 51118 में वर्णित है और जो कि सब-रजिस्ट्रार बरेली के कार्यालय में दिनांक 23-11-1977 को दर्ज है ।

अमर सिंह बिसेन

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लखनऊ

तारीख : 10-7-1978

मोहर :

आरूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज 57 रामतीर्थ मार्ग, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 13 जुलाई 1978

निदेश सं० एस०-169/अर्जन—अतः मुझे अमर सिंह
बिसेन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/-रु० से अधिक है,

और जिसकी सं० 578 का भाग है तथा जो मोहल्ला
साहूकारा बरेली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची
में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के
कार्यालय बरेली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908
का 16) के अधीन, तारीख 30-11-77 को
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य,
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्त-
विक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि-
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) यदि किसी आय या कमी घन या अन्य आस्तियों
का, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या
अन्य अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में
सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अन्-
सरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा
(1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

1. श्री साहू जगदीश कुमार अग्रवाल
(अन्तरक)
2. श्रीमती शशि प्रभा पत्नी श्याम मनोहर
(अन्तरिती)
3. विप्रेता (37-जी० के अनुसार) (वह व्यक्ति,
जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है।)
4. श्री विशन लाल वाण्य व अन्य (वह व्यक्ति,
जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि
वह सम्पत्ति में हितबद्ध है।)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के
लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना
को तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि
बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों
में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के
पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परि-
भाषित हैं, वही अर्थ होगा जो, उस अध्याय
में दिया गया है।

अनुसूची

संकाय नं० 578 स्थित मोहल्ला साहूकारा, बरेली
का भाग/क्षेत्रफल आराजी 660 वर्ग गज तथा उक्त
सम्पत्ति का वह सब विवरण जो कि फार्म 37-जी० व सेल
डीड में वर्णित है जो कि सब-रजिस्ट्रार बरेली के कार्यालय
में दिनांक 30-11-1977 को दर्ज है।

अमर सिंह बिसेन

सक्षम अधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लखनऊ

तारीख : 13-7-1978

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269 ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, 57 रामतीर्थ मार्ग, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 14 जलाई 1978

निदेश सं० 82-के०/अर्जन—अतः मुझे अमर सिंह बिसेन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी संख्या सी० के० 21/31 व 21/31-ए०, 21/31-बी० है तथा जो मो० साहू गोपालदास सलेन वाराणसी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय वाराणसी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 28-11-1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम दृश्यमान के प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 15 प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से क्रियान्वित नहीं किया गया है :-

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की वाचन, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य अस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्वय में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ को उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

(1) श्री राधारमण सेवा समिति काशी रजि० संस्था अन्तर्गत सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट नं० 21 सन 1860 स्थित नारायणनपार्क शिवपुर-वाराणसी वज्रिये राधाविनोद गोस्वामी पुत्र स्व० श्री वल्लूजी गोस्वामी चौक वाराणसी प्रेसीडेन्ट वशीलभद्र शाह पुत्र स्व० मदनमोहन शाह सा० नारायणन पार्क मोहल्ला शिवपुर वाराणसी सेक्रेटरी समिति।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती कमला देवी व श्रीमती सुखदा देवी (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक किता मकान नं० सी० के० 21/31, 21/31-ए व 21/31-बी जो कि मोहल्ला साहू गोपाल दास लेन शहर वाराणसी में स्थित है।

अमर सिंह बिसेन
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लखनऊ

तारीख : 14-7-1978

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, दिल्ली-1

नई दिल्ली, दिनांक 22 जुलाई 1978

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यु०/1/एस० आर०-111/
270/जनवरी-20/78-89/1794—अतः मुझे जे० एम० गिल
भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269घ
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है
कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु०
से अधिक है

और जिसकी संख्या एस०-409 है तथा जो ग्रेटर कैलाश-11,
नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची
में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के
कार्यालय, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम
1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 10-1-1978
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके
दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण में हुई किसी प्राय की बाबत, उक्त अधि-
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के बाविरव
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए;
और/या

(ख) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्राप्ति
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर
अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या
किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिये;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269घ के अनुसरण में,
मे, उक्त अधिनियम, की धारा 269घ की उपधारा (1) के
अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्रीमती जोगिन्द्र सचदेवा, पत्नी श्री एम० एस०
सचदेवा, निवासी ई०-150, इन्द्रपुरी, नई दिल्ली-1
(अन्तरक)

(2) श्री राजेन्द्रा कुमार गर्ग, तथा श्रीमती कमला गर्ग,
निवासी पी-4, हाउज खास, नई दिल्ली-1।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के
लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आपेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की
तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद
में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से
किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं,
वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है

अनुसूची

एक फीहोल्ड प्लॉट जिसका नं० एस०-409 है और
क्षेत्रफल 300 वर्ग गज है, ग्रेटर कैलाश-II, नई दिल्ली में
निम्न प्रकार से स्थित है :—

पूर्व : रोड
पश्चिम : एस-407
उत्तर : सर्विस लेन
दक्षिण : एस-411

जे० एस० गिल,
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीख : 22-7-1978
मोहर :

प्रकृष आर्ई० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, दिल्ली-1

नई दिल्ली, दिनांक 22 जुलाई, 1978

निर्देश सं० आर्ई० ए० सी०/एक्यू०/1/एम० आर०-III/248/दिसम्बर-43/78-79/1794—अतः मुझे जे० एम० गिल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी संख्या एम०-344 है तथा जो ग्रेटर कैलाश-II, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 24-12-1977 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

- (क) अन्तरण में हुई क्रिमो आय क्षी बावन उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाता चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—
5—196GI/78

(1) मै० बजाज इस्टेट एजेन्सी (प्रा०) लिमिटेड इनके डायरेक्टर श्रीमती इकबाल कौर के द्वारा, पत्नी श्री नरीन्द्र सिंह, निवासी 5-जी (सी०-59), महारानी बाग, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) श्री ओम प्रकाश तनेजा, सुपुत्र श्री चमन लाल तनेजा, निवासी 2/4981, शिव नगर, करौल बाग, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक फीहोल्ड जिसका नं० एम०-344 है और क्षेत्रफल 300 वर्ग गज है, ग्रेटर कैलाश-II; नई दिल्ली में निम्न प्रकार से स्थित है :—

पूर्व : सविम लेन
पश्चिम : रोड
उत्तर : प्लॉट नं० एम०-342
दक्षिण : प्लॉट नं० एस०-346

जोगिन्दर सिंह गिल

सक्षम अधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीख : 22-7-1978

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, महायुक्त आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, दिल्ली-1

नई दिल्ली, दिनांक 22 जुलाई, 1978

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एनयू०/1/एस० आर०-III/281/जनवरी-48/78-79/1794—अतः मुझे जे० एस० गिल आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इनके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी संख्या आर०-223 है तथा जो ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख जनवरी, 1978 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है।—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बावत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में रूपा करने या उससे बचने में भ्रष्टाचार के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में भ्रष्टाचार के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ के अन्वय में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री इकबालुद्दीन जाफरी, सुपुत्र श्री एच० डी० जाफरी, निवासी आर०-223, ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली। (अन्तरक)

(2) श्री प्रीति पाल गुप्ता, सुपुत्र श्री हरी चन्द निवासी आर०-266, ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अन्वय में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक मजिला मकान जो कि 208 वर्ग गज क्षेत्रफल का फ्रीहोल्ड प्लॉट पर बना हुआ है, जिसका नं० आर०-223 है, ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली में निम्न प्रकार से स्थित है :—

| | |
|--------|--------------------|
| पूर्व | सर्विस लेन |
| पश्चिम | रोड |
| उत्तर | जायदाद नं० आर०-221 |
| दक्षिण | जायदाद नं० आर०-225 |

जोगिन्दर सिंह गिल
सक्षम अधिकारी
महायुक्त आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीख : 22-7-1978

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०---

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

289 ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, दिल्ली-1

नई दिल्ली, दिनांक 22 जुलाई, 1978

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/1/एस० आर०-III/283/जनवरी/55/78-79/1794---अतः मुझे जे० एस० गिल आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 289-ख के अधीन पत्रम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी संख्या एम०-253 है तथा जो ग्रेटर कैलाश-II, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 21-1-1978 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐनी किमो धाय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अत्र, उक्त अधिनियम की धारा 289-ग के अन्तर्गत में, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:--

1. श्री मोती लाल माडू, सुपुत्र श्री जीवन लाल माडू, निवासी 5/6, रूप नगर, नई दिल्ली-1। (अन्तरक)

(2) श्रीमती रीशमू देवी, सुपुत्री श्री राधी सिंह, निवासी आर०-132, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली-1 (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आशेष---

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

व्यष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक फ्रीहोल्ड प्लॉट जिनका न० एन०-253 है और क्षेत्रफल 400 वर्ग गज है, ग्रेटर कैलाश-11, नई दिल्ली में निम्न प्रकार से स्थित है :-

पूर्व : रोड

पश्चिम : रोड

उत्तर : प्लाट न० एम०-251

दक्षिण : प्लाट न० एम०-255

जोगिन्दर सिंह गिल
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीख : 22-7-1978

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एल०—
 आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
 धारा 269घ (1) के अधीन सूचना
 भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, दिल्ली-1

नई दिल्ली, दिनांक 22 जुलाई, 1978

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/1/एस० आर०-
 III/273/जनवरी-28/77-78/1794—अतः मुझे जे० एस०
 गिल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
 इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ
 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है
 कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु०
 से अधिक है

और जिसकी संख्या डब्ल्यू०-125 है तथा जो ग्रेटर कैलाश-
 II, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची
 में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय
 नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908
 (1908 का 16) के अधीन तारीख 13-1-1978 को
 पूर्वोक्त सम्पत्ति क उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रति-
 फल के लिये अन्तरित को गई है और मुझे यह विश्वास करने का
 कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके
 दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत
 अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों)
 के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित
 उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं
 किया गया है :-

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि-
 नियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व
 में कमा करने या उससे बचने में सुविधा के लिए;
 और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य धास्तियों
 को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर
 अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ
 अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया
 जाना चाहिये था, छिपाने में सुविधा के लिए:

अतः अतः, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसारण में
 मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के
 अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

- (1) श्री देस राज, सुपुत्र श्री हरी चन्द्र, निवासी
 119/2, भोगल रोड, जंगपुरा, नई दिल्ली-11
 (अन्तरक)
- (2) श्रीमती शीला कटारिया, पत्नी श्री लछ्मन दास
 कटारिया, निवासी एच०-15/14, मालवीया नगर,
 नई दिल्ली। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के
 लिए कार्यवाहिया करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना
 की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाप
 में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से
 किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
 किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास
 लिखित में किये जा सकेंगे।

साष्टीकरण:-इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
 अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित
 है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया
 गया है।

अनुसूची

एक फ्रीहोल्ड प्लॉट जिसका नं० डब्ल्यू०-125 है और
 क्षेत्रफल 400 वर्ग गज है, ग्रेटर कैलाश-II, नई दिल्ली में
 निम्न प्रकार से स्थित है :-

पूर्व : रोड
 पश्चिम : सर्विस लेन
 उत्तर : प्लॉट नं० डब्ल्यू०-123
 दक्षिण : प्लॉट नं० डब्ल्यू०-127

जोगिन्दर सिंह गिल
 सक्षम अधिकारी
 सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
 अर्जन रेंज-1, दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीख : 22-7-1978
 मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज 1 दिल्ली-1

नई दिल्ली, दिनांक 22 जुलाई, 1978

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/1/एस० आर०-III/278/जनवरी-44/78-79/1794—अतः मुझे, जे० एस० गिल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० एम०-164 है तथा जो ग्रेटर कैलाश, -II, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 28-1-1978 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की वाचन उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्राप्ति को, जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्रीमती सुमित्रा नारंग, पत्नी श्री बी० आर० आर० नारंग, निवासी ए-289, डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली-1। (अन्तरक)

2. श्री बी० विस्वाम, नृपुत्र श्री आर० बी० विसवास, निवासी ई-26, ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली-1। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितवद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—उपरोक्त प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के प्रध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उक्त प्रध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक फ्रीहोल्ड प्लॉट जिसका नं० एम०-164, और क्षेत्रफल 39 वर्ग गज है, ग्रेटर कैलाश-11, नई दिल्ली में निम्न प्रकार से स्थित है:—

पूर्व : रोड़

पश्चिम : सर्विस लेन

उत्तर : रोड़

दक्षिण : मकान नं० एम-166

जोगिन्दर सिंह गिल
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

तारीख 22-7-1978

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, दिल्ली-1

नई दिल्ली, दिनांक 22 जुलाई, 1978

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/1/एस० आर०—
III/जनवरी-10/78-79/1794—अतः मुझे, जे० एस० गिल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० एस-355 है तथा जो ग्रेटर कैलाश- , नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 6-1-1978 को

पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य में कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण में हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी घन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या घनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अन्तर्गत्त में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री जेसा राम, सुपुत्र श्री जमना दास खुराना, निवासी 25/108, शक्ति नगर, दिल्ली-71 (अन्तरक)

2. श्रीमती सरिता बहल, पत्नी श्री मदन मोहन बहल, निवासी के-37-ए, कैलाश कालोनी, नई दिल्ली-48। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक फ्रीहोल्ड प्लॉट जिसका नं० एस-355 है और क्षेत्रफल 300 वर्ग गज है, ग्रेटर कैलाश-II, नई दिल्ली में निम्न प्रकार से स्थित है:—

पूर्व: रोड़

पश्चिम: सर्विस लेन

उत्तर: प्लॉट नं० एस-353

दक्षिण: प्लॉट नं० एस-357।

जोगिन्दर सिंह गिल
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज 1, दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीख: 22-7-1978

मोहर

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जेंट रेंज-1, दिल्ली-1

नई दिल्ली, दिनांक 22 जुलाई, 1978

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू/1/एस० आर०—III
244/दिसम्बर-33/78-79/1794—अतः मुझे, जे० एस०
गिल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण
है कि स्यावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-
से अधिक है

और जिसकी सं० आर०-140 है तथा जो ग्रेटर कैलाश-1,
नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में
पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय,
नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908
(1908 का 16) के अधीन दिनांक 20-12-1977
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे
यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति
का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों)
और अन्तरिती (अन्तरिदियों) के बीच ऐसे अन्तरण के
लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त प्रन्तरण
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की वास्तविक उक्त अधि-
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कर्मा
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या
धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया
दया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में
सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्त-
सरण में, मैं, उक्त अधिनियम का धारा 269घ की उपधारा
(1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

(1) सतीश नन्दा, सुपुत्र मैजर दयाल नन्दा, निवासी
सी० 59, एन० जी० एस० ई० पार्ट-II, नई
दिल्ली (अन्तरक)

(2) श्री भूपीन्द्र सिंह, सुपुत्र स्वर्गीय श्री मेहताब सिंह,
निवासी III/जी-14, लाजपत नगर, नई दिल्ली
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना
की तारीख से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद
में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में
से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) [इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्यावर संपत्ति में हित-
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अघोहस्ताक्षरी के
● पाम लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परि-
भाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय
में दिया गया है।

अनुसूची

एक फ्रीहोल्ड प्लॉट जिसका नं० आर०-140 है और
क्षेत्रफल 208 वर्ग गज है, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली में
निम्न प्रकार से स्थित है:—

पूर्व : रोड
पश्चिम : नविस लेन
उत्तर : रोड
दक्षिण : प्लॉट नं० आर०-142

जोगिन्दर सिंह गिल
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जेंट रेंज, दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीख . 22-8-1978

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, आयकर भवन लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 17 जुलाई, 1978

निर्देश सं० एन० बी० ए०/32/77-78—अतः मुझे नत्थू राम

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है,

और जिसकी सं० भूमि जिसका क्षेत्रफल 330 वर्ग गज है तथा जो मोहल्ला बरियाम सिंह, मेश गेट, नाभा में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नाभा में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख नवम्बर, 1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है।—

(क) अन्तरण से हुई किसी प्राय का बावत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में विधि के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में विधि के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अन्तरण में; मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ को उपधारा (1) के अधीन; निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री भारा मल पुत्र श्री राम प्रताप वासी प्रेस गेट, नाभा (अन्तरक)

(2) सर्वश्री (1) प्रेम चन्द, (2) जम प्रकाश, पुत्र कपूर चन्द, वासी बनारान कलां, तहसील नाभा (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आरोप:

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक प्लॉट भूमि जिसका क्षेत्रफल 330 वर्ग गज है तथा जो मुहल्ला बरियाम सिंह, मेश गेट, नाभा में स्थित है

जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नाभा के विलेख नं० 1583 नवम्बर, 1977 में दर्ज है।

नत्थू राम

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),

अर्जन रेंज, लुधियाना

तारीख : 17 जुलाई, 1978

मोहर :

प्ररूप घाई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, आयकर भवन लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 17 जुलाई, 1978

निदेश सं० एन० बी० ए०/33/77-78—अतः मुझे

नत्थू राम

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- और जिसकी सं० भूमि जिसका क्षेत्रफल 3 बीघा 11 बिस्वा है तथा जो छोलडी जो मलेरकोटला रोड पर नाभा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नाभा में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख नवम्बर, 1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की वास्तव, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसा किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

6196GI/78

(1) श्रीमती परसीनां देवी, पत्नी श्री देस राज, (2) राम कुमार पुत्र श्री मोती राम, (3) अशोक कुमार पुत्र श्री मोती राम, वासी नाभा।

(अन्तरक)

(2) दी पंजाब कैमीकल इण्डस्ट्रीज छोलडी, मलेरकोटला रोड, तहसील नाभा।

(अन्तरिती)

अनुसूची

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि जिसका क्षेत्रफल 3 बीघा 11 बिस्वा है तथा जो गांव दोलडी, मलेरकोटला रोड, नाभा में स्थित है।

जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नाभा के विलेख नं० 1594 नवम्बर, 1977 में दर्ज है।

नत्थू राम,

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लुधियाना

तारीख : 17 जुलाई, 1978

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 17 जुलाई, 1978

निदेश सं० एल० डी० एच०/आर०/74/77-78—अतः

मुझे नत्थू राम

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि जिसका क्षेत्रफल 23 कनाल 4 मरला तथा खाता नं० 11/13 जमाबंदी 1972-73 है तथा जो गांव हेरान तहसील लुधियाना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, लुधियाना में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1906 का 16) के अधीन, तारीख नवम्बर, 1977 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए, अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्राप्तिओं को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री हरी सिंह पुत्र श्री दया सिंह वासी हेरान तहसील लुधियाना (अन्तरक)

(2) श्री दर्शन कुमार पुत्र श्री रतन चन्द, 534 कालज रोड, लुधियाना (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी धाक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाध में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पाठ लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि जिसका क्षेत्रफल 23 कनाल 4 मरला खाता नं० 11/13, जमाबंदी 1972-73, जो गांव हेरान तहसील लुधियाना में स्थित है।

जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय लुधियाना के विलेख नं० 4717 नवम्बर, 1977 में दर्ज है।

नत्थू राम,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

तारीख 17 जुलाई, 1978
मोहर

प्रकृष धार्ई० टी० एन० एस०-----

प्रायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 17 जुलाई, 1978

निदेश सं० एल० डी० एच०/कि०/76/77-78--अतः
मझे नत्थू राम

प्रायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि जिसका क्षेत्रफल 23 कनाल 13 मरला खाता नं० 11/13, जमाबन्दी 1972-73 है तथा जो गांव हेराव तहसील लुधियाना में स्थित है (और इससे उपायध्व अनुसूची में और और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, लुधियाना में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख नवम्बर, 1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के धायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री हरी सिंह पुत्र श्री दया सिंह वासी गांव हेराव, तहसील लुधियाना।

(अन्तरक)

(2) श्री दर्शन कुमार पुत्र श्री रतन चन्द 534, कालेज रोड, लुधियाना।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाध में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अद्योहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि जिसका क्षेत्रफल 23 कनाल 13 मरला, खाता नं० 11/13 जमाबन्दी 1972-73 जो गांव हेराव तहसील लुधियाना में स्थित है।

जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय लुधियाना के विलेख नं० 4738 नवम्बर, 1977 में दर्ज है।

नत्थू राम
सक्षम प्राधिकारी
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

तारीख : 17 जुलाई, 1978
मोहर :

प्रकरण आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 17 जुलाई 1978

निदेश सं० एल० डी० एच०/आर०/75/77-78—अतः

मझे नत्थू राम,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि जिसका क्षेत्रफल 8 कनाल, 0 मरला है तथा जो गांव हेरान तहसील लुधियाना, खाता नं० 11/13, जमाबंदी, 1972-73 है तथा जो गांव हेरान, तहसील लुधियाना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय लुधियाना, में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख नवम्बर, 1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी धाय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी धाय या किसी धन या अन्य मास्तियों को बिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) 1. श्री निरमल सिंह, पुत्र श्री पूरन सिंह, 2. श्री सुखदेव सिंह पुत्र श्री हरी सिंह, 3. अजमेर सिंह, पुत्र संतोख सिंह, वासी गांव हेरान, तहसील लुधियाना । (अन्तरक)

(2) श्री दर्शन कुमार पुत्र श्री रत्न चन्द, वासी 534-बी०-IXX, कालेज रोड, लुधियाना, (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अघोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

भूमि जिसका क्षेत्रफल 8 कनाल, 0 मरला, है तथा जो गांव हेरान तहसील लुधियाना में स्थित है । जिसका खाता नं० 11/13 जमाबन्दी 1972-73 है ।

जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय लुधियाना के विलेख नं० 4718 नवम्बर, 1977 में दर्ज है ।

नत्थू राम,

सक्षम अधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेंज, लुधियाना

तारीख : 17-7-1978

मोहर :

प्रकृत आई० टी० एन० एस०

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 17 जुलाई 1978

निदेश सं० सी०एच०डी०/66/77-78/—अतः मुझे नत्थूराम आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० एक मंजला घर नं० 1627 सैक्टर 18-डी, (जिसका क्षेत्रफल 1000 sq. yds. है) तथा जो चंडीगढ़ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय चण्डीगढ़ में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन नवम्बर, 1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की वास्तव, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय वा किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या वन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, बर्बादी—

1. श्रीमती सुशीला देवी पत्नी श्री मुहिन्द्र कुमार,
18-डी, चंडीगढ़ । (अन्तरक)

2. (1) श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री तीरथ राम,
(2) श्री अश्वनी कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश,
सैक्टर 18-सी, चण्डीगढ़ । (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20 क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

एक मंजिला घर नं० 1627 जिसका क्षेत्रफल 1000 वर्ग गज है तथा जो सैक्टर 18-डी चण्डीगढ़ में स्थित है ।

जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय चण्डीगढ़ के विलेख नं० 808 नवम्बर, 1977 में दर्ज है ।

नत्थू राम
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

तारीख : 17 जुलाई, 1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)

की धारा 269-अ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 17 जुलाई 1978

निदेश सं०सी० एच० डी०/70/77-78—यतः मुझे नत्थूराम आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-अ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० घर नं० 3090 जो प्लॉट नं० 33 स्ट्रीट 'एच', सैक्टर 27-डी में है तथा जो चन्डीगढ़ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय चन्डीगढ़ में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख नवम्बर, 1977 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए प्रन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और प्रन्तरक (प्रन्तरकों) और प्रन्तरिती (प्रन्तरितीयों) के बीच ऐसे प्रन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त प्रन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) प्रन्तरण से हुई किसी धाय को बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी धाय या किसी धन या भग्न्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ प्रन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए

प्रतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में; मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन; निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्रीमती हरदीप कौर, पत्नी श्री सुरजीत सिंह, 3090, सैक्टर 27-डी, चन्डीगढ़ ।
2. श्रीमती प्रीतम कौर पत्नी सुवेदार मेजर भगत सिंह, गांव व डाकखाना : भाम, हुशियारपुर ।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि, या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

हाउस नं० 3090, जो प्लॉट नं० 33 स्ट्रीट, "एच" सैक्टर 27-डी, चन्डीगढ़ में स्थित है (जिसका क्षेत्रफल 236.667 वर्ग गज है)

जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय चन्डीगढ़ के विलेख नं० 832 नवम्बर, 1977 में दर्ज है ।

नत्थू राम
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

तारीख : 17 जुलाई, 1978

मोहर :

प्रकरण आई० टी० एन० एल०-----

प्रायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 17 जुलाई, 1978

निदेश सं० सी० एच० डी०/79/77-78/—यतः मुझे नत्थूराम प्रायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० रहने वाला घर नं० 585, सैक्टर 10-डी है तथा जो चन्डीगढ़ में स्थित है (और इससे उपरोक्त अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, चन्डीगढ़ में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन नवम्बर, 1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्राप्ति, को जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या प्रायकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

1. श्रीमती शील गोयल पत्नी श्री वी० पी० गोयल एस-5, पंचशील कालोनी, नई दिल्ली (अन्तरक)

2. (1) श्री साधू सिंह,
(2) श्री मती प्रकाश कौर,
339, सैक्टर 15 ए,
चन्डीगढ़ ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी धाक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाब में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

रहने वाला घर जिसका नं० 585, है और जो सैक्टर 10-डी चन्डीगढ़ में स्थित है ।

जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय चन्डीगढ़ के विलेख नं० 897 नवम्बर, 1977 में दर्ज है ।

नत्थूराम
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, लुधियाना

तारीख : 17 जुलाई, 1978

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-----

घायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक घायकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 25 जुलाई 1978

निर्देश सं० एल०डी०एच०/यू/235/77-78—अतः मुझे
नत्थू राम
घायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269 का
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण
है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-
₹० से अधिक है
और जिसकी सं० जमीन जिसका क्षेत्रफल 121 वर्ग गज है
तथा जो माडल टाउन, रोड लुधियाना में स्थित है (और इससे
उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता
अधिकारी के कार्यालय, लुधियाना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम
1908 (1908 का 16) के अधीन दिसम्बर, 1977
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य,
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में
वास्तविक रूप से कबित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी भाग की बाबत उक्त अधि-
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/वा

(ख) ऐसी किसी भाग या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय घायकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या अन्-
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा
के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269 के अनु-
सरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269 के अधीन
(1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, यथातः—

1. श्री रविन्दर सिंह पुत्र श्री बलबीर सिंह
वासी गांव जुगियाना, तहसील लुधियाना।

(अन्तरक)

सर्वश्री :

2. (1) जसपाल सिंह }
(2) दविन्दर सिंह } पुत्र श्री सोहिन्दर सिंह
(3) हरजीत सिंह }
मार्फत बाम्बे ग्लास हाऊस, चौड़ा बाजार,
लुधियाना।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के
लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आपेय :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्संबन्धी व्यक्तियों पर सूचना
की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि
बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों
में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी
अन्य व्यक्ति द्वारा, प्रबोहस्ताक्षरी के पास लिखित
में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में
परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस
अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन जिसका क्षेत्रफल 121 वर्ग गज है और जो माडल
टाउन रोड, लुधियाना में स्थित है।

जायदाद जो कि रजिस्ट्रीकर्ता के विलेख सं० 2839
दिसम्बर, 1977 में लुधियाना के कार्यालय में दर्ज है।

नत्थू राम
सक्षम प्राधिकारी
सहायक घायकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

तारीख : 25 जुलाई, 1978

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 25 जुलाई 1978

निदेश सं० एल०डी०एच०/यू/277/77-78—अतः मुझे नत्थू राम

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिनकी सं० जमीन जिसका क्षेत्रफल 127.5 वर्ग गज है तथा जो माडल टाऊन रोड, लुधियाना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, लुधियाना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख नवम्बर, 1977 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरको) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित म वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम, की 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री रजिन्दर सिंह पुत्र श्री बलबीर सिंह
वासी गांव जुगियाना, तहसील लुधियाना।
(अन्तरक)

सर्वश्री :

(1) जसपाल सिंह }
(2) दिविन्दर सिंह } पुत्र श्री मोहिन्दर सिंह
(3) हरजीत सिंह }
मारफत बाम्बे ग्लाम हाऊस, चौड़ा बाजार,
लुधियाना ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन जिसका क्षेत्रफल 127.5 वर्ग गज है और जो माडल टाऊन रोड, लुधियाना में स्थित है।

(जायदाद जोकि रजिस्ट्रीकर्ता के विलेख सं० 2693 नवम्बर, 1977 में लुधियाना के कार्यालय में दर्ज है)

नत्थू राम
सक्षम अधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

तारीख : 25 जुलाई, 1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-----

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 25 जुलाई 1978

निदेश सं० एन० ओ०एच०/यू०/278/77-78—यतः मूले
नत्थू राम
भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है
कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य, 25,000/- रु०
से अधिक है

और जिसकी सं० एक मकान जिसका क्षेत्रफल 52.5 वर्ग गज
है तथा जो तरफ बुरड़ा, माडल टाऊन रोड, लुधियाना में स्थित
है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है)
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय लुधियाना में रजिस्ट्रीकरण
अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन नवम्बर, 1977
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मूले यह विश्वास करने का
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके
दृश्यमान प्रतिफल के, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से
अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों)
के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल,
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक
रूप में कथित नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरण में हुई किसी भाग की बाबत उक्त अधि-
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वायिस्व
में कमी करने या उसमें बचने में सुविधा के लिये;
और/या

(ख) ऐसी किसी भाग या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय भायकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर
अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था, या किया
जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिये।

धनः यत्र, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--

1. श्री बलबीरज सिंह पुत्र श्री तखत सिंह पुत्र श्री सुन्दर सिंह
वासी गांव जुगियाणा, तहसील लुधियाना।
(अन्तरक)

2. सर्वश्री जमपाल सिंह, देवेन्द्र सिंह, हरजीत सिंह, पुवान
श्री सोहन्दर सिंह पुत्र गुरदीत सिंह
वासी बाराऊन रोड, लुधियाना।
मार्फत बाम्बे ग्लास हाउस, चौड़ा बाजार, लुधियाना।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के
लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना
की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद
में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में
से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा-
परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उन अध्याय
में दिया गया है।

अनुसूची

मकान जिसका क्षेत्रफल 52.5 वर्ग गज है और जो तरफ
बुरड़ा माडल, टाऊन रोड, लुधियाना में स्थित है।

(जायदाद जोकि रजिस्ट्रीकर्ता के विलेख नं० 2694
नवम्बर, 1977 में लुधियाना के कार्यालय में दर्ज है।)

नत्थू राम,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

तारीख : 25-7-1978

मोहर :

प्रकरण आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 27 जुलाई 1978

निदेश सं० एल० डी०एच०/यू/273/77-78—अतः मुझे नत्थू राम

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० दुकान जिराका क्षेत्रफल 32 3/8 वर्ग गज है तथा जो पिन्डी गली, लुधियाना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, लुधियाना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन नवम्बर, 1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये, अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिति (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11), या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था, या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

1. (1) श्री कृष्ण कुमार
- (2) श्री राजिन्दर पाल पुत्र श्री गंगाविशन वासी BXIX एस-3 सिविल लाइन, झांसी रोड,

200

लुधियाना ।

(अन्तरक)

2. श्री तिलक राज पुत्र श्री राम चन्द वाराणसी, हैण्डलूम इंडस्ट्रीज, पिण्डी गली, लुधियाना ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये कार्यवाहियां करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की आषाधि या तत्संबन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी आषाधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

दुकान जिसका क्षेत्रफल 32 3/8 वर्ग गज है और जो पिण्डी गली लुधियाना में स्थित है ।

(जायदाद जोकि रजिस्ट्रीकर्ता लुधियाना के कार्यालय के विलेख सं० 2679 नवम्बर, 1977 में दर्ज है ।)

नत्थू राम,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना ।

तारीख : 27-7-1978

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एम० एस०-----

धायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269 ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, मद्रास

मद्रास, दिनांक 30 जून 1978

निदेश सं० 4541/नवम्बर, /77—यतः मुझे के० पोन्नन
धायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण
है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-
र० से अधिक है

और जिसकी सं० कोयम्बटूर, गांधिपुरम दूसरा स्ट्रीट
डोर सं० 8ए./112, में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुमूची
में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय
गांधिपुरम, (डाकुमेन्ट 1092/77) में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम
1908 (1908 का 16) के अधीन 23-11-77 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल
के लिए अन्तरित की गई है, और मुझे यह विश्वास करने का
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके
दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से
अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों)
के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं
किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी धाय की बाबत, उक्त अधिनियम,
के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने
या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी धाय या किसी धन या अन्य प्राप्तिओं
को जिन्हें भारतीय धाय-कर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर
अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनाय
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया
जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. कयेनार टैक्सटाइल लिमिटेड,

(अन्तरक)

2. श्रीमती एस० पदमावति अम्माल

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के
लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाव में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित
में किए जा सकेंगे।

हरकतीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है
वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कोयम्बटूर, गांधिपुरम, दूसरा स्ट्रीट, डोर सं० 8ए./112

के० पोन्नन;

सक्षम प्राधिकारी

सहायक धायकर आयुक्त (निरीक्षण),

अर्जन रेंज-II, मद्रास

तारीख: 30-6-78

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269 ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, मद्रास

मद्रास, दिनांक 1 जुलाई 1978

निदेश सं० 5939/नवम्बर, /77—यतः मुझे, के० पोन्नन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी की, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० मद्रास 18, कस्तूरी रंग, अय्यंगार, रोड, डोर सं० 10 में खाली भूमि में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के कार्यालय जे० एस० आर०-1 सैदापेट, (डाकुमेंट 503) में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन नवम्बर, 1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है।

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐंगी किमी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए,

यतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम, की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. मद्रास फाइनेन्शियर्स एण्ड कमीशन एजेन्ट्स,
वी० के० स्वामिनाथन, वी० के० सक्तिबेल।

(अन्तरक)

2. ए० वि० मुवल्लिअन्डान,
(श्रीमती सरस्वती के द्वारा)

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(घ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मद्रास, 18, कस्तूरी रंग अय्यंगार, रोड, डोर सं० 10 में खाली भूमि (आर० एस० सं० 1575/5 भाग)।

के० पोन्नन
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-II, मद्रास

तारीख 1-7-1978

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एम० एस०—

धायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, मद्रास

मद्रास, दिनांक 1 जुलाई 1978

निदेश सं० 5939/नवम्बर/77—यतः मुझे, के० पोन्नन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्यावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० मद्राम 18, कस्तूरी रंग, अय्यंगार रोड, डोर सं० 10 में घंस्ट हाउस में स्थित है (और इससे उपा-बद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्जित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जे० एस० आर०-1 सैदापेट (डाकुमेन्ट 504/77) में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन नवम्बर, 1977 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के धारित्य में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मद्रास फाइनेन्शियर्स एण्ड कमीशन एजेन्ट्स, वी० के० स्वामिनाथन, वी० के० सवितदेव (अन्तरक)
2. श्री ए० वी० राजेन्द्रन, श्रीमती ए० वी० सरस्वती के द्वारा (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्यावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मद्रास 18, कस्तूरी, रंग अय्यंगार, रोड, डोर सं० 10 में घंस्ट हाउस।

के० पोन्नन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, मद्रास

तारीख : 1-7-1978
मोहर :

प्रारूप आई० टी० एन० एस०—
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, मद्रास

मद्रास, दिनांक 1 जुलाई 1978

निदेश सं० 5939/नवम्बर/77—यतः मुझे, के० पोन्नन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० मद्रास 18, कस्तूरी रंग अय्यंगार, रोड, डोर सं० 10 में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जे० एस० आर०-1, सैदापेट, (डाकुमेंट 505/77) में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन नवम्बर, 77 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकी) और अन्तरिता (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण म हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमा करन या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिता द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. मद्रास फिनान्शियर्स एण्ड कमीशन एजेंट्स,
वी० के० स्वामिनाथन, वी० के० सक्तिवेल।

(अन्तरक)

2. पुकराज एण्ड सन्स।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो; के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उक्त अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मद्रास 18, कस्तूरी रंग अय्यंगार रोड, डोर सं० 10 में
10 ग्राउन्ड (भूमि और मकान)।

के० पोन्नन,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, मद्रास

तारीख 1-7-1978
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, मद्रास

मद्रास, दिनांक 1 जुलाई 1978

निदेश सं० 8059/नवम्बर, /877—यतः मुझे, के० पोन्नन,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार
मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० तिरुवारूर, विजयपुरम, वार्ड 3 ब्लॉक 27,
टि० एस० सं० 1230/2 में 22800 स्क्वायर फीट, में स्थित है
(और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से
वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय
तिरुवारूर, (डाकुमेन्ट 2113/77) में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम
1908 (1908 का 16) के अधीन 7-11-1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य
उमके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और
अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय
पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय का बानन उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक का
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या सम्बन्धितायों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया
या या किया जाना चाहिए था, छिपाने में
सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण
में, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती रेचले रंजितम

(अन्तरक)

2. श्री के० पलनियान्डि पिल्लै

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के
लिए कार्यवाहियां करता हू।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्संबन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के
/पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित
हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

तिरुवारूर, विजयपुरम, वार्ड 3, ब्लॉक 27, सी० एस०
सं० 1230/2 में 52 सेन्ट (भूमि और मकान)।

के० पोन्नन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, मद्रास

तारीख 1-7-1978

मीहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, मद्रास

मद्रास, दिनांक 1 जुलाई 1978

निदेश सं० 8066/नवम्बर/77—यतः मुझे, के० पोन्नन,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)
(जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की
धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित
बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है
और जिमकी सं० ओट्टुगाडु, मेयिन रोड, में राइस एण्ड फ्लोर मिल
में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से
वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय पेराउरनि
(डॉकुमेन्ट 1840/77) में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908
1908 का 16) के अधीन 22-11-77

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अस्तरित की गई है और मुझे
यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति
का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से एम
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और
अस्तरक (अस्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित
उद्देश्य में उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित
नहीं किया गया है।

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त
अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम या
अन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने
में सुविधा के लिए;

यतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के
अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की
उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

8-196GI/78

1. श्री तंकवेल चेट्टियार, तिरुवेन्कटम और अरुनाचलम
(अन्तरक)

2. श्री सैयद मोहम्मद
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन
के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि,
जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के
भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति
द्वारा;

(ख) उस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति
में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अज्ञोहस्ता-
क्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधि-
नियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है,
वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

ओट्टुगाडु, मेयिन रोड में राइस एण्ड फ्लोर मिल (33
सेण्ट)।

के० पोन्नन
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, मद्रास

तारीख : 1-7-78

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

प्रायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेंज, मद्रास

मद्रास, दिनांक 20 जुलाई, 1978

निदेश सं० 5917/नवम्बर/77—यतः मुझे, के० पोन्नन
प्रायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे
इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-
र० से अधिक है

और जिसकी सं० तीसरा फ्लोर में प्लॉट सं० 16, डोर सं० 455,
यूनमलि है रोड, मद्रास में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची
में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के
कार्यालय पुरसवाक्कम (डाकुमेन्ट 1005/77) में रजिस्ट्रीकरण
अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन नवम्बर, 1977
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य,
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति-
फल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक
रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त अधि-
नियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के वास्तव में कमी
करने या उससे बचने में सविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्राप्तिओं
को, जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया
था या किया जाना चाहिए या, छिपाने में सविधा
के लिए;

यतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अन्त-
रण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा
(1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, यथातः—

1. श्री डिओराज डाई

(अन्तरक)

2. श्रीमती मोहिनी एन० गन्वानि,
वनिता आर० गन्वानि

(अन्तरिती)

यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के
लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :- -

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना
की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि
बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों
में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अघोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
हैं, वही अर्थ होगा, जो 34 अध्याय में दिया
गया है।

अनुसंधो

मद्रास, यूनमलि है रोड, डोर सं० 455 तीसरा फ्लोर में
प्लॉट सं० 16, और ग्राउन्ड में 1/16 अभिन्न भाग।

के० पोन्नन

सक्षम प्राधिकारी,

सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण),

अर्जुन रेंज, मद्रास

तारीख : 20-7-78

मोहर :

प्रत्येक भाई० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)

की धारा 269ष (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, मद्रास

मद्रास, दिनांक 20 जुलाई 1978

निदेश सं० 5932/नवम्बर/77—यतः मुझे, के० पोन्नन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० मद्रास 18, भावा राउतर रोड, डोर सं० 20ए और 20-डी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्जित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मलापूर, मद्रास (डाकुमेण्ट 1052/77) में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन नवम्बर 1977 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के बूझ्यमान प्रतिफल के लिए प्रस्तुत की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके बूझ्यमान प्रतिफल से, ऐसे बूझ्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और प्रस्तरक (प्रस्तरकों) और अन्तरिती (प्रस्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त प्रस्तरण सिद्धित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) प्रस्तरण से हुई किसी भाय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के प्रस्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी भाय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया या या किया जाना चाहिए या, छिपाने में सुविधा के लिए ;

धतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, उक्त अधिनियम की धारा 269ष की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्री एम० एस० सैयद शाहल हमीद

(अन्तरक)

2. के० पि० ति० शोक,

मोहम्मद राउतर एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी धाक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रबोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

मद्रास 18, भावा राउतर, रोड, डोर सं० 20ए, और 20-डी (1/3 भाग) ।

के० पोन्नन
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, मद्रास

तारीख : 20-7-78

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, मद्रास

मद्रास, दिनांक 20 जुलाई 1978

निदेश सं० 4516/नवम्बर/77—यत्. मुझे, के० पोन्नन
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके
पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन
सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर
संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य, 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी सं० अरक्कनकोट्टे गांव, एम० सं० 454, एस०
सं० 455 में भूमि, एस० सं० 453-बी, मे कुंआ (प्राधा भाग)
में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से
वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सत्यमंकलम
(डाकुमेन्ट 2191/77) में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908
(1908 का 16) के अधीन 7-11-1977

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके
दृश्यमान प्रतिफल में, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत
से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया
गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, 'उक्त
अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/
या

(ख) एसी किसी प्राथ या किसी धन या अन्य प्रास्तियों को
जिन्हें भारतीय आय कर अधिनियम, 1922 (1922
का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धन-कर
अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया
जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण
में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

1. श्रीमती प्रदृक्काल

(अन्तरक)

2. श्री बी० पि० मुत्तुकुमारसामि,
गोन्दर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की
तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में
ममाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से
किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित
में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधि-
नियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही
अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अरक्कनकोट्टे गांव :

एस० सं० 454 — 2.81 एकड़

एस० सं० 455 — 3.31 एकड़

एस० सं० 453 बी में कुंआ।

के० पोन्नन
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, मद्रास

तारीख 20-7-1978

मोहर:

प्रारूप आई० टी० एन० एस०—

1. श्रीमती अट्टकाल ।

(अन्तरक)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

2. श्री पी० सी० रंगासामी ।

(अन्तरिती)

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, मद्रास-6

मद्रास-6, दिनांक 20 जुलाई 1978

निदेश सं 4516/नवम्बर/77—यतः मुझे के० पोन्नन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे हमें इसके पश्चात् 'उन अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० अरक्कन्कोट्टे गांव, एम० सं० 459, 458, 456 में भूमि, 457 में कुंआ (आधा भाग) और 453-बी में कुंआ (1/4 भाग) में स्थित है (और इससे उपावृद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सत्यमंगलम (डाकुमेन्ट 2192/77) में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 7-11-77 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अस्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उनके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पत्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अस्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से ऋजि नही किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अस्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य धास्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थातः—

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाधेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—हमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

अरक्कन्कोट्टे गांव :

| | | |
|----------------|---|----------------|
| एस० सं० 459 | — | 3.57 एकड़ |
| एस० सं० 458 | — | 1.15 एकड़ |
| एस० सं० 456 | — | 1.72 5 एकड़ |
| एस० सं० 457 | — | कुंआ (आधा भाग) |
| एस० सं० 453बी० | — | कुंआ (1/4 भाग) |

के० पोन्नन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, मद्रास

तारीख : 20-7-1978

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

जायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269 घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, मद्रास-6

मद्रास-6, दिनांक 20 जुलाई 1978

निदेश सं० 4516/नवम्बर/77—यतः मुझे के० पोन्नन
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके
पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन
सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर
संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी सं० अरक्कन्कोट्टे गांव, एस० सं० 453-बी,
461 और 462 है तथा जो अरक्कन्कोट्टे गांव में स्थित है (और
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्-
ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सत्यमंगलम (डाकुमेन्ट सं० 2193/
77) में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16)
के अधीन तारीख 7-11-1977 को

पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके
दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्त्रह प्रतिशत
अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरि-
तियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल,
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से
कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की श्रावत उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व
में कमी करने या उससे बनने में सुविधा के लिए;
और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य वास्तियों
को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा
के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में,
में, उक्त अधिनियम धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन
निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्रीमती अट्टकाल ।

(अन्तरक)

2. श्रीमती सुप्पायाल ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के
लिए कार्यवाहियाँ करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्संबन्धी व्यक्तियों पर सूचना की
तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में
समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से
किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित
में किए जा सकेंगे।

एक्यकीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो
उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में
परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस
अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अरक्कन्कोट्टे गांव :

| | |
|-------------------|----------------|
| एस० सं० 453 बी — | 2.16 एकड़ |
| एस० सं० 453 बी -- | कुंआ (आधा भाग) |
| एस० सं० 453-बी -- | कुंआ (1/4 भाग) |
| एस० सं० 461 -- | 1.46 एकड़ |
| एस० सं० 462 -- | 2.04 एकड़ |

के० पोन्नन

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, मद्रास

तारीख : 20-7-78

मोहर :

प्रारूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, मद्रास-6

मद्रास-6, दिनांक 20 जुलाई, 1978

निदेश सं० 4516/नवम्बर/877—यतः मझे, के० पोन्नन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है,

और जिसकी सं० अरक्कन्कोट्टे गांव एस० सं० 456, 460, 457 में भूमि, 457 में कुंभ्रा (आधा भाग), 453-बी में कुंभ्रा (1/4 भाग) है तथा जो अरक्कन्कोट्टे गांव में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सत्यमंगलम (डाकुमेन्ट सं० 2194/77) में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन 7-11-1977 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी भाग की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) या किसी भाग या किसी धन या अन्य प्राप्तियों का, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

मतः प्रब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ब के अन्तरण में, जो, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्रीमती, अट्टकाल ।

(अन्तरक)

2. श्रीमती सत्यवति ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोदस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अरक्कन्कोट्टे गांव :

| | | |
|----------------|---|-------------------|
| एस० सं० 456 | — | 1.72 1/2 एकड़ |
| एस० सं० 460 | — | 2.31 एकड़ |
| एस० सं० 457 | — | 2.06 एकड़ |
| एस० सं० 457 | — | कुंभ्रा (आधा भाग) |
| एस० सं० 453-बी | — | कुंभ्रा (1/4 भाग) |

के० पोन्नन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, मद्रास

तारीख : 20-7-78

मोहर :

संघ लोक सेवा आयोग

नोटिस

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी परीक्षा, दिसम्बर, 1978

नई दिल्ली, दिनांक 12 अगस्त, 1978

सं० फा० 7/3/78 प० 1/(ख)—राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के थल सेना, नौ सेना तथा वायु सेना स्कंधों में प्रवेश हेतु जुलाई, 1979 से प्रारम्भ होने वाले 62वें सत्र के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 27 दिसम्बर, 1978 से एक परीक्षा आयोजित की जाएगी।

इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की अनुमानित संख्या थल सेना के लिए 213 नौ सेना के लिए 32 और वायु सेना के लिए 55 होगी।

आयोग द्वारा आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा तथा उसके बाद सेवा चयन बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा में योग्यता प्राप्त उम्मीदवारों के लिए आयोजित बौद्धिक और व्यक्तित्व परीक्षण के परिणाम के आधार पर उपर्युक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाएगा। (क) परीक्षा की प्रणाली स्तर और पाठ्य-चर्या (ख) अकादमी में प्रवेश हेतु शारीरिक क्षमता स्तर तथा (ग) भारतीय सेना अकादमी, नौ सेना अकादमी में प्रवेश पाने वाले उम्मीदवारों की सेवा आवि की संक्षिप्त सूचना के सम्बन्ध में क्रमशः परिशिष्ट I, II और III में विस्तार से समझाया गया है।

नोट :— परीक्षा के सभी विषयों के प्रश्न-पत्रों में केवल वस्तुपरक प्रश्न ही होंगे। नमूने के प्रश्नों सहित अन्य विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट V में उम्मीदवारों को सूचनार्थ विवरणिका देख लें।

2. परीक्षा के केन्द्र : अहमदाबाद, इलाहाबाद, बंगलौर, भोपाल, बम्बई, कलकत्ता, खड़गपुर, कोचीन, कटक, दिल्ली, दिसपुर (गोहाटी), हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, लखनऊ, मद्रास, नागपुर, पणजी (गोआ), पटियाला, पटना, शिलांग, शिमला, श्रीनगर और त्रिबेन्द्रम।

3. पात्रता की शर्तें:

(क) राष्ट्रिकता:

उम्मीदवार या तो

- (i) भारत का नागरिक हो; या
- (ii) भूटान की प्रजा हो; या
- (iii) नेपाल की प्रजा हो; या
- (iv) भारत में स्थायी रूप से रहने के इरादे से 1 जनवरी, 1962 से पहले भारत आया हुआ तिब्बती शरणार्थी हो; या
- (v) भारतीय मूल का व्यक्ति हो जो भारत में स्थायी रूप से रहने के उद्देश्य से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देश जैसे कीनिया, उगांडा तथा तंजानिया का संयुक्त गणराज्य या जांबिया, मलावी जेरे तथा त्रिथियोपिया और कियतनाम से प्रजनन कर आया हो।

परन्तु उपर्युक्त वर्ग (iii), (iv) और (v) के अन्तर्गत आने वाला उम्मीदवार ऐसा व्यक्ति हो जिसकी भारत सरकार ने पात्रता-प्रमाण-पत्र प्रदान किया हो।

पर नेपाल के गोरखा उम्मीदवारों के लिए यह पात्रता-प्रमाण-पत्र आवश्यक नहीं होगा।

जिस उम्मीदवार के लिए यह पात्रता-प्रमाण-पत्र आवश्यक होगा, उसको इस शर्त पर परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है और अकादमी या शाला में भी, जैसी भी स्थिति हो, प्रवेश दिया जा सकता है कि बाद में भारत सरकार से वह उक्त प्रमाण पत्र प्राप्त करे।

(ख) आयु सीमाएं, स्त्री या पुरुष और वैवाहिक स्थिति :—केवल वे ही भविष्यहित पुरुष उम्मीदवार पात्र हैं जिनका जन्म 2 जनवरी, 1961 पूर्व तथा 1 जुलाई, 1963 के बाद में हुआ हो।

नोट :— जन्म की तारीख केवल वही मान्य होगी जो मैट्रीकुलेशन/हायर नेकेण्डरी या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण-पत्र में लिखी गई हो।

(ग) शैक्षिक योग्यताएं :—राज्य शिक्षा बोर्ड या मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय की हायर सेकेण्डरी परीक्षा या समकक्ष। वे उम्मीदवार भी पात्र हैं जिन्होंने स्कूली शिक्षा की 10+2 प्रणाली के अन्तर्गत 11वीं कक्षा की परीक्षा पास कर ली है।

ऐसे उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने अभी हायर सेकेण्डरी या समकक्ष परीक्षा या स्कूली शिक्षा की 10+2 प्रणाली के अन्तर्गत 11वीं परीक्षा पास करनी है।

उम्मीदवारों को 30 जून, 1979 तक हायर सेकेण्डरी परीक्षा या उसके समकक्ष परीक्षा के मूल प्रमाण पत्र आयोग को भेज देने चाहिए। ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। ऐसे मामलों में जहां बोर्ड/विश्वविद्यालय के द्वारा प्रमाण पत्र नहीं दिये जाते, शिक्षा संस्थाओं के प्रधानाचार्य के द्वारा दिये गये मूल प्रमाण पत्र भी आयोग को स्वीकार्य होंगे। ऐसे प्रमाण पत्रों की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपियां स्वीकार नहीं की जाएंगी।

अपवाद की परिस्थितियों में आयोग किसी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम में निर्धारित योग्यताओं में से किसी से मुक्त न होने पर भी, शैक्षिक रूप से योग्य मान सकता है बशर्ते कि उसके पास ऐसी योग्यताएं हों जिनका स्तर, आयोग के विचार से उसे इस परीक्षा में प्रवेश देना उचित ठहराता हो।

नोट :— जो उम्मीदवार रक्षा मंत्रालय द्वारा रक्षा सेवाओं में किसी प्रकार के कमीशन से अपवर्जित हैं, वे इस परीक्षा में प्रवेश के पात्र नहीं होंगे। अगर प्रवेश दे दिया गया तो उनकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी।

4. आवेदन के साथ देय शुल्क :—रु० 28.00 (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए रु० 7.00)। जिन आवेदन पत्रों के साथ यह निर्धारित शुल्क नहीं भेजा जाएगा, उनको एकदम अस्वीकार कर दिया जाएगा।

5. शुल्क से छूट :—(1) आयोग, यदि चाहे तो, निर्धारित शुल्क से छूट दे सकता है जब उनको इस बात का आश्वासन हो कि आवेदक भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगला देश) से वस्तुतः विस्थापित व्यक्ति है जो 1-1-1964 और 25-3-1971 के बीच की अवधि में भारत में प्रजनन कर आया है या वह बर्मा से वस्तुतः प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति है जो 1-6-1963 को या उसके बाद भारत में प्रजनन कर आया है या वह श्रीलंका से वस्तुतः प्रत्यावर्तित मूलतः भारतीय व्यक्ति है जो अक्टूबर, 1964 के भारत-श्रीलंका समझौते के अन्तर्गत 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद भारत में आया है या आने वाला है और निर्धारित शुल्क देने की स्थिति में नहीं है।

(2) थल सेना के जूनियर कमीशन्ड अफसरों, नान कमीशन्ड अफसरों तथा अन्य रैंकों और भारतीय नौसेना तथा भारतीय वायुसेना के समकक्ष रैंकों के बच्चों और थल सेना के भूतपूर्व जूनियर कमीशन्ड अफसरों, भूतपूर्व नॉन कमीशन्ड अफसरों तथा भूतपूर्व अन्य रैंकों और भारतीय नौसेना तथा भारतीय वायुसेना के समकक्ष रैंकों के बच्चों को उस स्थिति में निर्धारित शुल्क देने की जरूरत नहीं होगी जब वे निम्नलिखित शर्तें पूरी कर देते हैं; अर्थात् :—

- (i) वे मिलिटरी स्कूलों (पहले किंग जार्ज के स्कूलों के नाम से ज्ञान)/सैनिक स्कूल सोसाइटी द्वारा चलाए जा रहे सैनिक स्कूलों में शिक्षा पा रहे हैं, और

- (ii) उनके आवेदन सम्बन्ध स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा इन अनुषाणा के साथ प्रेषित कर दिए जाते हैं कि उनके लिखित प्रश्न पत्रों में कुल अंकों के कम से कम 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करने की भाषा है।

6. आवेदन कैसे किया जाए :—केवल राष्ट्रीय रक्षा अकादमी परीक्षा दिसम्बर, 1978 के लिए निर्धारित प्रपत्र में छुपे हुए आवेदन पत्र ही लिए जाएंगे जो इस परीक्षा के नोटिस के साथ लगे हुए हैं। आवेदन पत्र भर कर सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर, हाउस, नई दिल्ली-110011 को भेजे जाने चाहिये। आवेदन प्रपत्र और परीक्षा के पूरे विवरण निम्न स्थानों से प्राप्त किए जा सकते हैं :—

- (i) संघ लोक सेवा आयोग सचिव को दो रूपए मनीऑर्डर या नई दिल्ली प्रधान डाकघर पर देय रेखांकित भारतीय पोस्टल ऑर्डर द्वारा भेज कर सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस नई दिल्ली 110011 के यहाँ से डाक द्वारा।
(ii) दो रूपए, नकद देकर आयोग के कार्यालय के काउंटर पर,
(iii) निकटतम भर्ती कार्यालय, मिलिटरी एरिया/गव एरिया मुख्यालय, वायु सैनिक भवन केन्द्रों एन० सी० सी० एकक तथा नौसेना प्रतिष्ठानों के यहाँ से निःशुल्क।

गभी उम्मीदवारों को, चाहे वे पहले से ही सरकारी नौकरी में हों, जिनमें मण्डल सेना में सेवारत कर्मचारी भी शामिल हैं, या सरकारी स्वा-मिस्व धाने औद्योगिक उपक्रमों या इसी प्रकार के सठनों में काम कर रहे हों या नैर सरकारी संस्थाओं में नियुक्त हो, आयोग को सीधे आवेदन पत्र भेजने चाहिए। अगर किसी उम्मीदवार ने अपना आवेदन पत्र अपने नियुक्ता के द्वारा भेजा हो और वह संघ लोक सेवा आयोग में देर से पहुँचे तो उस आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा, भले ही वह नियुक्ता को आखिरी तारीख के पहले प्रस्तुत किया गया हो।

जो व्यक्ति पहले से सरकारी नौकरी में, जिसमें मण्डल सेना भी शामिल है, स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहे हों या किसी काम के लिए विधिपूर्वक रूप से नियुक्त कर्मचारी हो जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त व्यक्ति शामिल नहीं है, उनको इस परीक्षा में प्रथम रूप में प्रवेश पाने के पहले अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष या कमांडिंग अफसर की अनुमति प्राप्त करनी चाहिए। उनको चाहिए कि वे अपने आवेदन पत्र को उसके अंत में मूल्य प्रमाण पत्र की दो प्रतियाँ निकाल कर, आयोग में सीधे भेज दें और प्रमाण पत्र की उन प्रतियों को तत्काल अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष या कमांडिंग अफसर को इस अनुरोध के साथ प्रस्तुत करें कि उक्त प्रमाण पत्र की एक प्रति विधिवत भर कर सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली को जल्दी से जल्दी और किसी भी हालत में प्रमाण पत्र की फार्म में निर्दिष्ट तारीख से पहले भेज दी जाए।

नोट :— भारतीय नौसेना के नाविक (बाल तथा कारीगर प्रशिक्षु सहित) पहली सरजीह भारतीय नौसेना को वे। उनके आवेदनों पर तभी विचार होगा जब वे कमान अफसर द्वारा विधिवत् अनुमोदित कर दिए जाते हैं।

राष्ट्रीय इंडियन मिलिटरी कालिज (पहले सैनिक स्कूल के नाम शाल) देहरादून के कैडेटों, मिलिटरी स्कूलों (पहले किया जाँज के स्कूलों के नाम से शाल) तथा सैनिक स्कूल सोसाइटी द्वारा चलाए जा रहे सैनिक स्कूलों के विद्यार्थियों को कालिज/स्कूल के प्रिंसिपल के माध्यम से अपने आवेदन पत्र भेजने चाहिए।

7. आयोग के कार्यालय में आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तारीख :—

- (i) भारत में रहने वाले उम्मीदवारों से 25 सितम्बर, 1978।
(ii) विदेश में या अडमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप में रहने वाले उम्मीदवारों से 9 अक्टूबर, 1978।

8. प्रलेख जो आवेदन के साथ प्रस्तुत हों।

(क) सभी उम्मीदवारों द्वारा :—

- (i) रु० 28 00 (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों के लिए रु० 7.00) का शुल्क जो सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, को नई दिल्ली प्रधान डाक घर पर देय रेखांकित भारतीय पोस्टल ऑर्डर के जरिए या सचिव, संघ लोक सेवा आयोग के नाम भारतीय स्टेट बैंक, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली पर देय भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा से जारी किए गए रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के जरिए।

विदेश में रहने वाले उम्मीदवारों को चाहिए कि वे अपने यहाँ के भारत के उच्च आयुक्त, राजदूत या विदेश स्थित प्रतिनिधि, जैसी भी स्थिति हो, के कार्यालय में निर्धारित शुल्क जमा करें, जिससे वह "051 लोक सेवा आयोग—परीक्षा शुल्क" के लेखा शीर्ष में जमा हो जाए और उनकी रसीद आवेदन पत्र के साथ भेज दे।

- (ii) उम्मीदवार के हाल ही के पासपोर्ट आकार (लगभग 5 सें० मी० X 7 सें० मी०) के फोटो की एक जैसी दो प्रतियाँ जिनके ऊपरी हिस्से पर उम्मीदवार के हस्ताक्षर विधिवत अंकित हों।

(ख) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों द्वारा :—

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति का होने के दावे के समर्थन में जहाँ उम्मीदवार या उसके माता पिता (या जोड़ित माता या पिता) ग्राम स्तर पर रहते हों, उसे जिले के किसी सक्षम प्राधिकारी (प्रमाण पत्र के नीचे उल्लिखित) से परिशिष्ट iv में दिए गए प्रपत्र में लिए गए प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि।

(ग) शुल्क से छूट चाहने वाले उम्मीदवारों के द्वारा :—

- (i) किसी जिला अधिकारी या राजपत्रित अधिकारी या संसद् या राज्य विधान मंडल के सदस्य से लिए गए प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि उम्मीदवार निर्धारित शुल्क देने की स्थिति में नहीं है।
(ii) वस्तुतः विस्थापित/प्रत्यावर्तित व्यक्ति होने के दावे के समर्थन में निम्नलिखित प्राधिकारियों से लिये गये प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि।

(क) भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्ति

- (i) दंडकारण्य परियोजना के ट्रांजिट केन्द्रों या विभिन्न राज्यों के राहूत भावियों का शांति कमांडेंट।

प्रथवा

- (ii) उस इलाके का जिला मजिस्ट्रेट जहाँ पर वह, फिलहाल रह रहा हो।

प्रथवा

- (iii) अपने जिले के शरणार्थी पुनर्वासन का प्रभारी अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट।

प्रथवा

- (iv) सब डिविजनल अफसर अपने अधीनस्थ सब डिवाइजन की सीमा तक।

प्रथवा

- (v) शरणार्थी पुनर्वासन उपायुक्त, पश्चिम बंगाल/निदेशक (पुनर्वासन), कलकत्ता।

(ख) श्रीलंका से प्रत्यावर्तित :—

श्रीलंका में भारत का उच्चायोग।

(ग) बर्मा से प्रत्यावर्तित :—

भारतीय राजदूतावास, रंगून या उस इलाके का जिला मजिस्ट्रेट जहाँ पर वह रह रहा हो।

9. शुल्क की वापसी—आवेदन के साथ आयोग को भ्रवा किया गया शुल्क वापस करने के किसी अनुसूचित पर नीचे की परिस्थितियों को छोड़कर विचार नहीं किया जा सकता और न वह किसी दूसरी परीक्षा या चयन के लिए सुरक्षित रखा जा सकता:—

(i) जिस उम्मीदवार ने निर्धारित शुल्क दे दिया है, पर जिसको आयोग ने परीक्षा में बैठने नहीं दिया, उसको रु० 15.00 (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के मामले में रु० 4.00) वापस कर दिया जाएगा। परन्तु अगर कोई आवेदन यह सूचना प्राप्त होने पर अस्वीकार कर दिया गया हो कि उम्मीदवार हायर सिकेण्डरी या समकक्ष परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुआ है या हायर सिकेण्डरी या समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रमाण निर्धारित तारीख तक प्रस्तुत नहीं कर पाएगा तो उसके लिए शुल्क की वापसी मंजूर नहीं की जाएगी।

(ii) जो उम्मीदवार मई, 1978 की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी परीक्षा में बैठा हो और उस परीक्षा के परिणाम के आधार पर किसी पाठ्यक्रम के लिए उसका नाम अनुभाषित हुआ हो तो उनके मामले में रु० 15.00 (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के मामले में रु० 4.00) का शुल्क वापस दिया जा सकता है, पर यह जरूरी है कि दिसम्बर, 1978 की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी रद्द कराने और शुल्क वापस पाने के लिए उस उम्मीदवार का अनुसूचित आयोग के कार्यालय में 15 फरवरी, 1979 को या उससे पहले पहुंच जाए।

10. आवेदन प्राप्ति की सूचना—इस परीक्षा के लिए निर्धारित काम में मिले सभी आवेदनों के पहुंचने की सूचना भेजी जाएगी। अगर किसी उम्मीदवार को अपने आवेदन पहुंचने की सूचना इस परीक्षा के आवेदन पहुंचने की अंतिम तारीख से एक महीने के अंदर न मिले तो उसको प्राप्ति-सूचना पाने के लिए तत्काल आयोग से संपर्क करना चाहिए।

11. आवेदन का परिणाम—अगर किसी उम्मीदवार को अपने आवेदन के परिणाम की सूचना परीक्षा शुरू होने की तारीख से एक महीने पहले तक आयोग से प्राप्त न हुई तो उसे परिणाम की जानकारी के लिए आयोग से तत्काल संपर्क करना चाहिए। अगर इस बात का पालन नहीं हुआ, तो उम्मीदवार अपने मामले में विचार किए जाने के अधिकार से वंचित हो जाएगा।

12. परीक्षा में प्रवेश—किसी उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग का निर्णय अंतिम होगा। आयोग से प्राप्त प्रवेश प्रमाण पत्र के बिना किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

13. कदाचार के दोषी उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई—उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि वे आवेदन पत्र भरते समय कोई गलत विवरण न दें और न किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं। उम्मीदवारों को यह भी चेतावनी दी जाती है कि उनके द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उनकी अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि में किसी भी हालत में वे किसी तरह का संशोधन या परिवर्तन या कोई फेरबदल न करें और न फेर बदल किए गये/गड़े हुए प्रलेख को वे प्रस्तुत करें। अगर इस प्रकार के दो या अधिक प्रलेखों में या उनकी अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियों में कोई अशुद्धि या असंगति हो तो इस असंगति के बारे में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहिए।

जो उम्मीदवार आयोग द्वारा निर्दिष्ट कदाचार का दोषी घोषित होता है या हो चुका है—

- किसी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी का समर्थन प्राप्त करना; या
- किसी व्यक्ति के स्थान पर स्वयं प्रस्तुत होता; या
- अपने स्थान पर किसी दूसरे को प्रस्तुत करना; या

(iv) जाली प्रलेख या फेरबदल किए गए प्रलेख प्रस्तुत करना; या

(v) अशुद्ध या असत्य वक्तव्य देना या महत्वपूर्ण सूचना को छिपाकर रखना; या

(vi) परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में किसी अनियमित या अनुचित लाभ उठाने का प्रयास करना; या

(vii) परीक्षा के समय अनुचित तरीके अपनाए हो; या

(viii) उत्तर पुस्तिका(ओं) पर असंगत बातें लिखी हो जो अश्लील भाषा या अभद्र आशय की हो; या

(ix) परीक्षा भवन में और किसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया हो; या

(x) परीक्षा चलाने के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाई हो; या

(xi) ऊपर के खंडों में उल्लिखित सभी या किसी कदाचार की और प्रवृत्त होना या आयोग को उत्तेजित कराना।

वह अपने को दण्ड अभियोजन का शिकार बनाने के अतिरिक्त—

(क) वह जिस परीक्षा का उम्मीदवार है, उसके लिए आयोग द्वारा आयोज्य ठहराया जा सकता है

अथवा

(ख) (i) आयोग द्वारा उनकी किसी भी परीक्षा या चयन के लिए;

(ii) केन्द्र सरकार द्वारा उनके अधीन किसी नियुक्ति के लिए स्थायी रूप से या कुछ निश्चित अवधि के लिए अपवर्जित किया जा सकता है, और

(ग) अगर वह पहले से सरकारी नौकरी में हो तो उचित नियमों के अनुसार अनुशासनिक कार्रवाई का पात्र होगा।

14. मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुतीकरण—जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर साक्षात्कार के लिए योग्यता प्राप्त करते हैं, उनको, लिखित परीक्षा के परिणाम घोषित होते ही अपनी आयु, शैक्षिक योग्यता आदि के समर्थन में आयोग को मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने को कहा जाएगा। लिखित परीक्षा के परिणाम संभवतः मार्च 1979 में घोषित किए जा सकते हैं; उम्मीदवारों को सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार के समय भी इन मूल प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत करना पड़ सकता है।

15. आवेदन के संबंध में पत्र व्यवहार—आवेदन के संबंध में सभी पत्र व्यवहार सविद्य, संघ लोक सेवा आयोग, धोलपुर हाउस, नई दिल्ली 110011 के पते पर करना चाहिए और उसमें निर्मांकित विवरण अन्वय्य होना चाहिए।

(1) परीक्षा का नाम

(2) परीक्षा का वर्ष और महीना।

(3) रोल नम्बर या जन्म की तारीख (अगर रोल नम्बर नहीं मिला हो)।

(4) उम्मीदवार का नाम (पूरा और साफ लिखा हुआ)।

(5) पत्र व्यवहार का पता, जैसा आवेदन पत्र में दिया है।

ध्यान दें—जिन पत्रों में ऊपर का अधीन नही होगा, हो सकता है, उन पर कोई कार्रवाई न हो।

16. पत्रों में परिवर्तन—उम्मीदवार को इस बात की व्यवस्था कर लेनी चाहिए कि उसके आवेदन पत्र में दिए पत्र भेजे जाने वाले पत्र आदि आवश्यक होने पर उसके नए पत्रों पर भिजवा दिए जाएं। पत्रों में जो भी परिवर्तन हो उसे ऊपर के पैरा 15 में उल्लिखित विवरण के साथ आयोग को यथाशीघ्र सूचित कर देना चाहिए।

सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार के लिए आयोग द्वारा अनुमति उम्मीदवारों ने अग्र परीक्षा के लिए आवेदन करने के बाद अपना पता बदल लिया हो तो उनको चाहिए कि परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम घोषित हो जाते ही अपना नया पता तत्काल सेना मुख्यालय, ए० जी० ब्राच रिट्यूटिंग, 6 (एस० पी०) (ए०), वेस्ट ब्लॉक 3, विंग 1, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110022 को सूचित कर देना चाहिए। जो उम्मीदवार इन अनुदेशों का पालन नहीं करेगा वह सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार के लिए सम्मन पत्र न मिलने पर अपने मामले में विचार किए जाने के दावे से वंचित हो जाएगा।

यद्यपि प्राधिकारी इस प्रकार के परिवर्तनों पर पूरा-पूरा ध्यान देने का प्रयत्न करते हैं, फिर भी इस सम्बन्ध में वे अपने उपर कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकते।

17 लिखित परीक्षा में योग्य उम्मीदवारों के साक्षात्कार के सम्बन्ध में पृष्ठताछ —जिन उम्मीदवारों के नाम सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार के लिए अनुमति है, उनको अपने साक्षात्कार के सम्बन्ध में सभी पृष्ठताछ और अनुरोध सीधे सेना मुख्यालय, ए० जी० ब्राच रिट्यूटिंग, 6 (एस० पी०) (ए०) वेस्ट ब्लॉक 3, विंग 1, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110022 के पते पर लिखने चाहिए।

जिन उम्मीदवारों को किसी विश्वविद्यालय की परीक्षा में बैठना हो उनको चाहिए कि वे लिखित परीक्षा के परिणाम निकलते ही अपनी उस परीक्षा की तारीख सूचित करते हुए सेना मुख्यालय का लिखे ताकि अग्र सम्बन्ध हो तो साक्षात्कार की तारीख तय करत समय वे इन बातों का ध्यान में रख सकें।

जिन उम्मीदवारों के नाम सघ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी की गई अंतिम योग्यता सूची में है यदि उनके पहले दिए गए पते में कोई परिवर्तन हुआ हो तो उनको अपने नवीनतम पते की सूचना सेना मुख्यालय, ए० जी० ब्राच, रिट्यूटिंग 6 (एस० पी०) (ए०) वेस्ट ब्लॉक 3, विंग 1, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली 110022 को दे देनी चाहिए ताकि सेना मुख्यालय द्वारा जारी किए गए कार्यभार सभालने के अनुदेश उन्हें समय पर मिल सकें। यदि ऐसा नहीं किया गया तो कार्यभार सभालने के अनुदेशों के न मिलने की जिम्मेदारी उम्मीदवारों की होगी।

18 लिखित परीक्षा के परिणाम की घोषणा, योग्यताप्राप्त उम्मीदवारों का साक्षात्कार, अंतिम परिणाम की घोषणा और अंतिम रूप से योग्य पाए गए उम्मीदवारों का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश —सघ लोक सेवा आयोग, लिखित परीक्षा में आयोग के निर्णय पर निर्धारित न्यूनतम अंक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की एक सूची तैयार करेगा। ये उम्मीदवार बौद्धिक तथा व्यक्तित्व परीक्षणों के लिए सेवा चयन बोर्ड के सामने हाजिर होंगे जहाँ थल सेना/नौसेना के उम्मीदवारों की अधिकारी क्षमता तथा वायु सेना के उम्मीदवारों का पाइलट एंटीच्यूट परीक्षण तथा अधिकारी क्षमता का निर्धारण किया जाएगा। इस परीक्षण में अधिक से अधिक 900 अंक प्राप्त किए जा सकते हैं।

उम्मीदवार सेवा चयन बोर्ड के सामने हाजिर होकर अपनी जी जोखिम पर बर्तों के परीक्षणों में शामिल होंगे और सेवा चयन बोर्ड में उनका जो परीक्षण होता है उसके दौरान या उसके फलस्वरूप अग्र उनको कोई चोट पहुंचती है तो उसके लिए सरकार की ओर से कोई क्षति पूर्ति या सहायता पाने के वे हकदार नहीं होंगे, चाहे वह किसी व्यक्ति की लापरवाही से हो या दूसरे किसी कारण से हो। उम्मीदवारों के माता पिता या अभिभावकों को इस आशय के एक प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे।

स्वीकृति हेतु, थल सेना/नौ सेना के उम्मीदवारों को (i) लिखित परीक्षा तथा (ii) अधिकारी क्षमता परीक्षणों में अलग-अलग न्यूनतम अंक अंक प्राप्त करने होंगे जो कि आयोग द्वारा, उनके निर्णय के अनुसार,

निश्चित किए जाएंगे और वायु सेना के उम्मीदवारों को (i) लिखित परीक्षा, (ii) अधिकारी क्षमता परीक्षण तथा (iii) पाइलट एंटीच्यूट परीक्षण में अलग-अलग न्यूनतम अंक अंक प्राप्त करने होंगे जो कि आयोग द्वारा, उनके निर्णय के अनुसार, निश्चित किए जाएंगे। इन शर्तों पर अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों का उनके द्वारा लिखित परीक्षा तथा सेवा चयन बोर्ड के परीक्षणों में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर योग्यता के अंतिम क्रम में दो अलग-अलग सूचियों में—एक थल सेना तथा नौसेना के लिए और दूसरी वायुसेना के लिए—रखा जाएगा। जो उम्मीदवार सेना के सभी अंगों के लिए अर्हता प्राप्त कर लेते हैं उनका नाम दोनों योग्यता सूचियों में होगा। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के थल सेना तथा नौसेना के विंगों में प्रवेश के लिए अंतिम चयन थल सेना तथा नौसेना की योग्यता सूची में से रिक्रितियों की संख्या को देखते हुए योग्यता के क्रम से किया जाएगा और वायुसेना विंग में प्रवेश के लिए अंतिम चयन वायुसेना की योग्यता सूची में से रिक्रितियों की संख्या को देखते हुए योग्यता के क्रम से किया जाएगा जो शारीरिक स्वस्थता और अन्य सभी बातों में उपयुक्तता के आधार पर होगा। जिन उम्मीदवारों के नाम दोनों योग्यता सूचियों में हैं उन पर दोनों सूचियों में चयन हेतु विचार उनके बरीयता क्रम का देखते हुए होगा और उनके एक सूची से अंतिम रूप से चुन लिए जाने पर दूसरी सूची से उनका नाम हटा कर दिया जाएगा।

ध्यान दें —वायु सेना के प्रत्येक उम्मीदवार का पाइलट एंटीच्यूट परीक्षण केवल एक बार किया जाता है। अतः उसके द्वारा प्रथम परीक्षण में प्राप्त ग्रेड वायुसेना चयन बोर्ड के सामने दावे में होने वाले प्रत्येक साक्षात्कार में स्वीकार किया जाएगा। जो उम्मीदवार पाइलट एंटीच्यूट के प्रथम परीक्षण में सफल हो जाता है वह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी परीक्षा के वायुसेना विंग या जनरल ड्यूटी (पाइलट) ब्राच या नेवल एअर ए० ग्रा० एम० में प्रवेश के लिए आवेदन नहीं कर सकता।

जिन उम्मीदवारों का किसी पिछले रा० रा० अकादमी कोर्स में पाइलट एंटीच्यूट परीक्षण हो गया हो और उन्हें उम्मीदवारों अर्हता प्राप्त कर लेने की सूचना मिल गई हो तो उन्हें इस परीक्षा के केवल वायुसेना विंग के लिए ही अपना आवेदन करना चाहिए।

अलग-अलग उम्मीदवारों का परीक्षा के परिणाम किंग रूप में और किस प्रकार सूचित किये जाएं, इस बात का निर्णय आयोग अपने प्राप करेगा और परिणाम के सम्बन्ध में उम्मीदवारों से कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा।

परीक्षा में सफल होने मात्र से अकादमी में प्रवेश का कोई अधिकार नहीं मिलेगा। उम्मीदवारों का नियुक्ति प्राधिकारी का सतुष्ट करना होगा कि वह अकादमी में प्रवेश के लिए सभी तरतुहों उपयुक्त हैं।

19. प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अर्हताएं —जो उम्मीदवार राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के किसी पहले कोर्स में प्रवेश पा चुके थे पर अधिकारी में अपेक्षित लक्षणों के अभाव के कारण या अनुशासनिक आधार पर वहाँ से निकाल दिए गए थे, उनको अकादमी में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

किन्तु जिन उम्मीदवारों का अस्थिरता के आधार पर पहले राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से वापस ले लिया गया हो या जिन्होंने अपनी इच्छा में उक्त अकादमी छोड़ दी हो उन्हें अकादमी में प्रवेश मिल सकता है बशर्ते कि वे स्वास्थ्य तथा अन्य निर्धारित शर्तें पूर्ण करते हैं।

20. राष्ट्रीय रक्षा अकादमी या अफगन ट्रेनिंग स्कूल में प्रशिक्षण के दौरान विबाध पर प्रतिबंध —उम्मीदवारों को इस बात का ध्यान देना है कि जब तक उनका सारा प्रशिक्षण पूरा नहीं होगा, तब तक वे शादी नहीं करेंगे। जो उम्मीदवार अपने आवेदन की तारीख के बाद शादी कर लेता है, उसको प्रशिक्षण के लिए चुना नहीं जाएगा, चाहे वह इस परीक्षा में या अगली किंगी परीक्षा में भले ही सफल हो। जो उम्मीदवार प्रशिक्षण काल में शादी कर लेगा, उसे वापस भेजा जाएगा और उस पर सरकार ने जो पैना खर्च किया है, वह सब उगसे वसूल किया जाएगा।

21. नियमावली और प्रश्न पत्रों से युक्त पुस्तिकाएं—राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, दिसम्बर, 1977 से इस परीक्षा की योजना में सम्मिलित सभी प्रश्न पत्रों में "वस्तु परक" प्रकार के प्रश्नों का आरम्भ होने से इस परीक्षा की नियमावली और प्रश्न पत्रों से युक्त पुस्तिकाओं का मुद्रण बन्द कर दिया गया है। किन्तु मई, 1977 में ली गई राष्ट्रीय रक्षा अकादमी परीक्षा सहित पिछले परीक्षाओं के नियमों और प्रश्न पत्रों, से युक्त पुस्तिकाओं की प्रतियों की बिक्री प्रकाशन नियंत्रक, सिविल लाइन्स दिल्ली-110054 के द्वारा की जाती है और उन्हें वहाँ से मेल आर्डर द्वारा सीधे अथवा नकद भुगतान द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। उन्हें (i) किताब महल, रिबोली सिनेमा के सामने, एम्पोरिया बिल्डिंग 'सी' ब्लॉक, बाबा खड्ग सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110001, (ii) प्रकाशन शाखा, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110001 के बिक्री काउन्टर और (iii) गवर्नमेंट आफ इण्डिया बुक डिपो, 8, के० एस० राय रोड, कलकत्ता 700001 से भी केवल नकद भुगतान करके खरीदा जा सकता है। ये पुस्तिकाएं विभिन्न मुफ़्तसल नगरों में भारत सरकार के प्रकाशन एजेंटों से प्राप्त की जा सकती हैं।

22. बौद्धिक परीक्षण संबंधी सूचना:—रक्षा मंत्रालय (मनोवैज्ञानिक अनुसंधान निदेशालय) ने 'सेवा चयन बोर्डों में उम्मीदवारों की बौद्धिक परीक्षण उपलब्धियों का अध्ययन' (ए स्टाडी आफ इंटेलिजेंस टेस्ट कोर्स आफ फेडिडेड्स एट सर्वसेस सेलेक्शन बोर्ड्स) शीर्षक वाली पुस्तक प्रकाशित की है। इस पुस्तक को प्रकाशित करने का उद्देश्य यह है कि उम्मीदवार सेवा चयन बोर्डों के बौद्धिक परीक्षणों के स्वरूप और स्वभाव से परिचित हो जाए।

यह पुस्तक समुच्चय प्रकाशन है और उपर्युक्त पैरा 21 में बताए गए स्थानों से मिल सकती है।

आर० एस० गोयल, उप-सचिव

परिशिष्ट I

(परीक्षा की योजना और पाठ्य विवरण)

(क) परीक्षा की योजना

1. लिखित परीक्षा के विषय, नियत समय तथा प्रत्येक विषय के अधिकतम अंक निम्नलिखित होंगे :—

| विषय | समय | अधिकतम अंक |
|---------------------------------------------------------|--------|------------|
| 1. अंग्रेजी | 2 घंटे | 250 |
| 2. गणित-प्रश्न-पत्र I | 2 घंटे | 125 |
| प्रश्न-पत्र II | 2 घंटे | 125 |
| 3. सामान्य ज्ञान—प्रश्न पत्र I (विज्ञान) | 2 घंटे | 200 |
| प्रश्न-पत्र II (सामाजिक अध्ययन, भूगोल तथा सामयिक मामले) | 2 घंटे | 200 |
| | | 900 |

2. सभी विषयों के प्रश्न-पत्रों में केवल वस्तुपरक प्रश्न ही होंगे। नमूने के प्रश्नों सहित अन्य विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट V में उम्मीदवारों को सूचितार्थ विवरणिका देख लें।

3. प्रश्न-पत्रों में जहाँ भी आवश्यक होगा, केवल तोल और माप की मीटरी पद्धति से संबंधित प्रश्नों की ही पूछा जाएगा।

4. उम्मीदवारों को प्रश्न-पत्रों के उत्तर अपने हाथ से लिखने चाहिए। किसी भी दशा में उन्हें प्रश्न-पत्रों के उत्तर लिखने के लिये लिखने वाले की सहायता मुलाभ नहीं की जायेगी।

5. परीक्षा के एक या सभी विषयों के अर्हक अंकों का निर्धारण आयोग की विवक्षा पर है।

6. केवल सतही ज्ञान के लिये अंक नहीं दिये जाएंगे।

(ख) परीक्षा का पाठ्य-विवरण

अंग्रेजी

प्रश्न-पत्र इस प्रकार से बनाया जायगा कि जिसे उम्मीदवार की अंग्रेजी भाषा को समझने तथा उसे सही और मुहावरेंदार ढंग से लिखने की योग्यता की जांच की जा सके। हममें उम्मीदवार के व्याकरण, मुहावरों तथा प्रयोगों संबंधी ज्ञान की जांच के लिये भी प्रश्न शामिल किये जाएंगे। प्रश्न-पत्र में सारांश या सार लेखन के लिए भी गद्यांश सामान्यतः रखा जाएगा।

गणित

प्रश्न पत्र I

अंकगणित

संख्या पद्धतियां—घन पूर्ण संस्थाएं, परिमेय और वास्तविक संख्याएं, क्रम विनियम सहचारी और वितरण नियम। मूल संक्रियाएं, जोड़, घटाना, गुणन और विभाजन। वर्ग और घन मूल। दशमलव भिन्न।

गैरिक विधि—साधारण तथा मिश्र व्याज, समय तथा दूरी, समय तथा कार्य, लाभ तथा हानि, अनुपात और समानुपात, दौड़ से संबंधित प्रश्नों का अनुप्रयोग।

प्रारम्भिक संख्या सिद्धान्त—विभाजन कलन विधि, अभाज्य और भाज्य संख्याएं। गुणन और गुणन खंड। गुणन खंड प्रमेय। महत्तम समापवर्तक तथा सघुतम समापवर्तक। मूलिक कलन विधि।

लघु गणक और उनके प्रयोग।

बीज गणित

आधारभूत संक्रियाएं—साधारण गुणन खंड। शेष फल प्रमेय, बहुपदों का महत्तम समापवर्तक और लघुतम समापवर्तक। द्विघात समीकरणों का हल, उनके मूलों और गुणकों के बीच संबंध। दो अज्ञात राशियों में युग्मपत समीकरण, तीन अज्ञात राशियों में त्रैखिक युग्मपत समीकरण समीकरणों का अनुप्रयोग। असमताएं।

ग्राफ

समुच्चय भाषा, अंकन पद्धति, वैन आरेख, समुच्चय संक्रियाएं, तीन अज्ञात राशियों के त्रैखिक समीकरणों के हल। समुच्चय अनुप्रयोग परिमेय गुणकों वाले बहुपद। विभाजन कलन विधि। घातांक विधि। ए० पी० तथा जी० पी०। गुणोत्तर श्रेणी। आवर्त दशमलव भिन्न। क्रम चय और संघय। घनात्मक समाकल घातांक हेतु द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय का अनुप्रयोग।

त्रिकोणमिति

त्रिकोण मित्तीय तथा तत्समक। 30°, 45° और 60° के त्रिकोणमित्तीय अनुपात तथा ऊँचाई की दूरी के प्रारंभिक प्रश्नों में उनका प्रयोग।

प्रश्न पत्र II

ज्यामिति

आपतन संबंध। एक रेखा में क्रम संबंध। क्षेत्र। एक समतल में दिग्बलन। रेखा और बिन्दु में पाश का अभिगृहीत परावर्तन। स्थानान्तरण। धूर्णन। परावर्तन, स्थानान्तरण और धूर्णन का संयोजन। सर्पि परावर्तन। रेखा के प्रति सममिति : सममित आकृतियां। समदुरिकी। विश्वर। सर्वांग-समता—प्रत्यक्ष और विषय।

निम्नलिखित पर प्रमेय :—

- किसी बिन्दु पर कोण के गुण धर्म।
- समांतर रेखाएं।

- (iii) त्रिभुज की भुजाएं और कोण।
- (iv) त्रिभुजों की सर्वांगसमता।
- (v) समरूप त्रिभुज।
- (vi) त्रिभुज की मध्यिकाओं, मीथलम्बों, भुजाओं के लम्ब, द्विभाजकों और कोणों के द्विभाजकों का संगमन।
- (vii) समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत, वगैरे तथा समलम्ब के कोणों, भुजाओं व विकर्णों के गुण धर्म।
- (viii) वृत्त और उसके गुण धर्म। इनमें स्पर्श रेखा तथा अभिलम्ब भी शामिल हैं।
- (ix) चक्रीय चतुर्भुज।
- (x) बिन्दुपथ।

फलन

फलन। ग्राफ। सीमा और सांतत्य। फलनों के अवकलन ग्राफ। बहुपदी परिमेय, त्रिकोणमितीय—प्रारंभिक फलनों का अवकलन। फलन के फलन का अवकलन, अवकलन दर, नुटियां, द्वितीय कोटि अवकलन।

अवकलन के व्युत्क्रम के रूप में समाकलन। समाकलन के मानक सूत्र खण्डन और प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन।

विस्तारकलन (मेन्सुरेशन)

समतल आकृतियों का क्षेत्रफल। घन पिरेमिड, लम्बवृत्तीय बेसन, शंकु, और गोल का आयतन और पृष्ठ।

समतल निर्देशांक ज्यामिति

दूरी सूत्र, खण्ड सूत्र। सीधी रेखा के समीकरण के मानक रूप। दो रेखाओं के बीच कोण। समांतरता और लम्बता के प्रतिबंध। किसी बिन्दु से किसी रेखा तक के लम्ब की दूरी। वृत्त का समीकरण।

सामान्य ज्ञान

दो प्रश्न पत्र होंगे।

प्रश्न पत्र (i) :—इसमें भौतिकी, रसायन और सामान्य विज्ञान होगा; और

प्रश्न पत्र (ii) :—इसमें सामाजिक अध्ययन, भूगोल और सामयिक मामले होंगे।

इन प्रश्न पत्रों में शामिल किये गये विषयों का क्षेत्र निम्नलिखित पाठ्य विवरण पर आधारित होगा। उल्लिखित विषयों को सर्वांग नहीं मान लेना चाहिए तथा इसी प्रकार के ऐसे विषयों पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं जिनका पाठ्यविवरण में उल्लेख नहीं किया गया है। उम्मीदवारों के उत्तरों से प्रश्नों को बोधगम्य ढंग से समझने की मेधा और ज्ञान का पता चलना चाहिए।

प्रश्न पत्र I

विज्ञान

सामान्य विज्ञान प्रश्न पत्र I में निम्नलिखित पाठ्यविवरण शामिल होगा—(क) द्रव्य के भौतिक गुण धर्म तथा स्थितियां, संहति, भार, आयतन, घनत्व तथा विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण। आर्कमिडिज का नियम, वायु, वायुदाब मापी।

बिज की गति। वेग और त्वरण। न्यूटन के गति नियम। बल और संवेग। बल समांतरचतुर्भुज। पिण्ड का स्थायित्व और सतुलन। गुरुत्वाकर्षण कार्य, शक्ति और ऊर्जा का प्रारंभिक ज्ञान।

ऊष्मा का प्रभाव। तापमान का नाप और ऊष्मा। स्थिति परिवर्तन और गुप्त ऊष्मा। ऊष्मा अभिगमन विधियां।

ध्वनि तरंगें और उनके गुणधर्म। सरल वाद्य यंत्र।

प्रकाश का अजुरेखीय संचरण। परावर्तन और अपवर्तन। गोलीय दर्पण और लेंस। मानव नेत्र।

प्राकृतिक तथा कृत्रिम चुम्बक। चुम्बक के गुणधर्म। पृष्ठी चुम्बक के रूप में।

स्थैतिक तथा धारा विद्युत्। चालक तथा अचालक। ओम नियम। साधारण विद्युत् परिपथ। धारा के तापन, प्रकाश तथा चुम्बकीय प्रभाव। वैद्युत् शक्ति का माप। प्राथमिक और गौण सेल। एक्स-रे के उपयोग।

निम्नलिखित के कार्य संचालन के सामान्य सिद्धांत।

सरल लोलक। सरल धिरनी। साइकल, उत्तोलक, गुब्बारा, पम्प। हाइड्रोमीटर, प्रेशर कुकर, थर्मम फ्लास्क, ग्रामोफोन, टेलीग्राफ, टेलीफोन, पेरिस्कोप, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, नाविक दिक्सूचक, तड़ित चालक, सुरक्षा प्यूज।

(ख) भौतिक तथा रसायनिक परिवर्तन। तत्व। मिश्रण तथा योगिक। प्रतीत सूत्र और सरल रासायनिक समीकरण। रासायनिक संयोग के नियम (समस्याओं को छोड़कर)। वायु और जल के रासायनिक गुण धर्म।

हाइड्रोजन, आक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड की रचना और गुण धर्म। आक्सीकरण और अपचयन।

अम्ल, क्षारक और लवण।

कार्बन—भिन्न रूप।

उर्वरक—प्राकृतिक और कृत्रिम।

साबुन, कांच, स्थाही, कागज, सीमेंट, पेंट, दियासलाई और गनपाऊडर जैसे पदार्थों को तैयार करने के लिए प्रयुक्त सामग्री।

परमाणु की रचना, परमाणु तुल्यमान और परमाणु अणुभार संयोजकता का प्रारंभिक ज्ञान।

(ग) जड़ और चेतन में अन्तर।

जीव काणिकाओं, जीव द्रव्य और ऊतकों का आधार।

वनस्पति और प्राणियों में वृद्धि और जनन।

मानव शरीर और इसके महत्वपूर्ण अंगों का प्रारंभिक ज्ञान।

सामान्य महामारियां, उनके कारण तथा रोकने के उपाय।

खाद्य—मनुष्य के लिए ऊर्जा का स्रोत। खाद्य का संघटन।

संतुलित आहार।

सौर परिवार; उल्का और धूमकेतु। ग्रहण।

प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों की उपलब्धियां।

टिप्पणी :—इस प्रश्न पत्र के अधिकतम अंकों से सामान्यतया भाग (क)

(ख) और (ग) के लिए क्रमशः 50 प्रतिशत, 30 प्रतिशत और 20 प्रतिशत अंक होंगे।

प्रश्न पत्र II

(सामाजिक अध्ययन, भूगोल और सामयिक मामले)।

सामान्य ज्ञान प्रश्न पत्र में निम्नलिखित पाठ्य विवरण शामिल होगा :—

(क) भारतीय इतिहास का मोटे तौर पर सर्वेक्षण तथा संस्कृति और सभ्यता की विशेष जानकारी।

भारत का स्वतंत्रता आन्दोलन।

भारतीय संविधान और प्रशासन का प्रारंभिक अध्ययन।

भारत की पंचवर्षीय योजनाओं, पंचायती राज, सहकारी समितियों और सामुदायिक विकास की प्रारंभिक जानकारी।

भूदान, सर्वाधिक, राष्ट्रीय एकता और कल्याणकारी राज्य। महात्मा गांधी के मूल उपदेश।

आधुनिक विश्व को प्रभावित करने वाली शक्तियां, पुनर्जागरण। अन्वेषण और खोज। अमरीका का स्वाधीनता संग्राम। फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति, रूसी क्रांति, समाज पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रभाव।

एक विषय की संकल्पना, सम्युक्त राष्ट्र। पंचशील, लोकतंत्र, समाजवाद, साम्यवाद, वर्तमान विषय में भारत का योगदान।

(ख) पृथ्वी, इसकी आकृति और आकार, अक्षांश और रेखांश गमय की संकल्पना। अंतर्राष्ट्रीय तारीख रेखा। पृथ्वी की गतियां और उसके प्रभाव।

पृथ्वी का उद्भव, चट्टानें और और उनका वर्गीकरण :—

अपक्षय—रासायनिक और भौतिक। भूजाल तथा ज्वालामुखी।

महासागर धाराएं और प्वाल भाटे।

वायुमण्डल और इसका संघटन। तापमान और वायुमण्डललीय दाब, भूमंडलीय पवन, चक्रवात, और प्रतिचक्रवात आद्रता। द्रवण और वषण। जलवायु के प्रकार।

विषय के प्रमुख प्राकृतिक क्षेत्र।

भारत का क्षेत्रीय भूगोल—जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, खनिज और शक्ति साधन, कृषि और औद्योगिक कार्यकलापों के स्थान और वितरण।

महत्वपूर्ण समुद्री पत्तन, भारत के मुख्य समुद्री, भू और वायु मार्ग। भारत के आयात और निर्यात की मुख्य मदे।

(ग) हाल ही के वर्षों में भारत में हुई महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी। सामयिक महत्वपूर्ण विषय घटनाएं।

महत्वपूर्ण व्यक्ति—भारतीय और अन्तर्राष्ट्रीय, इनमें सांस्कृतिक कार्यकलापों और खेल-कूद से सम्बन्धित महत्वपूर्ण व्यक्ति भी शामिल है।

टिप्पणी :—इस प्रश्न पत्र के अधिकतम अंकों में से सामान्यतया भाग (क), (ख) और (ग) के लिए क्रमशः 40 प्रतिशत, 40 प्रतिशत और 20 प्रतिशत अंक होंगे।

बुद्धि तथा व्यक्तित्व परीक्षण

उम्मीदवारों की बुनियादी बुद्धि की आज करने के लिए साक्षात्कार के अतिरिक्त मौखिक तथा लिखित बुद्धि परीक्षा ली जाएगी। उनके ग्रुप परीक्षण भी किए जाएंगे जैसे ग्रुप परीक्षा, ग्रुप योजना, बर्हिंग, ग्रुप कार्यकलाप तथा उन्हें निर्दिष्ट विषयों पर सक्षिप्त व्याख्यान देने के लिए कहा जाएगा। ये सभी परीक्षण उम्मीदवारों की मेधाशक्ति की जांच के लिए हैं। मोटे तौर पर ये परीक्षण वास्तव में न केवल उसके बौद्धिक गुणों की जांच के लिए हैं अपितु इनसे उसकी सामाजिक विशेषताओं तथा सामयिक घटनाओं के प्रति दिलचस्पी का भी पता चलेगा।

परिशिष्ट II

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश के लिए शारीरिक मानक संबंधी मुख्य बातें।

टिप्पणी :—उम्मीदवारों को निर्धारित स्वस्थता मानक के अनुसार शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। स्वस्थता संबंधी मानक नीचे बताए गए हैं।

बहुत से अर्हताप्राप्त उम्मीदवार बाद में अस्वस्थता के आधार पर अस्वीकृत कर दिए जाते हैं। अतः उम्मीदवारों के अपने हित के लिए सलाह दी जाती है कि अन्त में निराशा से बचने के लिए उन्हें अपना आवेदन पत्र भेजने से पहले अपने स्वास्थ्य की जांच करा लेनी चाहिए।

सेवा ध्यन बोर्ड द्वारा अनुसंसित बहुत से उपयुक्त उम्मीदवारों की स्वास्थ्य परीक्षा सेना के डाक्टरों के बोर्ड द्वारा की जाएगी। जो उम्मीदवार मेडिकल बोर्ड द्वारा स्वस्थ घोषित नहीं किया जाएगा उसको अकादमी या स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सेना के डाक्टरों के बोर्ड द्वारा स्वास्थ्य परीक्षा कर लिए जाने का अर्थ यह नहीं होगा या नहीं निकाला जाएगा कि उम्मीदवार अंतिम रूप से चुन लिया गया है। मेडिकल बोर्ड की कार्यवाही गुप्त होती है। अतः किसी को नहीं बताया जा सकता। अनुपयुक्त / अस्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित उम्मीदवारों का परिणाम उन्हें स्वस्थता प्रमाण-पत्र तथा अपील प्रस्तुत करने की कार्यविधि के साथ सूचित कर दिया जाता है। मेडिकल बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा मेडिकल बोर्ड के परिणाम से सम्बद्ध कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

थल सेना के लिए उम्मीदवारों के अपने हित में परामर्श है कि यदि उनकी वृष्टि अपेक्षित स्तर की न हो तो सेवा ध्यन बोर्ड द्वारा साक्षात्कार/ स्वास्थ्य परीक्षा हेतु बुलाए जाने पर उन्हें अपने साथ संशोधक ऐनक लानी चाहिए।

1. राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश के लिए उस उम्मीदवार को ही योग्य समझा जाएगा जिसका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक होगा और जिसमें कोई ऐसी अशक्तता नहीं होगी जिससे कुशलतापूर्वक काम करने में बाधा पड़ने की संभावना हो।

2. किन्तु निम्नलिखित बातों के सम्बन्ध में तसल्ली कर ली जाएगी :—

(क) कमजोर शरीर गठन, अपूर्ण विकास, गम्भीर कुरचना या स्थूलता तो नहीं है।

(ख) हड्डियों और संधियों का कुविकास तो नहीं हुआ है और उनमें किसी प्रकार की क्षीणता तो नहीं हो गई है।

टिप्पणी :—अल्पवृद्धित ग्रैव पूर्णका वाले उम्मीदवार को भी स्वस्थ माना जा सकता है, यदि उसमें उक्त रोग के लक्षण न हों। तथापि चिकित्सा बोर्ड की कार्यवाही में इस दोष का उल्लेख छोटी मोटी अशक्तता के रूप में कर दिया जाएगा।

(ग) बोलने में तो बाधा नहीं पड़ती है।

(घ) शिर की रचना में तो दोष नहीं है या खोपड़ी की हड्डी टूटने या दबने से विरूपता तो नहीं आ गई है।

(ङ) कम गुनवाई तो नहीं पड़ता है। कोई कान बह तो नहीं रहा है या रोग ग्रस्त तो नहीं है। टिम्पेनिक मम्ब्रेन में कच्चा जड़म तो नहीं है या उम्र या पुराना मध्य कणशोथ के चिह्न तो नहीं है या ग्रामूल या संशोधित ग्रामूल कण मूल आपरेशन तो नहीं हुआ है।

टिप्पणी :—यदि कान के पर्दे का छेद पूरी तरह से भर गया हो, इसको और क्षति न पहुंची हो तथा सुनाई ठीक पड़ता हो तो इस अवस्था को थल सेना के लिए उम्मीदवार को स्वीकार करने में बाधक नहीं समझना चाहिए।

(च) नाक की हड्डी या उपास्थि का कोई रोग तो नहीं है या नोज़पॉलिपस तो नहीं है अथवा नामायसनी या सहायक कोटरों का कोई रोग तो नहीं है।

टिप्पणी :—(1) नासा पट के छोटे अवक्षयी ऊवधातज छेद के कारण उम्मीदवार को एक दम अस्वीकृत नहीं किया जाएगा वरन् ऐसे मामलों को कर्णविज्ञान वलाहकार के पास भेजा जाएगा।

टिप्पणी :—(2) जबकि विवरण संबंधी पुष्टि के लिए निदानार्थ गह्वर सन्निधन केवल अपील किए गए मामलों में ही किया जाए न कि किसी प्रारंभिक परीक्षण के दौरान नेमी कार्य के रूप में। प्रारंभिक परीक्षण के दौरान तो विकिरण विज्ञान संबंधी परीक्षण यदि निर्दिष्ट किया गया हो, करना ही पर्याप्त होगा।

(छ) तपेदिक या अन्य रोगों के कारण गर्बन या शरीर के अन्य भागों की ग्रंथियां बड़ी हुई तो नहीं हैं और थाइराइड ग्रंथि सामान्य है।

टिप्पणी :—तपेदिक की ग्रंथियों को हटाने के लिए किए गए आपरेशन के निशान उम्मीदवार की अस्वीकृति का कारण नहीं बन सकते हैं बशर्ते कि गत 5 वर्षों में सक्रिय रोग न हुआ हो तथा छाती लाक्षणिक जांच तथा एक्स-रे करने पर रोग मुक्त पाई जाए।

(ज) गले, तालू, टोंसिल या मसूड़ों का कोई रोग नहीं है तथा किसी भी चिकित्सीय संधियों की सामान्य क्रिया पर प्रभाव डालने वाली कोई बीमारी या चोट तो नहीं है।

टिप्पणी :—यदि बारबार टोंसिल शोथ होने का कोई वृत्त न हो तो टोंसिलो की अतिवृद्धि अस्वीकृति का कारण नहीं होती।

- (स) दृश्य तथा रक्त वाहिकाओं का क्रिया सम्बन्धी या अंग रोग के लक्षण तो नहीं हैं।
- (ज) फेफड़ों की तपेदिक या इस बीमारी का पूर्ववत् या फेफड़ों की कोई जीर्ण बीमारी प्रमाण तो नहीं है।
- (ट) जिगर और तिल्ली की किमी विलक्षणता महित पाचक तन्त्र के किसी रोग का चिह्न तो नहीं है और स्पर्ण परीक्षण में उदरीय कोमलता न हो।
- (ठ) बंधन हनिया (जिसकी शल्य-चिकित्सा न की गई हो), या उसकी आशंका हो अस्वीकृति का कारण होगा।
टिप्पणी :—जिनका हनिया का आमेरेणन हो चुका है उन्हें शारीरिक रूप से स्वस्थ माना जाएगा बशर्ते कि :
- (1) आपरेणन हुए एक वर्ष व्यतीत हो गया हो। इसके लिए उम्मीदवार को लिखित प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
- (2) पेट की पेशीसमूह सामान्यतया ठीक हैं; और
- (3) हनिया की पुनरावृत्ति नहीं हुई है, या इसकी शल्य चिकित्सा से संबंधित कोई उल्लेख पैदा नहीं हुई।
- (ड) हाइड्रोसिल या निश्चित बैरिजोसिल या जननेन्द्रियों का अन्य कोई रोग या खराबी तो नहीं है।

टिप्पणी : (1) यदि हाइड्रोसिल के आपरेणन के बाद कोई रज्जु और अण्डग्रन्थियों की विलक्षणताएं न हों और फासलें—रियासिस का प्रमाण न हो तो उम्मीदवार को स्वीकार कर लिया जाएगा।

(2) यदि एक और की अन्तःउदरीय अण्डग्रन्थि आरोही हो तो इस आधार पर उम्मीदवार को अस्वीकार नहीं किया जाता बशर्ते कि दूसरी अण्डग्रन्थि सामान्य हो तथा इस आरोही अण्डग्रन्थि के कारण कोई शारीरिक या मनोवैज्ञानिक कूप्रभाव न हो। यदि आरोही अण्डग्रन्थि बंधन नालिका में अथवा उदरीय वलय में हकी हो और आपरेणन में ठीक न हो सकता हो तो इस स्थिति में उम्मीदवार को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

- (ड) फिस्टुला और या गुदा का विदर या बयासीर के मस्से तो नहीं हैं।
- (ण) गुर्बों की कोई बीमारी तो नहीं। ग्लुकाजमेड या एल्युमिन मेड के सभी रोगी अस्वीकृत कर लिए जाएंगे।
- (त) अस्थायी अथवा मामूली क्षत-चिह्नों को छोड़कर ऐसा चर्म रोग तो नहीं है जिसके प्रसार अथवा स्थिति के कारण उम्मीदवार में अशक्तता या बहुत अधिक कुरूपता आ गई हो या आने की संभावना हो। उस उम्मीदवार को इसी आधार पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- (थ) कोई सक्रिय गुप्त या जन्मजात रतिज रोग तो नहीं है।
- (ब) उम्मीदवार या उसके परिवार में मानसिक रोग का कोई पूर्व वृत्त का प्रमाण तो नहीं है। जिन उम्मीदवारों को मिर्गी आती हो, जिनका पेशाब पीसे ही या नींद में निकल जाता हो उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- (ष) भेंगपान या आंख या पलकों की कोई ऐसी विकृति तो नहीं जिसके बढ़ने या दुष्कार होने का खतरा हो सकता है।
- (न) सक्रिय रोहू (ट्रकोमा) या इसकी जटिलताएं तथा अनुप्रभाव तो नहीं है।

टिप्पणी :—इलाज के लिए आपरेणन प्रवेश से पूर्व करवाएं जाएं। अस्तिम रूप से स्वीकार किए जाने की गारन्टी नहीं दी जाती है।

तथा उम्मीदवारों को यह स्पष्टतया समझ लेना चाहिए कि क्या आपरेणन वांछनीय है या आवश्यक है, इस बात का निर्णय उनके निजी चिकित्सा सलाहकार को ही करना है। आपरेणन के परिणाम अथवा किसी और खर्च का वायिस्व सरकार अपने ऊपर नहीं लेगी।

3 कब, वजन तथा छाती के मापों के लिए मानक :—

- (क) कद :
- (1) उम्मीदवार के कद की नाप उसे मापदण्ड के मामले दोनों पैर मिलाकर खड़ा करके ली जाएगी। उस समय वजन एडियों पर होना चाहिए पंजे पर या पांव के बाहरी पाण्डों पर नहीं। वह बिना अकड़े इस प्रकार सीधा खड़ा होगा कि उसकी एडियां, पिडलियां, नितम्ब और कंधे मापदण्ड के साथ लगे होंगे, उसकी ठोड़ी नीचे की ओर रखी जाएगी ताकि सिर का स्तर आड़ी छत्र के नीचे आ जाए। कद सेंटीमीटरों में रिकार्ड किया जाएगा। 0.5 में 0 मी० की उपेक्षा की जाएगी, 0.5 सेंटीमीटर को इसी रूप में रिकार्ड किया जाएगा तथा 0.6 सेंटीमीटर या इसमें अधिक को एक सेंटीमीटर के रूप में रिकार्ड किया जाएगा।
- (2) उम्मीदवार के लिए न्यूनतम स्वीकार्य 157.5 सेंटीमीटर (नौसेना के लिए 157 सेंटीमीटर) है किन्तु, गोरखा, नेपाली, आसामी, गढ़वाली उम्मीदवारों के लिए 5.0 सेंटीमीटर कम किया जा सकता है। मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम और त्रिपुरा के नौसेना के उम्मीदवारों के मामले में न्यूनतम कद 5 सेंटीमीटर और लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के मामले में कद 2 सेंटीमीटर कम कर दिया जाएगा।

टिप्पणी :—कद में 2.5 सेंटीमीटर (नौसेना के लिए 5 सेंटीमीटर) तक की छूट उन मामलों में की जा सकती है जहां चिकित्सा बोर्ड इस बात का प्रमाण-पत्र दे कि उम्मीदवार के बढ़ने की संभावना है तथा प्रशिक्षण पूरा होने तक अपेक्षित मानक तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा भारतीय नौसेना के कैंडिडेटों के लिए जिनकी आयु 18 वर्ष से कम नहीं आनुपातिक छूट दी जा सकती है।

- (3) केवल वायु सेना : पाइलट के रूप में प्रशिक्षण हेतु विशेष अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए न्यूनतम कद 162.5 में 0 मी० होगा। टांग की लम्बाई, जांघ की लम्बाई और बैठने पर कद का माप निम्न प्रकार होगा।

| | | |
|----------------|-------------|-------------------------------------------------|
| टांग की लम्बाई | न्यूनतम | 99.0 सें० मी० |
| | अधिकतम | 120.0 सें० मी० |
| जांघ की लम्बाई | अधिकतम | 64.0 सें० मी० |
| | बैठने पर कद | न्यूनतम 81.50 सें० मी० अधिकतम 96.00 सें० मी० |

टिप्पणी :—किसी उम्मीदवार की कम आयु के कारण कद में 5 सें० मी० तक, टांग की लम्बाई में 2.5 सें० मी० (न्यूनतम) तक और बैठने पर कद में 1 सें० मी० (न्यूनतम) तक की छूट दी जा सकती है बशर्ते कि चिकित्सा बोर्ड इस बात का प्रमाण-पत्र दे कि उम्मीदवार की बढ़ने की संभावना है तथा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रशिक्षण पूरा होने तक अपेक्षित मानक तक पहुंच जाएगा।

- (ख) वजन :—(1) उम्मीदवार का वजन पूरी तरह से कपड़े उतार कर या केवल जींस के साथ लिया जाएगा। वजन करते समय 1/2 किलोग्राम के वजन को रिकार्ड नहीं किया जाएगा। आयु,

कद और औसत वजन विषयक परस्पर संबंधी सारणी निर्देश के लिए दी जा रही है :—

| आयु अवधि कद (सेंटीमीटर) | 15-16 | 16-17 | 17-18 |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | वजन किलोग्राम | वजन किलोग्राम | वजन किलोग्राम |
| 157.00 | 43.5 | 45.0 | 47.0 |
| 160.00 | 45.0 | 46.5 | 48.0 |
| 162.00 | 48.5 | 48.0 | 50.0 |
| 165.00 | 48.0 | 50.0 | 52.0 |
| 167.50 | 49.0 | 51.0 | 53.0 |
| 170.00 | 51.0 | 52.5 | 55.0 |
| 173.00 | 52.5 | 54.5 | 57.0 |
| 175.00 | 54.0 | 56.0 | 59.0 |
| 178.00 | 56.0 | 58.0 | 61.0 |
| 180.00 | 58.5 | 60.0 | 63.0 |
| 183.00 | 61.0 | 62.5 | 65.0 |

(ii) कद तथा आयु के सम्बन्ध में वजन का ठीक-ठीक मानक निश्चय करना संभव नहीं है। अतः परस्पर संबंधी सारणी केवल निर्देशिका मात्र है तथा सभी मामलों में इसे लागू नहीं किया जा सकता है। सारणी में दिए गए औसत वजन से 10 प्रतिशत (नौसेना के लिए 6 किलोग्राम कम-ज्यादा) होने पर उसे वजन की सामान्य सीमा के अन्तर्गत माना जाता है। ऐसा भी हो सकता है, कि कुछ व्यक्तियों का वजन उपर्युक्त मानक से अधिक हो किन्तु शरीर के सामान्य गठन की दृष्टि से वे हर प्रकार से योग्य हों। ऐसे व्यक्तियों के अधिक वजन का कारण भारी हड्डियों और पेशियों का विकास हो सकता है न कि मोटापा इसी प्रकार जिनका वजन मानक से कम हो उसके बारे में भी उपर्युक्त सारणी के मानकों का पूरी तरह से पालन की अपेक्षा उनका सामान्य शरीर गठन और आनुपातिक विकास ही कसौटी होना चाहिए।

(ग) छाती :—छाती पूरी तरह आनुपातिक तथा भली प्रकार विकसित होनी चाहिए और फैलाने पर न्यूनतम फैलाव 5.0 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उम्मीदवार की छाती का माप लेते समय उसे इस प्रकार सीधा खड़ा किया जाए कि उसके पांव जुड़े हों और उसकी बांहें सिर से ऊपर उठी हों। फीते को छाती के गिर्दे इस प्रकार लगाया जाएगा कि पीछे की ओर इसका ऊपरी किनारा असफलकों (शोल्डर ब्लेड) के निम्न कोणों (इन्फीरियर एंगिलस) के साथ लगा रहे और इसका निचला किनारा सामने शूल्डर के ऊपरी भाग से लगा रहे। फिर बाहों को नीचे किया जाएगा और इन्हें शरीर के साथ लटका रहने दिया जाएगा किन्तु इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि कंधे उभरे उठे या पीछे की ओर झुके न हों ताकि फीता अपने स्थान से हटने न पाए। अब उम्मीदवार को कई बार गहरा सांस लेने के लिए कहा जाएगा। और छाती का अधिकतम और न्यूनतम फैलाव सावधानी से लिख लिया जाएगा। अधिकतम तथा न्यूनतम फैलाव सेंटीमीटरों में रिकार्ड किया जाएगा। नाप को रिकार्ड करते समय 0.5 सें. मीटर से कम के दशमलव भिन्न को छोड़ दिया जाएगा। लेकिन 0.5 सेंटीमीटर को 0.5 सेंटीमीटर रिकार्ड किया जाएगा और 0.6 सेंटीमीटर से अधिक को एक सेंटीमीटर के रूप में रिकार्ड किया जाएगा।

वायु सेना हेतु :—किसी तरह का स्कोलियोसिस तो नहीं है यह पता लगाने के लिए रीढ़ की हड्डी का एक्स-रे भी किया जाएगा। 15 से अधिक स्कोलियोसिस (काब विधि) उड़ान कार्य के लिए, अस्वीकृति का कारण होगा।

वायु सेना के सभी उम्मीदवारों का ई० सी० जी० लिया जाएगा। जिनका ई० सी० जी० विशेष रूप से असामान्य होगा वे उम्मीदवार अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

नोट :—वायुसेना तथा नौसेना के लिए छाती का एक्स-रे अनिवार्य है।

4. दांतों की हालत

इस बात को सुनिश्चित करनेना चाहिए कि जबाने का काम अच्छी तरह करने के लिए प्राकृतिक तथा मजबूत दांत काकी संख्या में है।

(क) स्वीकृत होने के लिए यह आवश्यक है कि उम्मीदवार ने दांतों के लिए कम से कम 14 प्वाइंट प्राप्त किए हों। किसी व्यक्ति के दांतों की हालत का पता लगाने के लिए परस्पर अच्छी तरह सटे और दूसरे जबड़े के अनुरूप दांतों के लिए निम्न प्रकार के प्वाइंट दिए जायेंगे :—

(i) बीच के काटने वाले दांत, बगल के काटने वाले दांत, रखनक प्रथम तथा द्वितीय, छोटी दाढ़ तथा कम विकसित तृतीय बड़ी दाढ़ प्रत्येक के लिए एक-एक प्वाइंट।

(ii) प्रथम तथा द्वितीय बड़ी दाढ़ तथा पूर्णतया विकसित तृतीय बड़ी दाढ़ के लिए दो प्वाइंट।
पूरे 32 दांत होने पर कुल 22 प्वाइंट दिए जायेंगे।

(ख) प्रत्येक जबड़े के निम्नलिखित दांत एक दूसरे से इस प्रकार सटे हुए हों कि उनसे अच्छी तरह काम लिया जा सके :

(i) आगे के 6 में से कोई 4 दांत।

(ii) पीछे के 10 में से कोई 6 दांत।

(ग) सौत्र पायरिया वाले उम्मीदवारों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। जिन उम्मीदवार का पायरिया दांत अधिकारी की राय में बिना दांत निकाले अच्छा किया जा सकता हो उसे स्वीकार किया जा सकता है।

5. दृष्टिमानक

(क) दृष्टि तीक्ष्णता

| दूर दृष्टि | मानक-I | |
|---------------------------|-------------------|----------|
| | अच्छी आंख | खराब आंख |
| दूर दृष्टि | सी० 6/6 | सी० 6/9 |
| | अधमा लगाकर 6/6 तक | |
| दूर दृष्टिना (अधमा लगाकर) | मानक-II | |
| | अच्छी आंख | खराब आंख |
| | 6/6 | 6/9 |

निकट दृष्टि (मायोपिया) जिसमें व्यक्त अविशुद्धता (एस्टिगमेटिज्म) सम्मिलित है — 2.5 डी० से अधिक नहीं। (नौ सेना के मामले में .5 डी०)

दीर्घ दृष्टि (हाइपर मेट्रोपिया) जिसमें अविशुद्धता (एस्टिगमेटिज्म मेनीफेस्ट) सम्मिलित है + 3.5 डी० से अधिक नहीं।

टिप्पणी :—1. फंडस तथा मीडिया स्वस्थ तथा सामान्य सीमा में होने चाहिए।

2. वर्धमान मायोरेटिना के सूक्ष्म विट्रियस या कोरिया रेटिना के अनावश्यक व्यपजनन चिह्न नहीं।

3. द्विनेत्री (बाइनोकुलर) दृष्टि अच्छी होनी चाहिए (दोनों आंखों में संयोजन शक्ति और पूर्ण दृष्टि क्षेत्र)।

4. कोई ऐसा आंगिक रोग नहीं होना चाहिए जिसके प्रकोपन तथा खराब होने की संभावना है।

(ख) रंग का प्रत्यक्ष ज्ञान :

जो उम्मीदवार अघोषपरिभाषित न्यूनतम वर्ण अवगम मानक सी० पी० 3 (सदोष सुरक्षा) न रखते हों उन्हें अयोग्य माना जाएगा :

सी० पी०-3 (सदोष सुरक्षा)—उम्मीदवार इस योग्य हों कि वे 1.5 मीटर की दूरी से सफेद, लाल संकेत और हरे संकेत रंगों को ठीक प्रकार से पहचान सकें जैसा कि माटिन लेटने में दिखाया गया है या इधियारा बुक/टोकियो मेडिकल कालिज बुक की अपेक्षित प्लेटों को पढ़ सकें।

(ग) सेनाओं के लिए अपेक्षाएँ

थल सेना दृष्टि मानक II (न्यूनतम मानक)

नौसेना (I) दृष्टि मानक I.—कार्यपालक शाखा के उम्मीदवार चयन नहीं रहते हैं परन्तु यदि नौसेना मुख्यालय अनुमति दे तो कुछ सीमित संख्या तक अन्यथा उम्मीदवारों के संबंध में इन मानकों में छूट दी जा सकती है। इजीनियरी, विद्युत और पूर्ति तथा सचिवालय शाखाओं के लिए दृष्टि मानक 6/18, 6/36 चयन लगाकर दोनों शाखाओं के लिए 6/6 है।

(2) विशेष अपेक्षाएँ

सामान्यतया/नौसेना की सभी शाखाओं के कैंडिडेट्स/डाइरेक्ट एन्ट्री अफसरों की रात्रि दृष्टि तीक्ष्णता के वास्ते नेमी तीर पर डेला क्रामा की जांच नहीं की जाएगी और स्वास्थ्य परीक्षा के समय उनसे निम्नलिखित प्रमाण-पत्र देने के लिए कहा जाएगा जो मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के साथ नत्थी कर दिया जाएगा :—

“मैं प्रमाणित करना हूँ कि कि मुझे रतीधी नहीं है और जहाँ तक मेरी जानकारी है मेरे परिवार के किसी सदस्य को भी जन्म से रतीधी नहीं है।”

ह० उम्मीदवार

चिकित्सा अधिकारी के प्रति
हस्ताक्षर

किन्तु जिन उम्मीदवारों में शुक्लाक्षिपाक (जीरोवैल्यूमिटा पिगमेंट्री अपविकास/कौरियारेडिना में विचलन, अपसामान्य परिवारिका और उसके लक्षण होने का संदेह होगा लेकिन जो अन्यथा हर प्रकार से स्वस्थ होंगे, उनकी विस्तृत रात्रि दृष्टि तीक्ष्णता जांच सामान्य तौर पर की जाएगी।

रंग का प्रत्यक्ष ज्ञान

मानक I.—एम० एल० टी०

नेत्र विचलन प्रवृत्ति

(माटिन लालटेन परीक्षण)।

नेत्र विचलन प्रवृत्ति सेबोस राइ विगटेस्ट के साथ (बशर्ते कि अधिसरण दोष तथा अन्य रोग लक्षण न हों) निम्नलिखित से अधिक नहीं होनी चाहिए :—

(क) 6 मीटर की दूरी से

| | | |
|-------------|-----------|----------|
| एक्सोफोरिया | 8 प्रिज्म | डायोप्टर |
| इंसोफोरिया | 8 प्रिज्म | डायोप्टर |
| हाइपरफोरिया | 1 प्रिज्म | डायोप्टर |

(ख) 30 सें० मी० की दूरी से

| | | |
|-------------|------------|----------|
| इंसोफोरिया | 6 प्रिज्म | डायोप्टर |
| एक्सोफोरिया | 16 प्रिज्म | डायोप्टर |
| हाइपरफोरिया | 1 प्रिज्म | डायोप्टर |

दूर दृष्टि की सीमा

(होमाट्रोपिया के अन्तर्गत)
सही भौख

दूर दृष्टिता

1.5 डायोप्टर

साधारण दीर्घ दृष्टिता वैषम्य

0.75

संयुक्त दीर्घ दृष्टिता वैषम्य

दीर्घ दृष्टिता मैट्रिडियन का दोष 1.5 डायोप्टर से अधिक नहीं होना चाहिए इससे से 0.75 डायोप्टर से अधिक दृष्टि वैषम्य के कारण नहीं होना चाहिए।

दूर दृष्टिता

सबसे खराब आंख 2.5 डायोप्टर

साधारण दूर दृष्टिता वैषम्य

1.5 डायोप्टर

संयुक्त दूर दृष्टिता वैषम्य

दूर दृष्टिता वैषम्य दोष 2.5 डायोप्टर से अधिक नहीं होना चाहिए, इसमें से 1.00 डायोप्टर से अधिक दृष्टि वैषम्य के कारण नहीं होनी चाहिए।

निकट दृष्टि (मायोपिया) —किसी भी एक मरेडियन में 0-5 डायोप्टर अधिक नहीं होना चाहिए।

10—196GI/78

द्विनेत्री दृष्टि :—उम्मीदवार की द्विनेत्री दृष्टि ठीक होनी चाहिए। (बोनों आंखों में क्यूजन फंक्ली और पूर्ण दृष्टि क्षेत्र होना चाहिए)।

वायु सेना (i) दृष्टिमानक 1 चयन नहीं लगाना है।

(ii) विशेष अपेक्षाएँ

व्यक्त दूर दृष्टिता 2.25 डी० से अधिक नहीं होनी चाहिए।

नेत्र पेशी संतुलन

मैट्रक्स राइ परीक्षण से नेत्र विचलन प्रवृत्ति निम्नलिखित से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(क) 6 मीटर की दूरी से

| | | |
|-------------|-----------|----------|
| एक्सोफोरिया | 6 प्रिज्म | डायोप्टर |
| इंसोफोरिया | 6 प्रिज्म | डायोप्टर |
| हाइपरफोरिया | 1 प्रिज्म | डायोप्टर |

(ख) 33 सें० मी० की दूरी से

| | | |
|-------------|------------|----------|
| एक्सोफोरिया | 16 प्रिज्म | डायोप्टर |
| इंसोफोरिया | 6 प्रिज्म | डायोप्टर |
| हाइपरफोरिया | 1 प्रिज्म | डायोप्टर |

निकट दृष्टि

शून्य

अबिन्दुकता

+ 0.75

दिन

द्विनेत्री दृष्टि :—द्विनेत्री दृष्टि ठीक होनी चाहिए। (आयाम और गहराई के साथ संयोजन और ग्टीरियोपसिस)।

ग का प्रत्यक्ष ज्ञान—मानक I एम० एल० टी०

6. श्रवण मानक

श्रवण परीक्षा वाक् परीक्षण द्वारा की जाएगी। जहाँ आवश्यक होगा श्रवणता मापी (आडियोमेट्रिक) रिकार्ड भी ले लिए जायेंगे।

(क) वाक् परीक्षा :—उम्मीदवार को जो एक उचित वंग से शांत कमरे में परीक्षक की ओर पीठ करके 610 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा हो प्रत्येक कान में फुमफुमाहूट की आवाज सनाई पड़नी चाहिए। परीक्षक को अवशिष्ट वायु से फुमफुसाना चाहिए : आर्थात् बह माधारण निव्वाम अन्त म लेगा।

(ख) श्रवणता मितिक परीक्षण—250 एच जैड और 4000 एच जैड के बीच आर्थातियों में श्रवणतामितिक कमी +10 डेसिबल से अधिक नहीं होनी चाहिए। श्रवणता आलेख का मूल्यांकन करते समय श्रवणतामापी की आधार रेखा के शून्य को धीरे धीरे वातावरणीय (र ब) प्रवस्थाओं में श्रवणता आलेख प्राप्त किया गया है उनको ध्यान में रखा जाना चाहिए और किसी वायुसेना कर्ण-नासिका—कंठ विशेषज्ञ की अनुशंसाओं पर विनिश्चित मानक से थोड़ा-बहुत विचलन नजर अन्दाज किया जा सकता है।

7. नेमी आधारित ई ई जी—वायुसेना हेतु सभी उम्मीदवारों की ई ई जी परीक्षा की जाएगी। विशिष्ट अपसामान्यता रखने वाले को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

परिशिष्ट III

(सेवा आदि का संक्षिप्त विवरण)

1. प्रकाशमी में भर्ती होने से पूर्व माता पिता या संरक्षक को निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों पर हस्ताक्षर करने होंगे :—

(क) इस आशय का प्रमाण-पत्र कि वह यह समझता है कि किसी प्रशिक्षण के दौरान या उसके परिणामस्वरूप यदि उसे कोई चोट लग जाए या ऊपर निर्दिष्ट किसी कारण से या अन्यथा आवश्यक किसी सर्जिकल प्रापरेशन या मंडेदमाहृक वबा के परिणामस्वरूप उसमें कोई भारीरक आणकता आ जाने या उसकी मृत्यु हो जाने पर वह या उसके वैध उत्तराधिकारी को सरकार के विरुद्ध किसी मुआवजे या अन्य प्रकार की राहत का दावा करने का हक न होगा।

(घ) इस आशय का बंध पत्र कि यदि किसी ऐसे कारण से जो उसके नियंत्रण में समझे जाने हैं, उम्मीदवार पाठ्यक्रम पूरा होने से पहले वापस आना चाहता है या कमीशन अस्वीकार कर देता है तो उस पर शिक्षा शुल्क, भोजन, वस्त्र पर किए गए व्यय तथा दिए गए वेतन और भत्ते की कुल राशि या उतनी राशि जो सरकार निश्चित करे, उसे वापस करनी होगी।

2 आवास, पुस्तकें, बर्दी, बोर्डिंग, और चिकित्सा सहित, प्रशिक्षण के खर्च को सरकार वहन करेगी। उम्मीदवार के माता-पिता या संरक्षक से यह आशा की जाती है कि उम्मीदवार का जेब खर्च वे खुद बर्दाश्त करेंगे। सामान्यतया इन खर्चों के 40.00 रु० से अधिक होने की संभावना नहीं है। यदि किसी कैडेट के माता-पिता या संरक्षक इस खर्च को भी पूरा या आंशिक रूप में बर्दाश्त करने में असमर्थ हैं तो पहले और दूसरे वर्ष के लिए रु० 40.00 तक और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में तीसरे वर्ष के प्रशिक्षण के लिए रु० 45.00 और थल सेना/नौसेना/वायुसेना प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों में आगे विधिपट प्रशिक्षण के लिए रु० 55.00 तक सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जा सकती है। लेकिन जिन उम्मीदवारों के माता-पिता या संरक्षक की मासिक आय रु० 450.00 या इससे अधिक हो, वे इस वित्तीय सहायता के पात्र नहीं होंगे। वित्तीय सहायता की पात्रता निर्धारित करने के लिए अथवा सम्पत्तियों और सभी साधनों से होने वाली आय का भी ध्यान रखा जाएगा।

यदि उम्मीदवार के माता-पिता/संरक्षक सरकार से किसी प्रकार की वित्तीय सहायता प्राप्त करने के इच्छुक हों तो उन्हें अपने पुत्र/संरक्षित के राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रशिक्षण के लिए अंतिम रूप से चुने जाने के तुरन्त बाद अपने जिले के जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से एक आवेदन-पत्र देना चाहिए जिसे जिला मजिस्ट्रेट अपनी अनुमति सहित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खड़क-वामला पुणे (411023) के कमान्डेंट की अग्रपिपत कर देगा।

3. अकादमी में प्रशिक्षण के लिए अंतिम रूप से चुने गए उम्मीदवारों को झाने पर, कमान्डेंट, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, के पाम निम्नलिखित राशि जमा करनी होगी :—

| | |
|--------------------------------------------------------|------------|
| (क) प्रति मास 40.00 के हिसाब से पांच महीने का जेब खर्च | रु० 200.00 |
| (ख) वस्त्र तथा उपस्कर की मदों के लिए जोड़ | 650.00 |
| | <hr/> |
| | 850.00 |

उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता मजूर हो जाने पर उपर्युक्त राशि में से नीचे लिखी राशि वापस कर दी जाएगी :—

| | |
|------------------------------------------------------------|------------|
| (क) 40.00 रु० प्रति माह के हिसाब से पांच महीने का जेब खर्च | रु० 200.00 |
| (ख) वस्त्र तथा उपस्कर की मदों के लिए लगभग | 475.00 |

4. राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में निम्नलिखित छात्रवृत्तियां उपलब्ध हैं :—

(1) परशुराम भाउ पटवर्दन छात्रवृत्ति —

यह छात्रवृत्ति महाराष्ट्र तथा कर्नाटक के कैडेटों को दी जाती है जिनके माता पिता की आय सभी साधनों से रु० 350.00 तथा रु० 500.00 के बीच हो। छात्रवृत्ति की राशि सरकारी वित्तीय सहायता के बराबर होगी। जब तक कैडेट राष्ट्रीय रक्षा अकादमी या अन्य कमीशन पूर्व प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों में रहेगा तब तक के लिए वह प्राप्य होगी किन्तु धार्त यह है कि कैडेट का व्यवहार अच्छा रहे और वह सन्तोषजनक प्रगति करता रहे और उसके माता-पिता की आय निर्धारित सीमा से कम रहे। जिन कैडेटों को यह छात्रवृत्ति दी जाएगी उन्हें सरकार से अन्य वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी।

(2) कर्नल केंडिलफ्रेक मैमोरियल छात्रवृत्ति :—

यह छात्रवृत्ति 360.00 रु० प्रति वर्ष की है और उस मराठा कैडेट को दी जाती है जो भूतपूर्व सैनिक का पुत्र हो। यह छात्रवृत्ति सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता के अतिरिक्त होगी।

(3) कुमर सिंह मेमोरियल छात्रवृत्ति :—

दो छात्रवृत्तियां उन दो कैडेटों को प्रदान की जाती हैं जिन्हें बिहार के उम्मीदवारों में उच्चतम स्थान प्राप्त हो। प्रत्येक छात्रवृत्ति 37.00 रु० प्रतिमास की है तथा अधिकतम चार वर्ष के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी अडकवासला में प्रशिक्षण के दौरान तथा उसके बाद भारतीय सेना अकादमी देहरादून तथा वायु सेना फ्लाईंग कालिज तथा नौसेना अकादमी, कोचीन में जहां कैडेट को प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी प्रशिक्षण पूर्ण करने पर भेजा जाएगा, दी जाती रहेगी। छात्रवृत्ति तभी मिनती रहेगी जबकि कैडेट उपर्युक्त संस्थाओं में अच्छी प्रगति करता रहे।

(4) असम सरकार छात्रवृत्तियां :—दो छात्रवृत्तियां असम के कैडेटों को प्रदान की जाएंगी। प्रत्येक छात्रवृत्ति 30.00 रु० प्रतिमास की होगी तथा जब तक छात्र राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में रहेगा उसे मिलती रहेगी। छात्रवृत्ति असम के दो सर्वोत्तम कैडेटों को उनके माता-पिता की आय पर ध्यान दिए बिना प्रदान की जाएगी। जिन कैडेटों को यह छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी उन्हें सरकार की ओर से अन्य वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाएगी।

(5) उत्तर प्रदेश सरकार छात्रवृत्तियां :—दो छात्रवृत्तियां 30.00 रु० प्रतिमास की तथा 400.00 रुपये की परिधान वृत्ति उत्तर प्रदेश सरकार के दो कैडेटों की योग्यता तथा आय के आधार पर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में संतोषजनक प्रगति करने पर तीन वर्ष के लिए दी जाएगी। जिन कैडेटों को यह छात्रवृत्तियां मिलेंगी उन्हें अन्य प्रकार की वित्तीय सहायता सरकार से नहीं मिलेगी।

(6) केरल सरकार छात्रवृत्ति :—दो वर्ष के लिए रु० 480/- की एक योग्यता छात्रवृत्ति रा० रु० अकादमी में प्रशिक्षण की पूरी अवधि के लिए केरल राज्य सरकार द्वारा उस कैडेट को दी जाती है जो केरल राज्य का अधिवासी निवासी हो और जो रा० रु० अकादमी हेतु अखिल भारतीय सं० लो० से० आ० प्रवेश परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर लेता है, अपने ही उसने यह परीक्षा राष्ट्रीय भारतीय सेना कालिज से या भारत भर में किसी सैनिक स्कूल से उत्तीर्ण की हो। ऐसा करते समय कैडेट के पिता/संरक्षक को आर्थिक स्थिति पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है।

(7) बिहारी लाल मंडाकिनी पुरस्कार :—यह 500.00 रुपये का नकद पुरस्कार सर्वोत्तम बंगाली लड़के को अकादमी में प्रत्येक कोर्स के लिए मिलता है। आवेदन प्रपत्र कमान्डेंट, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से मिलते हैं।

(8) उड़ीसा सरकार छात्रवृत्तियां :—तीन छात्रवृत्तियां :—एक थल सेना, एक नौसेना तथा एक वायु सेना के कैडेट के लिए प्रत्येक 80.00 रु० प्रति मास के हिसाब से उड़ीसा सरकार द्वारा उन कैडेटों को दी जाएगी जो उड़ीसा राज्य के स्थायी निवासी हैं। इनमें से दो छात्रवृत्तियां कैडेटों की योग्यता तथा आय साधन के आधार पर दी जाएगी जिनके माता-पिता या अभिभावक की आय रु० 5000/- प्रतिवर्ष से अधिक न हो तथा तीसरी छात्रवृत्ति बिना उसके माता-पिता या अभिभावकों की आय को ध्यान में रखते हुए सर्वोत्तम कैडेट को दी जाएगी।

(9) पश्चिम बंगाल सरकार छात्रवृत्तियां :—निम्नलिखित वर्गों की छात्रवृत्तियां पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा उन कैडेटों को दी जाएंगी जो पश्चिमी बंगाल के स्थायी निवासी हो :—

(क) वर्ग 1 :—तीन छात्रवृत्तियां (थल सेना, नौसेना तथा वायु सेना के लिए एक-एक) 360.00 रुपये प्रतिवर्ष पहले और दूसरे वर्ष के लिए और अकादमी में तीसरे वर्ष के लिए तथा विशेष प्रशिक्षण संस्था में चौथे वर्ष के लिए 480.00 रुपये तथा इसके अतिरिक्त 400.00 रुपये परिधान वृत्ति। यह उन कैडेटों को दी जाएगी जो अकादमी में कोई अन्य छात्रवृत्ति पाने के पात्र नहीं हैं।

(ख) वर्ग 2 :—तीन छात्रवृत्तियां 100 रुपये प्रतिवर्ष एक मुक्त सरकारी वित्तीय सहायता के अतिरिक्त दी जाएगी।

(10) पायलट अफसर गुरमीत गिह बेवी मेमोरियल छात्रवृत्ति — ६० 420/- प्रतिमास की एक छात्रवृत्ति ऐसे कैडेट को दी जाती है जो वायु सेना कैडेटों के चौथे सत्र के अन्त में योग्यता में सर्वोत्तम होगा। यह एक वर्ष की अवधि के लिए होगी। पाचवें और छठे सत्र के दौरान यह छात्रवृत्ति बंद कर दी जाएगी यदि प्राप्तकर्ता रलीगेट कर दिया गया हो या इसके प्राप्त करने की अवधि में छोड़ कर चला गया हो। जो कैडेट इस प्रकार के पहले से ही कोई योग्यता छात्रवृत्ति या वित्तीय सहायता ले रहा है, उसे यह छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी।

(11) हिमाचल प्रदेश सरकार छात्रवृत्तियाँ — हिमाचल प्रदेश के कैडेटों को चार छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाएगी। प्रशिक्षण के प्रथम दो वर्षों के लिए छात्रवृत्तियाँ 30 00 रुपये प्रतिमास तथा प्रशिक्षण के तीसरे वर्ष के लिए 40 00 रुपये प्रतिमास मिलेगी। यह छात्रवृत्ति उन कैडेटों को मिलेगी जिनके माता पिता की मासिक आय 500 00 रुपये प्रतिमास से कम होगी। जो कैडेट सरकार से वित्तीय सहायता ले रहा हो उसे छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी।

(12) तमिलनाडु सरकार की छात्रवृत्ति — तमिलनाडु सरकार ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रति कोर्स 30/- ६० प्र० मा० की एक छात्रवृत्ति तथा साथ में 400/- ६० सज्जा भत्ता (कैडेट के प्रशिक्षण की पूरी अवधि के दौरान केवल एक बार) देना शुरू किया है जो उस कैडेट को दिया जाएगा जो तमिलनाडु राज्य का है तथा जिसके अभिभावक/संरक्षक की मासिक आय 500/- ६० से अधिक न हो। पात्र कैडेट अपना आवेदन, कमांडेंट राष्ट्रीय रक्षा अकादमी को बटा पहुँचाने पर प्रस्तुत कर सकते हैं।

(13) राजस्थान सरकार छात्रवृत्ति — राजस्थान सरकार ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रति कोर्स 50/ ६० प्र० मा० की तीन छात्रवृत्तियाँ (थल सेना, नौ सेना और वायु सेना प्रत्येक को एक-एक) तथा साथ में 400/ ६० सज्जा भत्ता (कैडेट के प्रशिक्षण की पूरी अवधि के दौरान केवल एक बार) देना शुरू किया है जो उस कैडेट को दिया जाएगा जो राजस्थान राज्य के भूतपूर्व जे० सी० एम०/अन्य रैंक या नौसेना तथा वायुसेना के समकक्ष ग्राह्वाचारियों के पुत्र/आश्रित हो। पात्र कैडेट अपना आवेदन कमांडेंट, नेशनल डिफेंस एकेडेमी को बटा पहुँचाने पर प्रस्तुत कर सकते हैं।

इन छात्रवृत्तियों की शर्तें राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खड़कवासला पुणे (411023) से प्राप्त की जा सकती हैं।

5 चुने हुए उम्मीदवारों के अकादमी में आने के बाद तत्काल उनके लिए निम्नलिखित विषयों में एक प्रारम्भिक परीक्षा होगी।

- (क) अंग्रेजी
- (ख) गणित
- (ग) विज्ञान
- (घ) हिन्दी

(क), (ख) तथा (ग) के लिए परीक्षा का स्तर भारतीय विश्वविद्यालय या हायर सेकेंडरी शिक्षा बोर्ड की हायर सेकेंडरी परीक्षा के स्तर से ऊंचा नहीं होगा। (घ) पर लिखित विषय की परीक्षा में यह जाना जाएगा कि उम्मीदवार का अकादमी में भर्ती होने के समय हिन्दी का कितना ज्ञान है।

अस उम्मीदवारों का सलाह दी जाती है कि प्रतियोगिता परीक्षा के उपरान्त अध्ययन के प्रति उदासीन न हो जाए।

प्रशिक्षण

6 तीनों सेनाओं अर्थात् थल सेना, नौसेना और वायु सेना के लिए चुने गए उम्मीदवारों को तीन वर्षों के लिए शैक्षिक तथा शारीरिक दोनों प्रकार का प्रारम्भिक प्रशिक्षण राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में दिया जाता है जो एक सर्व सेना संस्था है। पहले छह वर्षों का प्रशिक्षण तीनों सेनाओं के लिए समान है। दिया गया शैक्षिक प्रशिक्षण यथास्थिति विज्ञान या मानविकी के स्नातक स्तर का होगा।

7 राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पास होने के बाद थल सेना कैडेट भारतीय सेना अकादमी, देहरादून में, नौसेना कैडेट, कैडेटों के प्रशिक्षण पोत में और वायु सेना कैडेट ई० एफ० एस० विचार जाएंगे।

8 भारतीय सेना अकादमी में सेना कैडेटों को 'जेन्टलमैन कैडेट' कहा जाता है और उन्हें एक वर्ष तक कड़ा प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे इन्फैंट्री के उप-यूनिटों का नेतृत्व करने योग्य अफसर बन सकें। प्रशिक्षण सफलता से पूरा करने के बाद जेन्टलमैन कैडेटों को उनके शेप (Shape) शारीरिक बृष्टि से योग्य होने पर सेकेंड लेफ्टिनेन्ट के पद पर स्थायी कमीशन दिया जाता है।

9 नौसेना कैडेटों के राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पास होने पर उन्हें नौसेना की कार्यपालक इंजीनियरी, बिजली और पूर्ति और सचिवालय शाखाओं के लिए चुना जाता है। उन्हें छह महीने के लिए कैडेट प्रशिक्षण पोत पर समुद्री प्रशिक्षण दिया जाता है जिसे सफलता पूर्वक पूरा करने पर उन्हें मिडशिपमैन रैंक में पदोन्नत किया जाता है। सबड शाखा में 6 महीने तक आगे प्रशिक्षण पाने के बाद उन्हें कार्यकारी सब लेफ्टिनेन्ट के रैंक में पदोन्नत किया जाता है।

10 वायु सेना कैडेटों को हवाई उड़ान का उके वर्षों का प्रशिक्षण दिया जाता है। सभी कैडेटों को लडाकू पायलटों का प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव है। प्रशिक्षण सफलता पूर्वक पूरा हो जाने पर उन्हें पायलट अफसरों के रूप में कमीशन तथा उड़ान बिल्ले दिए जाते हैं। या किसी कैडेट का उड़ान की आरंभ पर्याप्त रुझान नहीं होता तो उसे भारतीय सेना अकादमी, देहरादून में सेना कैडेट के रूप में नौसेना अकादमी, कोचीन में नौसेना कैडेट के रूप में, जैसी भी स्थिति हो, और ई० एफ० एस० विचार में उसके द्वारा पसन्द की गई सेवा में वापस आने की अनुमति दी जा सकती है।

सेवा की शर्तें

11 थल सेना अधिकारी

(i) वेतन

| रैंक | वेतनमान |
|---------------------------------|-----------------|
| | रुपए |
| सैकण्ड लेफ्टिनेन्ट | 750-790 |
| लेफ्टिनेन्ट | 830-950 |
| कैप्टन | 1250-1550 |
| मेजर | 1650-1800 |
| लेफ्टिनेन्ट कर्नल (चयन द्वारा) | 1800-1950 |
| लेफ्टिनेन्ट कर्नल (समय वेतनमान) | 1800 नियत |
| कर्नल | 1950-2175 |
| ब्रिगेडियर | 2200-2400 |
| मेजर जनरल | 2500-125/2-2750 |
| लेफ्टिनेन्ट जनरल | 3000 प्रतिमास |

(ii) योग्यता वेतन और अनुदान

लेफ्टिनेन्ट कर्नल और उससे नीचे के रैंक के कुछ निर्धारित योग्यता रखने वाले अधिकारी अपनी योग्यताओं के आधार पर 1600/- ६०, 2100/- ६०, 4500/- ६० अथवा 6000/- ६० के एकमुश्त अनुदान के हकदार हैं, उड़ान प्रशिक्षक (बर्ग 'ख') 70/- ६० की दर पर योग्यता वेतन के अधिकारी होंगे।

(iii) भत्ते

वेतन के प्रतिरक्त अफसरों को इस समय निम्नलिखित भत्ते मिलते हैं —

(क) सिविलियन राजपत्रित अफसरों पर समय-समय पर लागू दरो और शर्तों के अनुसार ही इन्ट्रे भी नगर प्रतिवार तथा महंगाई भत्ते दिए जाते हैं।

(ख) ६० 50/- प्रतिमास की दर सेफिट अनुकरण भत्ता।

(ग) प्रवास भत्ता जब अफसर भारत के बाहर सेवा कर रहा हो, तब धारित रैंक के अनुसार 50 ६० से 250/- ६० तक प्रति मास प्रवास भत्ता।

- (ध) नियुक्ति भत्ता जब विवाहित अफसरों को ऐसे स्थानों पर तैनात किया जाता है जहाँ परिवार सहित नहीं रखा जा सकता है तब वे अफसर 70/- रु० प्रतिमास की दर से नियुक्ति भत्ता प्राप्त करने के हकदार होते हैं।

(iv) तैनाती

थल सेना अफसर भारत में या विदेश में कहीं भी तैनात किए जा सकते हैं।

(v) पदोन्नतियाँ

(क) स्थायी पदोन्नति

उच्चतर रैंको पर स्थायी पदोन्नति के लिए निम्नलिखित सेवा सीमाएं हैं —

समय बतनमान से

| | |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|
| सेफ्टिनेट | 2 वर्ष कमीशन प्राप्त सेवा |
| कैप्टन | 6 वर्ष कमीशन प्राप्त सेवा |
| मेजर | 13 वर्ष कमीशन प्राप्त सेवा |
| मेजर से सेफ्टिनेट कर्नल यदि चयन द्वारा पदोन्नति न हुई हो | 25 वर्ष कमीशन प्राप्त सेवा |

चयन द्वारा

| | |
|-----------------|----------------------------|
| सेफ्टिनेट कर्नल | 16 वर्ष कमीशन प्राप्त सेवा |
| कर्नल | 20 वर्ष कमीशन प्राप्त सेवा |
| ब्रिगेडियर | 23 वर्ष कमीशन प्राप्त सेवा |
| मेजर जनरल | 25 वर्ष कमीशन प्राप्त सेवा |
| सेफ्टिनेट जनरल | 28 वर्ष कमीशन प्राप्त सेवा |
| जनरल | कोई प्रतिबन्ध नहीं। |

(ख) कार्यकारी पदोन्नति

निम्नलिखित न्यूनतम सेवा सीमाएं पूरी करने पर, अफसर उच्चतर रैंको पर कार्यकारी पदोन्नति के लिए पात्र होंगे बशर्ते कि रिक्तियाँ उपलब्ध हों —

| | |
|-----------------|---------|
| कैप्टन | 3 वर्ष |
| मेजर | 5 वर्ष |
| सेफ्टिनेट कर्नल | 6½ वर्ष |
| कर्नल | 8½ वर्ष |
| ब्रिगेडियर | 12 वर्ष |
| मेजर जनरल | 20 वर्ष |
| सेफ्टिनेट जनरल | 25 वर्ष |

12 नौसेना अफसर

(i) वेतन

| रैंक | वेतनमान | |
|------------------------|--------------|---------------------------|
| | सामान्य सेवा | नौसेना विमानन और पनडुब्बी |
| | मासिक रु० | मासिक रु० |
| मिडशिपमैन | 560 | 560 |
| कार्यकारी सब सेफ्टिनेट | 750 | 825 |
| सब सेफ्टिनेट | 830-870 | 910-950 |
| सेफ्टिनेट | 1100-1450 | 1200-1550 |
| सेफ्टिनेट कमांडर | 1550-1800 | 1650-1800 |
| कमांडर | 1800-1950 | 1800-1950 |

| | मासिक रु० | मासिक रु० |
|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| कैप्टन | 1950-2400 | 1950-2400 |
| रियर एडमिरल | 2500-125/2-2750 | कोमोडोर को वही वेतन मिलता है जिसके लिए वह कैप्टन के रूप में अपनी वरिष्ठता के अनुसार हकदार है। |
| वाइस एडमिरल | 3000/- प्रतिमास | |

कुछ निर्धारित योग्यताएं रखने वाले कमाण्डर और उसके नीचे के रैंक के अफसर अपनी योग्यताओं के आधार पर 1600/- रु०, 2400/- रु० 4500/- रु० या 6000/- रु० के एकमुश्त अनुदान के हकदार हैं।

(ii) भत्ते

नौ सेना विमानन अफसर उड़ान भत्ता के लिए उन्हीं दरों तथा शर्तों के अधीन होंगे जो वायु सेना अफसरों के अनुकूली रैंको के लिए लागू हैं।

नौ सेना अफसर समकक्ष रैंक में थल सेना अफसरों को मिलने वाले भत्ते के लिए भी हकदार हैं। इनके प्रतिरिक्त उन्हें हार्ड लाइवग मनी पनडुब्बी भत्ता, पनडुब्बी वेतन और गोता वेतन जैसी विशेष रियायतें भी दी जाती हैं।

(iii) पदोन्नतियाँ

(क) मूल पदोन्नति

उच्चतर रैंको पर कार्यकारी पदोन्नतियाँ देने के लिए निम्नलिखित सेवा सीमाएं हैं —

समय बतनमान द्वारा

| | |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| सब सेफ्टिनेट | 1 वर्ष |
| सेफ्टिनेट | 3 वर्ष (वरिष्ठता लाभ/जम्मी के अधीन) |
| सेफ्टिनेट कमांडर | सेफ्टिनेट के रूप में 8 वर्ष की वरिष्ठता। |
| कमाण्डर | 24 वर्ष की कमीशन प्राप्त सेवा (यदि चयन द्वारा पदोन्नति नहीं हुई है)। |

चयन द्वारा

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| कमाण्डर कार्यपालक शाखा | सेफ्टिनेट कमाण्डर के रूप में 2-8 वर्ष की वरिष्ठता। |
| कमाण्डर इंजीनियरी शाखा | सेफ्टिनेट कमाण्डर के रूप में 2-10 वर्ष की वरिष्ठता। |
| कमाण्डर विद्युत शाखा | सेफ्टिनेट कमाण्डर के रूप में 2-10 वर्ष की वरिष्ठता। |
| कमाण्डर पूर्ति और सचिवालय शाखा | सेफ्टिनेट कमाण्डर के रूप में 4-10 वर्ष की वरिष्ठता। |
| कैप्टन | कमाण्डर के रूप में 4 वर्ष की वरिष्ठता। |
| रियर एडमिरल | कोई प्रतिबन्ध नहीं। |
| वाइस एडमिरल | कोई प्रतिबन्ध नहीं। |

(ख) कार्यकारी पदोन्नति

लेफ्टिनेन्ट कमाण्डर के रैंक को छोड़ कर जिसके लिए किसी अफसर की सेफ्टिनेन्ट के रूप में 6 वर्ष की बरिष्ठता होनी चाहिए, नौ सेना की कार्यकारी पदोन्नति के लिए कोई सेवा सीमा नहीं है।

13. वायु सेना अफसर

(i) वेतन

| रैंक | वेतनमान रुपये |
|-----------------------------|---------------|
| पाइलट अफसर | 825-865 |
| फ्लाईंग अफसर | 910-1030 |
| फ्लाईंग लेफ्टिनेन्ट | 1300-1550 |
| स्क्वाड्रन लीडर | 1650-1800 |
| विंग कमांडर (चयन) | 1750-1950 |
| विंग कमांडर (समय वेतनमान) | 1800 नियत |
| ग्रुप कैप्टन | 1950-2175 |
| एयर कमांडर | 2200-2400 |
| एयर वाइस मार्शल | 3000 |
| एयर चीफ मार्शल (सी० ए० एस०) | 4000 |

(ii) भत्ते :

उड़ान भत्ता—उड़ान शाखा (पायलट और नेवीगैटर) शाखाओं के अफसर निम्नलिखित दर पर उड़ान भत्ता लेने के पात्र हैं :—

| | प्रतिमास र० |
|--------------------------------------|----------------|
| पायलट अफसर से लेकर विंग कमांडर तक | 375 |
| ग्रुप कैप्टन और एयर कमांडर | 333. 33 |
| एयर वाइस मार्शल और उससे ऊपर | 300 |

(iii) योग्यता वेतन/अनुदान—निम्नलिखित दरों पर उन उड़ान शाखा अफसरों को प्राप्य जिनके पास निर्धारित योग्यताएं हैं :—

| योग्यता वेतन | र० 100/- प्र० मा० या र० 70/- प्र० मा० | र० | र० |
|----------------|---------------------------------------|----|------------------|
| योग्यता अनुदान | 6000/- या 2400/- | या | 4500/- या 1600/- |

(iv) पदोन्नतियां

(क) मूल पदोन्नति

उच्चतर रैंको पर मूल पदोन्नति के लिए निम्नलिखित सेवा सीमाएं हैं :—

समय वेतनमान द्वारा

| | |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| फ्लाईंग अफसर | 1 वर्ष की कमीशन प्राप्त सेवा |
| फ्लाईंग लेफ्टिनेन्ट | 5 वर्ष की कमीशन प्राप्त सेवा |
| स्क्वाड्रन लीडर | 11 वर्ष की कमीशन प्राप्त सेवा |
| विंग कमांडर | यदि चयन द्वारा पदोन्नति न हुई हो तो 24 वर्ष की कमीशन प्राप्त सेवा पूरी कर ली हो। |

चयन द्वारा

| | |
|--------------|--------------------------------------------------|
| विंग कमाण्डर | स्थायी स्क्वाड्रन लीडर के रूप में 3 वर्ष की सेवा |
| ग्रुप कैप्टन | स्थायी विंग कमांडर के रूप में 4 वर्ष की सेवा |

एयर कमांडर

एयर वाइस मार्शल

एयर मार्शल

(ख) कार्यकारी पदोन्नति

अफसरों की कार्यकारी पदोन्नति के लिये अपेक्षित न्यूनतम सेवा सीमा इस प्रकार है :—

| | |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| फ्लाईंग लेफ्टिनेन्ट | 2 वर्ष |
| स्क्वाड्रन लीडर | 5 वर्ष |
| विंग कमांडर | 6 वर्ष (स्क्वाड्रन लीडर के रैंक में एक वर्ष की सेवा के बाद)। |
| एयर कमांडर | 11½ वर्ष (विंग कमांडर और ग्रुप कैप्टन के रूप में 3 वर्ष की सेवा के बाद) |
| एयर वाइस मार्शल | 15 वर्ष (विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन और एयर कमांडर के रैंकों में 5* वर्ष की सेवा के बाद)। |
| एयर मार्शल | 23 वर्ष |

*खंडित अवधियों को शामिल करके।

14. सेवा निवृत्ति लाभ

पेंशन, उपदान और कैजुएल्टी पेंशन अर्थात् समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार स्वीकार्य होंगे।

15. छुट्टी

समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार छुट्टी स्वीकार्य होगी।

परिशिष्ट IV

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्र का फार्म :

प्रमाणित किया जाता है कि श्री
सुपुत्र श्री जो गांव/कस्बा*
. जिला/मंडल*
राज्य/संघ* राज्य क्षेत्र के निवासी है
. जाति/जन* जाति के हैं जिसे निम्नलिखित
के अधीन अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति के रूप में मान्यता दी गई है :—
संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950*

संविधान (अनुसूचित जन जातियां) आदेश, 1950*

संविधान (अनुसूचित जातियों) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951*

संविधान (अनुसूचित जन जातियों) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951*

[अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जन जातियां सूचियां (प्रासोधन) आदेश, 1956, बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 और उत्तर पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित)।

संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश, 1956*

संविधान (अहमदनगर और निकोबार द्वीपसमूह) अनुसूचित जन जातियां आदेश, 1959 अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जन जातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित।*

संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जातियां आदेश, 1962*

संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जन जातियां आदेश, 1962*

संविधान (पाण्डिचेरी) अनुसूचित जातियां आदेश, 1964*

संविधान (अनुसूचित जन जातियां) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967*

संविधान (गोआ, दमन और दीयू) अनुसूचित जातियां आदेश, 1968*

संविधान (गोआ, दमन और दीयू) अनुसूचित जन जातियां आदेश, 1968*

संविधान (नागालैण्ड) अनुसूचित जन जातियां आदेश, 1970*

2. श्री और/या*

उनका परिवार आम तौर से गांव/कस्बा*
जिला/मंडल* राज्य/संघ* राज्य क्षत्र
..... में रहता है।

राज्य/संघ* राज्य क्षेत्र

हस्ताक्षर

**पदनाम

(कार्यालय की मोहर के साथ)

स्थान

तारीख

*जो शब्द लागू नहीं उन्हें कृपया काट दें।

नोट :—यहां "आम तौर से रहता है" का अर्थ वही होगा जो "रिप्रेजेंटेशन आफ दि पीपुल ऐक्ट, 1950" की धारा 20 में है।

**जाति/जन जाति का प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम अधिकारी।

(i) जिला मैजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट/क्लेक्टर/डिप्टी कमिश्नर/एडीशनल डिप्टी कमिश्नर/डिप्टी क्लेक्टर/प्रथम श्रेणी का स्टार्टपेडरी मैजिस्ट्रेट/सिटी मैजिस्ट्रेट/सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट/ताल्लुक मैजिस्ट्रेट/एक्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट/एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर।

†(प्रथम श्रेणी के स्टार्टपेडरी मैजिस्ट्रेट से कम ओहदे का नहीं)

(ii) चीफ प्रेसिडेन्सी मैजिस्ट्रेट/एडीशनल चीफ प्रेसिडेन्सी मैजिस्ट्रेट/प्रेसिडेन्सी मैजिस्ट्रेट।

(iii) रैबन्ड अफसर जिनका औहदा तहसीलदार से कम न हो।

(iv) उस हलाके का सब-डिवीजनल अफसर जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार आम तौर पर रहता हो।

(v) ऐडमिनिस्ट्रेटर/ऐडमिनिस्ट्रेटर का सचिव/डिप्टी सचिव अफसर (सहायक)।

सब लोक सेवा आयोग

उम्मीदवारों को सूचनार्थ विवरणिका

वस्तुपरक परीक्षण

आप जिस परीक्षा में बैठने वाले हैं, उसको 'वस्तुपरक परीक्षण' कहा जाता है। इस प्रकार की परीक्षा में आपको उत्तर फेंकाकर लिखने नहीं होंगे। प्रत्येक प्रश्न (जिसको आगे प्रश्नांश कहा जाएगा) के लिए कई संभाव्य उत्तर दिए जाते हैं। उनमें से प्रत्येक के लिए एक उत्तर (जिसको आगे प्रत्युत्तर कहा जाएगा) आपको चुन लेना है।

इस विवरणिका का उद्देश्य आपको इस परीक्षा के बारे में कुछ जानकारी देना है जिससे कि परीक्षा के स्वरूप से परिचित न होने के कारण आपको कोई हानि न हो।

परीक्षा का स्वरूप

प्रश्न पत्र "परीक्षण पुस्तिका" के रूप में होंगे। इस पुस्तिका में क्रम संख्या 1, 2, 3 के क्रम से प्रश्न होंगे। हर एक प्रश्न के नीचे abc.... क्रम में संभावित उत्तर लिखे होंगे। आपका काम प्रत्येक प्रश्न के लिये एक सही या यदि एक से अधिक उत्तर सही हैं तो उनमें से सर्वोत्तम उत्तर का चुनाव करना होगा। अंत में दिए गए नमूने के प्रश्न देख लें। किसी भी स्थिति में, प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको एक ही उत्तर का चुनाव करना होगा। यदि आप एक से अधिक उत्तर चुन लेते हैं तो आपका उत्तर गलत माना जाएगा।

उत्तर देने की विधि

उत्तर देने के लिए आपको अलग से एक उत्तर पत्रक परीक्षा भवन में दिया जाएगा। आपको अपने उत्तर इस उत्तर पत्रक में लिखने होंगे। परीक्षण पुस्तिका में या उत्तर पुस्तिका को छोड़कर अन्य किसी कागज पर लिखे गए उत्तर जांचे नहीं जायेंगे।

उत्तर पत्रक में प्रश्नांशों की संख्याएं 1 से 200 तक चार खंडों में छापी गई हैं। प्रत्येक प्रश्नांश के सामने abcdc के क्रम से प्रत्युत्तर छपे होंगे। परीक्षण पुस्तिका के प्रत्येक प्रश्नांश को पढ़ लेने और यह निर्णय करने के बाद कि कौन सा प्रत्युत्तर सही या सर्वोत्तम है, आपको उस प्रत्युत्तर के गंभीर को दर्शाने वाले आयत को पेंसिल से काला बनाकर उसे अंकित कर देना है। जैसा कि सलन उत्तर पत्रक के नमूने पर दिखाया गया है।

आपके उत्तर पत्रक में दिए गए उत्तरों का मूल्यांकन एक मूल्यांकन मशीन से किया जाएगा। इसलिये यह जरूरी है कि:

1. आप केवल एच० बी० पेंसिल का उपयोग करें। सम्भव है दूसरी पेंसिल या कलम से लगाए गये निशान मशीन से ठीक-ठीक न पढ़े जाएं। इस उद्देश्य के लिए परीक्षा भवन में प्रयोग के लिये आप अपने साथ एच० बी० पेंसिल ही लाएं।

2. यदि आपने गलत निशान लगाया है तो उसे पूरा मिटाकर फिर से सही उत्तर का निशान लगा दें। इस हेतु आपको अपने साथ मिटाने के लिए खड़ लानी चाहिये।

3. उत्तर पत्रक का उपयोग करते समय कोई ऐसी असावधानी न हो जिससे वह खराब हो जाए।

कुछ महत्वपूर्ण नियम

1. आपको परीक्षा आरंभ करने के लिए निर्धारित समय से 20 मिनट पहले परीक्षा भवन में पहुंचना होगा और पहुंचते ही अपना स्थान ग्रहण करना होगा।

2. परीक्षा शुरू होने के 30 मिनट बाद किसी को परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

3. परीक्षा शुरू होने के बाद 45 मिनट तक किसी को परीक्षा भवन छोड़ने की अनुमति नहीं मिलेगी।

4. परीक्षा समाप्त होने के बाद, परीक्षण पुस्तिका और उत्तर पत्रक पर्यवेक्षक को सौंप दें। आपको परीक्षण पुस्तिका परीक्षा भवन से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं है।

5. उत्तर पत्रक पर नियत स्थान पर परीक्षा का नाम, अपना रोल नंबर, केंद्र, विषय, परीक्षण की तारीख और परीक्षण पुस्तिका की क्रम संख्या माफ-साफ लिखें। उत्तर पत्रक पर कहीं भी आपको अपना नाम नहीं लिखना है।

6. परीक्षण-पुस्तिका में दिए गए सभी अनुदेश आपको सावधानी से पढ़ने हैं। चूंकि मूल्यांकन मशीन के द्वारा होना है, इसलिए संभव है कि इन अनुदेशों का सावधानी से पालन न करने से आपके नंबर कम हो जाएं। अगर उत्तर पत्रक पर कोई प्रविष्टि संदिग्ध है, तो उस प्रश्नांक के लिए आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। पर्यवेक्षक के दिए गए अनुदेशों का पालन करें। जब पर्यवेक्षक किसी परीक्षण या उसके किसी भाग को आरंभ या समाप्त करने को कह दें तो उनके अनुदेशों का तत्काल पालन करें।

7. आप अपना प्रवेश प्रमाण पत्र साथ लाएं। आपको अपने साथ एक एच० बी० पेंसिल, एक पेंसिल शार्पेनर, एक रबड़ और नीली या काली स्थायी वाली कलम भी लाना होगी। आपको परीक्षा भवन में कोई कच्चा कागज या कागज का टुकड़ा, पैमाना या लेखन सामग्री नहीं लानी है क्योंकि उनकी जहूरत नहीं होगी। कच्चे काम के लिए आपको एक अलग कागज दिया जाएगा। आप कच्चा काम शुरू करने से पहले उम पर परीक्षा/परीक्षण का नाम, अपना रोल नंबर, परीक्षण का विषय और तारीख लिखें और परीक्षण समाप्त होने के बाद उसे अपने उत्तर पत्रक के साथ पर्यवेक्षक को हापस कर दें। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, पेंसिल से काला निशान लगाकर उत्तर अंकित करने चाहिए। उत्तर पत्रक पर साल स्थायी का प्रयोग नहीं करना चाहिए।

कुछ उपयोगी सुझाव

यद्यपि इस परीक्षण का उद्देश्य आपकी गति की अपेक्षा शुद्धता को जाचना है, फिर भी यह जरूरी है कि आप अपने समय का बहुत किफायत के साथ, उपयोग करें। संतुलन के साथ आप जितनी जल्दी आगे बढ़ सकते हैं, वढ़े, पर लापरवाही न हो। अगर आप सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पा रहे हों तो चिन्ता न करें। आप को जो प्रश्न अत्यंत कठिन मालूम पड़ें, उन पर समय-अर्थ न करें। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ें और उन कठिन प्रश्नों पर बाद में विचार करें।

सभी प्रश्नों को अंक समान होंगे। आप सभी प्रश्नों के उत्तर दें। आपके द्वारा अंकित सही उत्तरों की संख्या के आधार पर अंक विये जाएंगे।

प्रश्न इस तरह बनाए जाते हैं कि उनसे आपकी स्मरण शक्ति की अपेक्षा, जानकारी सूक्ष्म-बुद्धि और विश्लेषण-क्षमता की परीक्षा हो। आपके लिए यह लाभ-दायक होगा कि आप सगल विषयों को एक बार सरसरी निगाह से देख लें और इस बात से आश्वस्त हो जाएं कि आप अपने विषय को अच्छी तरह समझते हैं।

विशेष अनुदेश

जब आप परीक्षा-भवन में अपने स्थान पर बैठ जाते हैं तब निरीक्षक से आपको उत्तर पत्रक मिलेगा। उत्तर पत्रक पर अपेक्षित सूचना अपनी कलम से भर दें। यह काम पूरा होने के बाद निरीक्षक आपको परीक्षण-पुस्तिका देंगे। प्रत्येक परीक्षण पुस्तिका पर हाथिये में सील लगी होगी जिससे कि परीक्षण शुरू हो जाने के पहले उसे कोई खोल नहीं पाए। जैसे ही आपको परीक्षण-पुस्तिका मिल जाए, तुरन्त आप देख लें कि उस पर पुस्तिका की संख्या लिखी हुई है और सील लगी हुई है। अन्यथा, उसे बदलवा लें। जब यह हो जाए तब आपको उत्तर पत्र के सबख खाने में अपनी परीक्षण-पुस्तिका की क्रम संख्या लिखनी होगी। जब तक पर्यवेक्षक परीक्षण पुस्तिका की सील तोड़ने को न कहें तब तक आप उसे न तोड़ें।

परीक्षण का समापन

जैसे ही पर्यवेक्षक आपको लिखना बंद करने को कहें, आप लिखना बंद कर दें। जो उम्मीदवार इस तरह बंद नहीं करते हैं वे बंद के भागी होंगे।

जब आपका उत्तर लिखना समाप्त हो जाए तब आप अपने स्थान पर तब तक बैठें रहे जब तक निरीक्षक आपको यहां आकर आपकी परीक्षण पुस्तिका और

उत्तर पत्रक न ले जाएं और आपको 'हाल' छोड़नेकी अनुमति न दें। आपको परीक्षण-पुस्तिका और उत्तर पत्रक परीक्षा भवन से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं है। इस निर्देश का उल्लंघन करने वाले बंद के भागी होंगे।

नमूने के प्रश्न

1. मौर्य बंध के पतन के लिए निम्नलिखित कारणों में से कौन-सा उत्तरदायी नहीं है ?

- अधोक के उत्तराधिकारी सबके सब कमजोर थे।
- अधोक के बाद साम्राज्य का विभाजन हुआ।
- उत्तरी सीमा पर प्रभावशाली सुरक्षा की व्यवस्था नहीं हुई।
- अधोकोत्तर युग में आर्थिक स्थिरता थी।

उत्तर (d)

2. संसदीय स्वरूप की सरकार में

- विधायिका न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी है।
- विधायिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी है।
- कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है।
- न्यायपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है।
- कार्यपालिका न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी है।

उत्तर (c)

3. पाठशाला के छात्र के लिए पाठ्येतर कार्यकलाप का मुख्य प्रयोजन

- विकास की सुविधा प्रदान करना है।
- अनुशासन की समस्याओं की रोकथाम है।
- नियत कक्षा-कार्य से राहत देना है।
- शिक्षा के कार्यक्रम में विकल्प देना है।

उत्तर (a)

4. सूर्य के सबसे निकट ग्रह है।

- शुक्र
- मंगल
- बृहस्पति
- शुध

उत्तर (d)

5. वन और बाढ़ के पारस्परिक संबंध को निम्नलिखित में से कौन सा विवरण स्पष्ट करता है ?

- पेड़ पौधे जितने अधिक होते हैं, मिट्टी का क्षरण उतना अधिक होता है जिससे बाढ़ होती है।
- पेड़ पौधे जितने कम होते हैं नदियां उतनी ही गाढ़ से भरी होती हैं जिससे बाढ़ होती है।
- पेड़ पौधे जितने अधिक होते हैं, नदियां उतनी ही कम गाढ़ से भरी होती हैं जिससे बाढ़ रोकी जाती है।
- पेड़ पौधे जितने कम होते हैं उतनी ही धीमी गति से बर्फ पिघल जाती है जिससे बाढ़ रोकी जाती है।

उत्तर (c)

संघ लोक सेवा आयोग

नोटिस

सम्मिलित सीमित विभागीय प्रतियोगिता, परीक्षा 1978

नई दिल्ली, दिनांक 12 अगस्त 1978

सं० एफ 9/3/78 प० I (ख)—भारत के राजपत्र दिनांक 12 अगस्त, 1978 में मंत्रिमंडल सचिवालय (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा प्रकाशित नियमों के अनुसार नीचे पैरा 2 में उल्लिखित सेवाओं के

अनुभाग अधिकारी ग्रेड तथा आशुलिपिक ग्रेड I 'ग्रेड ख' की चयन सूची में सम्मिलित करने के लिये सघ लोक सेवा आयोग द्वारा बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, नागपुर तथा विदेश स्थित कुछ चुने हुए भारतीय मिशनो में 19 दिसम्बर, 1978 से एक सम्मिलित सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा ली जायेगी।

आयोग यदि चाहे तो, परीक्षा के उपर्युक्त केन्द्रो तथा उसके प्रारम्भ होने की तारीख में परिवर्तन कर सकता है। परीक्षा में प्रवेश प्राप्त उम्मीदवारो को परीक्षा की समय मारणी तथा स्थान अथवा स्थानो के बारे में सूचित किया जाएगा। (देखिए, अनुबन्ध, पैरा 9)।

2 इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर जिन सेवाओ में भर्ती की जानी है उनका तथा उनका सेवाओ में उपलब्ध रिक्तियों की अनुमानित संख्या का विवरण इस प्रकार है —

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| | वर्ग I | |
| केन्द्रीय सचिवालय सेवा का अनुभाग अधिकारी ग्रेड | * | |
| | वर्ग II | |
| अनुभाग अधिकारी ग्रेड (भारतीय विदेश सेवा, शाखा 'ख' सामान्य सवर्ग का सम्मेलित ग्रेड II और III | * | |
| | वर्ग III | |
| रेल बोर्ड सचिवालय सेवा का अनुभाग अधिकारी ग्रेड | 3 | |
| | वर्ग IV | |
| केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा का ग्रेड ख | * | |
| | वर्ग V | |
| भारतीय विदेश सेवा, शाखा 'ख' के आशुलिपिक उप सवर्ग का ग्रेड-I | * | |
| | वर्ग VI | |
| संघसंज्ञ सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा का ग्रेड ख | * | |
| | वर्ग VII | |
| रेल बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा का ग्रेड ख | 1 | |
| | वर्ग VIII | |
| आसूचना ब्यूरो का अनुभाग अधिकारी ग्रेड (अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों के लिये आरक्षित है) | 3 | |
| उपर्युक्त संख्याओं में परिवर्तन किया जा सकता है। रिक्तियां सरकार द्वारा सूचित नहीं की गईं। | | |

**अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारो के लिये आरक्षित रिक्तियां, यदि कोई होगी, तो उनकी संख्या सरकार द्वारा निश्चित की जायेगी।

3 जो उम्मीदवार उक्त सेवाओ (द्रष्टव्य नियम 3) के दो वर्गों के लिये पात्र हैं और दोनों के लिये प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं, वह केवल एक ही आवेदन पत्र भेजे। उसे अनुबन्ध में उल्लिखित शुल्क एक बार ही देना होगा तथा आवेदन किए गए प्रत्येक वर्ग के लिये पृथक शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है।

ध्यान दे — उम्मीदवारो को अपने आवेदन पत्रों में उस वर्ग उन वर्गों वा स्पष्ट उल्लेख करना चाहिये जिनके लिये वे प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। दो वर्गों के लिये प्रतियोगिता में भाग लेने वाले उम्मीदवारो को अपने आवेदन पत्र में बरीयता क्रम से दोनों वर्गों का उल्लेख करना चाहिये। दो वर्गों के लिये प्रतियोगिता में भाग लेने वाले उम्मीदवारो को अपने आवेदन पत्र में उल्लिखित मूलत वर्गों के बरीयता क्रम में परिवर्तन करने के अनुरोध पर तब तक विचार नहीं किया जायेगा, जब तक कि ऐसा अनुरोध सघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में 15 जून, 1979 को या इससे पहले प्राप्त नहीं हो जाता।

4 परीक्षा में प्रवेश चाहने वाले उम्मीदवारो को निर्धारित आवेदन पत्र पर सचिव, सघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, नई दिल्ली-110011 को आवेदन करना चाहिये। निर्धारित आवेदन पत्र तथा परीक्षा से संबंध पूर्ण विवरण दो रुपय देकर आयोग से डाक द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। यह राशि सचिव, सघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, नई दिल्ली-110011 को मनीआर्डर द्वारा या सचिव, सघ लोक सेवा आयोग को नई दिल्ली जनरल डाकघर पर देय भारतीय पोस्टल आर्डर द्वारा भेजी जानी चाहिये। मनीआर्डर/पोस्टल आर्डर के स्थान पर चैक या करेसी नोट स्वीकार नहीं किए जायेंगे। ये आवेदन पत्र आयोग के वाउन्टर पर तब तक भुगतान द्वारा भी प्राप्त किए जा सकते हैं। दो रुपय की यह राशि किसी भी हालत में वापस नहीं की जाएगी।

नोट — उम्मीदवारो को ज्ञेतावनी दी जाती है कि वे अपने आवेदन पत्र सम्मिलित सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा, 1978 के लिए निर्धारित मुद्रित पत्र में ही प्रस्तुत करें। सम्मिलित सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा 1978 के लिये निर्धारित आवेदन पत्रों से हतर पत्रों पर प्रस्तुत आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।

5 भरा हुआ, आवेदन पत्र आवश्यक प्रलेखों के साथ सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, नई दिल्ली-110011 के पास 25 सितम्बर 1978 (25 सितम्बर, 1978 में पहले की किसी तारीख से विदेशों में या अठमान एवं निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप में रहने वाले उम्मीदवारो के मामले में 9 अक्टूबर, 1978) तक या उससे पूर्व अवश्य पहुंच जाना चाहिये। निर्धारित तारीख के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।

विदेशों में या अठमान एवं निकोबार द्वीप समूह में या लक्षद्वीप में रहने वाले उम्मीदवार से, आयोग यदि चाहे तो, इस बात का लिखित प्रमाण प्रस्तुत करने के लिये कह सकता है कि वह 25 सितम्बर, 1978 से पहले की किसी तारीख से विदेशों में या अठमान एवं निकोबार द्वीप समूह में या लक्षद्वीप में रह रहा था।

6 परीक्षा में प्रवेश चाहने वाले उम्मीदवारो को भरे हुए आवेदन पत्र के साथ आयोग को रु० 28 00 (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के मामलों में रु० 7.00) का शुल्क भेजना होगा जोकि सचिव, संघ लोक सेवा आयोग को नई दिल्ली के प्रधान डाकघर पर देय रेखांकित भारतीय पोस्टल आर्डर या सचिव, संघ लोक सेवा आयोग को नई दिल्ली की पार्लियामेंट स्ट्रीट, पर स्थित स्टेट बैंक आफ इंडिया पर देय स्टेट बैंक आफ इंडिया की किसी भी शाखा से जारी किये गये रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के रूप में हो।

विदेशों में रहने वाले उम्मीदवार को निर्धारित शुल्क भारत के उच्च आयुक्त राजदूत या विदेश स्थित प्रतिनिधि जैसी भी स्थिति हो के कार्यालय में जमा करना होगा ताकि वह "051-लोक सेवा आयोग परीक्षा शुल्क" के लेखाशीर्ष में जमा हो जाये और आवेदन पत्र के साथ उसकी रसीद लगाकर भेजनी चाहिये।

जिन आवेदन पत्रों में यह अपेक्षा पूरी नहीं होगी उन्हें एकदम अस्वीकार कर दिया जाएगा।

7 यदि कोई उम्मीदवार, सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा, 1977 में बैठा हो, और इस परीक्षा में प्रवेश पाने के लिये आवेदन करना चाहता हो

तो उसे 1977 की परीक्षा के परिणामों की प्रतीक्षा किए बिना ही अपना आवेदन पत्र अवश्य भेज देना चाहिये ताकि वह निर्धारित तारीख तक आयोग के कार्यालय में पहुंच जाए। यदि 1977 में ली गई परीक्षा के परिणाम के आधार पर उसका नाम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु अनुमति कर दिया जाता है तो उसके अनुरोध पर हम परीक्षा के लिये उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और उसको उसी प्रकार शुल्क लौटा दिया जायेगा जिस प्रकार नीचे पैरा 8 के अनुसार उस उम्मीदवार को लौटा दिया जाता है जिसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाता बशर्ते कि उम्मीदवारी रद्द कराने और शुल्क को वापिस करने का अनुरोध आयोग के कार्यालय में 1977 की परीक्षा के अन्तिम परिणामों की घोषणा के एक मास के अन्दर प्रस्तुत कर दिया जाए।

8. जिस उम्मीदवार ने निर्धारित शुल्क का भुगतान कर दिया हो किन्तु उसे आयोग द्वारा परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया गया हो तो उसे रु० 15.00 (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के मामले में रु० 4.00) की राशि वापस कर दी जाएगी।

उपर्युक्त उपबन्धित व्यवस्था को छोड़कर अन्य किसी भी स्थिति में आयोग को भुगतान किए गए शुल्क की वापसी के किसी दावे पर न तो विचार किया जायेगा और न ही शुल्क को किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए आरक्षित रखा जा सकेगा।

9. उम्मीदवार को अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर देने के बाद उम्मीदवारी वापस लेने से सम्बद्ध, उसके किसी भी अनुरोध को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

आर० एग० गोयला
उप सचिव
संघ लोक सेवा आयोग

अनुबन्ध

उम्मीदवारों को अनुदेश

1. उम्मीदवारों को चाहिये कि वे आवेदन प्रपत्र भरने से पहले नोटिस और नियमावली को ध्यान से पढ़ कर यह देख लें कि वे परीक्षा में बैठने के पात्र भी हैं या नहीं। निर्धारित शर्तों में छूट नहीं दी जा सकती है।

आवेदन पत्र भेजने से पहले उम्मीदवार को नोटिस के पैरा 1 में दिए गए केन्द्रों में से किसी एक को, जहाँ वह परीक्षा देने का इच्छुक हो, अन्तिम रूप से चुन लेना चाहिये। सामान्यता: चुने हुए स्थान में परिवर्तन से सम्बद्ध किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

यदि कोई उम्मीदवार किसी विदेश स्थित भारतीय मिशन में परीक्षा देना चाहता हो तो उसे अपनी पसंद के क्रमानुसार दो अन्य भारतीय मिशनों (वह स्वयं जिस देश में है उससे भिन्न देश में स्थित) के नाम भी वैकल्पिक केन्द्रों के रूप में देने चाहिये। उम्मीदवार को, आयोग यदि चाहे तो उसके द्वारा उल्लिखित तीन मिशनों में से किसी एक परीक्षा में बैठने के लिये कह सकता है।

2. उम्मीदवारों को आवेदन प्रपत्र तथा पावती कार्ड अपने हाथ से ही भरने चाहिये। अधूरा या गलत भरा हुआ आवेदन पत्र, सभ्य है, अस्वीकार कर दिया जाए।

उम्मीदवार को अपना आवेदन पत्र संबद्ध विभाग या कार्यालय के अध्यक्ष की मार्फत ही भेजना चाहिये जो आवेदन पत्र के अन्त में दिए गए पृष्ठांकन को भर कर आयोग को भेज देगा।

3. उम्मीदवार को अपने आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाणपत्र अवश्य भजन चाहिये:—

- (i) निर्धारित शुल्क के लिये रेखांकित किए हुए भारतीय पोस्टल आर्डर या बैंक ड्राफ्ट (देखिए नोटिस का पैरा 6)।
- (ii) आयु के प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि।
- (iii) उम्मीदवार के हाल ही के पावपोस्ट आकार (लगभग 5 सें०मी० × 7 सें०मी०) के फोटो की दो एक जैसी प्रतियां।
- (iv) जहाँ लागू हो वहाँ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति का होने के दावे के समर्थन में प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि (देखिए नीचे पैरा 4)।
- (v) जहाँ लागू हो वहाँ आयु में छूट के दावे के समर्थन में प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि (देखिये नीचे के पैरा 5)।

नोट:—उम्मीदवारों को अपने आवेदन पत्रों के साथ उपर्युक्त मंत्र (ii), (iv) तथा (v) पर उल्लिखित प्रमाण पत्रों को केवल प्रतियां ही प्रस्तुत करनी हैं जो सरकार के किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित हो अथवा स्वयं उम्मीदवारों द्वारा सही प्रमाणित हो। जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा के परिणामों के आधार पर यथास्थिति सेवा रिक्तियों के मूल्यांकन अथवा आशुलिपि परीक्षा, के लिये अर्हता प्राप्त कर लेते हैं उन्हें लिखित परीक्षा के परिणाम घोषित किए जाने के तुरन्त बाद उपर्युक्त प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी। परिणामों के मई, 1979 के महीने में घोषित किए जाने की संभावना है। उम्मीदवारों को इन प्रमाण-पत्रों को तैयार रखना चाहिये और लिखित परीक्षा के परिणाम घोषित किये जाने के तुरन्त बाद आयोग को भेज देना चाहिये। जो उम्मीदवार अपेक्षित मूल प्रमाण पत्र मांगे जाने पर नहीं भेजेंगे उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी और आगे विचार के लिये उन उम्मीदवारों का कोई दावा नहीं होगा।

मंत्र (i) से (iii) में उल्लिखित प्रलेखों के चिकरण नीचे दिए गए हैं और मंत्र (iv) और (v) के चिकरण पैरा 4 और 5 में दिए गए हैं।

(i) (क) निर्धारित शुल्क के लिये रेखांकित किए हुए भारतीय पोस्टल आर्डर:—

प्रत्येक पोस्टल आर्डर अनिवार्यतः रेखांकित किया जाए, उस पर "सचिव, संघ लोक सेवा आयोग को तई दिल्ली के प्रधान डाक घर पर देय" लिखा जाना चाहिये।

किसी अन्य डाक घर पर देय पोस्टल आर्डर किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किए जायेंगे। विकल्पित या कटे फटे पोस्टल आर्डर भी स्वीकार नहीं किए जायेंगे।

सभी पोस्टल आर्डरों पर जारी करने वाले पोस्ट मास्टर के हस्ताक्षर और जारी करने वाले डाकघर की स्पष्ट मुहर होनी चाहिये।

उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिये कि जो पोस्टल आर्डर न तो रेखांकित किए गए हो और न ही सचिव, संघ लोक सेवा आयोग को नई दिल्ली के जनरल डाकघर पर देय किए गए हो, उन्हें भेजना सुरक्षित नहीं है।

(ख) निर्धारित शुल्क के लिये रेखांकित बैंक ड्राफ्ट:—

बैंक ड्राफ्ट स्टेट बैंक आफ इंडिया की किसी शाखा से लिया जाना चाहिये और सचिव, संघ लोक सेवा आयोग को स्टेट बैंक आफ इंडिया, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली में देय होना चाहिए तथा विधिवत् रेखांकित होना चाहिए।

किसी अन्य बैंक के नाम देय किए गए बैंक ड्राफ्ट किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। विरूपित या कटे फटे ड्राफ्ट भी स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

नोट — जो उम्मीदवार आवेदन-पत्र भेजते समय विदेश में रह रहे हों, वे निर्धारित शुल्क की राशि (₹ 28.00 के बराबर और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिये ₹ 7.00 के बराबर) यथास्थिति उस देश में स्थित भारत के उच्च आयुक्त, राजदूत या प्रतिनिधि के कार्यालय में जमा करवाएँ और उनसे कहा जाए कि वे उस राशि को लेखा शीर्ष "051—लोक सेवा आयोग परीक्षा, शुल्क" में जमा कर दें। उम्मीदवार उस कार्यालय से रसीद लेकर आवेदन-पत्र के साथ भेजें।

(ii) आयु का प्रमाण पत्र —आयोग सामान्यतः जन्म की वह तारीख स्वीकार करता है जो मैट्रिकुलेशन के प्रमाण-पत्र या माध्यमिक विद्यालय छोड़ने के प्रमाण-पत्र या किसी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा मैट्रिकुलेशन के समकक्ष माने गए प्रमाण-पत्र या विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकारी द्वारा सप्रथित विश्वविद्यालय के मैट्रिक पास छात्रों के रजिस्टर के उद्धरण में दर्ज की गई हो। जो उम्मीदवार उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या उसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण हैं, वह उच्चतर माध्यमिक परीक्षा का प्रमाण-पत्र या समकक्ष प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर सकता है।

अनुदेशों के इस भाग में आए मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र के अन्तर्गत उपर्युक्त वैकल्पिक प्रमाण-पत्र सम्मिलित हैं।

कभी कभी मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र में जन्म की तारीख नहीं होती या आयु के केवल पूरे वर्ष या पूरे वर्ष और महीने ही दिए होने हैं। ऐसे मामलों में उम्मीदवारों को मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि के अतिरिक्त उस सस्था के हेडमास्टर/प्रिंसिपल से लिए गए प्रमाण-पत्र की एक अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि भेजनी चाहिये। जहाँ से वह मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में उत्तीर्ण हो। इस प्रमाण-पत्र में उस सस्था के दाखिला रजिस्टर में दर्ज की गई उसकी जन्म की तारीख या वास्तविक आयु लियी होनी चाहिये।

उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि यदि आवेदन पत्र के साथ इन अनुदेशों में निर्धारित आयु का पूरा प्रमाण नहीं भेजा गया तो आवेदन-पत्र स्वीकार किया जा सकता है। उन्हें यह भी चेतावनी दी जाती है कि यदि आवेदन पत्र में लिखी जन्म की तारीख मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र में दी गई जन्म की तारीख से भिन्न हो तो और इसके लिये कोई स्पष्टीकरण न दिया गया हो तो आवेदन पत्र अस्वीकार किया जा सकता है।

नोट 1—जिस उम्मीदवार के पास पढाई पूरी करने के बाद माध्यमिक विद्यालय छोड़ने का प्रमाण-पत्र ही, उसे केवल आयु से सम्बद्ध प्रविष्टि वाले पृष्ठ की अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि भेजनी चाहिए।

नोट 2—उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिये कि उनके द्वारा किसी परीक्षा में प्रवेश के लिये जन्म की तारीख एक बार लिख भेजने और आयोग द्वारा उसकी स्वीकृत हो जाने के बाद किसी अगली परीक्षा में उसमें कोई परिवर्तन करने की अनुमति सामान्यतः नहीं दी जाएगी।

नोट 3—जो उम्मीदवार पहले से ही स्थायी गणकारी नौकरी में हैं, उनको सेवा पुस्तिका की प्रविष्टियों को जन्म की तारीख के प्रमाण स्वरूप स्वीकार किया जा सकता है।

(iii) फोटो की दो प्रतियाँ —उम्मीदवार को अपने हाल ही के पास फोटों काकार (समम 5 से० मी० × 7 से० मी०) के फोटो की एक जैसी दो प्रतियाँ अवश्य भेजनी चाहिये। इनमें से एक प्रति आवेदन-पत्र के पहले

पृष्ठ पर चिपका वेनी चाहिये और दूसरी प्रति आवेदन-पत्र के साथ अच्छी तरह नरथी कर देनी चाहिये। फोटो की प्रत्येक प्रति के ऊपर उम्मीदवार को स्याही से हस्ताक्षर करने चाहिये।

ध्यान दें —उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि यदि आवेदन पत्र के साथ ऊपर पैरा 3 (ii) तथा 3 (iii) में उल्लिखित प्रमाण-पत्र आदि में से कोई एक सलग्न न हो और उसे न भेजने का उचित स्पष्टीकरण भी नहीं दिया गया हो तो आवेदन पत्र अस्वीकार किया जा सकता है और इस अस्वीकृति के विरुद्ध कोई अपील नहीं सुनी जाएगी। यदि कोई प्रमाण-पत्र आदि आवेदन-पत्र के साथ न भेजे गए हो तो उन्हें आवेदन-पत्र भेजने के बाद भी इस ही भेजे जाना चाहिए और वे हर हालत में आवेदन-पत्र प्राप्त करने के लिये निर्धारित अन्तिम तारीख से एक महीने के भीतर आयोग के कार्यालय में पहुँच जाने चाहिये। यदि ऐसा न किया गया तो आवेदन-पत्र अस्वीकार किया जा सकता है।

4 यदि कोई उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का होने का दावा करे तो उसे अपने दावे के समर्थन में उस जिले के जिसमें उसके माता पिता (या जीवित माता या पिता) आमतौर से रहते हों, जिला अधिकारी या उप-मण्डल अधिकारी या निम्नांकित किसी अन्य ऐसे अधिकारी से, जिसे राज्य सरकार ने यह प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये सक्षम अधिकारी के रूप में नामित किया हो, नीचे दिए गए फार्म में प्रमाण पत्र लेकर, उसकी एक अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी चाहिये। यदि उम्मीदवार के माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई हो तो यह प्रमाण पत्र उस जिले के अधिकारी से लिया जाना चाहिये अर्थात् उम्मीदवार अपनी शिक्षा से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन से आमतौर पर रहता हो।

भारत सरकार के पदों पर नियुक्ति के लिये आवेदन करने वाले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का फार्म।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी*
मुपुत्र मुपुत्री/श्री* — जो गाँव/कस्बा*
जिला/मंडल*

राज्य/सब राज्य क्षेत्र* — के/की* निवासी हैं,
जाति/जन जाति के हैं जिसे निम्नलिखित के अधीन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के रूप में मान्यता दी गई है:—

संविधान (अनुसूचित जातियाँ) आदेश, 1950*

संविधान (अनुसूचित जन जातियाँ) आदेश, 1950*

संविधान (अनुसूचित जातियाँ) (सब राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951*

संविधान (अनुसूचित जन जातियाँ) (सब राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951*

[अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जन जातियाँ सूची (आशोधन) आदेश, 1956, बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960, पंजाब पुनर्गठन, अधिनियम, 1966 हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 और उत्तर पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन), अधिनियम, 1971 और अनुसूचित जातियाँ तथा अनुसूचित जन जातियाँ (सशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथा सशोधित।]

संविधान (जम्मू और काश्मीर) अनुसूचित जातियाँ आदेश, 1956*

संविधान (अजमान और निकोबार द्वीपसमूह) अनुसूचित जन जातियाँ आदेश, 1959 अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जन जातियाँ आदेश (सशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथा सशोधित।

संविधान, (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जातियाँ, आदेश, 1962*

संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जन जातियाँ आदेश, 1962*

1. संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जातियां आदेश, 1964*
 संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967*
 2. संविधान (गोआ दमन और दियु) अनुसूचित जातियों आदेश, 1968*
 संविधान (गोआ, दमन और दियु) अनुसूचित जन जातियां आदेश, 1968*
 संविधान (नागालैण्ड) अनुसूचित जन जातियां, आदेश, 1970*

2. श्री/श्रीमती / कुमारी*
 और/या* उनका परिवार आमतौर से गांव/कस्बा*
 जिला/मंडल*
 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* में रहते /रहती* हैं।
 हस्ताक्षर
 *पदनाम
 (कार्यालय की मोहर)

स्थान
 तारीख

राज्य*

संघ राज्य क्षेत्र

*जो शब्द लागू न हो उन्हें कृपया काट दे।

नोट:—यहां "आमतौर से रहते/रहती* हैं" का अर्थ वही होगा जो "रिजिस्ट्रेशन आफ दि पीपुल ऐक्ट, 1950" की धारा 20 में है।

**अनुसूचित जाति/जन जाति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये सक्षम अधिकारी।

(i) जिला मैजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट/कलेक्टर/डिप्टी कमिश्नर/ऐडिशनल डिप्टी कमिश्नर/ डिप्टी कलेक्टर/ प्रथम श्रेणी का स्टाइ-पेंडरी मैजिस्ट्रेट/सिटी मैजिस्ट्रेट/ सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट/बाल्यक मैजिस्ट्रेट/ एकजीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट/ एक्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर।
 †(प्रथम श्रेणी के स्टाइपेंडरी मैजिस्ट्रेट से कम ओहदे का नहीं)।

(ii) चीफ प्रेसिडेन्सी मैजिस्ट्रेट/ऐडिशनल चीफ प्रेसिडेन्सी मैजिस्ट्रेट/ प्रेसिडेन्सी मैजिस्ट्रेट।

(iii) रेवेन्यू अफसर जिनका ओहदा तहसीलदार से कम न हो।

(iv) उस इलाके का सब-डिवीजनल अफसर जहां उम्मीदवार और या उसका परिवार आमतौर से रहता हो।

(v) ऐडमिनिस्ट्रेटर/ऐडमिनिस्ट्रेटर का सचिव/ डेवेलोपमेन्ट अफसर (सहायक)।

5. (i) नियम 3 (ख) के अन्तर्गत आयु-सीमा में छूट चाहने वाले पांडि-चेरी, के संघ राज्य क्षेत्र के उम्मीदवार को उस शिक्षा संस्था के प्रिंसिपल से, जिसमें उसने शिक्षा प्राप्त की है, लिये गए प्रमाण-पत्र की एक अभि-प्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि यह दिखलाने के लिये प्रस्तुत करनी चाहिये कि उसने किसी स्तर पर फेच के माध्यम से शिक्षा प्राप्त की है।

(ii) नियम 3 (ग) (ii) या 3 (ग) (iii) के अन्तर्गत निर्धारित आयु सीमा में छूट का दावा करने वाले भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगला देश) से विस्थापित व्यक्ति को निम्नलिखित प्राधिकारियों में से किसी एक से लिये गए प्रमाण-पत्र की एक अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि यह दिखलाने के लिये प्रस्तुत करनी चाहिये कि वह भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगला देश) से आया हुआ वास्तविक विस्थापित व्यक्ति है और 1 जनवरी 1964 और 25 मार्च, 1971 के बीच की अवधि के दौरान प्रयोजन कर भारत आया है:—

(1) वृद्धकारण परियोजना के ट्रांजिट केन्द्रों अथवा विभिन्न राज्यों में स्थित सहायता शिबिरो के कैम्प कमांडेंट।

(2) उस क्षेत्र का जिला मैजिस्ट्रेट जहां वह इस समय निवास कर रहा है।

(3) सम्बद्ध जिलों में शरणार्थी पुनर्वास कार्य के प्रभारी अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट।

(4) अपने ही कार्यभार के अधीन सब-डिवीजन का सब-डिवीजनल अफसर।

(5) उप शरणार्थी पुनर्वास आयुक्त, पश्चिम बंगाल/निवेशक (पुनर्वास) कलकत्ता।

(iii) नियम 3 (ग) (iv) या 3(ग) (v) के अन्तर्गत निर्धारित आयु में छूट का दावा करने वाले श्री लका से प्रत्यावर्तित या प्रत्यावर्तित होने वाले मूलतः भारतीय व्यक्ति को श्रीलका में भारत के उच्च आयुक्त के कार्यालय से लिये गए इस आशय के प्रमाण-पत्र की एक अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी चाहिये कि वह एक भारतीय नागरिक है जो अक्टूबर, 1964 के भारत श्रीलका समझौते के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद भारत आया है या आने चाहा है।

(iv) नियम 3 (ग) (vi) के अन्तर्गत आयु-सीमा में छूट चाहने वाले श्रीमती, उगांडा तथा संयुक्त गणराज्य टंजानिया से आए हुए उम्मीदवार को या जाम्बिया, मलावी, जेरे और इथियोपिया से प्रत्यावर्तित मूलतः भारतीय को उस क्षेत्र के जिला मैजिस्ट्रेट में जहां वह इस समय निवास कर रहा है, लिये गए प्रमाण-पत्र की एक अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि यह दिखलाने के लिये प्रस्तुत करनी चाहिये कि वह वास्तव में उपर्युक्त देशों से आया है।

(v) नियम 3 (ग) (vii) या 3(ग) (viii) के अन्तर्गत निर्धारित आयु सीमा में छूट चाहने वाले बर्मा से प्रत्यावर्तित मूलतः भारतीय व्यक्ति को भारतीय राजदूतावास, रंगून द्वारा दिए गए पहचान प्रमाण-पत्र की एक अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि यह दिखलाने के लिये प्रस्तुत करनी चाहिये कि वह एक भारतीय नागरिक है जो 1 जून, 1963 को या उसके बाद भारत आया है, अथवा जिस क्षेत्र का वह निवासी है, उसके जिला मैजिस्ट्रेट से लिये गए प्रमाण-पत्र की एक अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि यह दिखलाने के लिये प्रस्तुत करनी चाहिये कि वह बर्मा से आया हुआ वास्तविक प्रत्यावर्तित व्यक्ति है और 1 जून, 1963 को या उसके बाद भारत आया है।

(vi) नियम 3 (ग) (ix) और (x) के अन्तर्गत आयु-सीमा में छूट चाहने वाले ऐसे उम्मीदवार को, जो रक्षा सेवा में कार्य करते हुए विकलांग हुआ है, महानिदेशक, पुनर्वास, रक्षा मंत्रालय से निम्नलिखित निर्धारित फार्म पर लिये गए प्रमाण-पत्र की एक अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि यह दिखलाने के लिये प्रस्तुत करनी चाहिये कि वह रक्षा सेवाओं में कार्य करते हुए विदेशी शत्रु देश के साथ संघर्ष में अथवा अशांतिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्रवाई के दौरान विकलांग हुआ और परिणामस्वरूप निर्मुक्त हुआ।

उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण-पत्र का फार्म

प्रमाणित किया जाता है कि यूनिट
 के रैंक नं० श्री
 रक्षा सेवाओं में कार्य करते हुए विदेशी शत्रु देश के साथ संघर्ष/अशांतिग्रस्त क्षेत्र* में फौजी कार्रवाई के दौरान विकलांग हुए और उस विकलांगता के परिणामस्वरूप निर्मुक्त हुए।
 हस्ताक्षर
 पदनाम
 तारीख

*जो लागू न हो उसे कृपया काट दे।

(vii) नियम 3 (ग) (xi) या 3(ग) (xii) के अन्तर्गत आयु-सीमा में छूट चाहने वाले उम्मीदवार को, जो सीमा सुरक्षा दल में कार्य करते हुए विकलांग हुआ है, महानिदेशक, सीमा सुरक्षा दल, गृह मंत्रालय से नीचे

निर्धारित फार्म पर लिए गए, प्रमाण-पत्र की एक अधिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि यह दिखसाने के लिये प्रस्तुत करनी चाहिये कि वह सीमा सुरक्षा दल में कार्य करते हुए 1971 के भारत पाक संघर्ष के दौरान विकलांग हुआ और परिणामस्वरूप निर्मुक्त हुआ।

उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्र का कार्य

प्रमाणित किया जाता है कि मूनिट
के रैंक न० श्री
सीमा सुरक्षा दल में कार्य करते हुए सन् 1971 के भारत पाक शत्रुता संघर्ष के दौरान विकलांग हुए और उस विकलांगता के परिणाम स्वरूप निर्मुक्त हुए।

हस्ताक्षर
पदनाम
तारीख

6. नियम 3 (ब) के अन्तर्गत आयु में छूट का दावा करने वाले उम्मीदवार को (i) निरोधक प्राधिकारी से उनकी मुहर लगे प्रमाण-पत्र की अधिप्रमाणित/प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी चाहिये जिसमें यह लिखा हो कि उक्त उम्मीदवार आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत निरुद्ध हुआ था या (ii) जिस उपमंडल मैजिस्ट्रेट के अन्तर्गत अधिकार में वह इलाका आता हो उसके प्रमाण-पत्र की एक अधिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी चाहिये जिसमें लिखा हो कि उम्मीदवार भारत रक्षा तथा आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम, 1971 या उसके अन्तर्गत बने नियमों के अन्तर्गत गिरफ्तार या कैद हुआ था और जिसमें वे तारीखें बिलिदिष्ट हों जिनके बीच वह गिरफ्तार या कैद रहा था तथा जिसमें प्रमाणित हो कि निरोध या गिरफ्तारी या कैद, जैसी भी स्थिति हो, उम्मीदवार के राजनैतिक सम्बन्धों या कार्य-कलापों या तत्कालीन प्रतिबन्धित सगठना से उसके सम्बन्ध रखने के अनुसरण में थी।

7. उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि वे आवेदन पत्र भरते समय कोई झूठा ब्योरा न दें, अथवा किसी महत्वपूर्ण सूचना को न छिपाएं।

उम्मीदवारों को यह भी चेतावनी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किए गए किसी प्रलेख अथवा उसकी प्रति की किसी प्रविष्टि को किसी भी स्थिति में न तो ठीक करे न उसमें परिवर्तन करे और न कोई फेरबदल करे और न ही फेरबदल किए गए झूठे प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे। यदि ऐसे दो या अधिक प्रलेखों या उनकी प्रतियों में कोई असुद्धि अथवा विसंगति हो तो विसंगति के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।

8. आवेदन-पत्र देर से प्रस्तुत किए जाने पर देरी के कारण के रूप में यह लक्ष्य स्वीकार नहीं किया जाएगा कि आवेदन-पत्र ही अमुक तारीख को भेजा गया था। आवेदन-पत्र का भेजा जाना ही स्वतः इस बात का सूचक न होगा कि प्रपत्र पाने आला परीक्षा में बैठने का पात्र हो गया है।

9. यदि परीक्षा से सम्बद्ध आवेदन-पत्रों के पहुँच जाने की आखिरी तारीख से एक महीने के भीतर उम्मीदवार को अपने आवेदन-पत्र की पावती (एकनालिजमेंट) न मिले तो उसे पावती प्राप्त करने के लिये आयोग से तत्काल सम्पर्क स्थापित करना चाहिये।

10. इस परीक्षा में प्रवेश चाहने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को उसके आवेदन पत्र के परिणाम की सूचना यथाशीघ्र दे दी जाएगी। किन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि परिणाम कब सूचित किया जाएगा। यदि परीक्षा के शुरू होने की तारीख से एक महीने पहले तक उम्मीदवार को अपने आवेदन पत्र के परिणाम के बारे में सघ लोक सेवा आयोग से कोई सूचना न मिले तो परिणाम की जानकारी के लिये उसे आयोग से तत्काल सम्पर्क स्थापित करना चाहिये। यदि उम्मीदवार ने ऐसा नहीं किया तो वह अपने मामले में बिचार किए जाने के दावे से वञ्चित हो जायेगा।

11. केंद्रीय सर्जिकल सेवा अनुभाग अधिकारी ग्रेड सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा, 1977 और सम्मिलित सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा, 1976 से पूर्व पांच वर्षों के दौरान मेली गई उक्त परीक्षाओं के नियमों और प्रश्न पत्रों से सम्बद्ध पुस्तिकाओं की बिक्री प्रकाशन नियन्त्रक, गीवाल लाइन्स, दिल्ली-110054 के द्वारा होती है और उन्हें वहा से मेल आर्डर द्वारा सीधे अथवा नकद भुगतान द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। उन्हें (i) किताब महल, रिखोली मिनेमा के सामने, एम्पौरिया बिल्डिंग, "सी" ब्लॉक, वाबा खड़गसिंह मार्ग, नई दिल्ली-110001, (ii) प्रकाशन शाखा का बिक्री काउन्टर उद्योग भवन, नई दिल्ली-110001 और (iii) गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बुक डिपो, 8 के० एम० राय रोड, कलकत्ता-1 से भी केवल नकद पैसा देकर प्राप्त किया जा सकता है। ये पुस्तिकाएँ विभिन्न मुफ़्तसिल नगरों में भारत सरकार के प्रकाशन एजेंटों से भी प्राप्त की जा सकती हैं।

12. परीक्षा से सम्मिलित होने के लिये उम्मीदवारों को सघ लोक सेवा आयोग से कोई यात्रा भत्ता नहीं मिलेगा।

13. आवेदन-पत्र से सम्बद्ध पत्र-व्यवहार.—आवेदन-पत्र से सम्बद्ध सभी पत्र धाबि सखिब, सघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर-हाउस, नई दिल्ली-110011, को भेजे जाए तथा उनमें नीचे लिखा ब्योरा अनिवार्य रूप से दिया जाए:—

- (1) परीक्षा का नाम।
- (2) परीक्षा का महीना और वर्ष।
- (3) उम्मीदवार का रोल नम्बर, अथवा जन्म-तिथि, यदि रोल नम्बर सूचित नहीं किया गया है।
- (4) उम्मीदवार का नाम (पूरा तथा बड़े अक्षरों में)।
- (5) आवेदन-पत्र में दिया गया पत्र-व्यवहार का पता।

ध्यान दें—जिन पत्रों आदि में यह ब्योरा नहीं होगा सम्भवतः उन पर ध्यान नहीं किया जाएगा।

14. पत्रों में परिवर्तन—उम्मीदवार को इस बात की व्यवस्था कर लेनी चाहिये कि उनके आवेदन-पत्र में उल्लिखित पत्रों पर भेजे गए पत्र आदि, आवश्यक होने पर, उनको बदले हुए पत्रों पर मिल जाया करे। पत्रों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने पर आयोग को उसकी सूचना, उपर्युक्त पैरा 13 में उल्लिखित ब्योरा के साथ यथाशीघ्र दी जानी चाहिये। यद्यपि आयोग ऐसे परिवर्तनों पर ध्यान देने का पूरा-पूरा प्रयत्न करता है फिर भी इस विषय में वह कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं कर सकता।

SUPREME COURT OF INDIA

New Delhi, the 14th July 1978

No. F. 6/78-SCA(I).—The Hon'ble the Chief Justice of India has been pleased to appoint Shri H. D. Pathak, Officiating Section Officer as Officiating Court Master with effect from 13 July, 1978 until further orders.

2. The Hon'ble the Chief Justice of India has further been pleased to promote and appoint Shri R. K. Bit, Assistant to officiate as Section Officer for a period of six months in the first instance, with effect from the forenoon of 13 July, 1978.

No. F. 6/78-SCA(I).—The Hon'ble the Chief Justice of India has been pleased to promote and appoint Shri Shyam Lal Sharma, P.A. to Registrar, as Officiating Private Secretary to the Hon'ble Judge, Supreme Court of India, against a purely temporary post with effect from the forenoon of 12 July, 1978, until further orders.

2. The Hon'ble the Chief Justice of India has been pleased to promote and appoint Kumari Krishna Bala, Officiating Stenographer, as Officiating P.A. to Registrar, Supreme Court of India, with effect from the forenoon of 12 July, 1978 *vice* Shri Shyam Lal Sharma, until further orders.

MAHESH PRASAD
Dy. Registrar (Admn. J)
Supreme Court of India

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi-110011, the 17th July 1978

No. A. 32013/2/77-Admn. I(1).—Chairman, Union Public Service Commission hereby appoints Dr. R. Bhaskaran, Lecturer in the Calicut Regional Engineering College, Calicut and officiating as Under Secretary in the office of the Union Public Service Commission to officiate as Deputy Secretary in the office of the Union Public Service Commission on *ad hoc* basis with effect from the forenoon of 17-7-78 to 16-10-78 or until further orders whichever is earlier, *vide* proviso to Regulation 4 read with regulation 7 of the Union Public Service Commission (Staff) Regulations, 1958, amended upto date.

P. N. MUKHERJEE
Under Secy.
for Chairman
Union Public Service Commission

New Delhi-110011, the 6th June 1978

No. A. 11016/1/76-Admn. III.—The Secretary, Union Public Service Commission, hereby makes the following appointments in the office of Union Public Service Commission for the period indicated against, or until further orders, whichever is earlier :—

- (i) Shri J. S. Sawhney, Section Officer to officiate as Desk Officer for the period from 30-5-1978 to 30-6-1978. He is posted to Services II Section.
- (ii) Shri S. K. Arora, Section Officer (Spl.) to officiate as Desk Attache for the period from 30-5-1978 to 28-2-1979. He may continue in RR Section.
- (iii) Shri N. K. Dhingra, Section Officer to officiate as Desk Attache for the period from 30-5-1978 to 28-2-1979. He is posted to RR Section.

The 20th July 1978

No. P-254/Admn. II.—Consequent upon his appointment to officiate as Section Officer *vice* Shri Y. R. Gandhi granted leave *vide* Union Public Service Commission's Notification No. A. 32014/1/78-Admn. III(2) dated 24-4-78, Shri G. V. Mathur, a permanent Assistant of CSS cadre of UPSC appointed to officiate as Section Officer (Special) on *ad-hoc*

basis *vide* Union Public Service Commission Notification No. A. 11013/2/74-Admn. II dated 1-4-78, relinquished charge of the office of Section Officer (Special) in Union Public Service Commission with effect from the forenoon of 24-4-78.

P. N. MUKHERJEE
Under Secy.
for Secy.
Union Public Service Commission

New Delhi-110011, the 6th July 1978

No. A.12025(ii)/2/76-Admn.III.—The President is pleased to appoint Kumari Jayalakshmi Nair nominated on the basis of the I.A.S. etc. Examination 1976 *vide* D.O.P & A.R. O.M. No. 9/2/78-CS(I) dated 30th March, 1978, as probationer in the Section Officers' Grade of the Central Secretariat Service cadre of the Union Public Service Commission with effect from 1-6-1978 (F.N.) and to place her on training in the Institute of Secretariat Training & Management, R. K. Puanam, New Delhi, with effect from the same date.

P. N. MUKHERJEE
Under Secy.
Incharge of Administration
Union Public Service Commission

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

DEPARTMENT OF PERSONNEL & A.R.

CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi, the 24th July 1978

No. N-7/72-Ad. V.—The President is pleased to appoint Shri N. K. Singh IPS (1961-Orissa) to officiate as D.I.G. in the C.B.I. with effect from the afternoon of 15-7-78 and until further orders.

K. K. PURI
Deputy Director (Admn.)
C.B.I.

New Delhi, the 21st July 1978

No. A-19036/12/76-AD. V.—On the expiry of his term of deputation, the services of Shri D. B. Patel, Dy. Supdt. of Police, an Officer of Gujrat State Police, are placed back at the disposal of the State Government of Gujrat with effect from the afternoon of 12-6-78.

The 24th July 1978

F. No. A-19036/12/78-Ad. V.—The Director, C.B.I. & I.G.P., S.P.E. hereby appoints Shri G. J. Desai, an Officer of Gujarat State Police and an Inspector of Police C.B.I., Ahmedabad Br. to officiate as Dy. Supdt. of Police in C.B.I., S.P.E., Ahmedabad with effect from Forenoon of 1-7-78 and until further orders.

M. K. AGARWAL
Administrative Officer (A)
C.B.I.

DIRECTORATE GENERAL, CRP FORCE

New Delhi-110001, the 25th July 1978

No. O.II-35/70-Estt.—Consequent on his retirement from Govt. service on superannuation pension Shri V. Krishnappa relinquished charge of the post of Commandant Group Centre, CRPF Nagpur on the afternoon of 30-6-78.

The 26th July 1978

No. O.II.135/75-Estt.—Major G. T. Vazirani (IC-40458) Signals, an Army Officer on deputation to CRPF as Asstt. Commandant, is granted leave as under :—

- (a) Earned leave for 22 days w.e.f. 10-7-78 to 31-7-78 with permission to prefix holidays on 8th and 9th July, 1978; and
- (b) Special leave (LPR) for 31 days w.e.f. 1-8-78 to 31-8-78 as admissible under the Army Leave Rules.

2. On expiry of leave, Major Vazirani will stand retired from Army service w.e.f. the forenoon of 1st Sept., 1978.

A. K. BANDYOPADHYAY
Asstt. Director (Adm.)

MINISTRY OF LABOUR
(LABOUR BUREAU)

Simla, the 5th August 1978

No. 23/3/78-CPI.—The All-India Consumer Price Index Number for Industrial Workers on base : 1960=100 increased by four points to reach 327 (three hundred and twenty seven) during the month of June, 1978. Converted to base : 1949=100 the index for the month of June, 1978 works out to 397 (three hundred and ninety seven).

A. S. BHARADWAJ, Jt. Dir.
Labour Bureau

MINISTRY OF FINANCE
(DEPTT. OF ECONOMIC AFFAIRS)

SECURITY PAPER MILL

Hoshangabad-461 001, the 15th July 1978

No. PF-7(36)/3244.—Further to this office notification No. 7(36)/703 dated 21/4/78 Shri S. T. Shirsat is allowed to continue to officiate in the post of Fire Officer on an *ad-hoc* basis for a further period of 3 months with effect from 1-7-78 till the post is filled on a regular basis, whichever is earlier.

S. R. PATHAK
General Manager

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL
RAJASTHAN

Jaipur, the 14th July 1978

No. Admn. II/GG Notification/487.—Accountant General, Rajasthan is pleased to appoint the Section Officers named below as officiating Accounts Officers until further orders from the date noted against each :—

| S. No. | Name | Date |
|--------|----------------------|----------------|
| | <i>S/Shri</i> | |
| 1. | Kedar Nath Bohra | 30-6-76 (F.N.) |
| 2. | Jai Behari Lal Goyal | 29-6-78 (A.N.) |
| 3. | Mahendra Kumar Jain | 29-6-78 (A.N.) |

R. A. BORKAR
Sr. Dy. Accountant General/Admn.

OFFICE OF THE CHIEF AUDITOR

SOUTHERN RAILWAY

Madras, the 20th July 1978

No. A/PC/VVS/7803.—Sri V. V. Subramanian, a permanent member of the SRAS cadre in the Office of the Chief Auditor/Southern Railway has been promoted to officiate as Audit Officer in the scale of Rs. 840—40—1000—EB—40—1200 with effect from 19-5-78 A.N. until further orders. For purposes of fixation of pay, the deemed date of his promotion to Audit Officer's Cadre is 19-7-75, the date from which his junior was promoted while Sri V. V. Subramanian was on deputation abroad.

Promotion made in this case is purely on *ad-hoc* basis and subject to the final decision of the Supreme Court.

T. B. NAGARAJAN
Chief Auditor

DEFENCE ACCOUNTS DEPARTMENT

OFFICE OF THE CONTROLLER GENERAL OF
DEFENCE ACCOUNTS

New Delhi-22, the 22nd July 1978

No. 68018(2)/71-AN-II.—The president is pleased to appoint Shri B. C. Joshi, an Officer of the Indian Defence Accounts Service (on deputation to the Ministry of Home Affairs as Deputy Director (Accounts), Border Security Force, New Delhi) to officiate in the Junior Administrative Grade (Rs. 1500—60—1800—100—2000) of that Service with effect from the forenoon of the 19th June, 1978, until further orders, under the 'Next Below Rule'.

The 24th July 1978

No. 86016(15)/77-AN-II.—The President is pleased to appoint Shri P. C. Thomas, an officer of the Indian Defence Accounts Service to officiate in the Senior Administrative Grade—Level I (Rs. 2500—125/2—2750) of that Service with effect from 10th July, 1978 (forenoon), until further orders.

No. 86016/(15)/77-AN-II.—The President is pleased to appoint Shri V. Narayanaswami, an officer of the Indian Defence Accounts Service, to officiate in the Junior Administrative Grade (Rs. 1500—60—1800—100—2000) of that Service with effect from the forenoon of the 16th June, 1978, until further orders.

No. 86016(15)/77-AN-II.—The President is pleased to appoint the following officers of the Indian Defence Accounts Service to officiate in Level II of the Senior Administrative Grade (Rs. 2250-125/2-2500) of that Service with effect from the dates shown against them, until further orders :—

| Sl. No. | Name of Officer | Date from which appointed |
|---------|-----------------------|---------------------------|
| 1. | Shri C.V.K. Reddi | 10-7-78 (Forenoon) |
| 2. | Shri H.S. Mehta | 26-6-78 (Forenoon) |
| 3. | Shri G. Bhattacharyya | 7-7-78 (Afternoon) |

V. S. BHIR
Addl. Controller General of Defence
Accounts

New Delhi, the 21st July, 1978

No. 40011(2)/78/AN-A -The undermentioned Accounts Officers were/will be transferred to the Pension Establishment with effect from the afternoon of the date shown against each on their attaining the age of superannuation.

| Sl. No. | Name with Roster Number | Grade | Date from which transferred to Pension Establishment | Organisation |
|---------|------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | S/Shri R. Thiruvengadaswami (P/21) | Permanent Accounts Officer | 30-11-1978 | Controller of Defence Accounts (Officers) Poona. |
| 2. | C. C. Mitra (P/33) | Do. | 31-8-1978 | Controller of Defence Accounts (Factories) Calcutta. |
| 3. | K. C. Venkateswaran (P/48) | Do. | 31-7-1978 | Controller of Defence Accounts Southern Command, Poona. |
| 4. | R. Subramanian (P/58) | Do. | 30-6-1978 | Controller of Defence Accounts (Navy), Bombay. |
| 5. | V. Raghavachari (P/71) | Do. | 31-7-1978 | Controller of Defence Accounts (Factories), Calcutta. |
| 6. | C. S. Marga Srinivasan (P/75) | Do. | 30-6-1978 | Controller of Defence Accounts (Air Force), Dehra Dun. |
| 7. | K. G. Parameswaran (P/146) | Do. | 30-6-1978 | Controller of Defence Accounts (Factories), Calcutta. |
| 8. | V. Seshadri (P/153) | Do. | 30-6-1978 | Controller of Defence Accounts (ORs.) South Madras. |
| 9. | A. S. Veeraraghavan (P/171) | Do. | 31-7-1978 | Controller of Defence Accounts, Southern Command, Poona. |
| 10. | S. R. Majumdar (P/173) | Do. | 30-11-1978 | Controller of Defence Accounts, (Air Force), Dehra Dun. |
| 11. | R. Subba Rao (P/198) | Do. | 31-10-1978 | Controller of Defence Accounts, (Air Force), Dehra Dun. |
| 12. | Ramji Das (P/199) | Do. | 30-6-1978 | Controller of Defence Accounts, (Factories), Calcutta. |
| 13. | K. Padmanabhan-III (P/200) | Do. | 30-6-1978 | Controller of Defence Accounts, (Other Rank) South, Madras. |
| 14. | V. K. Ramanuja Chari (P/209) | Do. | 31-7-1978 | Controller of Defence Accounts, Southern Command, Poona. |
| 15. | G. V. Muchrikar (P/242) | Do. | 30-6-1978 | Controller of Defence Accounts, (Navy), Bombay. |
| 16. | T. Venkataratnam (P/291) | Do. | 30-11-1978 | Controller of Defence Accounts, (Officers), Poona. |
| 17. | T. V. Balasubramanian (P/336) | Do. | 30-6-1978 | Controller of Defence Accounts, (Other Ranks) South, Madras. |
| 18. | Miranmay Dutta (P/350) | Do. | 31-7-1978 | Controller of Defence Accounts, Patna. |
| 19. | K. V. Krishnaswamy (P/351) | Do. | 30-6-1978 | Controller of Defence Accounts, (Other Ranks), South, Madras. |
| 20. | T. S. Ramamurthy (P/354) | Do. | 31-8-1978 | Controller of Defence Accounts, Southern Command, Poona. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|-----|------------------------------------|---------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|
| 21. | S/Shri D. R. Ramadas (P/416) | Permanent Accounts Officer | 30-11-1978 | Controller of Defence Accounts, (Officers) Poona. |
| 22. | O. S. Dorairajan (P/425) | Do. | 31-7-1978 | Controller of Defence Accounts, (Officers), Poona. |
| 23. | V. Krishnamachari (P/480) | Do. | 30-9-1978 | Controller of Defence Accounts, (Air Force), Dehra Dun. |
| 24. | J. N. Malhotra (P/608) | Do. | 31-10-1978 | Controller of Defence Accounts, (Other Ranks), North, Meerut. |
| 25. | K. Suryanarayana (P/620) | Do. | 30-6-1978 | Controller of Defence Accounts, (Other Ranks), South, Madras. |
| 26. | Hakim Chand (O/45) | Officiating Accounts Officer | 31-12-1978 | Controller of Defence Accounts, (Air Force), Dehra Dun. |
| 27. | S. L. Tiwari (O/50) | Do. | 31-12-1978 | Controller of Defence Accounts, (Air Force), Dehra Dun. |
| 28. | C. R. Naidu (O/78) | Do. | 31-7-1978 | Controller of Defence Accounts, (Officers), Poona. |
| 29. | Kansi Ram (O/130) | Do. | 31-8-1978 | Controller of Defence Accounts, (Air Force), Dehra Dun. |
| 30. | S. Sankara Narayanan (O/131) | Do. | 30-6-1978 | Controller of Defence Accounts, Patna. |
| 31. | Y. L. Narayana Rao (O/134) | Do. | 30-6-1978 | Controller of Defence Accounts, (Other Ranks), South, Madras. |
| 32. | V. S. Ahavale (O/142) | Do. | 31-10-1978 | Controller of Defence Accounts, (Officers), Poona. |
| 33. | N. R. Seshagiri Rao (O/155) | Do. | 31-8-1978 | Controller of Defence Accounts, (Officers), Poona. |
| 34. | B. B. Prasad (O/155) | Do. | 30-6-1978 | Controller of Defence Accounts, (Pensions), Allahabad. |
| 35. | Rishi Raj Sharma (O/232) | Do. | 31-8-1978 | Controller of Defence Accounts, (Air Force), Dehra Dun. |
| 36. | A. K. Sarkar (O/276) | Do. | 30-11-1978 | Controller of Defence Accounts, (Factories), Calcutta. |
| 37. | G. Palaniswamy (O/297) | Do. | 30-9-1978 | Controller of Defence Accounts, (Factories), Calcutta. |
| 38. | M. A. Sathe (O/332) | Do. | 31-10-1978 | Controller of Defence Accounts, (Officers), Poona. |

R. VENKATARATNAM,
Dy. Controller General of Defence Accounts (Pers.)

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES &
CO-OPERATION

(DEPARTMENT OF COMMERCE)

KANDLA FREE TRADE ZONE ADMINISTRATION

Gandhidham, the 24th July 1978

No. FTZ : ADMN/7-2-78.—The Development Commissioner, Kandla Free Trade Zone, Gandhidham-Kutch (Gujarat) hereby appoints Shri U. J. Bahar, holding substantive post of Office Superintendent in KA FTZ, on promotion as Administrative Officer, in accordance with the Notification No. 1/7/72-FTZ dated 12-4-1978 published in the Gazette of India Part III Section III Sub-Section (i) dated

29-4-1978 in the pay scale of Rs. 650—30—740—35—810—
EB—35—880—40—1000—EB—40—1200 with effect from
1-4-1978 forenoon until further orders.

NIRANJAN SINGH
Development Commissioner
Kandla Free Trade Zone

MINISTRY OF INDUSTRY

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT
OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER
SMALL SCALE INDUSTRIES

New Delhi, the 6th June 1978

No. A-19018(236)/76-Admn. (G).—The Development Commissioner, Small Scale Industries is pleased to permit

Shri T. H. Williams, Assistant Director (Gr. II) (Leather/Footwear), Small Industries Service Institute, Agra to retire from Government service w.e.f. the afternoon of 31-3-78, on his attaining the age of superannuation.

2. Consequent upon attaining the age of superannuation Shri T. H. Williams, relinquished charge of the post of Assistant Director (Gr. II) (I/F) in the S.I.D.O. w.e.f. 31-3-78 (AN).

The 12th July 1978

No. 12(506)/63-Admn. (G).—Consequent upon his appointment as Deputy Director (Technology) in the All India Handicrafts Board, New Delhi, Shri R. P. Chugh, relinquished charge of the post of Assistant Director (Gr. I) (Mechanical) in Small Industries Service Institute, New Delhi, with effect from the afternoon of 28th March, 1978.

No. 12(697)/71-Admn. (G).—Consequent on her appointment as Senior Research Officer in the Planning Commission, New Delhi, Smt. Kusum Sharma, relinquished charge of the post of Assistant Director (Gr. I) (Gr. IV of Indian Economic Service) in the Office of the Development Commissioner, Small Scale Industries, New Delhi, with effect from the forenoon of 7th April, 1978.

No. A-19018/45/73-Admn. (G).—Consequent upon his appointment as Deputy Director (Electrical/Mechanical/Metallurgical) in the Bureau of Industrial Costs & Prices, Department of Industrial Development, New Delhi, Shri B. K. Damor relinquished charge of the post of Assistant Director (Gr. I) (Mechanical) in the Small Industries Service Institute, Indore, w.e.f. the afternoon of 12-4-78.

The 18th July 1978

No. A-19018(296)/77-Admn (G).—Consequent upon his proceeding on deputation to the Regional Office of the Regional Provident Fund Commissioner, Jaipur, Shri K. L. Mahajan relinquished charge of the post of Accounts Officer in the Office of the Pay & Accounts Office (Small Industry Development Organisation), New Delhi, with effect from the afternoon of 17th July, 1978.

The 19th July 1978

No. 12(146)/61-Admn. (G).—The President is pleased to appoint Shri M. S. Bhandary as Deputy Director (Leather/Footwear) in the Small Industry Development Organisation with effect from the forenoon of 29th May, 1978, until further orders.

2. Consequent upon his appointment, Shri M. S. Bhandary relinquished charge of the post of Assistant Director (Gr. I) in Branch Small Industries Service Institute Mangalore with effect from the afternoon of 28th May, 1978 and assumed charge as Deputy Director (Leather/Footwear) in the Branch Small Industries Service Institute, Mangalore w.e.f. the forenoon of 29th May, 1978.

M. P. GUPTA
Deputy Director (Admn.)

OFFICE OF THE TEXTILE COMMISSIONER

Bombay-400020, the 24th July 1978

No. EST.I-2(377)/2358-61.—Shri N. K. Basu, Assistant Director Grade I (P&D), in the Regional Office of the Textile Commissioner, Calcutta, has retired from service from the afternoon of 31st May, 1978 on attaining the age of superannuation.

M. C. SUBARNA
Textile Commissioner

DIRECTORATE GENERAL OF SUPPLIES & DISPOSALS

(ADMINISTRATION SECTION A-1)

New Delhi-1, the 18th July 1978

No. A-1/1(1121).—Shri T. R. Rajapopalan, officiating Assistant Director (Admn) (Grade II) in the office of the 12—196GU/78

Director of Supplies & Disposals, Calcutta retired from Government service with effect from the afternoon of 30th June, 1978 on attaining the age of superannuation (58 years).

SURYA PRAKASH
Deputy Director (Administration)
for Director General of Supplies & Disposals

(ADMINISTRATION BRANCH A-15)

New Delhi, the 25th July 1978

No. A-15/5(291)/78.—The President is pleased to appoint S/Shri J. R. Chadha and C. R. Mahajan, permanent Section Officers of C.S.S., as Senior Analysts in the Directorate General of Supplies and Disposals, with effect from the forenoon of the 17th September 1977 and 2nd January, 1978 respectively till further orders.

SURYA PRAKASH
Deputy Director (Admn.)

(ADMN. SECTION A-6)

New Delhi, the 20th July 1978

No. A-6/57(8).—The Director General of Supplies and Disposals hereby appoints S/Shri G. S. Makhija, and S. S. Seth, officiating Asstt. Inspecting Officers (Engg.) substantively against the permanent posts of Asstt. Inspecting Officer (Engg.) w.e.f. 1-12-69 and 1-2-1970 respectively.

P. D. SETH.
Dy. Director (Admn.)
for Director General of Supplies & Disposals

MINISTRY OF STEEL & MINES

(DEPARTMENT OF MINES)

GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

Calcutta-700016, the 18th July 1978

No. 5002/B/7/77(SRS)/19A.—Shri Sukh Raj Sharma is appointed as an Assistant Cost Accounts Officer in the Geological Survey of India on pay according to rules in the scale of pay of Rs. 700—40—900—EB—40—1100—50—1300/- in a temporary capacity with effect from the forenoon of the 5th June, 1978, until further orders.

No. 5015/B/40/59/C/19A.—Shri I. K. Sinha Roy, Superintendent, Geological Survey of India is appointed on promotion as Assistant Administrative Officer in the same Department on pay according to rules in the scale of pay of Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200/- on ad hoc basis with effect from the forenoon of 15-5-1978.

V. S. KRISHNASWAMY.
Director General

INDIAN BUREAU OF MINES

Nagpur, the 18th July 1978

No. A.19012(7)/70-Estt.A.—On his attaining the age of superannuation on 30-4-1978, Shri D. N. Dutta, Permanent Deputy Librarian and Officiating Librarian is relieved of his duties in the Indian Bureau of Mines with effect from the afternoon of 30-4-78 and accordingly struck off the strength of the effective establishment of this department.

The 24th July 1978

No. A.19011(227)/78-Estt.A.—The President is pleased to appoint Shri Jagdish Lal to the post of Assistant Officiating Officer in the Indian Bureau of Mines in an officiating capacity with effect from the forenoon of 4th July 1978, until further orders.

S. BALAGOPAL
Head of Office

ANTHROPOLOGICAL SURVEY OF INDIA

INDIAN MUSEUM

Calcutta-700016, the 31st January 1978

No. 8-4/64/Estt.—On the recommendation of the Departmental Promotion Committee, the Director, Anthropological Survey of India, is pleased to promote Shri S. Banerjee in the post of Junior Administrative Officer with effect from the forenoon of 20th January, 1978, until further orders.

N. R. AICH,
Administrative Officer.

SURVEY OF INDIA

Dehra Dun-248001, the 24th July 1978

No. C-5359/707—The undermentioned officers are appointed to officiate as officer Surveyor (Group 'B' post), Survey of India in the scale of pay of Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200 with effect from the date as shown against each:—

| Name and Designation | Unit/Office | With effect from |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1. Shri U.P.S. Surulivel, Surveyor Sel. Gd. | No. 43 Party (PMP) Hyderabad. | 19-5-78 (FN) |
| 2. Shri P.N. Poovlah, Surveyor Sel. Gd. | No. 10 Party (PMP) Hyderabad. | 1-3-78 (FN) |

K. L. KHO SLA
Major General
Surveyor General of India

DEPARTMENT OF SCIENCE & TECHNOLOGY

NATIONAL ATLAS ORGANISATION

Calcutta-700019, the 17th July 1978

No. 29-16/77/Estt.—Shri Durgadas Saha, permanent Senior Research Assistant is appointed as Junior Technical Officer in the National Atlas Organisation on a purely temporary and ad hoc basis with effect from the forenoon of 2nd June, 1978 until further orders.

S. P. DASGUPTA,
Director

DIRECTORATE GENERAL: ALL INDIA RADIO

New Delhi, the 20th July 1978

No. 10/59/60-SII.—Director General, All India Radio is pleased to appoint Shri Felix A., Senior Accountant, Central Sales Unit, Commercial Broadcasting Services, All India Radio, Bombay to officiate as Administrative Officer at All India Radio, Bhopal with effect from 23-6-78 (F.N.) and until further orders.

S. V. SESHADRI,
Deputy Director of Administration
for Director General

DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES

New Delhi, the 24th July 1978

No. A.39012/1/78-D.—The Director General of Health Services is pleased to accept the resignation of Shri K. M.

Verma from the post of Technical Officer in the Central Drugs Standard Control Orgn., with effect from the afternoon of the 17th June, 1978.

R. BALASUBRA MANYAN,
Deputy Drugs Controller (India)
for Director General of Health Services

New Delhi, the 20th July 1978

No. A.38013/3/78-SI.—On attaining the age of superannuation Shri C. P. Mehta, Assistant Depot Manager, Government Medical Stores Depot Karnal retired from service on the afternoon of 30th June, 1978.

SANGAT SINGH,
Deputy Director Administration (Stores)

New Delhi, the 21st July 1978

No. A.11013/1/78-Admn.I.—Shri Nawab Singh, Assistant Director (Entomology), R.C.O., N.M.E.P., Shillong assumed charge of the post of Central Coordinating Officer for Malaria Control Programme in Delhi in the Directorate of National Malaria Eradication Programme, Delhi, with effect from the forenoon of the 26-4-1978 and until further orders.

Consequent on his appointment to the post of Central Coordinating Officer for Malaria Control Programme in Delhi in the Directorate of National Malaria Eradication Programme, Delhi, Shri Nawab Singh relinquished charge of the post of Assistant Director (Entomology), R.C.O., National Malaria Eradication Programme, Shillong with effect from the forenoon of the 22nd April, 1978.

The 22nd July 1978

No. A.19020/46/76-Admn.I.—Consequent on the acceptance of her resignation, Kumari M. I. Harrison, relinquished charge of the post of Public Health Nursing Supervisor RAK College of Nursing, New Delhi on the afternoon of 24th June, 1978.

S. L. KUTHIALA,
Deputy Director Administration (O&M)

MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION

(DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT)

DIRECTORATE OF MARKETING AND INSPECTION

Faridabad, the 20th July 1978

No. A.19025/93/78-A.III.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, Shri Jaydeb Bose has been appointed to officiate as Assistant Marketing Officer (Group II) in this Directorate at Calcutta with effect from the 30th June, 1978 (A.N.), until further orders.

The 24th July 1978

No. F.4-6(95)/75-A.III.—Consequent on the acceptance of the resignation tendered by him, Sh. E. K. R. Nayar, Assistant Marketing Officer in this Directorate, has been relieved of his duties in this Directorate with effect from 5-11-1977 (A.N.)

No. A.39013/1/78-A.III.—Consequent on the acceptance of the resignation tendered by him, Shri V. N. Phatak, Assistant Marketing Officer in this Directorate has been relieved of his duties in this Directorate at Bombay with effect from 31-5-78 (A.N.).

J. S. UPPAL,
Agricultural Marketing Adviser

BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE

PERSONNEL DIVISION

Bombay-85, the 11th July, 1978

No. 5/1/78-Estt. II/2547.—The Controller, Bhabha Atomic Research Centre appoints the undermentioned officials to officiate on an ad-hoc basis as Administrative Officer-II/Asstt. Personnel Officer for the period shown against their names :

| Sl. No. | Name & Designation | Appointed to officiate as | Period | |
|---------|---------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|
| | | | From | To |
| 1. | Shri S. K. Kapur, Asstt. Personnel Officer | Administrative Officer-II | 1-4-78 (F.N.) | 23-4-78 (A.N.) |
| 2. | Shri J. R. Karnik, Asstt. Personnel Officer | Administrative Officer-II | 24-4-78 (F.N.) | 3-5-78 (A.N.) |
| 3. | Shri U. R. Menon, Assistant | Asstt. Personnel Officer | 24-4-78 (F.N.) | 24-5-78 (A.N.) |
| 4. | Shri K. R. C. Pillai, Assistant | Asstt. Personnel Officer | 24-4-78 (F.N.) | 3-6-78 (A.N.) |
| 5. | Shri L. B. Gawde, Assistant | Asstt. Personnel Officer | 24-4-78 (F.N.) | 26-5-78 (A.N.) |
| 6. | Shri B. M. Naik, S. G. C. | Asstt. Personnel Officer | 30-5-78 (F.N.) | 30-6-78 (A.N.) |
| 7. | Shri N. K. Bhide, S. G. C. | Asstt. Personnel Officer | 16-5-78 (F.N.) | 19-6-78 (A.N.) |
| | | | 16-5-78 (F.N.) | 17-6-78 (A.N.) |

P. S. VENKATASUBRAMANIAN,
Dy. Establishment Officer

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY
POWER PROJECTS ENGINEERING DIVISION

Bombay-5, the 14th July 1978

No. PPED/3(262)/76-Adm.8481.—In continuation of this Division's notification of even number dated May 31, 1978, Shri K. O. Ouseph, a permanent Upper Division Clerk and officiating Selection Grade Clerk of this Division who was appointed as Assistant Personnel Officer in the same Division in a temporary capacity with effect from the forenoon of May 26, 1978 to the afternoon of July 1, 1978 has been permitted to continue to hold temporary charge of the same post upto the afternoon of July 7, 1978.

No. PPED/3(262)/76-Adm./8482.—In continuation of this Division's notification of even number dated June 2, 1978, Shri T. T. Pishori, a permanent Assistant Personnel Officer of this Division has been permitted to continue as General Administrative Officer in a temporary capacity upto the afternoon of July 7, 1978.

B. V. THATTE,
Administrative Officer

DIRECTORATE OF PURCHASE AND STORES

Bombay-400001, the 18th July 1978

No. DPS/23(4)/77-Est./18705.—Director, Purchase and Stores, Department of Atomic Energy appoints the following Purchase Assistants to officiate as Assistant Purchase Officers on an *ad hoc* basis in the scale of pay of Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200 in the same Directorate for the periods indicated against each :—

1. Smt. K. P. Joseph—From 26.4.78 to 3.6.78
2. Shri K. K. Krishnan—From 5.6.78 to 17.6.78
3. Shri S. N. Deshmukh—From 14.7.78 to 31.8.78

No. DPS/23/4/77-Est./18714.—In continuation of this Directorate Notification of even number dated March 17, 1978 Director, Purchase and Stores, Department of Atomic Energy, appoints Shri S. N. Deshmukh, a temporary Purchase Assistant of this Directorate as an Assistant Purchase Officer on an *ad hoc* basis in the same Directorate for a further period upto 25.5.78 (FN) *vice* Shri M. Narayanan, Assistant Purchase Officer appointed as Purchase Officer.

No. DPS/23/4/77-Est./18719.—In continuation of this Directorate Notification of even number dated May 17, 1978, Director, Purchase and Stores, Department of Atomic Energy, appoints Shri S. G. Joble, a temporary Purchase Assistant of this Directorate as an Assistant Purchase Officer on an *ad hoc*

basis in the same Directorate for a further upto 9.6.78 *vice* Shri J. T. Nerurkar, Assistant Purchase Officer extended leave.

No. DPS/2/1(6)/77-Adm./19019.—Director, Purchase and Stores, Department of Atomic Energy appoints Shri B. L. Rao, Storekeeper, Stores Unit (D.P.S.), HWP, Talcher to officiate as Assistant Stores Officer on an *ad hoc* basis in the scale of pay of Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200 with effect from 8.5.78 to 24-6-78 *vice* Shri R. N. Guha, Assistant Stores Officer granted leave.

B. G. KULKARNI,
Assistant Personnel Officer

HEAVY WATER PROJECTS

Bombay-400008, the 19th July 1978

No. 05052/78/3312.—Officer-on-Special Duty, Heavy Water Projects, appoints Shri Narendra Kumar Gaur, a temporary Scientific Assistant 'C' of Heavy Water Project (Baroda), to officiate as Scientific Officer/Engineer (Grade SB) in the same project, in a temporary capacity, w.e.f. February 1, 1978 (FN), until further orders.

The 20th July 1978

Ref. : HWPs/Estt/1/J-6/3333.—Officer-on-Special Duty, Heavy Water Projects, appoints Shri J. L. Jain, Stenographer (Senior) or Heavy Water Project (Kota), to officiate as Assistant Personnel Officer in the same project, in a temporary capacity, on *ad hoc* basis, from April 17, 1978 to May 27, 1978 (AN) *vice* Shri K. T. Jose, Assistant Personnel Officer, granted leave.

K. SANKARANARAYANAN,
Senior Administrative Officer

ATOMIC POWER AUTHORITY
(CENTRAL OFFICE)

Bombay-400039, the 10th July 1978

No. APA/ADM/16/93/78.—Consequent on his transfer from Tarapur Atomic Power Station to Atomic Power Authority, Bombay *vide* Department of Atomic Energy's Office Order No. 20/5(1)/75-CCS dated May 26, 1978, Shri G. A. Kaulgud, a permanent Assistant in BARC has taken over charge as officiating Assistant Personnel Officer in this office with effect from the forenoon of 20.6.1978.

T. J. ASNANI,
Administrative Officer

DEPARTMENT OF SPACE

ISRO SATELLITE CENTRE

Bangalore, the 15th July, 1978

No. 020/3(061)/78.—Director, ISRO Satellite Centre is pleased to appoint the undermentioned person to the posts mentioned against their names in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space in a temporary capacity with effect from the forenoon of the dates as indicated against each and until further orders :-

| Sl. No. | Name | Designation | Date |
|---------|--------------------|-------------|----------|
| | S/Shri | | |
| 1. | B.K. Padmanabha | Engineer SB | 12-4-78 |
| 2. | Dinesh Kumar | Do. | 15-3-78 |
| 3. | N. Prahlad Rao | Do. | 9-3-78 |
| 4. | Dinesh Kumar Gupta | Do. | 2-3-78 |
| 5. | R. Sasta Prasad | Do. | 20-2-78 |
| 6. | B. Madhusudhan Rao | Do. | 18-2-78 |
| 7. | R. Krishna Swamy | Do. | 31-10-77 |

P. N. RAJAPPA,
Administrative Officer

MINISTRY OF TOURISM & CIVIL AVIATION

INDIA METEOROLOGICAL DEPARTMENT

New Delhi-3, the 19th July 1978

No. E(1)07128.—The Director General of Observatories hereby appoints Shri R. H. Walde, Professional Assistant, Office of the Dy. Director General of Observatories (Forecasting), Pune as Assistant Meteorologist in the Indian Meteorological Service Group B (Central Civil Service, Group B) in an officiating capacity with effect from the forenoon of 31st June, 1978 and until further orders.

Shri Walde is posted to Meteorological Centre, Gauhati under the Director, Regional Meteorological Centre, Calcutta.

G. R. GUPTA,
Meteorologist
for Director General of Observatories

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 24th July 1978

No. A.12025/3/77-ES.—On the recommendation of Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Shri M. M. Bakshi as Pilot in the Calibration Unit of the Civil Aviation Department, in an officiating capacity with effect from 13.7.1978, until further orders and to post him in the office of the Regional Director, Delhi Region, Safdarjung Airport, New Delhi.

No. A.38012/9/78-ES.—Shri K. J. Menon, Senior Aircraft Inspector in the office of the Regional Director, Calcutta relinquished charge of his duties in the afternoon of the 30th June, 1978, on attaining the age of superannuation.

S. L. KHANDPUR,
Asstt. Director of Administration

OVERSEAS COMMUNICATIONS SERVICE

Bombay, the 20th July 1978

No. 1/367/78-ES1.—The Director General, Overseas Communications Service, hereby appoints Shri R. L. Menezes, Supervisor, Bombay Branch, as Deputy Traffic Manager in an officiating capacity in the same Branch, with effect from the forenoon of the 15th April, 1978, and until further orders.

No. 1/457/78-EST.—The Director General, O.C.S., hereby appoints Shri B. N. Parekhjee, Supervisor, Bombay Branch as Deputy Traffic Manager, in an officiating capacity in the same Branch, with effect from the forenoon of the 14th April, 78 and until further orders.

P. K. G. NAYAR,
Director (Adm.)
for Director General

Bombay the 20th July 1978

No. 1/363/78-EST.—The Director General, Overseas Communications Service, hereby appoints Shri Marcus Fernandez, Supervisor, Bombay Branch as Dy. Traffic Manager in an officiating capacity in the same Branch, for the period from 15.5.78 to 24.6.78 (both days inclusive) against a short-term vacancy.

M. S. KRISHNASWAMY,
Administrative Officer,
for Director General

COLLECTORATE OF CENTRAL EXCISE AND CUSTOMS

Allahabad, the 21st July 1978

No. 25/1978.—Shri Kedar Nath Upadhyay, Supdt of Central Excise Group 'B' posted at Hdqrs. Office, Allahabad handed over the charge of his duties to Shri A. N. Banerjee, Supdt. Central Excise in the after-noon of 31st May, 1978 and retired from the Government Service on attaining the age of Superannuation.

A. L. NANDA,
Collector,
Central Excise ; Allahabad

Patna, the 22nd July 1978

C. No. 11(7)1-ET/77/7069.—Capt. N. S. K. Naidu, (SI. 1139) appointed on re-employment basis as Cipher Officer in the Directorate of Communication, vide Ministry's order No. 121/77 dated 4.8.77 in the scale of Rs. 700-40-900-EB-40-1100-50-1300 plus special pay of Rs. 100/- P. M. assumed charge as Cipher Officer in Telecommunication wing in the Collectorate of Customs (Prev), Patna on 1.6.78 (F.N.) as per Directorate of Communication (Customs), New Delhi's order No. 5/78 dated 15.4.78.

No. 11(7)2-ET/78/7068.—In pursuance of this office Estt. order No. 13/78 dated 12-1-78, appointing 37 Inspector of Central Excise/Customs to officiate as Superintendent, Central Excise/Customs Group "B" in the scale of Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200/- plus usual allowances as admissible under rules, as modified under Estt. order No. 46/78 dated 7-2-78 and Estt. order No. 66/78 dated 21-2-78 and Directorate of Anti-smuggling, New Delhi's order F. No. 203/1/DAS/77 dated 5-6-78, the following officers have assumed charge as Superintendent, Central Excise/Customs Group "B" at the places & with effect from the dates & hours as indicated below against each :-

| Name | Place of posting | Date of assumption of charge |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| S/Shri | | |
| 1. Md. Absan | Supdt. C. Ex. S.R.P. Samastipur. | 3-3-78 (F.N.) |
| 2. M. Pradhan | Dalmianagar- III Range. | 30-1-78 (F.N.) |
| 3. Babuaji Jha | Banmankhi Range. | 3-3-78 (F.N.) |
| 4. Choudhary Davendra Narain Guptesh | Siwan Range. | 30-1-78 (F.N.) |

| (1) | (2) | (3) |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| S/Shri | | |
| 5. Vasudeo Singh | Supdt. (Stt.) C. Ex. Hqrs. Patna. | 24-1-78 (F.N.) |
| 6. Syed Naimul Haque | Hazaribagh Range. | 16-1-78 (F.N.) |
| 7. Ram Prit Sahu | Bankipur-II Range. | 16-1-78 (F.N.) |
| 8. Sudam Sinha | Supdt. (Tech.) C. Ex. Patna Div. | 16-1-78 (F.N.) |
| 9. Linus Kiro | Ramgarh Range. | 20-1-78 (F.N.) |
| 10. R.S.J.B. Singh | S.R.P. (Prev.) C. Ex. Patna Division. | 16-1-78 (F.N.) |
| 11. Sarwan Kumar | S.R.P. Range Muzaffarpur. | 30-1-78 (F.N.) |
| 12. Rewati Raman | Customs Divi. Muzaffarpur. | 27-1-78 (F.N.) |
| 13. Bindeshwar Pd. Sinha | Gaya-I Range. | 16-1-78 (F.N.) |
| 14. Iqbal Hussain | Central Excise (Prev.) Ranchi. | 15-2-7 (F.N.) |
| 15. Md. Safdar Ali | S.R.P. Prev. C. Ex. Hqrs. Patna. | 16-1-78 (F.N.) |
| 16. Bishwanath Pandey | Customs (Prev.) Sitamarhi. | 20-1-78 (F.N.) |
| 17. Kartar Singh Chawla | Inspecting officer "B" Directorate of Antismuggling, New Delhi. | 13-6-78 |
| 18. Ram Bahadur Sinha | Customs Prev. Bettiah | 27-2-78 (F.N.) |
| 19. Gupteshwar Dayal Verma | Tisco Range. | 27-1-78 (F.N.) |
| 20. Prabhat Kr. Mitra | Telco Range. | 16-1-78 (A.N.) |
| 21. Nagendra Nath Deva | S.R.P. (Prev.) Dalmianagar. | 27-1-78 (F.N.) |
| 22. Shyam Kumar Sinha | Supdt. C. Ex. Muzaffarpur. | 28-1-78 (F.N.) |
| 23. Ramadhar Singh | Customs (Tech.) Hqrs. Patna. | 1-2-78 (F.N.) |
| 24. Kali Das Sanyal | Central Excise (Prev.) Gaya. | 19-1-78 (F.N.) |
| 25. Surojdeo Narain Mishra | Sasaram Range. | 30-1-78 (F.N.) |
| 26. Prontosha Kr. Mitra | Barauni Oil Refinery Range. | 31-1-78 (F.N.) |
| 27. Raghubar Ram | Bettiah Range. | 27-2-78 (F.N.) |
| 28. Kalyan Kr. Sen Gupta | S.R.P. Prev-II Hqrs. Patna. | 16-1-78 (F.N.) |
| 29. Rameshwar Sinha | Madhubani Range. | 6-4-78 |
| 30. Jamuna Pd. Bhandary | Customs (Prev.) Patna. | 16-1-78 (F.N.) |
| 31. Raj Kishwar Pathek | Central Excise (L/R) Gaya. | 18-1-78 (F.N.) |
| 32. Anant Lal Mishra | S.R.P. Prev. Dhanbad | 18-1-78 (F.N.) |

| (1) | (2) | (3) |
|------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| 33. Harekrishna Jha | Jhajha Range. | 1-2-78 (F.N.) |
| 34. Devendra Pd. No. 1 | S.R.P. (Prev.) Chapra. | 25-2-78 (F.N.) |
| 35. Bishwanath Sahay | Central Excise (L/R) Hqrs. Patna. | 1-2-78 (F.N.) |

A. M. SINHA,
Collector,
Central Excise : Patna.

DIRECTORATE OF INSPECTION & AUDIT

CUSTOMS AND CENTRAL EXCISE

New Delhi, the 24th July 1978

No. 10/78.—Shri S. P. Shungloo, lately posted as Assistant Collector, Customs & Central Excise, Ahmedabad, on transfer to the Directorate of Inspection & Audit, Customs and Central Excise vide Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue Order No. 61/78 (F. No. A-22012/13/78) dated 25-4-1978, assumed charge of the post of Inspecting Officer (Customs and Central Excise) Group 'A' in the Headquarters, office of the DIACCE at New Delhi on 8th June, 1978 (AN).

No. 11/78.—Shri S. D. Khare, lately posted as Assistant Collector, Customs and Central Excise, Lucknow and on transfer to the Directorate of Inspection and Audit, Customs and Central Excise vide Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue Order No. 61/78 (F. No. A-22012/13/78) dated 25-4-1978, assumed charge of the post of Inspecting Officer (Customs and Central Excise) Group 'A' in the Headquarters Office of the DIACCE at New Delhi on 16th June 1978 (F.N.).

M. V. N. RAO,
Director of Inspection

NARMADA WATER DISPUTES TRIBUNAL

New Delhi, the 21st July 1978

No. 19/21/73-NWDT.—Secretary, Narmada Water Disputes Tribunal, hereby appoints Shri P. C. Nayyar, a retired Grade 'A' Officer of the CSSS Cadre of I & P, as Private Secretary to Assessor, Narmada Water Disputes Tribunal, in purely temporary capacity, on re-employment basis, w.e.f. 1st July, 1978 (FN) until further orders.

S. K. CHANDA,
Administrative Officer,

CENTRAL WATER COMMISSION

New Delhi, the 17th July 1978

No. A-19012/541/75-Adm.V.—The Chairman, Central Water Commission, hereby accepts the resignation tendered by Dr. Kailas Chowdhury, Assistant Research Officer (Chemistry), Central Water Commission, with effect from the afternoon of 16th June, 1978.

No. A-19012/718/78-Adm.V.—The Chairman, Central Water Commission, hereby appoints Shri S. R. Bhambure Research Assistant, to the post of Assistant Research Officer (Engineering) in the Central Water and Power Research Station, Pune, in the scale of pay of Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200 on a purely temporary and *ad-hoc* basis with effect from the forenoon of 2nd June, 1978 upto 31st October, 1978 or till the post is filled on regular basis, whichever is earlier.

The 24th July 1978

No. A-32014/1/77-Adm.V.—On the recommendations of the L2C (Group-B), Chairman, Central Water Commission, hereby appoints Shri G. Penchaliah, Supervisor, who is present-

tly officiating as Extra Assistant Director/Assistant Engineer on *ad-hoc* basis, on a regular basis in the same grade in an officiating capacity, in the pay scale of Rs. 650—30—740—35—810—FB—35—880—40—1000—EB—40—1200, with effect from the forenoon of 18th August, 1977, until further orders.

2. Shri Penchaliah will be on probation in the post of Extra Assistant Director/Assistant Engineer for a period of two years with effect from 18-8-77.

No. A-19012/707/78-Adm. V—Chairman Central Water Commission hereby appoints the following officers to officiate in the grade of Extra Assistant Director/Assistant Engineer on purely temporary and *ad-hoc* basis in the scale of pay Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200 for a period of six months with effect from the dates indicated against each officer until further orders. They assumed charge of the posts in offices mentioned against their names :—

| Sl. No. | Name of Officer with Designation | Date of Promotion | Name of Office where posted |
|---------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| S/Shri | | | |
| 1. | U.S. Bhaskar Rao, Supervisor | 25-5-78 (F.N.) | Nefa Inv. S/D No. I, Bomdila. |
| 2. | P.K. Razdan, Supervisor | 2-5-78 (F.N.) | Marusudar S/D No. III, Kishtwar. |
| 3. | D.S. Shaukeen, Supervisor | 28-4-78 (A.N.) | C.F.F. Control Room, Agra. |
| 4. | L. Haragopal Rao, Supervisor | 1-6-78 (F.N.) | H. C. D. II Dte. |
| 5. | B.C. Maity, Design Asstt. | 12-4-78 (F.N.) | C.M.D.D. Dte. |
| 6. | M.V. Desai, Supervisor | 6-6-78 (F.N.) | J.R.C. (R.D.) Shillong. |

J. K. SAHA,
Under Secy.
Central Water Commission.

**DIRECTORATE GENERAL OF WORKS
CENTRAL PUBLIC WORKS DEPARTMENT**

New Delhi, the 28th June 1978

No. 33/1/77-ECIX(Pt.IV).—The Director General of Works, CPWD is pleased to appoint Shri S. C. Meshram, a nominee of the U.P.S.C. against the temporary post of Assistant Architect (G.C.S. Group B) in the CPWD on a pay of Rs. 650/- P.M. in the scale of Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200 (plus usual allowances) with effect from 12-4-78 (F.N) on the usual terms and conditions.

2. Shri Meshram is placed on probation for a period of two years with effect from 12.4.78 (FN).

The 4th July 1978

No. 33/7/76-ECIX(Part.III).—The President is pleased to appoint Smt. Sunanda Sen Gupta, a nominee of the U.P.S.C. against the temporary post of Deputy Architect (G.C.S. Group A) in the CPWD on a pay of Rs. 700/- P.M. in the scale of Rs. 700—40—900—EB—40—1100—50—1300 (plus usual allowances) with effect from 24.4.78 (FN).

2. Smt. Sen Gupta is placed on probation for a period of two years with effect from 24.4.78 (FN).

KRISHNA KANT,
Dy. Director of Administration

NORTHERN RAILWAY

New Delhi, the 22nd December 1977

No. 19.—Shri S. T. Awatramani, Officiating Addl. Chief Engineer/TM/Hd. Qrs. of this Railway retired from Railway service with effect from 31st Oct. 1977.

G. H. KESWANI,
General Manager

NORTHEAST FRONTIER RAILWAY

Pandua, the 18th July 1978

No. E/55/III/92Pt.II(0).—Shri Raj Kumar who was appointed as a Probationer in the Signal and Telecommunication Engineering Department of Indian Railways is confirmed in the Junior Scale with effect from 24.1.78.

No. F/55/III/94Pt.III(0).—Shri I. S. Dadiala who was appointed as a Probationer in the Civil Engineering Department of the Superior Revenue Establishment of Indian Railways is confirmed in the Junior Scale with effect from 27.3.76.

No. E/55/III/93Pt.II(0).—The following IRSME probationers are confirmed in the Junior scale as Assistant Mechanical Engineer on this Railway from the date noted against each :—

Sl. No. Name and Date of Confirmation

1. Shri G. C. Sandle—7.4.76
2. Shri Pradeep Kumar—18.7.76
3. Shri A. Sud—20.1.77
4. K. B. L. Mittal—28-10-77

M. R. N. MOORTHY,
General Manager

MINISTRY OF SUPPLY & REHABILITATION

(DEPARTMENT OF SUPPLY)

NATIONAL TEST HOUSE

Calcutta-27, the 19th July 1978

No. G-65/B(CON).—The undersigned hereby appoints Shri B. K. Biswas, Scientific Assistant (Chemical), National Test House, Calcutta as Scientific Officer (Chemical) in the same office on an *ad hoc* basis with effect from 10-3-78 to 12.5.78.

No. G-65/B(CON).—The undersigned hereby appoints Shri Tridib Chaudhury, Scientific Assistant (Physical), National Test House, Calcutta as Scientific Officer (Physical) in the National Test House, Madras Branch, Madras on an *ad hoc* basis w.e.f. 2-1-78 (F/N) until further orders.

No. G-318/A.—The undersigned hereby appoints Shri A. C. Mukherjee to officiate as Assistant Director (Admn.) Grade II in the National Test House, Calcutta with effect from the forenoon of 7-4-78 (A/N) until further orders.

B. C. BISWAS,
Director,

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS)

COMPANY LAW BOARD

OFFICE OF THE REGISTER OF COMPANIES

*In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sun Shine Hotel Private Limited*

Cuttack, the 19th July 1978

No. S.O-589-1438(2).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Sun Shine Hotel Private Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

*In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. The Orissa Films Private Limited*

Cuttack, the 19th July 1978

No. SO-674-1439(2).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. The Orissa Films Private Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

D. K. PAUL,
Registrar of Companies, Orissa

*In the matter of the Companies Act, 1956 and of
Dayalbagh Trading Company Private Limited*

Jullundur, the 20th July 1978

No. G/Stat/560/544/3815.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of the Dayalbagh Trading Company Private Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

*In the matter of the Companies Act, 1956 and of
Khanna Brothers (Publishers) Private Limited*

Jullundur, the 20th July 1978

No. G/Stat/560/3398/3817.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of the Khanna Brother (Publishers) Private Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

*In the matter of the Companies Act, 1956 and of
Ghar Basau Construction Company Pvt. Ltd.*

Jullundur, the 20th July 1978

No. G/Stat/560/3372/3821.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of the Ghar Basau Construction Company Private Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

*In the matter of the Companies Act, 1956 and of
Ferozepur Distt. Cloth Wholesellers Asso. (P) Ltd.*

Jullundur, the 24th July 1978

No. G/Stat/560/1509/3937.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956, that the name of Ferozepur Distt. Cloth Wholesellers Asso. (P) Limited, has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

*In the matter of the Companies Act, 1956 and of
Leader Fans Pvt. Ltd.*

Jullundur, the 24th July 1978

No. G/Stat/560/3030/3939.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of Leader Fans Private Limited, has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

*In the matter of the Companies Act, 1956 and of
Som Finance Lucky Scheme & Chit Funds Company
Pvt. Ltd.*

Jullundur, the 24th July 1978

No. G/Stat/560/2953/3941.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act,

1956, that the name of Som Finance Lucky Scheme & Chit Funds Co (P) Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

*In the matter of the Companies Act, 1956 and of
Ayy Enn Investment Pvt. Ltd.*

Jullundur, the 24th July 1978

No. G/Stat/560/3288/3943.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956, that the name of Ayy Enn Investment Private Limited has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

*In the matter of the Companies Act, 1956 and of
Vibgyor Paints Pvt. Ltd.*

Jullundur, the 24th July 1978

No. G/Stat/560/3367/3945.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956, that the name of Vibgyor Paints Private Limited has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

*In the matter of the Companies Act, 1956 and of
Ex-Soldiers Trading Company Pvt. Ltd. (In Liqn.)*

Jullundur, the 24th July 1978

No. G/Stat/560/Liqn./1215/3947.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956, that the name of Ex-Soldiers Trading Company Private Limited (In Liqn.) has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

S. D. TAYAL,
Registrar of Companies,
Punjab, H.P. & Chandigarh

*In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Pan Chem Pvt. Ltd.*

Bangalore, the 19th July 1978

No. 2947/560/78.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Pan Chem Private Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

*In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kannada Prabha Pvt. Ltd.*

Bangalore, the 20th July 1978

No. 1895/560/78.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Kannada Prabha Private Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

S. N. GUHA,
Registrar of Companies,
Karnataka, Bangalore.

*In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Malav Wooden And Steel Industries Pvt. Ltd.*

Gwalior, the 24th July 1978

No. 1263/A/560(3)/1334.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Malav Wooden And Steel Industries Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

S. K. SAXENA,
Registrar of Companies,
Madhya Pradesh, Gwalior

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF INCOME TAX

New Delhi, the 29th May 1978

SUBJECT.—*Jurisdiction—Creation of seven new Central Circles at New Delhi and Agra.*

No. SI/Jur.(I)/C/78-79/974.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 124 of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), the Commissioner of Income Tax, Delhi (Central), New Delhi hereby directs that seven new Central Circles known as Income Tax Officers Central Circles as indicated below shall be created at New Delhi/Agra :—

1. Income Tax Officer, Central Circle-XVIII, New Delhi.
2. Income-tax Officer, Central Circle XIX, New Delhi.
3. Income Tax Officer, Central Circle-XX, New Delhi.
2. Income-tax Officer, Central Circle-XIX, New Delhi.
4. Income Tax Officer, Central Circle-XXI, New Delhi.
5. Income Tax Officer, Central Circle-XXII, New Delhi.
6. Income-tax Officer, Central Circle-I, Agra.
7. Income-tax Officer, Central Circle-II, Agra.

The Income Tax Officers of Central Circles cited above shall perform their functions in respect of such cases as are assigned to them by the Commissioner of Income Tax of the Board, as the case may be, under sub-section (1) of section 127 of the Income Tax Act, 1961.

This order shall come into force w.e.f. 29.5.78.

No. SI/Jur.(I)/C/77-78/976—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (f) of Section 123 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and in supersession of previous notification the Commissioner of Income-tax, Delhi (Central), New Delhi, hereby directs that the Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax of the Ranges mentioned in column 2 of the Schedule given below shall perform all the functions of the I.A.C. of Income-tax in respect of such cases or of such persons or of such incomes or classes of incomes as fall within the jurisdiction of the Income-tax Officers of Circles shown in column 3 thereof.

SCHEDULE

| Sl. No. | Name of the Inspecting Assistant Commissioner, Range and Headquarters | Name of the Circle |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1. | 2 | 3 |
| 1. | Inspecting Assistant, Commissioner of Income-tax, (Central), Range-I, New Delhi. | (i) Income-tax Officer, Central Circle-I, New Delhi. |
| | | (ii) Income-tax Officer, Central Circle-III, New Delhi. |
| | | (iii) Income-tax Officer, Central Circle-IV, New Delhi. |
| | | (iv) Income-tax Officer, Central Circle-XIII, New Delhi. |
| | | (v) Income-tax Officer, Central Circle-XVI, New Delhi. |
| 2. | Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, (Central), Range-II, New Delhi. | (i) Income-tax Officer, Central Circle-VI, New Delhi. |
| | | (ii) Income-tax Officer, Central Circle-XI, New Delhi. |

| 1 | 2 | 3 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| | | (iii) Income-tax Officer, Central Circle-XV, New Delhi. |
| | | (iv) Income-tax Officer, Central Circle-I, Meerut. |
| | | (v) Income-tax Officer, Central Circle-II, Meerut. |
| | | (vi) Income-tax Officer, Central Circle-III, Meerut. |
| | | (vii) Income-tax Officer, Central Circle-IV, Meerut. |
| 3. | Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, (Central) Range-III, New Delhi. | (i) Income-tax Officer, Central Circle-II, New Delhi. |
| | | (ii) Income-tax Officer, Central Circle-V, New Delhi. |
| | | (iii) Income-tax Officer, Central Circle-VII, New Delhi. |
| | | (iv) Income-tax Officer, Central Circle-VIII, New Delhi. |
| | | (v) Income-tax Officer, Central Circle-IX, New Delhi. |
| | | (vi) Income-tax Officer, Central Circle-XII, New Delhi. |
| | | (vii) Income-tax Officer, Central Circle-XIV, New Delhi. |
| | | (viii) Income-tax Officer, Central Circle-XVII, New Delhi. |
| | | (ix) Income-tax Officer, Central Circle-XIX, New Delhi. |
| | | (x) Income-tax Officer, Central Circle-XX, New Delhi. |
| | | (xi) Income-tax Officer, Central Circle-XXI, New Delhi. |
| | | (xii) Income-tax Officer, Central Circle-XXII, New Delhi. |
| | | (xiii) Income-tax Officer, Central Circle-I, Agra. |
| | | (xiv) Income-tax Officer, Central Circle-II, Agra. |
| | | (xv) Tax Recovery Officer, New Delhi. |
| 4. | Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, (Central) Range-IV, New Delhi. | (i) Income-tax Officer, Central Circle-X, New Delhi. |
| | | (i) Income-tax Officer, Central Circle-XVII, New Delhi. |
| 5. | Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, (Central) Range-V, New Delhi. | (i) Income-tax Officer, Central Circle-XVII, New Delhi. |

This notification will take effect from 29-5-1978.

Jurisdiction—Abolition of charges of the Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax (Central) Ranges IV & V, New Delhi.

No. SI/Jur(1)/C/78-79/979.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of section 123 of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961), The Commissioner of Income-tax (Delhi Central), New Delhi, hereby directs that the charges of the I.A.C. (C), Range-IV, New Delhi and I.A.C. (C) Range V, New Delhi, created vide notification No. SI/Jur-II/C/77-78/3063 Dated 5.9.77 stand abolished.

This order shall come into force with effect from the 1.6.1978.

The 30 May 1978

No. SI/Jur.(1)/C/77-78/1025—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (i) of Section 123 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and in supersession of previous notification, the Commissioner of Income-tax, Delhi (Central), New Delhi, hereby directs that the Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax of the Ranges mentioned in column 2 of the Schedule given below shall perform all the functions of the I. A. C. of Income-tax in respect of such cases or of such persons or of such incomes or classes of incomes as fall within the jurisdiction of the Income-tax Officers of Circles shown in column 3 thereof.

SCHEDULE

| Sl. No. | Name of the Inspecting Assistant Commissioner, Range and Headquarters | Name of the Circle |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, (Central), Range-I, New Delhi. | (i) Income-tax Officer, Central Circle-I, New Delhi. (ii) Income-tax Officer, Central Circle-II, New Delhi. (iii) Income-tax Officer, Central Circle-IV, New Delhi. (iv) Income-tax Officer, Central Circle-V, New Delhi. (v) Income-tax Officer, Central Circle-VI, New Delhi. (vi) Income-tax Officer, Central Circle-VII, New Delhi. (vii) Income-tax Officer, Central Circle-V, New Delhi. |
| 2. | Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, (Central), Meerut Range | (i) Income-tax Officer, Central Circle-III, New Delhi. (ii) Income-tax Officer, Central Circle-VIII, New Delhi. (iii) Income-tax Officer, Central Circle-IX, New Delhi. (iv) Income-tax Officer, Central Circle-I, Meerut. |

| 1 | 2 | 3 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | (v) Income-tax Officer, Central Circle-II, Meerut. (vi) Income-tax Officer, Central Circle-III, Meerut (vii) Income-tax Officer, Central Circle-IV, Meerut. |
| 3. | Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Central Range-II, New Delhi. | (i) Income-tax Officer, Central Circle-I, New Delhi. (ii) Income-tax Officer, Central Circle-II, New Delhi. (iii) Income-tax Officer, Central Circle V, New Delhi. (iv) Income-tax Officer, Central Circle IX, New Delhi. (v) Income-tax Officer, Central Circle, New Delhi. (vi) Income-tax Officer, Central Circle-I, New Delhi. (vii) Income-tax Officer, Central Circle-II, New Delhi. |
| 4. | Inspecting Assistant, Commissioner of Income-tax, Central Range-III, New Delhi. | (i) Income-tax Officer, Central Circle-III, New Delhi. (ii) Income-tax Officer, Central Circle-IV, New Delhi. (iii) Income-tax Officer, Central Circle-VI, New Delhi. (iv) Income-tax Officer, Central Circle-VII, New Delhi. (v) Income-tax Officer, Central Circle-VIII, New Delhi. (vi) Income-tax Officer, Central Circle-I, Agra (vii) Income-tax Officer, Central Circle-II, Agra. |

This notification will take effect from 1-6-1978.

The 31st May 1978
CORRIGENDUM

No. SI/Jur/(1)/C/77/1054.—In exercise of the Power conferred by sub-Section (i) of Section 123 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and in partial modification of the previous notification No. 1025 dated 31-5-78, the Commissioner of Income-tax Delhi (Central) New Delhi hereby directs that the following additional entry will be inserted as item (viii) in Col. 3 against S. No. 4 of the Schedule appended below the aforesaid notification No. SI/Jur/(1)/C/77-78/1025 dated 31-5-78.

"Viii) T.R.O. III, New Delhi"

This notification will take effect from 1-6-78.

N. S. RAGHAVAN
Commissioner of Incometax
Delhi (Central), New Delhi.

New Delhi, the 18th July 1978
INCOME TAX DEPARTMENT

No. F. Coord/Pub./Delhi/C/76-77/13546—In pursuance of sub-section (1) of section 287 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and the Ministry of Finance (Department of Revenue) order dated 10-8-1977 the Commissioner of Income-tax, Delhi-I New Delhi being of the opinion that it is expedient in public interest so to do hereby publishes names of assesseees who are in default of the Rs. 1,00,000/-or more as on the last day of the Financial year 1976-77 i.e. as on 31-3-1977.

| Sl. No. | Name and address of the assesseees | Amount of default for the period of 2 Yrs. & above. |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Anandi Lal (Late) | 12,82,000 |
| 2. | Attenbery & Co 10 Daya Ganj. Delhi | 2,03,58,000 |
| 3. | Asa Ram Verma C.P.W.D. New Delhi | 33,30,000 |
| 4. | Asia Udyog 10, Darva Ganj., Delhi | 1,31,000 |
| 5. | Baisakha Singh & Co. (P) Ltd., Con. Place, New Delhi | 4,28,702 |
| 6. | Bharat Union Agencies (P) Ltd. | 45,10,000 |
| 7. | Chan' Finance & Chit Fund (P) Ltd., through Sh. Ya.h Pal Bhasin F-41, West Patel Nagar, New Delhi | 2,18,000 |
| 8. | Dalmia Jain Airways (P) Ltd. | 77,34,000 |
| 9. | Extrusion Industries (P) Ltd., Kanotka Bagh Jaipur (Rajasthan) | 1,26,500 |
| 10. | Faquir Chand Lal Chand Prop. Chopra Trading Co. F-10/3, Model Town, Delhi | 6,84,798 |
| 11. | Green Group Financiers & Chit Fund (P) Ltd., C/o S. K. Bhandari & Co. CA-M-132, Connaught Circus, New Delhi | 1,06,000 |
| 12. | Indraprastha Finance & Chit Fund (P) Ltd., C/o. Sh. S. C. Suneja Advocate, M-4A, Jangpura Extn., New Delhi | 1,80,000 |
| 13. | Dr. J. Dharma Teja (Indl.) S-341, Panchsheel Park, New Delhi | 70,02,000 |
| 14. | Jagdish Parshad Babu Ram, Gali Patewali, Delhi | 7,51,352 |
| 15. | Mokham Singh C/o. Chandok & Guliani CA, 5A/10, Ansari Road, Delhi | 1,67,156 |
| 16. | Om Parkash Prop. India Waste Co. 45, The Mall, Delhi | 1,10,099 |
| 17. | Late Sh. Prem Nath through L/H 8, Scindia House, New Delhi | 16,48,000 |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 18. | Ram Singh Sunder Singh Financiers (P) Ltd., 3A/3, Asaf Ali Road, New Delhi | 3,41,528 |
| 19. | United India General Finance (P) Ltd., (In Liquidation) C/o. Official Liquidator Bharat Scouts Building, 16, Ring Road, New Delhi. | 6,62,000. |
| 20. | Virender Kumar Jain, 511, Haider Quli, Delhi | 1,08,537 |

A. C. JAIN,
Commissioner of Income-tax,
Delhi-I, New Delhi.

New Delhi, the 20th July 1978

INCOME-TAX DEPARTMENT

No. F. Coord/Pub./D-III/75-76/13652—Following is list showing the names of assesseees, who during the financial year 1975/76, (a) being individuals or H.U.Fs have been assessed on an income of more than one lakh of rupees; (b) being firms, association of persons or companies, have been assessed on an income of more than 10 lakhs of rupees (i) indicates Status 'I' for individuals, 'H' for HUF and 'C' for Company. (ii) Assessment year (iii) for income returned (iv) for income assessed (v) tax payable by the assessee (vi) tax paid by the assessee.

1. 22-008-PY-6081, Anoop Jhallani, 106, Sunder Nagar, New Delhi (i) I (ii) 73-74 (iii), 1,09,540 (iv) 1,09,630 (v) 55,549 (vi) 55,467

(2) 22-010-0572, Anil Kumar S/o Shri Rishi Ram 4, Pahar Road, New Delhi (i) I (ii) 73-74 (iii) 51,710 (iv) 1,08,185 (v) 67,330 (vi) 20,731

(3) 22-009-PT-5516 Anjala Nath (Mrs.), 50/2-3, Hanu man Road, Delhi (i) I (ii) 74-75 (iii) 1,33,310 (iv) 1,30,360 (v) 87,393 (vi) 90,286.

(4) 22-009-PT-2688, B.P. Mittal, K-40, Con. Circus, New Delhi (i) I (ii) 74-75 (iii) 1,03,931 (iv) 1,08,500 (v) 67,620 (vi) 67,620,

(5) 22-010-PQ-0655, Bhajan Kaur, 12, Tilak Marg, New Delhi (i) I (ii) 73-74 (iii) 1,47,246 (iv) 1,47,250 (v) 85,761 (vi) 85,801

(6) 22-010-PX-0897, Bhajan Kaur, L/H of Late Major Harinder Singh, 12, Tilak Marg, New Delhi, (i) I (ii) 63-64 & 73-74 (iii) 74,987 & 1,39,305 (iv) 1,04,987 & 1,47,090 (v) 49,708 & 93,996 (vi) 42,208 & 92,220.

(7) 22-009-PY-0529, B.P. Roy 34, Westend, New Delhi (i) I (ii) 67-68 & 68-69 (iii) 87,817 & 95,582 (iv) 1,00,205 & 1,23,416 (v) 47,270 & 50,082 (vi) 46,213 & 49,992.

(8) 22-010-HN-740 C.K. Daftry & sons, B-A, Maharani Bagh, New Delhi (i) H (ii) 73-74 (iii) 1,77,603 (iv) 2,94,300 (v) 2,43,978 (vi) —

(9) 22-009-PT-2870 Hardev Singh, 2, Curxon Road, New Delhi (i) I (ii) 73-74 (iii) 2,04,568 (iv) 2,00,806 (v) 1,43,032 (vi) 1,45,903.

(10) 22-010-PQ-1002, Late S. Jagdish Kaur L/H Bhajan Kaur, 12, Tilak Marg, New Delhi. (i) I (ii) 73-74 (iii) 1,02,241 (iv) 1,02,241 (v) 53,540 (vi) 53,420.

(11) 22-009-PN-2865 J.V. Gupta P/o Sia Ram Bros. opp. Sindia House, New Delhi (i) I (ii) 67-68 to 70-71 (iii) 1,37,252; 1,18,290; 1,48,419 & 1,14,240 (iv) 1,40,224; 1,28,730; 1,48,743 & 1,24,300 (v) 71,574 & A.D. 6600; 64,746 & A.D. 7430; 63,580 & 71,099 (vi) 62,589; 54,676; 56,836 & 63,923.

(12) 22-023-PN-3642 & 22-007-HQ-8584, Jagdish Pd. Poddar A-9/25, Vasant Vihar, New Delhi, (i) I & H(ii) 75-76 (iii) 1,29,085 & 1,54,842 (iv) 1,29,085 & 1,54,842 (v) 75,984 & 92,066 (vi) 75,984 & 92,064.

(13) 25/202-PV-2918, K.D. Datta, 13-B Barakhamba Road New Delhi (i) I (ii) 70-71 (iii) 1,48,207 (iv) 1,37,160 (v) 72,316 (vi) 72,316.

(14) 22-007-PN-6142, L.R. Luthra p/o Oriental Radio & electric stores, 17-C, Con. place, New Delhi, (i) I (ii) 73-74 (iii) 1,95,300 (iv) 2,01,140 (v) 1,52,910 (vi) 1,14,330.

(15) 22-009-HY-2045, M.K. Swamy, E-62, Greater Kailash, New Delhi (i) H (ii) 73-74 (iii) 1,78,830 (iv) 1,79,930 (v) 1,33,336 (vi) 1,33,336.

(16) 22-007-HZ-8586, Mahabir Pd. Poddar, A-9/25, Vasant Vihar, New Delhi (i) H (ii) 75-76 (iii) 1,74,254 (iv) 1,74,254 (v) 1,09,073 (vi) 1,09,073.

(17) 22-008-PN-6520, Moti Sagar Kapoor B-86, Greater Kailash, New Delhi (i) I (ii) 73-74 (iii) 1,21,410 (iv) 1,28,400 (v) 89,167 (vi) 79,497.

(18) 22-009-PQ-9314, Mohin Sawhney, 5-Parliament Street, New Delhi (i) I (ii) 73-74 (iii) 1,27,368 (iv) 1,27,368 (v) 54,995 (vi) 54,995.

(19) 22-009-PQ-2675, M.L. Bhargava p/o Ammonia Supply co. 85-A, Panchkuian Road, New Delhi (i) I (ii) 73-74 (iii) 85,920 (iv) 89,068 (v) 44,912 (vi) 44,912.

(20) 22-009-PX-9378, M.N. Seth, 20, Golf links, New Delhi (i) I (ii) 73-74 (iii) 1,00,060 (iv) 1,00,090 (v) 59,882 (vi) 59,480

(21) 22-009-PN-8031, Prithvi Pal Singh, p/o Alps Bar Restaurant, 56, Janpath, New Delhi (i) I (ii) 73-74 (iii) 5,18,195 (iv) 5,34,790 (v) 4,83,380 (vi) 4,61,189.

(22) 22-009-HZ-2964, Partap Chand, 6-Orangzeb Road, New Delhi (i) H (ii) 73-74 (iii) 1,13,025 (iv) 1,12,031 (v) 56,865 (vi) 56,866.

(23) 22-009-P2-2866 P.C. Gupta p/o Saram Bros. opposite Sindhia House, New Delhi (i) I (ii) 73-74 (iii) 1,80,000 (iv) 2,02,143 (v) 1,71,633 (vi) 1,04,613.

(24) 27/217-HV-9386, Puran Chand Sawhney, 5-Parliament Street, New Delhi, (i) H (ii) 73-74 (iii) 1,40,725 (iv) 1,19,669 (v) 68,909 (vi) 68,909.

(25) 22-007-PZ-6143, P.C. Luthra p/o Oriental Radio & electric stores, 17-C, Con. place New Delhi (i) I (ii) 73-74 (iii) 1,38,980 (iv) 1,43,750 (v) 90,051 (vi) 95,660.

(26) 22-008-PT-4969, Prabodh Badhwar, C-54, Greater Kailash, New Delhi (i) I (ii) 75-76 (iii) 1,12,670 (iv) 1,25,563 (v) 73,284 (vi) 60,264

(27) 22-007-PQ-6169, R.N. Mehta, M-59, Con. Cir. New Delhi (i) I (ii) 74-75 (iii) 85,855 (iv) 1,01,530 (v) 59,725 (vi) 59,725.

(28) 3/47-PT-2758, R.S. Tandon p/o Wanger & Co. Con. place, New Delhi (i) I (ii) 73-74 & 74-75 (ii) 1,09,910 & 1,11,240 (iv) 1,09,920 & 1,12,790 (v) 68,926 & 71,567 (vi) 68,926 & 71,567.

(29) 7,105-PX-3315, R.S. Khanna p/o New Delhi Stationery Mart, Con. Place, New Delhi, (i) I (ii) 74-75 (iii) 1,02,997 (iv) 1,03,064 (v) 62,586 (vi) 62,586.

(30) 22-009-PZ-2992, Rajinder Kaur, 2, Curzon Road, New Delhi (i) I (ii) 73-74 (iii) 1,67,660 (iv) 1,53,500 (v) 1,09,020 (vi) 1,09,020.

(31) 22-009-PZ-4392, Sardarani Rajinder Kaur, C/o Jaya Rose Forms, DLF Coloney, Chhattarpur, Mahrauli Road, New Delhi (i) I (ii) 73-74 (iii) 1,35,820 (iv) 1,94,396 (v) 1,46,648 (vi) 97,312.

(32) 22-009-PY-2867, R.R. Gupta p/o Siya Ram Bros. opposite Sindhia House, New Delhi (i) I & H (ii) 70-71 & 73-74 (iii) 1,61,320 & 1,85,322 (iv) 1,68,960 & 2,06,465 (v) 99,286 & 1,76,525 (vi) 1,004,425 & 1,08,993

(33) 22-009-PV-0478, R. P. Oberio p/o Lagoon emporium, Hotel Oberio Interecontinental, New Delhi (i) I (ii) 73-74 (iii) 3,960 (iv) 1,00,830 (v) 98,112 (vi)

(34) 22-009-PN-2801 Swaran Arora prop Nath Bros. C-33, Con. Place, New Delhi (i) I (ii) 70-71 (iii) 2,10,176 (iv) 2,24,930 (v) 1,48,584 (vi) 3,572.

(35) 22-009-PT-5334, Savitri Bawa, 15, Barakhamba Road, New Delhi (i) I (ii) 73-74 (iii) 1,96,527 (iv) 1,96,290 (v) 1,48,389 (vi) 16,800.

(36) 22-009-PN-8900, Sushila Jain, 13, Westend Coloney, New Delhi (i) I (ii) 65-66 & 73-74 (ii) 1,07,677 & 1,13,890 (iv) 1,16,793 & 1,19,650 (v) 72,292 & 82,861 (vi) 64,598 & 57,785

(37) 22-009-PZ/9432, Tarawati Sawhney 5, Parliament Street, New Delhi (i) I (ii) 73-74 (iii) 92,019 (iv) 1,02,619 (v) 47,896 (vi) 47,896.

(38) 22-009-HQ-9171 T.N. Bhavkar & sons Ishwar Nagar, New Delhi (i) H (ii) 73-74 (iii) 1,09,580 (iv) 1,09,580 (v) 67,833 (vi) 67,833.

(39) 30-000-HT-2992, Tej Partap Singh, 25, Barakhambha Road, New Delhi (i) H (ii) 73-74 (iii) 1,15,164 (iv) 1,18,200 (v) 57,570 (vi) 10,000.

(40) 22-009-PX-3064, Vikaram Nanda 20-D, Prithvi Raj Road, New Delhi (i) I (ii) 73-74 (iii) 1,12,681 (iv) 1,11,960 (v) 52,803 (vi) 652,803.

(41) 22-009-PV-9169, Vivek N. Bhaskar, Ishwar Nagar, New Delhi (i) I (ii) 73-74 (iii) 1,22,592 (iv) 1,22,590 (v) 79,406 (vi) 79,480.

(42) 22-009-PX-3078 Vijay Kumar Gujral Prop. Gian Chand Vidya Dhan, 9, Barakhambha Road, New Delhi, (i) I (ii) 73-74 (iii) 98,600 (iv) 1,05,090 (v) 61,327 (vi) 55,445.

S.V. DEVA,
Commissioner of Income-tax,
Delhi-III, New Delhi.

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,
ROHTAK

Rohtak, the 25th July 1978

Ref. No. KLK/4/77-78.—Whereas I, RAVINDER KUMAR PATHANIA, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Rohtak being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Land near Haryana Sale-tax Barrier, situated at Vill. Judila Teh. Kalka (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Kalka in November, 1977

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) S/Sh. Om Parkash, Vadev and Banarsi Dass
ss/o Sh. Parshotam Dass
R/o Vill. Mani Majra.

(Transferor)

(2) Managing Director,
Salokam Hotels Pvt. Ltd.,
329, Sector 21-D, Chandigarh.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in sale deed registration No. 677 of November, 1977 and registered in the office of the Registering Authority at Kalka.

RAVINDER KUMAR PATHANIA
(Competent Authority)

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Rohtak

Date : 25-7-1978

Seal :

FORM ITNS

(1) S/Shri Umesh Chandra S/o Amba Prasad
R/o Kanoongoyan Shahar,
Meerut.

(Transferor)

(2) Smt. Shanti Ram W/o Behari Lal,
Sushil Kumari W/o Mulakh Raj
R/o 334/4 A-B, Devapuri, Meerut and
Smt. Satyawant W/o Rajaram
R/o 13/92, Patel Nagar, Saharanpur
and
Smt. Meena Khurana W/o Pooran Kumar
Madhulika, Devpuri,
Meerut.

(Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,
KANPUR

Kanpur, the 21st July 1978

Ref. No. Acq/1568-A/Meerut/77-78/2103.—Whereas I, L. K. GUPTA being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 and bearing number as per schedule situated at as per schedule (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Meerut on 17-11-1977

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property consisting of land measuring one Bigha Fourteen Biswa and Eight Biswansi, situated at Delhi Road, Meerut, Transferred for an apparent consideration of Rs. 1,30,000/-.

L. N. GUPTA
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur.

Date : 21-7-1978

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE,
LUCKNOW

Lucknow, the 8th June 1978

Ref. No. 81-K/Acq.—Whereas, I, AMAR SINGH BISEN being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

C-K 11/8 & 9 Present No. C-K 37/45, situated at Bans Phatak, Varanasi

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Chief Sub-Registrar, Varanasi on 5-11-1977

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property for the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) Shri 108 Swami Krishananand Mandleshwar alias Shri 108 Swami Krishananand Giri Mandleshwar
(Transferor)
- (2) Shri Kalika Prasad and others.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Entire property No. C-K 11/8 & 9 present Number C-K 37/45 measuring 147-31 Sqr. Mtr., situate at Mohalla Bans Phatak, Varanasi, and all that which is mentioned in sale-deed and form 37-G No. 6639 dated 5-11-1977 registered in the office of the Chief Sub-Registrar, Varanasi.

AMAR SINGH BISEN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Lucknow

Date : 8-6-1978
Seal :

~~FORM ITNS~~

- (1) Shri Bishambhar Nath Kakkar
(Transferor)
- (2) Shri Sujan Singh & Surrender Singh
(Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA,

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME-TAXACQUISITION RANGE,
57-RAM TIRTH MARG,
LUCKNOW

Lucknow, the 8th June 1978

Ref. No. 166-S/Acquisition.—Whereas I, AMAR SINGH BISEN,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

67-Hawett Road, Allahabad

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Allahabad on 5th November 1977

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

1/2 portion of house No. 67, situate at Hewett Road, Allahabad and all that description of the property which is mentioned in form 37-G No. 3544 and sale-deed duly registered at the office of the Sub-Registrar, Allahabad on 5th November 1978

AMAR SINGH BISEN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Lucknow

Date : 8-6-1978

Seal :

FORM ITNS—

(1) Shri Bishambhar Nath Kakkar.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Shri Sardar Singh Gujral.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE,
57-RAM TIRTH MARG,
LUCKNOW

Lucknow, the 8th June 1978

Ref. No. 167-S/Acquisition.—Whereas I, AMAR SINGH BISEN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

67-Hewett Road, Allahabad
situated at Hewett Road, Allahabad

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Allahabad on 5th November 1977

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated

in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning of given in that Chapter.

THE SCHEDULE

1/2 part of house No. 67, situate at Hewett Road, Allahabad and all that description of the property which is mentioned in form 37-G No. 3543 and sale-deed duly registered at the office of the Sub-Registrar Allahabad on 5th November 1977.

AMAR SINGH BISEN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Lucknow

Date: 8-6-1978

Seal:

FORM ITNS

(1) Shri Indra Singh.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Smt. Sarla Khanna
w/o Sri K. N. Khanna

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME-TAX,ACQUISITION RANGE-I,
LUCKNOW

Lucknow, the 10th July 1978

Ref. No. 168-S/ACQ.—Whereas I, AMAR SINGH BISEN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing 9/B Block-D situated at Rampur Bagh, Bareilly (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bareilly on 11-1-1977 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned.—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette;

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A house property No. 9/B Block-D measuring 517-55 sq. mtr. situated at Rampur Bagh Bareilly and all that description of the property which is mentioned in the Sale-deed and form 37 G No. 5118 duly registered at the office of the Sub-Registrar Bareilly on 23-11-1977.

AMAR SINGH BISEN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Lucknow

Date : 10-7-1978
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,
57-RAM TIRTH MARG,
LUCKNOW

Lucknow, the 13th July 1978

Ref. No. S-169/Acq.—Whereas I. AMAR SINGH BISEN,

being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Part of House No 578

situated at Mohalla-Sahu Kara Bareilly

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act

1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bareilly on 30-11-1977

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

- (1) Shri Sahu Jagdish Kumar Agarwal
(Transferor)
- (2) Smt. Shashi Prabha w/o Shyam Manohar.
(Transferee)
- (3) Transferor (as per 37 G)
[Person in occupation of the property]
- (4) Shri Kishan Lal Varshney.
[Person whom the undersigned knows to be interested in the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Part of House No. 578, situated at Mohalla—Sahu Kara Bareilly—measuring Arazhi 660 Sq. yards and all that description of the property which is mentioned in Sale-Deed and Form 37-G No 5194 duly registered at the office of the Sub-Registrar Bareilly on 3-11-1977.

AMAR SINGH BISEN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Lucknow

Date : 13-7-1978
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)
GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,
LUCKNOW

Lucknow, the 14th July 1978

Ref. No. 82 K/Acq.—Whereas I, AMAR SINGH BISEN, being the competent authority under section 269B of the Income Tax, Act, 1961 (43 of 1961), (hereunder referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Nos.

CK21/31, 21/31-A, & 21/31-B situated at Moh. Sahu Gopal Dass Lane, Varanasi

(and more fully described in the schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Varanasi on 28-11-1977

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any monies or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of the notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons namely :—

(1) Shri Radha Raman Sewa Samiti Kashi Regd. Sanstha under Societies Registration Act No. 21, 1860, situated at Narain Park Shiv pura Varanasi, through Shri Radha Vinod Goswami Chowk, Varanasi, president Sheel Bhadra Shah s/o late Shiv Madan Mohan Shah, r/o Naran Park, Mohalla Shivpura Varanasi Secretary Samiti.

(Transferor)

(2) Smt. Kamla Devi & Sukhda Devi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A house Property No. CK 21/31, 21/31-A, & 21/31-B situated at Mohalla Sahu Gopal Dass Lane, Varanasi.

AMAR SINGH BISEN
Competent Authority

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Lucknow

Date : 14-7-1978

Seal :

FORM ITNS

(1) Smt. Joginder Sachdeva W/o
Shri M. S. Sachdeva,
R/o E-150, Indrapuri,
New Delhi.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

(2) Shri Rajendra Kumar Garg, and
Mrs. Kamla Garg,
R/o P-4, Hauz Khas,
New Delhi.

(Transferee)

OFFICE OF THE INSPECTING ASST. COMMISSIONER
OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I,
4/14A, ASAF ALI ROAD,
NEW DELHI-110001

New Delhi, the 21st July 1978

Ref. No. IAC.ACQ.F/R.II/270/Jan.20/77-78/1794.—
Whereas, J. J. S GILL—

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

S-409, situated at Greater Kailash-II, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at New Delhi on 10-1-1978,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid person within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A free-hold plot of land bearing No. S-409 measuring 300 sq. yards situated at Greater Kailash-II, New Delhi and bounded as under:

East : Road
West : S-407
North : Service Lane
South : S-4T1.

J. S. GILL
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Delhi/New Delhi

Date: 21-7-1978

Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICER OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME-TAXACQUISITION RANGE-I,
4/14A, ASAF ALI ROAD,
NEW DELHI-110001

New Delhi-110001, the 21st July 1978

Ref. No. IAC.ACQ.I/SR-III/248/Dec.43/77-78/1794.—
Whereas I, J. S. GILL,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

S-344, situated at Greater Kailash-II, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at New Delhi on 24-12-1977

for an apparent consideration

which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Bajaj Estate Agency (P) Ltd.
through Mrs. Iqbal Kaur W/o
Shri Narinder Singh
R/o 5-G(C-59), Maharani Bagh,
New Delhi.

(Transferor)

(2) Shri Om Prakash Taneja S/o
Chanan Lal Gulati, R/o
2/4981, Shiva Nagar, Karol Bagh,
New Delhi.

(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above.

(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.

(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A freehold Plot of land No. S-344, measuring 300 sq. yards situated at Greater Kailash-II, New Delhi and bounded as under :

East : Service Lane
North : S-342
West : Road
South : S-346

J. S. GILL,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Delhi/New Delhi

Date : 21-7-1978

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I,

4/14A, ASAF ALI ROAD,

NEW DELHI-110001

New Delhi-110001, the 21st July 1978

Ref. No. IAC. ACQ.I/SR. III/281/Jan.48/78-79/1794.—
Whereas I, I. S. GILL,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

R-223, situated at Greater Kailash-I, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at New Delhi on January 1978,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1952) of the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) Shri Iqbaluddin Jaffery S/o
Shri H. D. Jaffery,
R/o R-223, Greater Kailash,
New Delhi. (Transferor)
- (2) Shri Pritpal Gupta S/o Hari Chand
R/o R-266, Greater Kailash-I,
New Delhi. (Transferee)
- (3) As per S. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)
- (4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows
to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A single storeyed house built on a free-hold plot of land No. R-223, measuring 208 sq. yards situated at Greater Kailash-I, New Delhi, and bounded as under :

East : Service Lane
West : Road
North : R-221
South : R-225.

J. S. GILL.
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Delhi/New Delhi

Date : 21-7-1978
Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I,

4/14A, ASAF ALI ROAD,

NEW DELHI-110001

New Delhi-110001, the 21st July 1978

Ref. No. IAC. Acq. I/SR.III/283/Jan.55/77-78/1794.—

Whereas I, J. S. GILL,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

M-253, situated at Greater Kailash-II, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at New Delhi on 11-1-78

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice hereby under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Moti Lal M. Matta S/o Jiwan Lal Matta,
R/o 5/6, Roop Nagar,
New Delhi.

(Transferor)

(2) Smt. Rishmo Kumary, d/o
Shri Radhi Singh,
R/o R-132, Greater Kailash-I,
New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A free hold plot of land bearing No. M-253, measuring 400 sq. yards situated at Greater Kailash-II, New Delhi and bounded as under :

East : Road
West : Road
North : Plot No. M-251
South : Plot No. M-255

J. S. GILL,
Competent Authority,
Acquisition Range-I, Delhi/New Delhi
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,

Date : 21-7-1978

Seal :

FORM ITNS**NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)**

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-I,
4/14A, ASAF ALI ROAD,
NEW DELHI-110001
New Delhi, the 21st July 1978

Ref. No. I.A.C. Acq. I/SR-III/273/Jan.78/77-78/1794.—
Whereas I, J. S. GILL,
being the Competent Authority under Section 269B of the
Income-tax Act 1961 (43 of 1961)
(hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to
believe that the immovable property having a fair market
value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
W-125, situated at Greater Kailash-II, New Delhi
(and more fully described in the schedule annexed hereto)
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of
1908) in the office of the Registering office at
New Delhi on 13-1-1978

for an apparent consideration which is less than the fair
market value of the aforesaid property and I have reason to
believe that the fair market value of the property as aforesaid
exceeds the apparent consideration therefor by more than
fifteen per cent of such apparent consideration and that
the consideration for such transfer as agreed to between
the parties has not been truly stated in the said instrument of
transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability
of the transferor to pay tax under the said Act,
in respect of any income arising from the transfer;
and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or
any moneys or other assets which have not been
or which ought to be disclosed by the transferee for
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11
of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act
1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said
Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the
aforesaid property by the issue of this notice hereby under
sub-section of Section 269D of the said Act, to the following
persons, namely :—

(1) Des Raj S/o
Shri Hari Chand, R/o
119/2, Bhogal Road, Jangpura,
New Delhi-14.

(Transferor)

(2) Mrs. Sheela Kataria W/o
Sh. Lechman Dass, R/o
H-15/14, Malviya Nagar,
New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of
45 days from the date of publication of this
notice in the Official Gazette or a period of
30 days from the service of notice on the res-
pective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said
immovable property within 45 days from the
date of the publication of this notice in the
Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as
are defined in Chapter XXA of the said
Act, shall have the same meaning as given
in that Chapter.

THE SCHEDULE

A free-hold plot of land bearing No. W-125 measuring
400 sq. yards situated at Greater Kailash-II, New Delhi and
bounded as under :

East : Road
West : Service Lane
North : W-123
South : W-127.

J. S. GILL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Delhi/New Delhi

Date : 21-7-1978
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE-I, 4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110001

New Delhi-110001, the 21st July 1978

Ref. No. IAC. Acq. I/SR. III/278/Jan. 44/77-78/1794.—Whereas I, J. S. GILL,

being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

M-164, situated at Greater Kailash-II, New Delhi

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908, (16 of 1908) in the office of the Registering Office at New Delhi on 28-1-1978,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of —

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

15—196GI/78

(1) Mrs. Surindera Narang, W/o Shri B. R. Narang, R/o A-289, Defence Colony, New Delhi.

(Transferor)

(2) Shri B. Biswas S/o R. B. Biswas and Mrs Manimala Biswas, R/o E-26, Greater Kailash, New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A free-hold plot of land bearing No. M-164, measuring 319 sq. yards situated at Greater Kailash-II, New Delhi and bounded as under :

East : Road
North : Road
West : Service Lane
South : House No. M-166.

J. S. GILL,

Competent Authority

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Delhi/New Delhi

Date : 21-7-1978

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME TAX

ACQUISITION RANGE-I,
4/14A, ASAF ALI ROAD,
NEW DELHI-110001

New Delhi, the 21st July 1978

Ref. No. IAC. ACQ. 1/SR/III/Jan.10/77-78/1974.—
Whereas I. J. S. GILL,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the Immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. S-355, situated at Greater Kailash-II, New Delhi

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at New Delhi on 6-1-1978

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Jesa Ram Khurana W/o
Shri Jamna Dass Khurana, R/o
25/108, Shakti Nagar,
Delhi.

(Transferor)

(2) Smt. Savita Behl, W/o Sh. Madan Mohan,
K-37-A, Kailash Colony,
New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(b) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A free-hold plot of land bearing No. S-355, measuring 300 sq. yards situated at Greater Kailash-II, New Delhi and bounded as under :

East : Road
West : Service Lane
North : Plot No. S-353
South : Plot No. S-357.

J. S. GILL
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax,
Acquisition Range-I, Delhi/New Delhi

Date : 21-7-1978
Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASST. COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, BHATINDA
4/14A, ASAF ALI ROAD,
NEW DELHI-110001

New Delhi, the 21st July 1978

Ref. No. IAC. ACQ. I/SR. III/244/Dec.33/77-78/1794.—
Whereas I. J. S. GILL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. R-140, situated at Greater Kailash-I, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at New Delhi on 20-12-1977, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Satish Nanda S/o
Major Dvi Dayal Nanda,
R/o C-59, NDSE Part II,
New Delhi.

(Transferor)

(2) Shri Bhupinder Singh, S/o
Shri Mehtab Singh, R/o
III-G/14, Lajpat Nagar,
New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A free-hold plot of land bearing No. R-140 measuring 208 sq. yards, situated at Greater Kailash-I, New Delhi and bounded as under :
East : Road
West : Service Lane
North : Road
South : R-142.

J. S. GILL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Delhi/New Delhi

Date : 21-7-1978

Seal:

FORM ITNS

(1) Shri ~~Bhata~~ Mal s/o Shri Ram Partap,
R/o Mesh Gate, Nabha.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME TAX,ACQUISITION RANGE, LUDHIANA
CENTRAL REVENUE BUILDING

Ludhiana, the 17th July 1978

Ref. No. NBA/32/77-78.—Whereas, I, NATHU RAM, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Land measuring 330 sq. yds. situated at Mohalla Waryam Singh, Mash Gate, Nabha, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Nabha in November, 1977 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transfer for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, as the following persons namely :—

- (1) S/Shri
1. Prem Chand,
2. Jai Parkash,
Residents of Baneran Kalan, Tehsil Nabha. } sons of Kapoor Chand
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot of land measuring 330 sq. yds. situated in Mohalla Waryam Singh, Mesh Gate, Nabha.
(Property as mentioned in the registered deed No. 1583 of November, 1977 of the Registering Officer, Nabha.)

NATHU RAM
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Ludhiana.

Date : 17-7-78
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME TAX
ACQUISITION RANGE, LUDHIANA
CENTRAL REVENUE BUILDING

Ludhiana, the 17th July 1978

Ref. No. NBA/33/77-78.—Whereas, I, NATHU RAM, being the Competent Authority, under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Land measuring 3 bighas 11 biswas, situated at Duladi on Malerkotla Road, Nabha, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Nabha in November, 1977 for an apparent

consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been, or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax, Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) 1. Smt. Parsini Devi w/o Shri Des Raj,
2. Shri Ram Kumar son of Shri Moti Ram,
3. Ashok Kumar s/o Shri Moti Ram,
Residents of Nabha.

(Transferor)

- (2) The Punjab Chemical Industry,
Duladi, Malerkotla Road, Tehsil Nabha.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 3 bighas 11 biswas, situated at Village Duladi on Malerkotla Road, Nabha.

NATHU RAM
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Ludhiana.

Date : 17-7-78
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASST. COMMISSIONER

OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, LUDHIANA
CENTRAL REVENUE BUILDING

Ludhiana, the 17th July 1978

Ref. No. LDH/R/74/77-78.—Whereas, I, NATHU RAM, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Land measuring 23 Kanal 4 marlas, Khata No. 11/13, Jamabandi 1972-73, situated at Village Hiran, Teh. Ludhiana (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Ludhiana in November, 1977 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Hari Singh s/o Shri Daya Singh,
R/o Hiran, Tehsil Ludhiana.

(Transferor)

(2) Shri Darshan Kumar s/o Shri Rattan Chand,
534-College Road, Ludhiana.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 23 kanal 4 marla, Khata No. 11/13, Jamabandi 1972-73, situated at Village Hiran, Tehsil Ludhiana.

(Property as mentioned in the registered deed No. 4717 of November, 1977 of the Registering Officer, Ludhiana).

NATHU RAM
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Ludhiana.

Date : 17-7-78

Seal :

FORM ITNS

(1) Shri Hari Singh s/o Shri Daya Singh,
R/o Village Hiran, Tehsil Ludhiana.
(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Shri Darshan Kumar s/o Shri Rattan Chand,
534, College Road, Ludhiana.
(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned—

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, LUDHIANA
CENTRAL REVENUE BUILDING

(a) by any of the aforesaid persons within a period
of 45 days from the date of publication of this
notice in the Official Gazette or a period of
30 days from the service of notice on the res-
pective persons, whichever period expires later;

Ludhiana, the 17th July 1978

(b) by any other person interested in the said
immovable property within 45 days from the
date of the publication of this notice in the
Official Gazette.

Ref. No. LDH/R/76/77-78.—Whereas, I, NATHU RAM,
being the competent authority under Section 269B
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter refer-
red to as the 'said Act') have reason to believe that the immo-
vable property, having a fair market value exceeding
Rs. 25,000/- and bearing No.

Land measuring 23 kanal 13 marlas, Khata No. 11/13,
Jamabandi 1972-73, situated at Village Hiran, Teh. Ludhiana
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of
1908) in the office of the Registering Officer
at Ludhiana in November, 1977.

for an apparent

consideration which is less than the fair market value of the
aforesaid property and I have reason to believe that the fair
market value of the property as aforesaid exceeds the appa-
rent consideration therefor by more than fifteen per cent of
such apparent consideration and that the consideration for
such transfer as agreed to between the parties has not been
truly stated in the said instrument of transfer with the object
of :—

EXPLANATIONS—The terms and expressions used herein as
are defined in Chapter XXA of the said
Act, shall have the same meaning as given
in that Chapter.

THE SCHEDULE

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability
of the transferor to pay tax under the said Act, in
respect of any income arising from the transfer
and/or;

Land measuring 23 kanal 13 marlas, Khata No. 11/13,
Jamabandi 1972-73, situated in Village Hiran, Tehsil
Ludhiana.

(Property as mentioned in the registered deed No. 47
of November, 1977 of the Registering Officer, Ludhiana).

(b) facilitating the concealment of any income or any
moneys or other assets which have not been or which
ought to be disclosed by the transferee for the pur-
poses of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of
1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act,
1957 (27 of 1957);

NATHU RAM
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Ludhiana.

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the
aforesaid property by the issue of this notice under sub-sec-
tion (1) of Section 269D of the said Act, to the following
persons namely :—

Date : 17-7-1978

Seal :

FORM ITNS**NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)****GOVERNMENT OF INDIA****OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, LUDHIANA
CENTRAL REVENUE BUILDING**

Ludhiana, the 17th July 1978

Ref. No. LDH/R/75/77-78.—Whereas, I, NATHU RAM being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Land measuring 8 kanal 0 marla, Khata No. 11/13, Jama-bandi 1972-73, situated at Village Hiran, Tehsil Ludhiana (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ludhiana in November, 1977 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) 1. Shri Nirmal Singh s/o Shri Puran Singh,
2. Shri Sukhdev Singh s/o Shri Hari Singh,
3. Shri Ajmer Singh s/o Shri Santokh Singh,
Residents of Village Hiran, Tehsil Ludhiana.
(Transferor)
- (2) Shri Darshan Kumar s/o Shri Rattan Chand,
R/o 534-B-IXX-College Road, Ludhiana.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of thirty days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 8 kanal 0 marla situated in Village Hiran, Tehsil Ludhiana, Khata No. 11/13, Jamabandi 1972-73.

(Property as mentioned in the registered deed No. 4718 of November 1977 of the Registering Officer, Ludhiana.)

NATHU RAM
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Ludhiana

Date : 17-7-1978

Seal :

FORM ITNS

(1) Smt. Sushila Devi w/o Shri Mohinder Kumar,
18-D, Chandigarh.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)(2) 1. Shri Om Parkash s/o Shri Tirath Ram,
2. Shri Ashwani Kumar s/o Shri Om Parkash,
Sector 18-C, Chandigarh.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMIS-
SIONER OF INCOME-TAX,ACQUISITION RANGE, LUDHIANA
CENTRAL REVENUE BUILDING

Ludhiana, the 17th July 1978

Ref. No. CHD/66/77-78.—Whereas, I, NATHU RAM, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Single storey House No. 1627, Sector 18-D, situated at Chandigarh (Measuring 1000 sq. yds.) (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred

under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Chandigarh in November, 1977

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—
16—196GI/78

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that chapter.

THE SCHEDULE

Single storey House No. 1627, Sector 18-D, Chandigarh, (Measuring 1,000 sq. yds.).

(Property as mentioned in the Registered Deed No. 808 of November, 1977 of the Registering Officer, Chandigarh.)

NATHU RAM
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Ludhiana

Date : 17-7-1978

Seal :

FORM ITNS

(1) Smt. Hardip Kaur w/o Shri Surjit Singh,
3090, Sector 27-D, Chandigarh.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Smt. Pritam Kaur w/o Subedar Major Bhagat Singh,
Village & Post Office Bham,
Distt. Hoshiarpur.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, LUDHIANA
CENTRAL REVENUE BUILDING

Ludhiana, the 17th July 1978

Ref. No. CHD/70/77-78.—Whereas, I, NATHU RAM being the competent authority under Section 269B of the income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

House No. 3090, built on plot No. 33, Street 'H', Sector 27-D, situated at Chandigarh (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Chandigarh in November, 1977

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House No. 3090 built on Plot No. 33, Street 'H', Sector 27-D, Chandigarh. (Area 256.667 sq. yds.)

(Property as mentioned in the registered deed No. 832 of November, 1977 of the Registering Officer, Chandigarh.)

NATHU RAM
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Ludhiana

Date : 17-7-1978

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME-TAXACQUISITION RANGE, LUDHIANA
CENTRAL REVENUE BUILDING

Ludhiana, the 17th July 1978

Ref. No. CRD/79/77-78.—Whereas, I, NATHU RAM, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Residential house No. 585, Sector 10-D, situated at Chandigarh (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of Registering Officer at Chandigarh in November, 1977, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

- (1) Smt. Sheel Goel wife of Shri V. P. Goel,
S-5, Panchsheel Colony, New Delhi. (Transferor)
- (2) 1. Shri Sadhu Singh,
2. Smt. Parkash Kaur,
339, Sector 15A, Chandigarh. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Residential House No. 585, Sector 10-D, Chandigarh.

(Property as mentioned in the registered deed No. 897 of November, 1977 of the Registering Officer, Chandigarh.)

NATHU RAM
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Ludhiana

Date : 17-7-1978

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, LUDHIANA
CENTRAL REVENUE BUILDING

Ludhiana, the 25th July 1978

Ref. No. LDH/235/77-78.—Whereas, I, NATHU RAM being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing land measuring 121 Sq. yds. situated at Model Town Road, Ludhiana (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ludhiana in December, 1977 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, of the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Ravinder Singh s/o Shri Balbir Singh,
R/o Village Jugiana Teh. Ludhiana.

(Transferor)

S/Shri
(2) 1. S. Jaspal Singh
2. S. Davinder Singh } sons of S. Sohinder Singh
3. S. Harjit Singh

Partners, Bombay Glass House,
Choura Bazar, Ludhiana.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 121 Sq. yds. situated in Model Town Road, Ludhiana.

(Property as mentioned in the registered deed No. 2839 of December, 1977 of the Registering Officer, Ludhiana).

NATHU RAM
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Ludhiana

Date : 25-7-1978

Seal :

FORM ITNS— —

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, LUDHIANA
CENTRAL REVENUE BUILDING

Ludhiana, the 25th July 1978

Ref. No. LDH/277/77-78.—Whereas, I, NATHU RAM being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. land measuring 127½ Sq. yds. situated at Model Town Road, Ludhiana (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ludhiana in November, 1977 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilities the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Ravinder Singh s/o Shri Balbir Singh,
R/o Village Jugiana Teh. Ludhiana. (Transferor)

S/Shri
(2) 1. S. Jaspal Singh
2. S. Davinder Singh } sons of S. Sohinder Singh
3. S. Harjit Singh }
Partners, Bombay Glass House,
Choura Bazar, Ludhiana.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 127½ Sq. yds. situated in Model Town Road, Ludhiana.

(Property as mentioned in the registered deed No. 2839 of November, 1977 of the Registering Officer, Ludhiana).

NATHU RAM
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Ludhiana

Date : 25-7-1978

Scal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTION ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, LUDHIANA
CENTRAL REVENUE BUILDING

Ludhiana, the 25th July 1978

Ref. No. LDH/278/77-78.—Whereas, I, NATHU RAM being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

land measuring 52½ Sq. yds. situated at Model Town Road, Ludhiana (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ludhiana in November, 1977

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Ravinder Singh s/o Shri Balbir Singh,
R/o Village Jugiana Teh. Ludhiana.
(Transferor)

S/Shri
(2) I. S. Jaspal Singh }
2. S. Davinder Singh } sons of S. Sohinder Singh
3. S. Harjit Singh }
Partners, Bombay Glass House,
Choura Bazar, Ludhiana.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective person, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 52½ Sq. yds. situated in Model Town Road, Ludhiana.

(Property as mentioned in the registered deed No. 2694 of November, 1977 of the Registering Officer, Ludhiana).

NATHU RAM
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Ludhiana

Date : 25-7-1978

Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, LUDHIANA
CENTRAL REVENUE BUILDING

Ludhiana, the 27th July 1978

Ref. No. LDH/U/273/77-78.—Whereas, I, NATHU RAM Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Ludhiana, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Shop measuring 32½ sq. yds. situated at Pindi Street, Ludhiana (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ludhiana in November, 1977 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) 1. Shri Krishan Kumar
2. Shri Rajinder Pal
sons of Shri Gangabishan
S-3
R/o B.XIX — Civil Lines, Rani Zanshi Road,
200
Ludhiana. (Transferor)
- (2) Shri Tilak Raj s/o Shri Ram Chand,
Varanasi Handloom Industries, Pindi Street,
Ludhiana. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Shop measuring 32½ sq. yds. situated in Pindi Street, Ludhiana.

(Property as mentioned in the registered deed No. 2679 of November, 1977 of the Registering Authority, Ludhiana).

NATHU RAM
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Ludhiana

Date : 27-7-1978
Seal :

FORM ITNS ———

(1) M/s. Kayanar Textiles Limited,
Coimbatore.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)(2) Smt. S. Padmavathi Ammal,
No. 33, Salavaiyalar Lane,
Edayar Street, Coimbatore.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-II,
MADRAS-6

Madras-6, the 30th June 1978

Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned : —(a) by any of the aforesaid persons within a period of
45 days from the date of publication of this notice
in the Official Gazette or a period of 30 days from
the service of notice on the respective persons,
whichever period expires later;(b) by any other person interested in the said immovable
property within 45 days from the date of the publi-
cation of this notice in the Official Gazette.

Ref. No. 4541/Nov./77.—Whereas, K. PONNAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to
as the 'said Act'), have reason to believe that the immov-
able property, having a fair market value exceeding Rs.
25,000/- and bearing

New T.S. No. 11/1112/1,
situated at Gandhipuram Second Street, Coimbatore
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of
1908), in the office of the Registering Officer at
Gandhipuram Document No. 1092/77 on 23-11-1977
for an apparent consideration which is less than the fair
market value of the aforesaid property and I have reason to
believe that the fair market value of the property as afore-
said exceeds the apparent consideration therefor by more
than fifteen per cent of such apparent consideration and that
the consideration for such transfer as agreed to between the
parties has not been truly stated in the said instrument of
transfer with the object of—

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as
are defined in Chapter XXA of the said
Act, shall have the same meaning as given
in that Chapter.

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability
of the transferor to pay tax under the said Act, in
respect of any income arising from the transfer;
and/or

(b) facilitating the concealment of any income or
any moneys or other assets which have not been or
which ought to be disclosed by the transferee for the
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11
of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act,
1957 (27 of 1957);

THE SCHEDULE

Property Door No. 8A/112, Gandhipuram 2nd Street,
Land with building (Doc No. 1092/77) T. S. No. 11/1060,
New T.S. No. 11/1112/1.

K. PONNAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Madras-6.

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the
aforesaid property by the issue of this notice under sub-section
(1) of Section 269D of the said Act, to the following per-
sons, namely :—

Date : June 30, 1978

Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II,
MADRAS-6

Madras-6, the 1st July 1978

Ref. No. 5939/Nov./77.—Whereas, I, K. PONNAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Vacant land situated at 10, Kasthuri Ranga Iyengar Road, comprised by R.S. No. 1575/5 Part of Mylapore (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

J.S.R.I./SPT (Doc. No. 503/77) on November, 1977 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—
17—196GI/78

(1) The Madras Financiers & Commission Agents,
Shri V. K. Swaminathan &
Shri V. K. Sakthivel
No. 10, Kasthuri Ranga Iyengar Road,
Madras-18.

(Transferor)

(2) Shri A. V. Mudaliandan,
S/o A. M. Velu Mudali,
Represented by Mother & Guardian
Smt. A. V. Sivaswathi,
No. 10, Poes Garden, Madras-86.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Vacant land situated at No. 10, Kasthuri Ranga Iyengar Road, Madras-18. Comprised by R.S. 1575/5 part of Mylapore (Doc. No. 503/77).

K. PONNAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Madras-6.

Date : 1st July, 1978

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME-TAX,ACQUISITION RANGE-II,
MADRAS-6

Madras-6, the 1st July 1978

Ref. No. 5939/Nov./77.—Whereas, I, K. PONNAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 10 (Part) situated at Kasthuri Ranga Iyengar Road, Madras-18 (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at J.S.R.L./SPT (Doc. No. 504/77) on November, 1977 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) of the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

- (1) The Madras Financiers & Commission Agents,
Shri V. K. Swaminathan &
Shri V. K. Sakthivel
No. 10, Kasthuri Ranga Iyengar Road,
Madras-18. (Transferor)
- (2) Shri A. V. Rajendran (Minor)
Represented by Mother & Guardian
Smt. A. V. Saraswathi,
No. 10, Poes Garden, Madras-86. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned —

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Ground with building being guest house in the premises of No. 10, Kasthuri Ranga Iyengar Road, Madras-18 Doc. No. 504/77).

K. PONNAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Madras-6.

Date : 1st July, 1978

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-II,
MADRAS-6

Madras-6, the 1st July 1978

Ref. No. 5939/Nov./77.—Whereas, I, K. PONNAN being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said' Act have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 10, Kasthuri Ranga, situated at Iyengar Road (Part) Madras-18 (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at J.S.R.I./SPT (Doc. No. 505/77) on November, 1977 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) of the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) The Madras Financiers & Commission Agents,
Shri V. K. Swaminathan &
Shri V. K. Sakthivel
No. 10, Kasthuri Ranga Iyengar Road,
Madras-18. (Transferor)
- (2) M/s. Pukraj & Sons,
6, Tholasingam Lane,
Madras-1. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Ground and building in the premises of No. 10 (Part),
Kasthuri Ranga Iyengar Road, Madras-18.

K. PONNAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Madras-6.

Date : 1st July, 1978
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-II,
MADRAS-6

Madras-6, the 1st July 1978

Ref. No. 8059/Nov./77.—Whereas, I, K. PONNAN, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

T.S. No. 1230/2, situated at Vijayapuram, Thiruvavur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Thiruvavur Doct. No. 2113/77 on 7-11-1977 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer is agreed to between the parties has not been truly in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the 'said Act' to the following persons namely:—

- (1) Mrs. Racheel Ranjitham,
W/o Samuel Sathyanathan,
Peria Mill Street, Thiruvavur. (Transferor)
- (2) K. Palaniyandi Pillai,
S/o Kalyanasundaram Pillai,
Thiruvavur. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Thiruvavur T.K. No. 2, Vijayapuram Ward-3, Block No. 27 T.S. No. 1230/2—1, land and building.
Document No. 2113/77.

K. PONNAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Madras-6.

Date : 1st July, 1978
Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II,
MADRAS-6

Madras-6, the 1st July, 1978

Ref. No. 8066/Nov./77.—Whereas, I, K. PONNAN being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Ottungadu Village (Rice Mill) (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Peravurani on November 22, 1977 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and /or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely—

- (1) 1. Shri Thangavel Chettiar
S/o Thiruvengadam Chettiar
2. Shri Thiruvengadam
3. Shri Arunachalam
Old Peravurani, Peravurani Post.

(Transferor)

- (2) Syed Mohamed,
Power Agent, M. Sheik Dawood,
C/o Nyas Rice Mill, Ottungadu P.O.
Pattukkottai Taluk.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later :
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Rice Mill at Ottungadu Village on the Main Road to Peravurani. (Doc. No. 1840/77).

K. PONNAN
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Madras-6.

Date : July 1, 1978

Seal :

FORM ITNS-----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTION ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-II,
MADRAS-6

Madras-6, the 20th July 1978

Ref. No. F. No. 5917/Nov./77.—Whereas, I, K. PONNAN being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Door No. 455, situated at Poonamallee High Road, Madras (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Purasawalkam, Madras (Doc. No. 1005/77) on November, 1977

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

(1) Shri Deoraj Darda,
S/o Baksulalji Darda,
No. 15, Ramanuja Iyer Street,
Madras-1.

(Transferor)

(2) 1. Mrs. Mohini N. Ganwani
2. Mrs. Vanitha R. Ganwani,
562/566, Triplicane High Road,
Madras-5.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other persons interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One sixteenth undivided share in the ground and flat No. 16 in the 3rd floor of the premises No. 455, Poonamallee High Road, Madras, bearing OS. No. 283, CC. 891, Rs. 3123/1 and 3123/4.

K. PONNAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Madras-6.

Date : July 20, 1978

Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-II,
MADRAS-6

MADRAS-6, the 20th July 1978

Ref. No. 5932/Nov./77.—Whereas, I, K. PONNAN Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 20-A and 20D, situated at Bawa Rowther Road, Madras-18 (and more fully described in the Schedule annexed hereto); has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at S.R.O. Mylapore, Madras-4 Doc. No. 1052/77 on November, 1977 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) M. S. Syed Sahul, Hameed
48-D, St. Mary's Road,
Madras.

(Transferee)

(2) M/s. K. P. V. Shaik Mohamed Rowther & Co.,
(P) Ltd., 41, Linghi Chetty Street,
Madras-1.

(Transferee)

(3) M. M. Syed Hasan—Co-owner,

(Person whom the undersigned knows
to be interested in the property.)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

6000 sq. ft.—1/3 share of two floors No. 20-A and 20-D, Bawa Rowther Road, Madras-18 vide Document No. 1052/77.

K. PONNAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Madras-6.

Date : July 20, 1978
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME-TAX,ACQUISITION RANGE-II,
MADRAS-6

Madras-6, the 20th July 1978

Ref. No. 4516/Nov./77.—Whereas, I, K. PONNAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

S. No. 454 and 455 and 1/2 share in the well in S. No. 453, situated at Arakkankottai Village

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Sathyamangalam (Doc. No. 2191/77) on November 7, 1977

for an apparent

consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Attakkal,
W/o Chenniappa Gounder,
Majara Venkitapuram,
Pullappanaicken Palayam.

(Transferor)

(2) P. Muthukumaasamy Gounder,
S/o Palani Gounder,
Majara Kattipalayampudur,
Lakkampatti Village.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Doc. No. 454 and 455 and half share in the well of S. No. 453 2.81 acres; 3.31 acres respectively.

K. PONNAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Madras-6.

Date : July 20, 1978

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-II,
MADRAS-6

Madras-6, the 20th July 1978

Ref. No. 4516/Nov./77.—Whereas, I, K. PONNAN being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) hereinafter referred to as the 'said Act' have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Lands and 1/2 share in well, situated at Arakkankottai Village (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering officer at Sathyamangalam, Doc. No. 2192 on November 7, 1977 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said A. t. to the following persons, namely :—
18—196G1/78

(1) Smt. Attakkal,
W/o Chenniappa Gounder,
Venkitapuram,
Pullappa Naicken Palayam.

(Transferor)

(2) P. C. Rangasamy,
S/o Chellappa Gounder,
Pachariyur,
Kottupallam Palayam.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, with in 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land at Arakkankottai Village
S. No. 459—3.57 Acres
S. No. 458—1.15 Acres
S. No. 456—1.725 Acres
S. No. 457—1 share in well
S. No. 453—1 share in well.

K. PONNAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Madras-6.

Date : July 20, 1978

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II,

MADRAS-6

Madras-6, the 20th July 1978

Ref. No. 4516/Nov./77.—Whereas, I, K. PONNAN being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Land with shares in well situated at Arakkankottai Village (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 Sathyamangalam (Doc. No. 2193/77) on November 7, 1977 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

- (1) Smt. Attakkal,
W/o Chenniappa Gounder,
Venkitapuram Village,
Pullappa Naicken Palayam. (Transferor)
- (2) Smt. Suppayal,
W/o V. P. Muthukumarasamy Gounder,
Kattipalayampudur,
Lakkampatti Village. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Lands with shares in wells. Property at Arakkankottai Village.

- S. No. 453—2.16 acres;
½ share in well; and
½ share in well
S. No. 461—1.46 acres
S. No. 462—2.04 acres

K. PONNAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Madras-6.

Date : July 20, 1978

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX,
ACQUISITION RANGE-II,

MADRAS-6

Madras-6, the 20th July 1978

Ref. No. 4516/Nov./77.—Whereas, I, K. PONNAN being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

Arakkanpatti Village

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Sathyamangalam (Doc. No. 2194/77) on November 7, 1977

for an apparent Consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transfer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Smt. Attakkal,
W/o Chenniappa Gounder,
Venkitapuram,
Pullappa Naicken Palayam.

(Transferor)

(2) P. C. Rangasamy,
S/o Chellappa Gounder,
Karattipalayampudur,
Lakkampatti Village.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Lands at Arakkankottai Village with shares in wells.
S. No. 456—1.725 acres
S. No. 460—2.31 acres
S. No. 457—2.06 acres with $\frac{1}{2}$ share in well
S. No. 453— $\frac{1}{4}$ share in well

K. PONNAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Madras-6.

Date : July 20, 1978

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II,
BOMBAY

Bombay, the 27th July 1978

Ref. No. A.R. II/2533-3/Dec. 77.—Whereas, I. J. K. GUPTA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding

Rs. 25,000/- and bearing No. CTS No. 813, 813 1 to 26 Plot No. 49

situated at Hanuman Road Vile Parle (E)

(and more fully described in the Schedule

annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at

Bombay on 13-12-1977

for an apparent consideration

which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties

has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) Smt. Savitabai Waghji Laxmidas, Shri Chandrakant Motilal Sheth and Dr. Shantilal J. Mehta, Executors & Trustees of Estate of late Sheth Waghji Laxmidas Trust, Ghatkopar.

(Transferors)

- (2) S/Shri Madhukar U. Chaudhary, Purshottamdas A. Kapur, Ishwardas V. Vora, Trustees of Narayan Nagar Rahiwasi Sangh

(Transferee)

- (3) 1. Shri M. G. Talati
2. Shri P. P. Gor
3. Shri M. U. Choudhary
4. Shri M. P. Choudhary
5. Shri S. N. Poojari
6. Shri P. G. Vidwan
7. Smt. S. P. Vidwan

8. Shri S. P. Salian
9. Shri O. T. Poojari
10. Shri I. V. Vora
11. Shri M. K. Godambe
12. Smt. K. M. Deshpande
13. Shri V. S. Modak
14. Smt. S. D. Mapara
15. Shri Ramdular Yadav
16. Shri Lakhamji Khimji Shah
17. Shri Laxuman J. Kanojia
18. Shri Kanji M. Shah
19. Smt. Pushpa R. Prabhu
20. Shri Moreshwar S. Samant
21. Shri Ramchandra D Honale
22. Shri Chintaman B. Jagtap
23. Shri Madhukar U. Choudhary
24. Shri Amichand Bhupsing
25. Shri R. K. Damle
26. Shri M. B. Shal
27. Shri P. D. Choksi
28. Shri B. N. Dave
29. Shri M. U. Choudhary
30. Smt. K. M. Choudhary
31. Shri P. A. Kapoor
32. Shri N. R. Darekar
33. Shri P. P. Gor
34. Smt. R. R. Athavale
35. Shri S. D. Karandikar
36. Smt. B. M. Raval
37. Shri K. M. Shah
38. Shri M. K. Gujar
39. Shri V. K. Shah
40. Shri Shri Chandrakant/Shelat
41. Shri Shri L. M. Bhat.

[Persons in occupation of the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

ALL THAT piece or plot of land of freehold tenure containing by admeasurement 1978 sq. yds. equal to 1661 sq. mts. according to title Deeds but 1399.46 sq. mtrs. after set backs together with the tenements, buildings thereon all which premises are situate at Hanuman Road, Vile Parle (East), Bombay, in District and sub.district of Bombay and Bombay Suburban District and sub.district bearing old S. No. and Plot No. 8 new No. 49 of Vile Parle Town Planning Scheme II and bearing C.T.S. No. 813, 813 1 to 26 bounded on or towards the EAST by Public Road, known as Hanuman Cross Lane, on or towards the WEST by plot No. 9, on or towards the NORTH by the Public Road known as Hanuman Road and on or towards the SOUTH by the Public road.

J. K. GUPTA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Bombay

Date : 27-7-1978

Seal :

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

NOTICE

NATIONAL DEFENCE ACADEMY EXAMINATION

DECEMBER 1978

New Delhi, the 12th August 1978

No. F.7/3/78-El(B).—An Examination will be held by the Union Public Service Commission commencing from 27th December, 1978, for admission to the Army, Navy and Air Force Wings of the NDA for the 62nd Course Commencing in July 1979.

The approximate number of vacancies to be filled on the results of this examination will be 213 for the Army, 32 for Navy and 55 for the Air Force.

Admission to the above courses will be made on the results of the written examination to be conducted by the Commission followed by intelligence and personality test by a Services Selection Board of candidates who qualify in the written examination. The details regarding the (a) scheme, and syllabus of the examination, (b) physical standards for admissions to the Academy and (c) brief particulars of the service etc. for candidates joining the National Defence Academy are given in Appendices I, II and III respectively.

Note :—THE PAPERS IN ALL THE SUBJECTS OF THE EXAMINATION WILL CONSIST OF OBJECTIVE TYPE QUESTIONS ONLY FOR DETAILS INCLUDING SAMPLE QUESTIONS, PLEASE SEE CANDIDATES' INFORMATION MANUAL AT APPENDIX V.

2. Centres of Examination :—Ahmedabad, Allahabad, Bangalore, Bhopal, Bombay, Calcutta, Chandigarh, Cochin, Cuttack, Delhi, Dispur (Gauhati), Hyderabad, Jaipur, Jammu, Lucknow, Madras, Nagpur, Panaji (Goa), Patiala, Patna, Shillong, Simla, Srinagar and Trivandrum.

3. CONDITIONS OF ELIGIBILITY :—

(a) **Nationality :—**A candidate must be either :—

- (i) a citizen of India, or
- (ii) a subject of Bhutan, or
- (iii) a subject of Nepal, or
- (iv) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India, or
- (v) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, the East African countries of Kenya, Uganda, United Republic of Tanzania, Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia and Vietnam with the intention of permanently settling in India.

Provided that a candidate belonging to categories (iii), (iv) and (v) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

Certificate of eligibility will not, however, be necessary in the case of candidates who are Gorkha subjects of Nepal.

A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to the examination and he may also provisionally be admitted to the Academy subject to the necessary certificate being given to him by the Government.

(b) **Age limits, sex and marital status :—**Unmarried male candidates born not earlier than 2nd January, 1961 and not later than 1st July, 1963 are only eligible.

Note :—Date of birth as recorded in Matriculation/Higher Secondary or equivalent examination certificate will only be accepted.

(c) **Educational Qualifications :—**Higher Secondary Examination of a State Education Board or of a recognised university or equivalent. Candidates who have passed the 11th class examination under the 10+2 Pattern of School Education are also eligible.

Candidates who have yet to pass the Higher Secondary or Equivalent Examination or the 11th class examination under the 10+2 Pattern of School Education can also apply.

Candidates are required to submit Higher Secondary Examination or Equivalent certificates *in original* to reach the commission's office by 30 June 1979, failing which their candidature will stand cancelled. Certificates in original issued by the principals of the institutions are also acceptable in cases where Boards/Universities have not yet issued certificates. Certified true copies of such certificates will not be accepted.

In Exceptional cases the commission may treat a candidate, who has not any of the qualifications prescribed in this rule as educationally Qualified provided that he possesses qualifications the standard of which in the opinion of the commission justifies his admission to the examination.

Note :—Candidates who are debarred by the Ministry of Defence from holding any type of commission in the Defence Services shall not be eligible for admission to the examination and if admitted their candidature will be cancelled.

4. FEE TO BE PAID WITH THE APPLICATION :—Rs. 28/- (Rs. 7/- for Scheduled Castes/Scheduled Tribes candidates). Applications not accompanied by the prescribed fee will be summarily rejected.

5. REMISSION OF FEE :—(1) The Commission may, at their discretion, remit the prescribed fee where they are satisfied that the applicant is a *bona fide* displaced person from erstwhile East Pakistan (now Bangladesh) and had migrated to India during the period between 1-1-1964 and 25-3-1971 or is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma who migrated to India on or after 1-6-1963 or is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Sri Lanka who migrated to India on or after 1-11-1964 or is a prospective repatriate of Indian origin from Sri Lanka, under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964, and is not in a position to pay the prescribed fee.

(2) The children of Junior Commissioned Officers, Non-Commissioned Officers and other ranks of the Army and equivalent ranks in the Indian Navy and the Indian Air Force and children of Ex-Junior Commissioned Officers, Ex-Non-Commissioned Officers and Ex-other ranks of the Army and equivalent ranks in the Indian Navy and Indian Air Force are not required to pay the prescribed fee if they satisfy the following conditions viz.

- (i) they are studying in the Military School, (formerly known as King George's Schools)/Sainik Schools run by the Sainik Schools Society, and
- (ii) their applications are forwarded by the Principal of the concerned School with the recommendation that they are expected to secure at least 30 percent of the aggregate marks of the written papers.

6. HOW TO APPLY :—Only printed applications on the form prescribed for the National Defence Academy Examination December 1978 appended to the Notice will be entertained. Completed applications should be sent to the Secretary, Union Public Service Commission, Dholpur House, New Delhi-110011. Application forms and full particulars of the examination can be had from the following sources :—

- (i) By post from Secretary, Union Public Service Commission, Dholpur House New Delhi-110011 by remitting Rs. 2/- by Money Order or by crossed Indian Postal Order payable to Secretary, U.P.S.C. at New Delhi G.P.O.
- (ii) On cash payment of Rs. 2/- at the counter in the Commission's Office.
- (iii) Free of charge from nearest Recruiting Office, Military Area/Sub-Area Headquarters, Airmen's Selection Centres, N.C.C. Units, and Naval Establishments.

All candidates whether already in Government service including those serving in the Armed Forces or in Government-owned industrial undertakings or other similar organisations or in private employment should submit their application direct to the Commission. If any candidate forwards his application through his employer and it reaches the Union Public Service Commission late, the application, even if submitted to the employer before the closing date, will not be considered.

Persons already in Government service including those serving in the Armed Forces, whether in a permanent or temporary capacity or as work-charged employees other than casual or daily-rated employees are, however, required to obtain the permission of Head of their Office/Department/Commanding Officer before they are finally admitted to the examination. They should send their applications direct to the Commission after detaching the 2 copies of the form of certificate attached at the end of the application form and submit the said forms of certificate immediately to their Head of Office/Department/Commanding Officer with the request that one copy of the form of certificate duly completed may be forwarded to the Secretary, Union Public Service Commission, New Delhi, as early as possible and in any case not later than the date specified in the form of certificate.

Note :—Sailors (including boys and artificer apprentices) of the Indian Navy must give Indian Navy as their first preference. Their applications will be entertained only if these have been duly recommended by their Commanding Officers.

Cadets of the Rashtriya Indian Military College (previously known as Sainik School) Dehra Dun, students of Military Schools (formerly known as King George's Schools) and Sainik Schools run by the Sainik Schools Society should submit their applications through the Principal of the College/School concerned.

7. LAST DATE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS IN THE COMMISSIONS OFFICE :—

- (i) From candidates in India—25th September, 1978
- (ii) From candidates abroad or in Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep—9th October, 1978.

8. DOCUMENTS TO BE SUBMITTED WITH THE APPLICATION.

(A) By all candidates :—

- (i) Fee of Rs. 28/- (Rs. 7/- for Scheduled Castes/Scheduled Tribes candidates) through crossed Indian Postal Orders payable to the Secretary, Union Public Service Commission at New Delhi General Post Office or crossed Bank Draft from any branch of the State Bank of India payable to the Secretary Union Public Service Commission at the State Bank of India, Parliament Street, New Delhi.

Candidates residing abroad should deposit the prescribed fee in the office of India's High Commissioner, Ambassador or Representative abroad, as the case may be, for credit to the account Head "051 Public Service Commission—Examination Fees" and the receipt attached with the application.

- (ii) Two identical copies of recent passport size (5 cm. × 7 cm. approx.) photographs of the candidate duly signed on the front side.

(B) By Scheduled Castes/Scheduled Tribes candidates :—

Attested/certified copy of certificate in the form given in Appendix IV from any of the competent authorities (mentioned under the certificate) of the District in which he or his parents (or surviving parent) ordinarily reside, in support of claim to belonging to Scheduled Caste/Scheduled Tribe.

(C) By candidates claiming remission of fee :—

- (i) An attested/certified copy of a certificate from a District Officer or a Gazetted Officer or a Member of Parliament or State Legislature certifying that he is not in a position to pay the prescribed fee.

- (ii) An attested/certified copy of certificate from the following authorities in support of his claim to be a bona fide displaced person/repatriate—

(a) Displaced person from erstwhile East Pakistan

- (i) Camp Commandant of the Transit Centres of the Dandakarnya Project or of Relief Camps in various States.

OR

- (ii) District Magistrate of the area in which he may, for the time being, be a resident.

OR

- (iii) Additional District Magistrate in charge of Refugee Rehabilitation in his district.

OR

- (iv) Sub-Divisional Officer within the sub-division in his charge.

OR

- (v) Deputy Refugee Rehabilitation Commissioner, West Bengal/Director (Rehabilitation) in Calcutta.

(b) Repatriates from Sri Lanka :—

High Commission for India in Sri Lanka.

(c) Repatriates from Burma :—

Embassy of India, Rangoon, or District Magistrate of the area in which the candidate may be resident.

9. *REFUND OF FEE* :—No refund of fee paid to the Commission with the application will be entertained except in the following cases, nor can the fee be held in reserve for any other examination or selection :—

- (i) A refund of Rs. 15/- (Rs. 4/- in the case of candidates belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes) will be made to a candidate who had paid the prescribed fee and is not admitted to the examination by the Commission. If, however, the application is rejected on receipt of information that the candidate has failed in the Higher Secondary or equivalent examination or will not be able to submit the proof of passing the Higher Secondary or equivalent examination by the prescribed date, he will not be allowed refund of fee.

- (ii) A refund of Rs. 15/- (Rs. 4/- in the case of candidates belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes) will be allowed in the case of a candidate who took the NDA Examination May 1978 and is recommended for admission to any of the courses on the results of that Examination provided his request for cancellation of candidature for the NDA Examination December, 1978 and refund of fee is received in the office of the Commission on or before 15th February, 1979.

10. ACKNOWLEDGEMENT OF APPLICATIONS :—

All applications received in the prescribed form for this examination will be acknowledged. If a candidate does not receive an acknowledgement of his application within a month from the last date of receipt of application for the examination, he should at once contact the Commission for the acknowledgement.

11. *RESULT OF APPLICATION* :—If a candidate does not receive from the Commission a communication regarding the result of his application one month before the commencement of the examination, he should at once contact the Commission for the result. Failure to comply with this provision will deprive the candidate of any claim to consideration.

12. *ADMISSION TO THE EXAMINATION* :—The decision of the Union Public Service Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate shall be final. No candidate shall be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

13. ACTION AGAINST CANDIDATES FOUND GUILTY OF MISCONDUCT :—Candidates are warned that they should not furnish any particulars that are false or suppress any material information in filling in the application form. Candidates are also warned that they should in no case correct or alter or otherwise tamper with any entry in a document or its attested/certified copy submitted by them nor should they submit a tampered/fabricated document. If there is any inaccuracy or any discrepancy between two or more such documents or their attested/certified copies, an explanation regarding the discrepancy should be submitted.

A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of—

- (i) obtaining support of his candidature by any means, or
 - (ii) impersonating, or
 - (iii) procuring impersonation by any person, or
 - (iv) submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or
 - (v) making statements which are incorrect or false, or suppressing material information; or
 - (vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination, or
 - (vii) using unfair means during the examination, or
 - (viii) writing irrelevant matter, including obscene language or pornographic matter, in the script(s), or
 - (ix) misbehaving in any other manner in the examination hall, or
 - (x) harassing or doing bodily harm to the staff employed by the Commission for the conduct of their examinations, or
 - (xi) attempting to commit or as the case may be abetting the commission of all or any of the acts specified in the foregoing, clauses.
- may in addition to rendering himself liable to criminal prosecution be liable :—
- (a) to be disqualified by the Commission from the Examination for which he is a candidate; or
 - (b) to be debarred either permanently or for a specified period—
 - (i) by the Commission, from any examination or selection held by them;
 - (ii) by the Central Government, from any employment under them; and
 - (c) if he is already in service under Government, to disciplinary action under the appropriate rules.

14. ORIGINAL CERTIFICATES—SUBMISSION OF.—Candidates who qualify for interview on the results of the written examination will be required to submit to the Commission original certificates in support of their age and educational qualifications etc. soon after the declaration of the results of the written examination. The results of the written examination are likely to be declared in the month of March 1979.

15. COMMUNICATION REGARDING APPLICATIONS.—ALL COMMUNICATIONS IN RESPECT OF AN APPLICATION SHOULD BE ADDRESSED TO THE SECRETARY, UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION, DHOLPUR HOUSE, NEW DELHI-110011 AND SHOULD INVARIABLY CONTAIN THE FOLLOWING PARTICULARS :—

- (1) NAME OF EXAMINATION
- (2) MONTH AND YEAR OF EXAMINATION
- (3) ROLL NUMBER OR THE DATE OF BIRTH OF CANDIDATE IF THE ROLL NUMBER HAS NOT BEEN COMMUNICATED.

(4) NAME OF CANDIDATE (IN FULL AND IN BLOCK CAPITALS)

(5) POSTAL ADDRESS AS GIVEN IN APPLICATION.

N.B.—COMMUNICATIONS NOT CONTAINING THE ABOVE PARTICULARS MAY NOT BE ATTENDED TO.

16. CHANGE OF ADDRESS.—A candidate must see that communications sent to him at the address stated in his application are re-directed if necessary. Change in address should be communicated to the Commission at the earliest opportunity giving the particulars mentioned in paragraph 15 above.

CANDIDATES RECOMMENDED BY THE COMMISSION FOR INTERVIEW BY THE SERVICES SELECTION BOARD WHO HAVE CHANGED THEIR ADDRESSES SUBSEQUENT TO THE SUBMISSION OF THEIR APPLICATIONS FOR THE EXAMINATION SHOULD IMMEDIATELY AFTER ANNOUNCEMENT OF THE RESULT OF THE WRITTEN PART OF THE EXAMINATION NOTIFY THE CHANGED ADDRESS ALSO TO ARMY HEADQUARTERS, A.G.s BRANCH RTG. 6(SP) (a) WEST BLOCK 3, WING 1, RAMAKRISHNAPURAM, NEW DELHI-110022. FAILURE TO COMPLY WITH THIS INSTRUCTION WILL DEPRIVE THE CANDIDATE OF ANY CLAIM TO CONSIDERATION IN THE EVENT OF HIS NOT RECEIVING THE SUMMONS LETTER FOR INTERVIEW BY THE SERVICES SELECTION BOARD.

Although the authorities make every effort to take account of such changes they cannot accept any responsibility in the matter.

17. ENQUIRIES ABOUT INTERVIEW OF CANDIDATES QUALIFYING IN THE WRITTEN EXAMINATION.—Candidates whose names have been recommended for interview by the Services Selection Board, should address enquiries or requests if any relating to their interview direct to the Army Headquarters, AG's Branch RTG, 6 (SP) (a) West Block 3, Wing, I, Ramakrishnapuram, New Delhi-110022.

Candidates who have to appear for any university examination, should immediately after the announcement of the result of the written examination, intimate the dates of such examination to the Army Headquarters, who may, if possible, take this into consideration before fixing the dates of interview.

Candidates whose names appear in the final merit list issued by the UPSC must notify their latest address to Army HQ AG's Branch, Rtg.6 (SP) (a) (i), West Block 3, Wing I, Ramakrishnapuram, New Delhi-110022, immediately after publication of the merit list in the newspapers, if there is any change in the address already given so that joining instructions issued by Army HQ reach them in time. In case this is not done, the responsibility of non-receipt of the joining instructions will rest with the candidates.

18. ANNOUNCEMENT OF THE RESULTS OF THE WRITTEN EXAMINATION INTERVIEW OF QUALIFIED CANDIDATES. ANNOUNCEMENT OF FINAL RESULTS AND ADMISSION TO THE TRAINING COURSE OF THE FINALLY QUALIFIED CANDIDATES.—The Union Public Service Commission shall prepare a list of candidates who obtain the minimum qualifying marks in the written examination as fixed by the Commission in their discretion. Such candidates shall appear before a Services Selection Board for Intelligence and Personality Tests, where candidates for the Army/Navy will be assessed in officer potentiality and those for the Air Force in Pilot Aptitude Test and officer potentiality. The maximum marks obtainable at these tests are 900.

Candidates will appear before the Services Selection Board and undergo the tests thereat at their own risk and will not be entitled to claim any compensation or other relief, from Government in respect of any injury which they may sustain in the course of or as a result of any of the tests given to them at the Services Selection Board whether due to the negligence of any person or otherwise. Parents or guardians of the candidates will be required to sign a certificate to this effect.

To be acceptable candidates for the Army/Navy should secure the minimum qualifying marks separately in (i) written examination, and (ii) officer potentiality tests, as fixed by the Commission in their discretion, and candidates for the Air Force should secure the minimum qualifying marks separately in (i) written examination, (ii) officer potentiality test, and (iii) Pilot Aptitude Test as fixed by the Commission in their discretion. Subject to these conditions, the qualified candidates will then be placed in the final order of merit on the basis of total marks secured by them in the written examination, and the Services Selection Board Tests in two separate lists—one for the Army and the Navy and the other for the Air Force. The names of candidates who qualify for all the Services will appear in both the Merit Lists. The final selection for admission to the Army and Naval Wings of the National Defence Academy will be made in order of merit up to the number of vacancies available from the order of merit list for the Army and the Navy and for the Air Force Wing from the order of merit list for the Air Force subject to medical fitness and suitability in all other respects. The candidates who are common to both the merit lists will be considered for selection from both the lists with reference to their order of preferences and in the event of their final selection from one list, their names will be cancelled from the other list.

N.B.—EVERY CANDIDATE FOR THE AIR FORCE IS GIVEN PILOT APTITUDE TEST ONLY ONCE. THE GRADE SECURED BY HIM AT THE FIRST TEST WILL THEREFORE, HOLD GOOD FOR EVERY SUBSEQUENT INTERVIEW HE HAS WITH THE AIR FORCE SELECTION BOARD. A CANDIDATE WHO FAILS IN THE FIRST PILOT APTITUDE TEST CANNOT APPLY FOR ADMISSION TO THE NATIONAL DEFENCE ACADEMY EXAMINATION FOR THE AIR FORCE WING OR GENERAL DUTIES (PILOT) BRANCH OR NAVAL AIR ARM.

Candidates who have been given the Pilot Aptitude Test for any previous N.D.A. course should submit their applications for this examination for the Air Force Wing only if they have been notified as having qualified in Pilot Aptitude Test.

The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in their discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

Success in the examination confers no right of admission to the Academy. A candidate must satisfy the appointing authority that he is suitable in all respects for admission to the Academy.

19. DISQUALIFICATION FOR ADMISSION TO THE TRAINING COURSE—Candidates who were admitted to an earlier course at the National Defence Academy, but were removed therefrom for lack of officer-like qualities or on disciplinary grounds will not be admitted to the Academy.

Candidates who were previously withdrawn from the National Defence Academy on medical grounds or left the above Academy voluntarily are, however, eligible for admission to the Academy provided they satisfy the medical and other prescribed conditions.

20. RESTRICTION ON MARRIAGE DURING TRAINING IN THE NATIONAL DEFENCE ACADEMY.—Candidates must undertake not to marry until they complete their full training. A candidate who marries subsequent to the date of his application, though successful at this or any subsequent examination will not be selected for training. A candidate who marries during training shall be discharged and will be liable to refund all expenditure incurred on him by the Government.

21. PAMPHLETS CONTAINING RULES AND QUESTION PAPERS—With the introduction of objective type questions for all the papers included in the scheme of this examination with effect from the National Defence Academy Examination, December 1977, the printing of pamphlets containing rules and question papers for this examination has been discontinued. However, copies of pamphlets containing rules and question papers of preceding examinations upto National Defence Academy Examination held in May, 1977 are on sale with the Controller of Publications, Civil Lines, Delhi-110054 and may be obtained from him direct by mail

orders or on cash payment. These can also be obtained only against cash payment from (i) the Kitab Mahal, opposite Rivoli Cinema, Emporia Building 'C' Block, Baba Khair Singh Marg, New Delhi-110001, (ii) Sale counter of the Publications Branch at Udyog Bhawan, New Delhi-110001 and (iii) the Government of India Book Depot, 8, K. S. Roy Road, Calcutta-700001. The pamphlets are also obtainable from the agents for the Government of India Publications at various mofussil towns.

22. INTELLIGENCE TESTS—INFORMATION ABOUT.—The Ministry of Defence (Directorate of Psychological Research) have published a book with the title "A Study of Intelligence Test Scores of candidates at Services Selection Boards." The purpose of publishing this book is that the candidates should familiarise themselves with the type of Intelligence Tests they are given at the Services Selection Boards.

The book is a priced publication and can be obtained from the sources mentioned in paragraph 21 above.

R. S. GOELA
Deputy Secretary

APPENDIX I

(The Scheme and syllabus of the examination).

A. SCHEME OF THE EXAMINATION

1. The subject of the written examination, the time allowed and the maximum marks allotted to each subject will be as follows:—

| Subject | Duration | Max. Marks |
|-------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| 1. English | 2 hours | 250 |
| 2. Mathematics— Paper I | 2 hours | 125 |
| Paper II | 2 hours | 125 |
| 3. General Knowledge—Paper I (Science) | 2 hours | 200 |
| Paper II (Social Studies, Geography and Current Events) | 2 hours | 200 |
| | | 900 |

2. THE PAPERS IN ALL THE SUBJECTS WILL CONSIST OF OBJECTIVE TYPE QUESTIONS ONLY. FOR DETAILS INCLUDING SAMPLE QUESTIONS, PLEASE SEE CANDIDATES' INFORMATION MANUAL AT APPENDIX V.

3. In the question papers, wherever necessary, questions involving the Metric System of Weights and Measures only will be set.

4. Candidates must write the papers in their own hand in no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write the answers for them.

5. The Commission have discretion to fix qualifying marks in any or all the subjects at the examination.

6. Marks will not be allotted for mere superficial knowledge.

B. SYLLABUS OF THE EXAMINATION

ENGLISH.—The question paper will be designed to test the candidate's understanding of and his power to write English correctly and idiomatically. It will also include questions to test the candidate's knowledge of grammar, idiom and usage.

MATHEMATICS

PAPER I

Arithmetic :

Number System—Natural numbers, Integers, Rational and real Numbers. Commutative, associative and distributive laws. Fundamental Operations—addition, subtraction, multiplication and division. Square and cube roots. Decimal fractions.

Unitary method—applications to simple and compound interests, time and distance, time and work, profit and loss, ratio and proportion. Races.

Elementary Numbers. Theory—Division algorithm. Prime and composite numbers. Multiples and factors. Factorisation theorem. H.C.F. and L.C.M. Euclidean algorithm.

Logarithms and their use.

Algebra :

Basic Operations : Simple factors. Remainder theorem. H.C.F., L.C.M. of polynomials. Solution of quadratic equations, relation between its roots and coefficients. Simultaneous equations in two unknowns. Linear simultaneous equations in three unknowns. Application of equations, Inequality.

Graphs :

Set language, notation, Venn diagram, set operations, solution sets of linear equations (three unknowns)—application. Polynomials with rational coefficients. Division algorithm. Laws of indices. AP and GP. Geometric series. Recurring decimal fraction. Permutations and combinations. Binomial theorem for positive integral index. Application of binomial theorem.

Trigonometry :

Trigonometric ratios and identities. Trigonometric ratios of 30° , 45° , 60° and their use in elementary problems on heights and distances.

PAPER II

Geometry :

Incidence Relations. Order relations in a line. Regions. Orientation in a plane. Pash's axiom. Reflection in a line and in a point. Translation. Rotation. Composition of reflections, translations and rotations. Slide reflections. Symmetry about a line symmetrical figures. Isometries. Invariants. Congruence—direct and skew.

Theorems on : (i) Properties of angles at a point; (ii) parallel lines; (iii) sides and angles of triangles; (iv) congruency of triangles; (v) similar triangles; (vi) concurrence of median, altitudes, perpendicular bisector of sides and bisectors of angles of a triangle; (vii) properties of angles, sides and diagonals of a parallelogram, rhombus, rectangle, square and trapezium; (viii) circle and its properties including tangents and normals; (ix) cyclic quadrilaterals; (x) loci.

Calculus :

Functions. Graphs. Limit and Continuity. Differential coefficients of functions. Differentiation of elementary functions—polynomial rational, trigonometric. Differentiation of a function of a function. Differentials, Rates, Errors. Second order derivatives.

Integration as the inverse of differentiation. Standard formulae for integration. Integration by parts and substitution

Mensuration :

Areas of plane figures. Volumes and surfaces of Cubes, pyramids, right circular cylinders. Cones and spheres.

Plane Co-ordinate Geometry :

Distance formula, section formula. Standard form of the equation of a straight line. Angle between two lines. Conditions of a parallelism and perpendicularity. Length of the perpendicular from a point to a line. Equation of a circle. 19—196GI/78

GENERAL KNOWLEDGE

There will be two papers :

Paper I—Comprising Physics, Chemistry and General Science; and

Paper II—Comprising Social Studies, Geography and Current Events.

The following syllabus is designed to indicate the scope of the subjects included in these papers. The topics mentioned are not to be regarded as exhaustive; and questions on topics of similar nature not specially mentioned in the syllabus may also be asked. Candidates' answers are expected to show their knowledge and intelligent understanding of the questions.

PAPER I

SCIENCE

General knowledge Paper I will comprise the following :—

(A) Physical Properties and States of Matter. Mass, Weight, Volume, Density and Specific Gravity. Principle of Archimedes, Pressure Barometer.

Motion of objects. Velocity and Acceleration. Newton's Laws of Motion. Force and Momentum. Parallelogram of Forces. Stability and Equilibrium of bodies. Gravitation, elementary ideas of Work, Power and Energy.

Effects of Heat. Measurement of Temperature and Heat. Change of State and Latent Heat. Modes of transference of Heat.

Sound Waves and their properties. Simple musical instruments.

Rectilinear propagation of Light. Reflection and refraction. Spherical Mirrors and Lenses. Human Eye.

Natural and Artificial Magnets. Properties of a Magnet. Earth as a Magnet.

Static and Current Electricity. Conductors and Non-conductors. Ohm's Law. Simple Electrical Circuits. Heating, Lighting and Magnetic effects of Current. Measurement of Electrical Power. Primary and Secondary Cells. Uses of X-Rays.

General Principles in the working of the following :—

Simple Pendulum. Simple Pulleys, Siphon, Levers, Balloon, Pumps, Hydrometer, Pressure Cooker, Thermos Flask, Gramophone, Telegraph, Telephone, Periscope, Telescope, Microscope, Mariner's Compass, Lightning Conductors, Safety Fuses.

(B) Physical and Chemical changes. Elements. Mixtures and Compounds. Symbols, Formulae and simple Chemical Equations. Laws of Chemical Combination (excluding problems). Properties of Air and Water.

Preparation and Properties of Hydrogen, Oxygen, Nitrogen and Carbon dioxide. Oxidation and reduction.

Acids; Bases and Salts.

Carbon—Different forms.

Fertilizers—Natural and Artificial.

Materials used in the preparation of substances like Soap, Glass, Ink, Paper, Cement, Paints, Safety Matches and Gun Powder.

Elementary ideas about the Structure of Atom. Atomic Equivalent and Molecular Weights, Valency.

(C) Difference between the living and non-living.

Basis of Life—Cells Protoplasm and Tissues.

Growth and Reproduction in Plants and Animals

Elementary knowledge of Human Body and its important organs.

Common Epidemics, their causes and prevention.

Food—Source of Energy for Man. Constituent of food. Balanced Diet.

The Solar System. Meteors and Comets. Eclipses.

Achievements of Eminent Scientists.

NOTE: Out of maximum marks assigned to the paper, question on Part (A), (B) and (C) will generally carry 50%, 30% and 20% marks respectively.

PAPER II

(SOCIAL STUDIES GEOGRAPHY AND CURRENT EVENTS)

General Knowledge Paper II will comprise the following:—

(A) A broad survey of Indian History with emphasis on Culture and Civilisation.

Freedom Movement in India.

Elementary study of Indian Constitution and Administration.

Elementary knowledge of Five Year Plans of India.

Panchayat Raj, Co-operatives and Community Development.

Bhoodan, Sarvodaya, National Integration and Welfare State. Basic teachings of Mahatma Gandhi.

Forces shaping the modern world; Renaissance. Exploration and Discovery; War of American Independence. French Revolution. Industrial Revolution, and Russian Revolution. Impact of Science and Technology on Society.

Concept of One World, United Nations, Panchsheel, Democracy, Socialism and Communism. Role of India in the present world.

(B) The Earth, its shape and size. Latitudes and Longitudes. Concept of Time. International Date Line. Movements of Earth and their effects.

Origin of Earth, Rocks and their classification: Weathering—Mechanical and Chemical; Earthquakes and Volcanoes.

Ocean Currents and Tides.

Atmosphere and its composition; Temperature and Atmospheric Pressure; Planetary Winds; Cyclones and Anti-cyclones; Humidity. Condensation and Precipitation; Types of Climate.

Major Natural regions of the World.

Regional Geography of India—Climate, Natural vegetation. Mineral and Power resources; location and distribution of Agricultural and Industrial activities.

Important Sea Ports and main sea, land and air routes of India. Main items of Imports and Exports of India.

(C) Knowledge of important events that have happened in India in the recent years.

Current important world events.

Prominent personalities—both Indian and International including those connected with cultural activities and sports.

NOTE: Out of the maximum marks assigned to the paper, questions on Parts (A), (B) and (C) will generally carry 40%, 40% and 20% marks respectively.

INTELLIGENCE AND PERSONALITY TEST

In addition to the interview, the candidates will be put to Intelligence Test both verbal and non-verbal designed to assess their basic intelligence. They will also be put to Group Tests, such as group discussions, group planning, outdoor group tasks and asked to give brief lectures on specified subjects. All these tests are intended to judge the mental calibre of a candidate. In broad terms this is really an assessment of not only his intellectual qualities but also his social traits and interests in current affairs.

APPENDIX II

GUIDELINES FOR PHYSICAL STANDARDS FOR ADMISSION TO THE NATIONAL DEFENCE ACADEMY

NOTE.—CANDIDATES MUST BE PHYSICALLY FIT ACCORDING TO THE PRESCRIBED PHYSICAL STANDARDS THE STANDARDS OF MEDICAL FITNESS ARE GIVEN BELOW.

A NUMBER OF QUALIFIED CANDIDATES ARE REJECTED SUBSEQUENTLY ON MEDICAL GROUNDS. CANDIDATES ARE THEREFORE, ADVISED IN THEIR OWN INTERESTS TO GET THEMSELVES MEDICALLY EXAMINED BEFORE SUBMITTING THEIR APPLICATIONS TO AVOID DISAPPOINTMENT AT THE FINAL STAGE.

A sufficient number of suitable candidates recommended by the Services Selection Board will be medically examined by a Board of Service Doctors. A candidate who is not declared fit by the Medical Board will not be admitted to the Academy. The very fact that the Medical Examination has been carried out by a Board of Service Doctors will not mean or imply that the candidate has been finally selected. The proceedings of the Medical Board are confidential and cannot be divulged to any one. The results of candidates declared, unfit/temporarily unfit are intimated to them along with the procedure for submission of fitness certificate and appeal. No request for the results of Medical Board will be entertained by the President of the Medical Board.

Candidates for the Army are advised in their own interest, that if their vision does not come up to the standard they must bring with them their correcting glasses if and when called up for Services Selection Board Interview/Medical Examination.

1. To be declared fit for admission to the National Defence Academy a candidate must be in good physical and mental health and free from any disability likely to interfere with the efficient performance of duty.

2. It will however, be ensured that:—

(a) there is no evidence of weak constitution, imperfect development, serious malformation or obesity;

(b) there is no maldevelopment or impairment of function of the bones or joints;

NOTE: A candidate with a rudimentary cervical rib in whom there is no signs and symptoms referable to the cervical rib may be considered fit. However, the defect is to be recorded as a minor disability in the medical board proceedings.

(c) there is no impediment of speech;

(d) there is no malformation of the head, deformity from fracture or depression of the bones of the skull;

(e) there is no impaired hearing, discharge from or disease in either ear, unhealed perforation of the tympanic membranes or signs of acute or chronic suppurative otitis-media or evidence of radical or modified radical mastoid operation.

NOTE: A soundly healed perforation without any impairment of the mobility of the drum and without impairment of hearing should not be a bar to acceptance of a candidate for the Army

(f) there is no disease of the bones or cartilages of the nose or nasal polypus or disease of the nasopharynx and accessory sinuses;

NOTE: (i) A small asymptomatic traumatic perforation of the nasal septum will not be a cause for outright rejection and such cases would be referred to the Adviser in Otolary

NOTE: (ii) Diagnostic antrum puncture to confirm Maxillary Sinusitis should be resorted to only in appeal cases and not as a routine in the initial examination when a radiological examination, if indicated, should be adequate.

- (g) there are no enlarged glands due to tubercular or due to other disease in the neck and other parts of the body and that the thyroid gland is normal.

NOTE :—Scars of operations for the removal of tuberculous glands are not a cause for rejection provided that there has been no active disease within the preceding five years and the chest is clinically and radiologically clear.

- (h) there is no disease of the throat palate tonsils or gums or any disease or injury affecting the normal function of either mandibular joints;

NOTE :—Simple hypertrophy of the tonsils, if there is no history of attacks of tonsillitis is not a cause for rejection.

- (i) there is no sign of functional or organic disease of the heart and blood vessels;
- (j) there is no evidence of pulmonary tuberculosis or previous history of this disease or any other chronic disease of the lungs;
- (k) there is no evidence of any disease of the digestive system including any abnormality of the liver and spleen; and there is no abdominal tenderness or palpitation;
- (l) Inguinal hernia (unoperated) or tendency thereto will be a cause for rejection;

NOTE :—In the case of candidates who have been operated for hernia, they may be declared fit provided—

- (i) one year has elapsed since the operation (documentary proof is to be furnished by the candidate);
- (ii) general tone of the abdominal musculature is good; and
- (iii) there has been no recurrence of the hernia or complication connected with the operation.

- (m) there is no hydrocele or definite varicocele or any other disease or defect of the genital organs.

NOTE :—(i) A candidate who has been operated for a hydrocele will be accepted if there are no abnormalities of the cord and testicle and there is no evidence of filariasis;

- (ii) Undescended intra-abdominal testicle on the one side should not be a bar to acceptance of candidates for commissioning in the Armed Forces provided the other testicle is normal and there is no untoward physical or psychological effect due to the anomaly. Undescended testis retained in the inguinal canal or at the external abdominal ring is, however, a bar to acceptance unless corrected by operation.

- (n) there is no fistula and/or fissure of the anus or evidence of haemorrhoids;
- (o) there is no disease of the kidneys. All cases of Glycosuria and Albuminuria will be rejected.
- (p) there is disease of the skin, unless temporary or trivial. Scars which by their extent or position cause or are likely to cause disability or marked disfigurement are a cause for rejection.
- (q) there is no active latent or congenital venereal disease;
- (r) there is no history of evidence of mental disease of the candidate or his family. Candidates suffering from epilepsy, incontinence of urine or enuresis will not be accepted.
- (s) there is no squint or morbid condition of the eye or of the lids which is liable to a risk of aggravation or recurrence; and
- (t) there is no active trachoma or its complications and sequelae.

NOTE :—Remedial operations are to be performed prior to entry. No guarantee is given of ultimate acceptance and it should be clearly understood by the candidates that the decision whether and operation is desirable or necessary is one to be made by their private medical adviser. The Government will accept no liability regarding the result of operation or any expense incurred.

3. Standards for Height, Weight and chest measurements.

(a) *Height*—(i) The height of candidates will be measured by making him stand against the standard with his feet together. The weight should be thrown on the heels and not on the toes or outer sides of the feet. He will stand erect without rigidity and with the heels, calves, buttocks and shoulders touching the standard; the chin will be depressed to bring the vertex of the head level under the horizontal bar; and the height will be recorded in centimetres; decimal fraction lower than 0.5 centimetre will be ignored, 0.5 centimetre will be recorded as such, 0.6 centimetre and above will be recorded as one.

(ii) The minimum acceptable height for a candidate is 157.5 cms. (157 cms. for the Navy) except in case of Gorkhas, Nepalese, Assamese and Garhwali candidates in whose case the height may be reduced by 5.0 cms. The minimum height of Naval candidates from MANIPUR, ARUNACHAL PRADESH, MEGHALAYA, MIZORAM and TRIPURA may also be reduced by 5.0 cms. and 2 cms. in the case of candidates from LACCADIVES.

NOTE.—Relaxation of height up to 2.5 cms. (5 cms. for the Navy) may be allowed where the Medical Board certifies that the candidate is likely to grow and come up to the required standard on completion of his training. Further proportional relaxation will be allowed for cadets for Indian Navy who are below 18 years of age.

(iii) *Air Force only*.—To meet the special requirements for training as a Pilot minimum height will be 162.5 cms. Acceptable measurements of leg length thigh length and sitting height will be as under :—

| | | |
|----------------|---------|------------|
| Leg length | minimum | 99.0 cms. |
| | maximum | 120.0 cms. |
| Thigh length | maximum | 64.0 cms. |
| | minimum | 81.50 cms. |
| Sitting height | minimum | 81.50 cms. |
| | maximum | 96.00 cms. |

NOTE : On account of lower age of candidates a margin of upto 5.0 cms in height, 2.5 cms in leg length (minimum) and 1.0 cms in sitting height (minimum) may be given, provided it is certified by the medical board that the candidate is likely to grow and come upto the required standard on completion of training at NDA.

(b) *Weight*—(i) Weight will be taken with the candidate fully stripped or with under pants only. In recording weight, fraction of half a kg. will not be noted. A correlation table between age, height and average weight is given below for guidance.

| Age period | 15--16 | | | 16--17 | | 17--18 |
|------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | Height (C.M.) | Weight Kg. | Weight Kg. | Weight Kg. | Weight Kg. | Weight Kg. |
| 157.00 | | 43.5 | 45.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 |
| 160.00 | | 45.0 | 46.5 | 48.0 | 48.0 | 48.0 |
| 162.00 | | 46.5 | 48.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| 165.00 | | 48.0 | 50.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 |
| 167.50 | | 49.0 | 51.0 | 53.0 | 53.0 | 53.0 |
| 170.00 | | 51.0 | 52.5 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| 173.00 | | 52.5 | 54.5 | 57.0 | 57.0 | 57.0 |
| 175.00 | | 54.5 | 56.0 | 59.0 | 59.0 | 59.0 |
| 178.00 | | 56.0 | 58.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 |
| 180.00 | | 58.5 | 60.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 |
| 183.00 | | 61.0 | 62.5 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |

(ii) It is not possible to lay down precise standards for weight in relation to height and age. The correlation table is therefore only a guide and cannot be applied universally. A 10 per cent (± 6 kg. for the Navy) departure from the average weight given in the table is to be considered as within normal limits. There may nevertheless be some individuals who according to the above standard may be overweight but from the general build of the body are fit in every respect. The over-weight in such cases may be due to heavy bones and muscular development and not to obesity. Similarly for those who are under-weight the criteria should be the general build of the body and proportionate development rather than rigid adherence to the standards in the above table.

(c) *Chest*.—The chest should be well proportional and well developed with a minimum range of expansion of 5.0 cm. The candidate's chest will be measured by making him stand erect with his feet together, and his arms raised over his head. The tape will be so adjusted round the chest that its upper edge touches the inferior angles of the shoulder blades behind and its lower edge the upper part of the nipples in front. The arms will then be lowered to hang loosely by the side. Care will be taken that the shoulders are not thrown upwards or backwards so as to displace the tape. The candidate will then be directed to take a deep inspiration several times and the maximum and minimum expansions of the chest will be carefully noted. The minimum and maximum will then be recorded in cms. decimal fraction lower than 0.5 centimetre will be ignored; 0.5 cm. will be recorded as such and 0.6 centimetre and above will be recorded as one.

For Air Force.—X-Ray spine is also to be taken to rule out any scoliosis. Scoliosis of more than 7° (by Cobb's method) will be a cause for rejection for flying. ECG of all candidates for Air Force will be taken. Those with specific abnormalities will be rejected.

NOTE.—For Air Force and Navy, X-ray of chest is compulsory.

4. Dental conditions.

It should be ensured that a sufficient number of natural and sound teeth are present for efficient mastication.

(a) A candidate must have a minimum of 14 dental points to be acceptable. In order to assess the dental condition of an individual points are allotted as under for teeth in good apposition with corresponding teeth in the other jaw.

- (i) Central incisor, lateral incisor, canine, 1st and 2nd premolars and underdeveloped third molar—1 point each.
- (ii) 1st and 2nd molar and fully developed third molar—2 points each.

When all 32 teeth are present, there will be a total count of 22 points.

(b) The following teeth in good functional apposition must be present in each jaw;

- (i) any four of the six anteriors.
- (ii) any six of the ten posteriors.

(c) candidates suffering from severe pyorrhoea will be rejected. Where the state of pyorrhoea is such that in the opinion of the dental officer, it can be cured without extraction of teeth, the candidate may be accepted.

5. Visual Standards

(a) Visual acuity

| | Standard I | |
|----------------|------------|--------------------|
| | Better eye | Worse eye |
| Distant Vision | V-6/6 | V-6/9 |
| | | Correctable to 6/6 |

| | Standard II | |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|
| Distant Vision (corrected) | 6/6 | 6/9 |
| Myopia of not more than—2.5 D including astigmatism (5 D in case of Navy) | | |

Manifest Hypermetropia of not more than +3.5 D including astigmatism.

NOTE 1. Fundus and Media to be healthy and within normal limits.

2. No undue degenerative signs of vitreous or chorio-retina to be present suggesting progressive myore-tina.
3. Should possess good binocular vision (fusion faculty and full field of vision in both eyes).
4. There should be no organic disease likely to exacerbations or deterioration.

(b) Colour Vision

Candidates who do not possess the minimum colour perception standard CP-3 (Defective Safe) defined below will be declared Unfit:—

CP-3 (*Defective Safe*):—Candidates should be able to recognise white, signal red and signal green colours correctly as shown by Martin's Lantern at a distance of 1.5 metres or read the requisite plates of Ishihara Book/Tokyo Medical College Book.

(c) Requirements for Services:

ARMY-VS II (Minimum Standard)

NAVY (i)—Visual Standard I.—No glasses will be worn by candidates for the Executive Branch but these standards may be relaxed if permitted by Naval Headquarters, for a limited number of otherwise suitable candidates of Engineering and Electrical Branches up to 6/18, 6/36, correctable to 6/6 both eyes with glasses.

(ii) Special requirements:

Normally cadets/Direct entry officers for all branches of the Navy will not be tested for Della Casa for Night Vision Acuity (NVA) as a routine and will be asked to furnish the following certificate at the time of medical examination which will be attached to the Medical board proceedings:—

I hereby certify that to the best of my knowledge there has not been any case of congenital night blindness in our family, and I do not suffer from it.

Signature of the candidate

Counter-signature of the Medical Officer

However, all cases of suspected Xerophthalmia, Pigmentary degeneration/disturbances of Choric Retina, Abnormal Iris and pupillary conditions who are otherwise fit in all respects, will be subjected to detailed NVA tests in the usual manner

Colour Perception Standard I MLT,

Heterophoria (Martin Lantern Test)

Limit of Heterophoria with the Maddox Rod/Wing tests (provided convergence insufficiency and other symptoms are absent) must not exceed:—

- (a) At 6 metres

| | | | |
|-------------|-------|---------|----------|
| Exophoria | . . . | 8 prism | dioptrcs |
| Esophoria | . . . | 8 prism | dioptrcs |
| Hyperphoria | . . . | 1 prism | dioptrc |

- (b) At 30 cms--

| | | | |
|-------------|-------|----------|----------|
| Esophoria | . . . | 6 prism | dioptrcs |
| Exophoria | . . . | 16 prism | dioptrcs |
| Hyperphoria | . . . | 1 prism | dioptrc |

*Limits of hypermetropia (Under homotropine)**Better eye*

| | |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hypermetropia | 1.50 dioptres |
| Simple hypermetropic astigmatism | 0.75 dioptre |
| Compound Hypermetropic astigmatism | The error in the more hypermetropic meridian must not exceed 1.5 dioptres of which not more than 0.75 dioptre may be due to astigmatism. |

Worse eye

| | |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hypermetropia | 2.5 dioptres |
| Simple Hypermetropic astigmatism | 1.5 dioptres |
| Compound Hypermetropic astigmatism | The error in the more hypermetropic meridian must not exceed 2.5 dioptres of which not more than 1.0 dioptre may be due to astigmatism. |

Myopia—Not to exceed 0.5 dioptre in any one meridian.
Binocular Vision.

The candidates must possess good binocular vision (Fusion faculty and full field of vision in both eyes).

AIR FORCE (i) V.S.I. No glasses will be worn.

(ii) Special requirements:—

Manifest Hypermetropia must not exceed 2.25 D.

Ocular Muscle Balance:

Heterophoria with the Maddox Rod test must not exceed:—

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| (a) at 6 metres | Exophoria 6 prism dioptres. |
| | Esophoria 6 prism dioptres. |
| | Hyperphoria 1 prism dioptre |
| (b) at 33 cms | Exophoria 16 prism dioptres. |
| | Esophoria 6 prism dioptres. |
| | Hyperphoria 1 prism dioptre |

Myopia—Nil
Astigmatism +0.75 Day.

Binocular vision.—Must possess good binocular vision (fusion and stereopsis with good amplitude and depth).

Colour Perception—Standard I MLT.

6. Hearing standard.

Hearing will be tested by speech test. Where required, audiometric records will also be taken.

(a) Speech Test.

The candidate should be able to hear a forced whisper with each ear separately standing with his back to the examiner at a distance of 610 cms. in a reasonable quiet room. The ex-

aminer should whisper with the residual air: that is to say at the end of an ordinary expiration.

(b) Audiometric tests.—Audiometric loss should not be greater than + 10db, in frequencies between 250 Hz and 4000Hz. In evaluating the audiograms, the base line zero of the audiometer, the environmental noise conditions under which the audiogram has been obtained should be taken into consideration and on the recommendations of an Air Force ENT Specialist minor departures from the stipulated standard may be condoned.

7. Routine basal EEG.—All the candidates for Air Force will be subjected to EEG examination. Those with specific abnormalities will be rejected.

APPENDIX III

(Brief particulars of the Services etc.)

1. Before a candidate joins the Academy, the parent or guardian will be required to sign:

(a) a certificate to the effect that he fully understands that he or his son or ward shall not be entitled to claim any compensation or other relief from the Government in respect of any injury which his son or ward may sustain in the course of or as a result of the training or where bodily infirmity or death results in the course of or as a result of a surgical operation performed upon or anaesthesia administered to him for the treatment of any injury received as aforesaid or otherwise.

(b) A bond to the effect that if for any reasons considered within the control of the candidate he wishes to withdraw before the completion of the course or fails to accept a commission, if offered, he will be liable to refund the whole or such portion of the cost of tuition, food, clothing and pay and allowances received as may be decided upon by Government.

2. The cost of training including accommodation, books, uniforms, boarding and medical treatment will be borne by the Government. Parents or guardians of cadets will however, be required to meet their pocket and other private expenses. Normally, these expenses are not likely to exceed Rs. 40.00 p.m. If in any case a cadet's parent or guardian is unable to meet wholly or partly even this expenditure financial assistance up to Rs. 40.00 p.m. for the 1st and 2nd years, Rs. 45.00 p.m. for the 3rd year training at NDA and Rs. 55.00 p.m. for further specialist training in Army/Navy/Air Force Training Establishments may be granted by the Government. No cadet whose parent or guardian has an income of Rs. 450.00 p.m. or above would be eligible for the grant of the financial assistance. The immovable property and other assets and income from all sources are also taken into account for determining the eligibility for financial assistance.

The parent/guardian of a candidate desirous of having financial assistance from the Government should immediately after his son/ward having been finally selected for training at the National Defence Academy submit an application through the District Magistrate of his District who will forward the application with his recommendation to the Commandant National Defence Academy, KHADAKWASLA, PUNE (411023).

3. Candidates finally selected for training at the Academy will be required to deposit the following amount with the Commandant, National Defence Academy, on arrival there.

| | |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| (a) Pocket allowance for five months at Rs. 40.00 per month | Rs. 200.00 |
| (b) For items of clothing and equipment | Rs. 650.00 |
| Total | Rs. 850.00 |

Out of the amount mentioned above the following amount is refundable to the cadets in the event of financial aid being sanctioned to them :

- (a) Pocket allowance for five months at
Rs. 40.00 per month Rs. 200.00
- (b) For items of clothing and equipment. Rs. 475.00
approximately

4. The following scholarships are tenable at the National Defence Academy.

(1) PARSHURAM BHAI PAIWARDHAN Scholarship.—This scholarship is granted to boys who belong to MAHARASHTRA AND KARNATAKA and whose parents' income is between Rs. 350.00 and 500.00 per month from all sources. The value of the scholarship is equal to the Government financial assistance. It is admissible for the duration of a Cadets stay in the National Defence Academy and other pre-commission training establishments subject to the Cadet's good conduct and satisfactory progress in the training and his parents' income remaining below the prescribed limit. Cadets who are granted this scholarship, will not be entitled to any other financial assistance from the Government.

(2) COLONEL KENDAL FRANK MEMORIAL Scholarship.—This scholarship is of the value of Rs. 360.00 per annum and is awarded to a MARATHA cadet who should be the son of an ex-servicemen. The scholarship, in addition, to any financial assistance from the Government.

(3) KUER SINGH MEMORIAL Scholarships.—Two scholarships are awarded to two cadets who obtain the highest position amongst candidates from BIHAR. The value of each scholarship is Rs. 37.00 per mensem tenable for a maximum period of 4 years during the training at the National Defence Academy Kharakwasla and thereafter at the Indian Military Academy, Dehra Dun and the Air Force Flying College and Naval Academy Cochin where the cadets may be sent for training on completion of their training at the National Defence Academy. The scholarships will, however, be continued subject to making good progress at the above institutions.

(4) ASSAM GOVERNMENT Scholarships.—Two scholarships will be awarded to the cadets from ASSAM. The value of each scholarship is Rs. 30.00 per mensem and is tenable for the duration of a cadet's stay at the National Defence Academy. The scholarships will be awarded to the two best cadets from ASSAM without any reference to the income of their parents. The cadets who are granted this scholarship will not be entitled to any other financial assistance from the Government.

(5) UTTAR PRADESH GOVERNMENT Scholarships.—Two scholarships each of the value of Rs. 30.00 per month and an outfit stipend of Rs. 400.00 are awarded to two cadets who belong to UTTAR PRADESH on merit-cum-means basis and are tenable for a period of three years subject to satisfactory performance by the cadets at National Defence Academy. Cadets who are granted these Scholarships are not entitled to any other financial assistance from Government.

(6) KERALA GOVERNMENT Scholarship.—One merit scholarship of the value of Rs. 480/- per annum for the entire period of training at NDA, will be awarded by the State Government of Kerala to a Cadet who is a domiciled resident of the State of KERALA and who secures the first position in the all India UPSC Entrance Examination to NDA irrespective of the fact whether he has passed out from RIMC or from any of the Sainik Schools in India. The financial position of a Cadet's father/guardian is not taken into consideration.

(7) BIHARI LAL MANDAKINI Prize.—This is a cash prize of Rs. 500.00 available for the best BENGALI boy in each Course of the Academy. Application forms are available with the Commandant, National Defence Academy.

(8) ORISSA GOVERNMENT Scholarships.—Three scholarships, one for the Army, one for the Navy and the other for the Air Force of the value of Rs. 80.00 each per month will be awarded by the Government of Orissa to the cadets who are permanent residents of the State of ORISSA. Two

of these scholarships will be awarded on the basis of merit-cum-means of the cadets whose parents or guardians' income does not exceed Rs. 5,000 per annum and the other one will be given to the best cadet irrespective of his parents' or guardians' income.

(9) WEST BENGAL GOVERNMENT Scholarship.—Following categories of scholarships are awarded by the West Bengal Government to those cadets who are permanent residents of WEST BENGAL :—

(a) Category 1.—Three scholarships, one each for Army, Navy and Air Force at the rate of Rs. 360 per annum during 1st and 2nd years and at the rate of Rs. 480 per annum during the 3rd year at the Academy and 4th year at the specialised training institution, with an initial outfit stipend of Rs. 400 in addition for those cadets who are not eligible for any other scholarships at the Academy.

(b) Category 2.—Three scholarships of a lump-sum grant of Rs. 100 per annum in addition to Government financial assistance.

(10) PILOT OFFICER GURMEET SINGH BEDI MEMORIAL Scholarship.—One Scholarship of Rs. 420.00 per annum is granted to the cadet who stands highest in the overall order of merit amongst Air Force Cadets at the end of the 4th term. It is for the duration of one year (during 5th and 6th terms). This scholarship will be withdrawn if the recipient is relegated or withdrawn during the period of its receipt. The Cadet who is already in receipt of any such merit scholarship or financial assistance is not entitled to this scholarship.

(11) HIMACHAL PRADESH GOVERNMENT Scholarships.—Four scholarships will be awarded to cadets from HIMACHAL PRADESH. The value of each scholarship is Rs. 30.00 per month during the first two years of training and Rs. 40.00 per month during the third year of training. These scholarships will be available to those cadets whose parents' income is below Rs. 500.00 per month. No cadet in receipt of financial assistance from the Government will be eligible for the scholarship.

(12) TAMIL NADU GOVERNMENT Scholarship.—The Government of Tamil Nadu has instituted at NDA one scholarship per Course, of the value of Rs. 30/- per month plus an outfit allowance of Rs. 400/- (once only during the entire period of cadet's training) to be awarded to a cadet belonging to the State of Tamilnadu, whose parents'/guardian's monthly income does not exceed Rs. 500/-. The application by an eligible cadet can be made to the Commandant, National Defence Academy on their arrival.

(13) RAJASTHAN GOVERNMENT Scholarship.—The Government of Rajasthan has instituted at the NDA three scholarships (one for Army Navy and Air Force each) per Course of the value of Rs. 50/- per month plus an outfit allowance of Rs. 400/-. (Once only during the entire period of a cadet's training) to be awarded to the cadets who are sons/wards of Ex JCOs/ORs or equivalent of the Navy and Air Force belonging to the State of Rajasthan. The application can be made to the Commandant, National Defence Academy by the eligible cadets, on their arrival.

Terms and conditions governing these scholarships are obtainable from the Commandant, National Defence Academy, KHADAKWASLA, Pune (411023).

5. Immediately after the selected candidates join the Academy, a preliminary examination will be held in the following subjects :—

- (a) English;
- (b) Mathematics;
- (c) Science;
- (d) Hindi.

The standard of the examination in the subjects, at (a), (b) and (c) will not be higher than that of the Higher Secondary Examination of an Indian University or Board of Higher Secondary Education. The paper in the subject at (d) is intended to test the standard attained by the candidate in Hindi at the time of joining the Academy.

Candidates are therefore advised not to neglect their studies after the competitive examination.

TRAINING

6. The selected candidates for the three services viz., Army, Navy and Air Force are given preliminary training both academic and physical for a period of 3 years at the National Defence Academy which is an Inter-Service Institution. The training during the first two and a half years is common to the cadets of three wings. The academic training imparted will be up to degree level in Science or Humanities as the case may be.

7. On passing out from the National Defence Academy, Army Cadets go to the Indian Military Academy, Dehra Dun Naval Cadets to the Cadet's Training Ship and Air Force cadets to EFS BIDAR.

8. At the I.M.A. Army Cadets are known as Gentlemen Cadets and are given strenuous military training for a period of one year aimed at turning officers capable of leading infantry sub-units. On successful completion of training Gentlemen Cadets are granted Permanent Commission in the rank of 2nd/Lt. subject to being medically fit in "SHAPE".

9. The Naval cadets are selected for the Executive, Engineering Electrical and Supply and Secretariat Branches of the Navy, on passing out from the National Defence Academy and are given sea training on the Cadet Trainingship for a period of six months, on successful completion of which they are promoted to the rank of Midshipman. After a further training of 6 months in the respective branches to which they are allocated they are promoted to the rank of acting Sub-Lieutenants.

10. Air Force cadets receive flying training for a period of 14 years. It is proposed to train all cadets as Fighter Pilots. After successful completion of training they are Commissioned as Pilot Officers and awarded flying badges, if a cadet shows inadequate aptitude for flying, he may be permitted to revert to IMA, Dehradun as Army cadets/Naval Academy Cochin as Naval Cadets as the case may and as per choice of Service opted by him at the EFS, BIDAR.

TERMS AND CONDITIONS OF SERVICE

11. ARMY OFFICERS

(i) PAY

| Rank | Pay Scale | Rank | Pay Scale |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------|------------|
| | Rs | | Rs. |
| 2nd Lieut | 750—790 | Lt. Colonel (time scale) | 1800 fixed |
| Lieut | 830—950 | Colonel | 1950—2175 |
| Captain | 1250—1550 | Brigadier | 2200—2400 |
| Major | 1650—1800 | Maj. General | 2500—2750 |
| Lt. Colonel By Selection | 1800—1950 | Lt. General | 3000 p.m. |

(ii) QUALIFICATION PAY AND GRANT

Officers of the rank of Lt Col and below possessing certain prescribed qualifications are entitled to a lump sum grant of Rs. 1600/- 2400/-, 4,500/- or 6000/-, based on the qualifications held by them. Flying Instructors (Cat. 'B') are authorised to qualification pay @ Rs. 70/-.

(iii) ALLOWANCES

In addition to pay, an officer at present receives the following allowances :—

- Compensatory (city) and Dearness Allowances are admissible at the same rates and under the same conditions as are applicable to the civilian Gazetted officers from time to time.
- A kit maintenance allowance of Rs. 50 p.m.
- Expatriation Allowance. When Officers are serving outside India expatriation allowance ranging from Rs. 50 to Rs. 250 p.m depending on rank held is admissible.

(d) Separation allowance : Married Officers posted to non-family stations are entitled to receive separation allowance of Rs. 70 p.m.

(iv) POSTING

Army Officers are liable to serve any where in India and abroad.

(v) PROMOTIONS

(a) Substantive Promotion

The following are the service limits for the grant of substantive promotion to higher ranks :—

By Time Scale

| | |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|
| Lt. | 2 years of commissioned service |
| Capt. | 6 years of commissioned service |
| Major | 13 years of commissioned service |
| Lt. Col. from Major if not promoted by selection | 25 years of commissioned service |

By Selection

| | |
|-----------|----------------------------------|
| Lt. Col. | 16 years of commissioned service |
| Col. | 20 years of commissioned service |
| Brigadier | 23 years of commissioned service |
| Maj. Gen. | 25 years of commissioned service |
| Lt. Gen. | 28 years of commissioned service |
| Gen. | No restriction. |

(b) Acting Promotion

Officers are eligible for acting promotion to higher ranks on completion of the following minimum service limits subject to availability of vacancies :—

| | |
|--------------|--------------|
| Captain | 3 years. |
| Major | 5 years. |
| Lt. Colonel | 6-1/2 years. |
| Colonel | 8-1/2 years. |
| Brigadier | 12 years. |
| Maj. General | 20 years. |
| Lt. General | 25 years. |

12. NAVAL OFFICERS

(i) PAY

| Rank | Pay Scales | |
|---------------|-----------------|----------------------------|
| | General Service | Naval Aviation & Submarine |
| | Rs. p.m. | Rs p.m. |
| Midshipman | 560/- | 560/- |
| Az. Sub-Lieut | 750/- | 825/- |
| Sub. Lieut | 830-870 | 910-950 |
| Lieut | 1100-1450 | 1200-1550 |
| Lieut Cdr. | 1550-1800 | 1650-1800 |

| Rank | Pay Scales | |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| | General Service | Naval Aviation & Submarine |
| Cdr. | 1800-1950 | 1800-1950 |
| Captain | 1950-2400 | 1950-2400 |
| | Commodore receives pay to which entitled according to seniority as Captain. | |
| | Rear Admiral—2500-125/2-2750 | |
| | Vice Admiral—3000/- p.m. | |

Qualification pay/grant is also admissible to—

Officers of the rank of CRD and below possessing certain prescribed qualifications are entitled to a lump sum grant of Rs. 1600/-, 2400/-, 4500/- or 6000/- based on the qualification held by them.

(ii) ALLOWANCES

Naval Aviation Officers are entitled to Flying pay at monthly rates/and under conditions applicable to corresponding ranks for Air Force Officers.

Naval Officers are entitled to other allowances as applicable to Army Officers of equivalent rank. In addition certain special concessions, like hardy money submarine allowance, submarine pay and diving pay are admissible to them.

(iii) PROMOTIONS

(a) Substantive Promotions

The following are the service limits for the grant of substantive promotion to higher rank :—

By Time Scale

| | |
|----------|---------------------------------------------------------------|
| Sub. Lt. | 1 year |
| Lt. | 3 years (subject to gain/forfeiture of seniority). |
| Lt. Cdr. | 8 years seniority as Lt. |
| Cdr. | 24 years commissioned service (if not promoted by selection). |

By Selection

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Cmdr. Executive Branch | 2-8 years seniority as Lt. Cdr. |
| Cmdr. Engineering Branch | 2-10 years seniority as Lt. Cdr. |
| Cmdr. Electrical Branch | 2-10 years seniority as Lt. Cdr. |
| Cmdr. Supply & Secretariat Branch | 4-10 years seniority as Lt. Cdr. |
| Capt. | 4 years seniority as Cdr. |
| Rear Admiral | No restriction. |
| Vice-Admiral | No restriction. |

(b) Acting Promotion

There is no service limit for grant of acting promotion in the Navy except to the rank of Lt. Cdr. for which an officer should have attained 6 years seniority as Lieutenant.

13. AIR FORCE OFFICER

(i) PAY

| Rank | Pay Scale |
|--------------------|-----------|
| | Rs. |
| Plt. Offr | 825-865 |
| Fg. Offr | 910-1030 |
| Flt Lt | 1300-1550 |
| Sqn Ldr | 1650-1800 |
| Wg Cdr (Selection) | 1750-1950 |

| Rank | Pay Scales |
|-------------------------|--------------|
| W Cdr (Time Scale) | 1800 (fixed) |
| Gp Capt. | 1950-2175 |
| Air Cdre | 2200-2400 |
| Air Vice-Marshal | 2500-2750 |
| Air Marshal | 3000 |
| Air Chief Marshal (CAS) | 4000 |

(ii) ALLOWANCES

Flying Pay—Officers of the Flying Branch (Pilots and Navigators) are entitled to get flying pay at the following rates :—

| | Rs. |
|--------------------------|-------------|
| Plt Offr to Wg Cdre | 375.00 p.m. |
| Gp Capt and Air Cdr. | 333.33 p.m. |
| Air Vice Marshal & above | 300.00 p.m. |

(iii) *Qualification Pay/Grant*—Admissible to Flying Branch Officers possessing certain prescribed qualifications at the rate given below :—

| | |
|----------------------|---------------------------------------------------------|
| Qualification pay | Rs.100 p.m. or Rs.70 p.m. |
| Qualification Grants | Rs. 6,000/- or Rs. 4500/- Rs. 2,400/- or Rs. 1,600/- |

(iv) PROMOTIONS

(a) Substantive Promotion

The following are the service limits for the grant of substantive promotion to higher ranks :—

By Time Scale

| | |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Flying Officer | 1 year commissioned service. |
| Fit. Lt. | 5 years commissioned service. |
| Sqn. Ldr. | 11 years commissioned service. |
| Wg. Cdr. | On completion of 24 years of commissioned service if not promoted by selection. |

By Selection

| | |
|------------------|--------------------------------------------------|
| Wg. Cdr. | 3 years service as substantive Sqn. Ldr. |
| Gp Capt | 4 years service as substantive Wg. Cdr. |
| Air Commodore | 3 years service as substantive Group Capt. |
| Air Vice-Marshal | 3 years service as substantive Air Commodore. |
| Air Marshal | 2 years service as substantive Air Vice-Marshal. |

(b) Acting Promotion

The following are the minimum service limits required for acting promotion of officers :

| | |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Flt. Lt. | 2 years. |
| Sqn. Ldr. | 5 years. |
| Wg. Cdr. | 6 years (After service of 1 year in the rank of Sqn. Ldr.) |
| Gp Captain | 8 years (After service of 1 year in the rank of Wg. Cdr.) |
| Air Cdr. | 11-1/2 years (After service of 3 years in the ranks of Wg. Cdr. and Gp. Captain). |
| Air Vice-Marshal | 15 years (After service of 5* years in the ranks of Wg. Cdr., Gp Capt. and Air Cdr.) |
| Air-Marshal | 23 years. |

*Inclusive of broken period.

14. RETIRING BENEFITS

Pension, gratuity and casualty pensionary award will be admissible in accordance with the rules, in force from time to time.

15. LEAVE

Leave will be admissible in accordance with the rules in force from time to time.

APPENDIX IV

The form of the certificate to be produced by Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates applying for appointment to posts under the Government of India

This is to certify that Shri of village/town in District/Division of the State/Union Territory belongs to the Caste/Tribe* which is recognised as a Scheduled Caste/Scheduled Tribe¹ under :-

- the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950*
- the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950*
- the Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) Order, 1951*
- the Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories) Order, 1951*
- [as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes List (Modification) Order, 1956, the Bombay Reorganisation Act, 1956, the Punjab Reorganisation Act, 1956, the State of Himachal Pradesh Act, 1970, the North Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971 and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976].
- the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956*
- the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959 as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976*
- the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962*
- the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962*
- the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964*
- the Constitution Scheduled Tribes (Uttar Pradesh) Order, 1967*
- the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968*
- the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968*
- the Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970*

2. Shri and*/or his family ordinarily reside(s) in Village*/Town of District*/Division of the State*/Union Territory of State Union Territory Place Date

Signature
* Designation
(with seal of office)

*Please delete the words which are not applicable.

NOTE.—The term "ordinarily reside(s)" used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.

**Officers competent to issue Castes/Tribe Certificate.

(i) District Magistrate/Additional District Magistrate/Collector/Deputy Commissioner/Additional Deputy Commissioner/Deputy Collector/1st Class Stipendiary Magistrate/City Magistrate/*Sub-Divisional Magistrate/Taluka Magistrate/Executive Magistrate/Extra Assistant Commissioner.

†(Not below the rank of 1st Class Stipendiary Magistrate).

(ii) Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate/Presidency Magistrate.

(iii) Revenue Officers not below the rank of Tehsildar.

(iv) Sub-Divisional Officer of the area where the candidate and/or his family normally resides.

(v) Administrator/Secretary to Administrator/Development Officer, Lakshadweep.

APPENDIX V

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

CANDIDATES' INFORMATION MANUAL

OBJECTIVE TEST

Your examination will be what is called an 'OBJECTIVE TEST'. In this kind of examination you do not write detailed answers. For each question (hereinafter referred to as item) several possible answers are given. You have to choose one answer (hereinafter referred to as response) to each item.

This manual is intended to give you some information about the examination so that you do not suffer due to unfamiliarity with the type of examination.

NATURE OF THE TEST

The question paper will be in the form of test booklet. The booklet will contain items bearing number 1, 2, 3... etc. Under each item will be given suggested responses marked a, b, c, etc. Your task will be to choose the correct or if you think there are more than one correct, the best responses. See sample questions at the end. In any case in each item you have to select only one response; if you select more than one, your answer will be considered wrong.

METHOD OF ANSWERING

A separate answer sheet will be provided to you in the Examination Hall. You have to mark your answer on the answer sheet. Answers marked on the test booklet or in any paper other than the answer sheet will not be examined.

In the answer sheet, numbers of the items from 1 to 200 have been printed in four sections. Against each item responses a, b, c, d, e are printed. After you have read each item in the test booklet and decided which of the given responses is correct or the best, you have to mark the rectangle containing the letter of the response by blackening it completely with the pencil as shown in the enclosed specimen answer sheet. Your answer sheet will be scored by an optical scoring machine. It is, therefore, important that—

1. You use *only* HB pencil as the machine may not read marks with other pencils or pens correctly. For this purpose you should bring alongwith you an HB pencil for use in the Examination Hall.
2. If you have made a wrong mark erase it completely and re-mark the correct response; for this purpose you should bring alongwith you an eraser.

SOME IMPORTANT RULES

1. You are required to enter the examination hall 20 minutes before the prescribed time for starting of the examination and get seated immediately.
2. Nobody will be admitted to the test 30 minutes after the commencement of the test.
3. No candidate will be allowed to leave the examination hall until 45 minutes have passed after the commencement of the examination.

4. After finishing the examination, submit the test booklet and the answer sheet to the Supervisor. **YOU ARE NOT PERMITTED TO TAKE THE TEST BOOKLET OUT OF THE EXAMINATION HALL.**

Write clearly the name of the examination, your Role No., centre, subject and date of the test and serial number of the test booklet at the appropriate space provided in the answer sheet. You are not allowed to write your name anywhere in the answer sheet.

6. You are required to read carefully all instructions given in the test booklet. Since the evaluation is done mechanically, you may lose marks if you do not follow the instructions meticulously. If any entry in the answer sheet is ambiguous then you will get no credit for that item. Follow the instructions given by the Supervisor. When the Supervisor asks you to start or stop a test or a section of a test, you must follow his instructions immediately.
7. Bring your Admission Certificate with you. You should also bring an HB pencil, a pencil sharpener, an eraser and a pen containing blue or black ink. You are not allowed to bring any scrap or rough paper, scales or drawing instruments into the examination hall, as they are not needed. A separate sheet will be provided to you for rough work. You should write the name of examination/test, your Roll number and subject of the test and date on it before doing your rough work and return it to the Supervisor along with your answer sheet at the end of the test. Answers should be marked by blackening with pencil as indicated above. Red ink should *not* be used on the answer sheet.

SOME USEFUL HINTS

Although the test stresses accuracy more than speed it is important for you to use your time as economically as possible. Work steadily and as rapidly as you can, without becoming careless. Do not worry if you cannot answer all questions. Do not waste time on questions which are too difficult for you. Go on to the other questions and come back to the difficult ones later.

All items carry equal scores. Answer all the items. Your score will depend only on the number of correct responses indicated by you.

The questions are designed to measure your knowledge, understanding and analytical ability, not just memory. It will help you if you review the relevant topics, to be sure that you UNDERSTAND the subject thoroughly.

SPECIAL INSTRUCTIONS

After you have taken your seat in the hall the invigilator will give you the answer sheet. Fill up the required information on the answer sheet with your pen. After you have done this the invigilator will give you the test booklet. Each test booklet will be sealed in the margin so that no one opens it before the test starts. As soon as you have got your test booklet, ensure that it contains the booklet, number and it is sealed; otherwise get it changed. After you have done this, you should write the serial number of your test booklet on the relevant column of the answer sheet. You are not allowed to break the seal of the test booklet until you are asked by the Supervisor to break it.

CONCLUSION OF TEST

Stop writing as soon as the Supervisor asks you to stop. Candidates who do not stop will be penalised.

After you have finished answering remain in your seat and wait till the invigilator collects the test booklet and answer sheet from you and permits you to leave the Hall. You are NOT allowed to take the test booklet and the answer sheet out of the examination hall. Those who violate this direction are liable to be penalised.

SAMPLE QUESTIONS

1. Which one of the following causes is NOT responsible for the down fall of the Mauryan dynasty?

- (a) the successors of Asoka were all weak.
(b) there was partition of the Empire after Asoka.

- (c) the northern frontier was not guarded effectively.
(d) there was economic bankruptcy during post-Asokan era.

(Answer—d)

2. In a parliamentary form of Government

- (a) the Legislature is responsible to the Judiciary
(b) the Legislature is responsible to the Executive
(c) the Executive is responsible to the Legislature
(d) the Judiciary is responsible to the Legislature
(e) the Executive is responsible to the Judiciary.

(Answer—e)

3. The main purpose of extra-curricular activities for pupils in a school is to

- (a) facilitate development
(b) prevent disciplinary problems
(c) provide relief from the usual class room work
(d) allow choice in the educational programme.

(Answer—a)

4. The nearest planet to the Sun is

- (a) Venus
(b) Mars
(c) Jupiter
(d) Mercury

(Answer—d)

5. Which of the following statements explains the relationship between forests and floods?

- (a) the more the vegetation, the more is the soil erosion that causes floods.
(b) the less the vegetation, the less is the silting of rivers that causes floods.
(c) the more the vegetation, the less is the silting of rivers that prevents floods.
(d) the less the vegetation, the less quickly does the snow melt that prevents floods.

(Answer—c)

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

NOTICE

COMBINED LIMITED DEPARTMENTAL COMPETITIVE EXAMINATION, 1978

New Delhi, the 12th August, 1978

No. F. 9/3/78-E.I.(B).—A combined limited departmental competitive examination for additions in the Select Lists for the Section Officers' Grade and Stenographers' Grade I/Grade B of the Services mentioned in para 2 below will be held by the Union Public Service Commission commencing on 19th December, 1978, at BOMBAY, CALCUTTA, DELHI, MADRAS, NAGPUR and at Selected Indian Missions abroad in accordance with the Rules published by the Ministry of Home Affairs (Department of Personnel and Administrative Reforms) in the Gazette of India dated 12th August 1978.

THE CENTRES AND THE DATE OF COMMENCEMENT OF THE EXAMINATION AS MENTIONED ABOVE ARE LIABLE TO BE CHANGED AT THE DISCRETION OF THE COMMISSION. CANDIDATES ADMITTED TO THE EXAMINATION WILL BE INFORMED OF THE TIME TABLE AND PLACE OR PLACES OF EXAMINATION. (See Annexure, para 10).

The Services to which recruitment is to be made on the results of the examination and the approximate number of vacancies in those Services are given below —

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------|
| Category I | | |
| Section Officers Grade of the Central Secretariat Service | * | |
| Category II | | |
| Section Officers Grade (Integrated Grade II & III) of the General Cadre of the Indian Foreign Service Branch "B" | * | |
| Category III | | |
| Section Officers Grade of the Railway Board Secretariat Service | - | 3 |
| Category IV | | |
| Grade B of the Central Secretariat Stenographers' Service | - | * |
| Category V | | |
| Grade I of the Stenographers Sub-cadre of the Indian Foreign Service Branch "B" | * | |
| Category VI | | |
| Grade 'B' of the Armed Force Headquarters Stenographers' Service | * | |
| Category VII | | |
| Grade 'B' of the Railway Board Secretariat Stenographers Service | - | 1 |
| Category VIII | | |
| Section Officers Grade of the Intelligence Bureau | 3 | (includes 1 vacancy reserved for Scheduled Tribes) |

The above number is liable to alteration

*Vacancies not intimated by Government

3. A candidate who is eligible for two Categories of Services (cf. Rule 3) and wishes to compete for both need not file only one application. He will be required to pay the fee mentioned in the Annexure once only and will not be required to pay separate fee for each of the categories for which he applies.

NB—Candidates must indicate clearly in their applications the Category/Categories for which they are competing. Candidates competing for two Categories should specify in their applications the two Categories in the order of preference. No request for alteration in the order of preferences for the categories originally indicated in his application by a candidate competing for 2 Categories would be considered unless such a request is received in the Office of the Union Public Service Commission on or before 15th June 1979.

4. A candidate seeking admission to the examination must apply to the Secretary, Union Public Service Commission, Dholpur House, New Delhi 110011 on the prescribed form of application. The Prescribed form of application and full particulars of the examination are obtainable from the Commission by post on payment of Rs. 2.00 which should be remitted to the Secretary, Union Public Service Commission,

Dholpur House, New Delhi 110011, by Money Order or by Indian Postal Order payable to the Secretary, Union Public Service Commission, at New Delhi General Post Office. Cheques or currency notes will not be accepted in lieu of Money Orders/Postal Orders. The forms can also be obtained on cash payment at the counter in the Commission's office. *This amount of Rs. 2.00 will in no case be refunded.*

NOTE—Candidates are warned that they must submit their applications on the printed form prescribed for the Combined Limited Departmental Competitive Examination, 1978. Applications on forms other than the one prescribed for the Combined Limited Departmental Competitive Examination, 1978 will not be entertained.

The completed application form must reach the Secretary, Union Public Service Commission, Dholpur House, New Delhi 110011 on or before the 25th September, 1978 (9th October 1978 in the case of candidates residing abroad or in the Andaman & Nicobar Islands or in Lakshadweep from a date prior to 25th September, 1978) accompanied by necessary documents. *No application received after the prescribed date will be considered.*

A candidate residing abroad or in the Andaman & Nicobar Islands or in Lakshadweep may at the discretion of the Commission be required to furnish documentary evidence to show that he was residing abroad or in the Andaman & Nicobar Islands or in Lakshadweep, from a date prior to 25th September, 1978.

6. Candidates seeking admission to the examination must pay to the Commission with the completed application form a fee of Rs. 28.00 (Rs. 7.00 in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and the Scheduled Tribes) through crossed Indian Postal Orders payable to the Secretary, Union Public Service Commission at the New Delhi General Post Office or crossed Bank Draft from any branch of the State Bank of India payable to the Secretary, Union Public Service Commission at the State Bank of India, Parliament Street, New Delhi.

Candidates residing abroad should deposit the prescribed fee in the office of India's High Commissioner, Ambassador or Representative abroad as the case may be for credit to the account head 051 Public Service Commission—Examination Fees and attach the receipt with the application.

APPLICATIONS NOT COMPLYING WITH THIS REQUIREMENT WILL BE SUMMARILY REJECTED.

7. If any candidate who took the combined Limited Departmental Competitive Examination 1977 wishes to apply for admission to this examination, he must submit his application so late to reach the Commission's office by the prescribed date without waiting for the result of the 1977 Examination. If his name is recommended for inclusion in the Select List on the results of the 1977 Examination his candidature for this Examination will be considered on request and the fee refunded to him as in the case of a candidate not admitted to the examination *vide* para 8 below provided that the request for cancellation of candidature and refund of fee is received in the Commission's office within a month from the date of announcement of the final results of the 1977 Examination.

8. A refund of Rs. 15.00 (Rs. 4.00 in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes) will be made to a candidate who has paid the prescribed fee and is not admitted to the examination by the Commission.

No claim for a refund of the fee paid to the Commission will be entertained except as provided above nor can the fee be held in reserve for any other examination or selection.

9. NO REQUEST FOR WITHDRAWAL OF CANDIDATURE RECEIVED FROM A CANDIDATE AFTER HE HAS SUBMITTED HIS APPLICATION WILL BE ENTERTAINED UNDER ANY CIRCUMSTANCES.

A. N. KOLHATKAR, Dy. Secy.
Union Public Service Commission

ANNEXURE

INSTRUCTIONS TO CANDIDATES

1 Before filling in the application form, the candidates should consult the Notice and the Rules carefully to see if they are eligible. The conditions prescribed cannot be relaxed.

BEFORE SUBMITTING THE APPLICATION THE CANDIDATE MUST SELECT FINALLY FROM AMONG THE CENTRES GIVEN IN PARAGRAPH 1 OF THE NOTICE, THE PLACE AT WHICH HE WISHES TO APPEAR FOR THE EXAMINATION. ORDINARILY NO REQUEST FOR A CHANGE IN THE PLACE SELECTED WILL BE ENTERTAINED.

A candidate who wishes to take the examination at an Indian Mission abroad must state in the order of his choice, two other Indian Missions (in countries other than the country in which he may be stationed) as alternative centres. He may, at the discretion of the Commission, be required to appear at any one of the three Missions indicated by him.

2. The application form, and the acknowledgment card must be completed in the candidate's own handwriting. An application which is incomplete or is wrongly filled in, is liable to be rejected.

A candidate must submit his application through the Head of his Department or Office concerned, who will complete the endorsement at the end of the application form and forward it to the Commission.

3. A candidate must send the following documents with his application :—

- (i) CROSSED Indian Postal Orders or Bank Draft for the prescribed fee. (See para 6 of Notice)
- (ii) Attested/certified copy of Certificate of Age.
- (iii) Two identical copies of recent passport size (5 cm. X 7 cm. approx.) photograph of the candidate.
- (iv) Attested/certified copy of certificate in support of claim to belong to Scheduled Caste/Scheduled Tribes where applicable (See para 4 below).
- (v) Attested/certified copy of certificate in support of claim for age concession where applicable (See para 5, below).

NOTE.—CANDIDATES ARE REQUIRED TO SUBMIT ALONG WITH THEIR APPLICATIONS ONLY COPIES OF CERTIFICATES MENTIONED IN ITEMS (ii), (iv) AND (v) ABOVE, ATTESTED BY A GAZETTED OFFICER OF GOVERNMENT OR CERTIFIED BY CANDIDATES THEMSELVES AS CORRECT. CANDIDATES WHO QUALIFY FOR EVALUATION OF RECORD OF SERVICE OR FOR SHORTHAND TEST, AS THE CASE MAY BE, ON THE RESULTS OF THE WRITTEN EXAMINATION WILL BE REQUIRED TO SUBMIT THE ORIGINALS OF THE CERTIFICATES MENTIONED ABOVE SOON AFTER THE DECLARATION OF THE RESULT OF THE WRITTEN EXAMINATION. THE RESULTS ARE LIKELY TO BE DECLARED IN THE MONTH OF MAY, 1979. CANDIDATES SHOULD KEEP THESE CERTIFICATES IN READINESS AND SUBMIT THEM TO THE COMMISSION SOON AFTER THE DECLARATION OF THE RESULT OF THE WRITTEN EXAMINATION. THE CANDIDATURE OF CANDIDATES WHO FALL TO SUBMIT THE REQUIRED CERTIFICATES IN ORIGINAL AT THAT TIME WILL BE CANCELLED AND THOSE CANDIDATES WILL HAVE NO CLAIM FOR FURTHER CONSIDERATION.

Details of the documents mentioned in items (i) to (iii) are given below and of those in items (iv) and (v) are given in paras 4 and 5 :—

(i) (a) CROSSED Indian Postal Orders for the prescribed fee—

Each Postal Order should invariably be crossed and completed as follows :—

“Pay to the Secretary, Union Public Service Commission at New Delhi General Post Office.”

In no case will Postal Orders payable at any other Post Office be accepted. Defaced or mutilated Postal Orders will also not be accepted.

All Postal Orders should bear the signature of the issuing Post Master and a clear stamp of the issuing Post Office.

Candidates must note that it is not safe to send Postal Orders which are neither crossed nor made payable to the Secretary, Union Public Service Commission at New Delhi General Post Office.

(b) CROSSED Bank Draft for the prescribed fee—

Bank Draft should be obtained from any branch of the State Bank of India and drawn in favour of Secretary, Union Public Service Commission payable at the State Bank of India, Parliament Street, New Delhi and should be duly Crossed.

In no case will Bank Drafts drawn on any other Bank be accepted. Defaced or mutilated Bank Drafts will also not be accepted.

NOTE.—Candidates residing abroad at the time of submitting their applications may deposit the amount of the prescribed fee (the equivalent of Rs. 28.00. Rs. 7.00 in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes) in the office of India's High Commissioner, Ambassador or Representative, as the case may be, in that Country who should be asked to credit the amount to the account head '051—Public Service Commission—Examination fees'. The candidate should forward the receipt from that office with the application.

(ii) Certificate of Age.—The date of birth ordinarily accepted by the Commission is that entered in the Matriculation Certificate or in the Secondary School Leaving Certificate, or in a certificate recognised by an Indian University as equivalent to Matriculation or in an extract from a Register of Matriculates maintained by a University, which extract must be certified by the proper authority of the University. A candidate who has passed the Higher Secondary Examination or an equivalent examination may submit the Higher Secondary Examination Certificate or an equivalent Certificate.

The expression Matriculation/Higher Secondary Examination Certificate in this part of the instruction includes the alternative certificates mentioned above.

Sometimes the Matriculation/Higher Secondary Examination Certificate does not show the date of birth, or only shows the age by completed years or completed years and months. In such cases a candidate must send in addition to the attested/certified copy of the Matriculation/Higher Secondary Examination Certificate, an attested/certified copy of a certificate from the Headmaster/Principal of the institution from where he passed the Matriculation/Higher Secondary Examination showing the date of his birth or his exact age as recorded in the Admission Register of the institution.

Candidates are warned that unless complete proof of age as laid down in these instructions is sent with an application the application may be rejected. Further, they are warned that if the date of birth stated in the application is inconsistent with that shown in the Matriculation Certificate/Higher Secondary Examination Certificate and no explanation is offered, the application may be rejected.

NOTE 1.—A candidate who holds a completed Secondary School Leaving Certificate need submit an attested/certified copy of only the page containing entries relating to age.

NOTE 2.—CANDIDATES SHOULD NOTE THAT ONCE A DATE OF BIRTH HAS BEEN CLAIMED BY THEM AND ACCEPTED BY THE COMMISSION FOR THE PURPOSE OF ADMISSION TO AN EXAMINATION NO CHANGE WILL ORDINARILY BE ALLOWED AT A SUBSEQUENT EXAMINATION.

NOTE 3.—In the case of candidates who are already in permanent Government Service the entries in their Service Book may be accepted as proof of date of birth.

(iii) Two copies of Photograph.—A candidate must submit two identical copies of his recent passport size (5 cm. X 7 cm. approx.) photograph, one of which should be pasted on the first page of the application form and the other copy

should be firmly attached with the application form. Each copy of the photograph should be signed in ink on the front by the candidate.

N.B.—Candidates are warned that if an application is not accompanied with any one of the documents mentioned under paragraph 3(ii), and 3(iii) above without a reasonable explanation for its absence having been given, the application is liable to be rejected and no appeal against its rejection will be entertained. The documents not submitted with the application should be sent soon after the submission of the application and in any case they must reach the Commission's office within one month after the last date for receipt of applications. Otherwise, the application is liable to be rejected.

4. A candidate who claims to belong to one of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes should submit in support of his claim an attested/certified copy of a certificate, in the form given below from the District Officer or the Sub-Divisional Officer or any other officer, as indicated below, of the district in which his parents (or surviving parent) ordinarily reside who has designated by the State Government concerned as competent to issue such a certificate; and if both his parents are dead the officer signing the certificate should be of the district in which the candidate himself ordinarily resides otherwise than for the purpose of his own education.

The form of the certificate to be produced by the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes candidates applying for appointment to posts under the Government of India.

This is to certify that Shri*/Shrimati/Kumari-----
-----son*/daughter of ----- of
Village /Town ----- in District*/Division
----- of the State*/Union Territory of -----
belongs to the ----- Caste*/Tribe which is
recognised as a Scheduled Caste*/Scheduled Tribe under :-

the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950*

the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950*

the Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) Order, 1951*;

the Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) Order, 1951*;

[as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification) Order, 1956, the Bombay Reorganisation Act, 1960, the Punjab Reorganisation Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1970 and the North Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971 and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976]

the Constitution (Jammu and Kashmir) scheduled Castes, Order 1956*

the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribe Order, 1959 as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976*.

the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order 1956*

the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962*

the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964*

the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967*

the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968*

the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968*

the Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order 1970*

2. Shri*/Shrimati/Kumari----- and*/or his*/
her family ordinarily reside(s) in village*/town-----
of District*/Division ----- of the State*/Union
Territory of-----

Signature.....

*Designation.....
(with seal of office)

Place -----State*/Union Territory

Date -----

*Please delete the words which are not applicable.

NOTE.—The term "ordinarily reside(s)" used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.

** Officers competent to issue Caste/Tribe Certificates.

(i) District Magistrate/Additional District Magistrate/Collector/Deputy Commissioner/Additional Deputy Commissioner/Deputy Collector/1st Class Stipendiary Magistrate/City Magistrate/†Sub-Divisional Magistrate/Taluka Magistrate/Executive Magistrate/Extra Assistant Commissioner.

†(Not below the rank of 1st Class Stipendiary Magistrate)

(ii) Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate/Presidency Magistrate.

(iii) Revenue Officers not below the rank of Tehsildar.

(iv) Sub-Divisional Officer of the area where the candidate and/or his family normally resides.

(v) Administrator/Secretary to Administrator/Development Officer, Lakshadweep.

5 (i) A candidate claiming eligibility for admission to the examination in terms of Rule 3(b) should submit along with his application an attested/certified copy of a certificate from the Ministry of Defence, to show that he joined the Armed Forces on or after 26th October, 1962. The copy of the certificate must indicate the exact date of his joining the Armed Forces and the date of his reversion from the Armed Forces.

(ii) A displaced person from erstwhile East Pakistan (now Bangladesh) claiming age concession under Rule 3(c) (ii) or 3(c) (iii) should produce an attested/certified copy of a certificate from one of the following authorities to show that he is a *bona fide* displaced person from erstwhile East Pakistan (now Bangladesh) and had migrated to India during the period between 1st January, 1964, and 25th March, 1971 :—

(1) Camp Commandant of the Transit Centres of the Dandakaranya Project or of Relief Camps in various States;

(2) District Magistrate of the Area in which he may, for the time being, be resident;

(3) Additional District Magistrates incharge of Refugee Rehabilitation in their respective districts;

(4) Sub-Divisional Officer, within the Sub-Division in his charge.

(5) Deputy Refugee Rehabilitation Commissioner, West Bengal/Director (Rehabilitation), in Calcutta.

(iii) A repatriate or a prospective repatriate of Indian origin from Sri Lanka Claiming age concession under Rule 3(c) (iv) or 3(c) (v) should produce an attested/certified copy of a certificate from the High Commission for India in Sri Lanka to show that he is an Indian citizen who has migrated to India on or after 1st November 1964, or is to migrate to India under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964.

(iv) A candidate who has migrated from Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania or who is an Indian

repatriate from Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia claiming age concession under Rule 3(c) (vi) should produce an attested/certified copy of a certificate from the District Magistrate of the area in which he may, for the time being, be resident to show that he is *bona fide* migrant from the countries mentioned above.

(v) A repatriate of Indian origin from Burma claiming age concession under Rule 3(c) (vii) or 3(c) (viii) should produce an attested/certified copy of the identity certificate issued to him by the Embassy of India, Rangoon, to show that he is an Indian citizen who has migrated to India on or after 1st June, 1963 or an attested/certified copy of a certificate from the District Magistrate of the area in which he may be resident to show that he is a *bona fide* repatriate from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963.

(vi) A candidate disabled while in the Defence Services claiming age concession under Rule 3(c) (ix) and (x) should produce, an attested/certified copy of a certificate in the form prescribed below from the Director General Resettlement, Ministry of Defence, to show that he was disabled while in the Defence Services, in operations during hostilities with an foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof.

The form of certificate to be produced by the Candidates.

Certified that Rank No. _____ Shri _____
of Unit _____ was disabled while in the Defence Services in operations during hostilities with a foreign country/in a disturbed area* and was released as a result of such disability.

Signature
Designation
Date

*Strike out whichever is not applicable.

(vii) A candidate disabled while in the Border Security Force, claiming age concession under Rule 3(c)(xi) or 3(c)(xii) should produce an attested/certified copy of a certificate in the form prescribed below from the Director General, Border Security Force, Ministry of Home Affairs to show that he was disabled while in the Border Security Force in operations, during Indo-Pak hostilities of 1971 and was released as a consequence thereof.

The form of certificate to be produced by the candidate.

Certified that Rank No. _____ Shri _____
of Unit _____ was disabled while in the Border Security Force in operations during Indo-Pak hostilities of 1971 and was released as a result of such disability.

Signature
Designation
Date

6. A candidate claiming age concession under rule 3(d) should submit (i) an attested/certified copy of a certificate from the detaining authority under his seal stating that the candidate had been detained under the Maintenance of Internal Security Act or (ii) an attested/certified copy of a certificate from the Sub-Divisional Magistrate having jurisdiction in the area stating that the candidate had been arrested or imprisoned under the Defence and Internal Security of India Act, 1971 or Rules thereunder specifying the dates between which he was arrested or imprisoned and certifying that the detention or arrest or imprisonment, as the case may be was in pursuance of the candidate's political affiliations or activities or his association with the erstwhile banned organisations.

7. Candidates are warned that they should not furnish any particulars that are false or suppress any material information in filling in the application form.

Candidates are also warned that they should in no case correct or alter or otherwise tamper with any entry in a document or its copy submitted by them nor should they submit a tampered/fabricated document. If there is any inaccuracy or any discrepancy between two or more such documents or its copies, an explanation regarding the discrepancy may be submitted.

8. The fact that an application form has been supplied on a certain date will not be accepted as an excuse for the late submission of an application. The supply of an application form does not *ipso facto* make the receiver eligible for admission to the examination.

9. If a candidate does not receive an acknowledgement of his application within a month from the last date of receipt of applications for the examination he should at once contact the Commission for the acknowledgement.

10. Every candidate for this examination will be informed, at the earliest possible date, of the result of his application. It is not, however, possible to say when the result will be communicated. But if a candidate does not receive from Union Public Service Commission a communication regarding the result of his application one month before the commencement of the examination he should at once contact the Commission for the result. Failure to comply with this provision will deprive the candidate of any claim to consideration.

11. Copies of pamphlets containing rules and question papers of the five preceding examinations held before 1977 for the C.S.S. Section Officer's Grade Limited Departmental Competitive Examination and the Combined Limited Departmental Competitive Examination, 1976 are on sale with the Controller of Publications, Civil Lines, Delhi (110054) and may be obtained from him direct by mail orders or on cash payment. These can also be obtained only against cash payment from (i) the Kitab Mahal, Opposite Rivoli Cinema Emporia Building, 'C' Block, Baba Kharag Singh Marg, New Delhi (110001), (ii) Sale Counter of the Publication Branch, Udyog Bhavan, New Delhi (110001) and (iii) Government of India Book Depot, 8 K. S. Roy Road, Calcutta-1. The pamphlets are also obtainable from the agents for the Government of India publications at various mofussil towns.

12. Candidates are not entitled to receive any Travelling Allowance from the Union Public Service Commission for attending the examination.

13. *Communications Regarding Applications.*—ALL COMMUNICATIONS IN RESPECT OF AN APPLICATION SHOULD BE ADDRESSED TO THE SECRETARY, UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION, DHOLPUR HOUSE, NEW DELHI (110011), AND SHOULD INVARIABLY CONTAIN THE FOLLOWING PARTICULARS.

- (1) NAME OF EXAMINATION.
- (2) MONTH AND YEAR OF EXAMINATION.
- (3) ROLL NUMBER OR THE DATE OF BIRTH OF CANDIDATE IF THE ROLL NUMBER HAS NOT BEEN COMMUNICATED.
- (4) NAME OF CANDIDATE (IN FULL AND IN BLOCK CAPITALS).
- (5) POSTAL ADDRESS AS GIVEN IN APPLICATION.

N.B.—COMMUNICATIONS NOT CONTAINING THE ABOVE PARTICULARS MAY NOT BE ATTENDED TO.

14. *Change in Address.*—A CANDIDATE MUST SEE THAT COMMUNICATIONS SENT TO HIM AT THE ADDRESS STATED IN HIS APPLICATION ARE REDIRECTED IF NECESSARY. CHANGE IN ADDRESS SHOULD BE COMMUNICATED TO THE COMMISSION AT THE EARLIEST OPPORTUNITY GIVING THE PARTICULARS MENTIONED IN PARAGRAPH 13 ABOVE. ALTHOUGH THE COMMISSION MAKE EVERY EFFORT TO TAKE ACCOUNT OF SUCH CHANGES, THEY CANNOT ACCEPT ANY RESPONSIBILITY IN THE MATTER.